छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019

(आषाढ़-28, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपकी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री की जर्सी का रंग एक है, शर्ट का रंग एक है, क्या बात है? संसदीय कार्यमंत्री जी से सेटिंग तो नहीं कर लिए माननीय अध्यक्ष जी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आपके बगल वाले का शर्ट भी तो एक ही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये, अपन दो काफी हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आपके बांये तरफ भी देख लीजिये, वैसे ही कलर है।

प्रश्न संख्या-1 XX XX

जिला जांजगीर-चांपा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन

2. (*क्र. 932) श्री रामकुमार यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किनके-किनके द्वारा वर्तमान में दुकान संचालित की जा रही है ? (ख) वर्तमान में संचालित किन-किन दुकानों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई हैं ? (ग) कितने शिकायतों का निराकरण किया गया एवं कितने प्रकरण लंबित हैं ? कब तक निराकरण किया जावेगा?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है. (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में 05 जुलाई 2019 तक 18 उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है. उचित मूल्य दुकानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है. (ग) प्राप्त सभी शिकायतों की जांच उपरांत 11 शिकायत सही नहीं पाई गयी. 07 शिकायतों की जांच उपरांत उचित मूल्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किये गये है, जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में विचाराधीन है, जिनका निराकरण शीघ्र कर लिया जावेगा.

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कितने ऐसे दुकानें हैं, जहां-जहां शिकायतें मिली थीं, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री जी पहली बार जवाब दे हैं, उनको बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बधाई दीजिये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप 15 साल तक प्रश्न पूछकर जैसे उत्तर की उम्मीद करते थे, आप कम से कम वैसा उत्तर दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- जी बिलकुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि जांजगीर-चाम्पा जिले अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किनके-किनके द्वारा वर्तमान में दुकानें संचालित हैं, तो आप परिशिष्ट-अ में देखेंगे कि 682 दुकानदार हैं, जिनके द्वारा ये संचालित की जा रही हैं। यदि आप नाम जानना चाहेंगे तो मैं नाम पढ़कर बताऊंगा। 687 नाम बहुत ज्यादा है। इसलिए आप परिशिष्ट "अ" देखें, जिनके द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि दुकानें महिला समूह चला रही हैं और यह गरीब आदमी और उनके पेट का सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे महिला समूह जो गलत तरीके से चला रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जांच कराकर के दूसरे महिला समूह को दुकानों का आवंटन दिया जाये और उनको काम करने का मौका दिया जाये। चूंकि महिला समूह को दुकान आवंटन, उनको सबल करने के लिए दिया गया है। इसमें कोई ज्यादा सबल हो गए हैं, तो दूसरे को भी मौका दिया जाये, मंत्री जी आप इसकी व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और छत्तीसगढ़ में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी मंशा के अनुरूप सभी दुकानों में निष्पक्ष रूप से वहां वितरण हो, संचालन हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। जहां-जहां शिकायतें आई हैं, वहां पर उनका जांच कराया गया है और उनके विरूद्ध कार्रवाई भी चल रही है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 7 शिकायतों की जांच उपरान्त उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में मामला विचाराधीन है। तो मैं माननीय मंत्री

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जी से जानना चाहता हूँ कि कितने दिन तक मामला विचाराधीन रहेगा और इसका निराकरण कब होगा, कब तक होगा ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और जब उसमें जांच किया गया तो 11 शिकायतें निराधार पाई गईं और 7 शिकायतें सही पाई गई, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में प्रकरण चल रहा है और इनके खिलाफ जल्द कार्रवाई पूर्ण कर लिया जायेगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां शिकायतें मिली हैं, इनकी जगह में दूसरा ऐसा कोई महिला समूह को आवंटित करने के लिए, उनको सोसायटी देने के लिए मैं सदन से निवेदन करूंगा। यहां सदन से घोषणा करने की कृपा करे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल आपके यहां की बात नहीं है। जहां-जहां भी शिकायतें मिल रही हैं, उन सभी जगहों की जांच होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस प्रदेश में किसी को भी अफरा-तफरी करने की इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

<u>जिला जांजगीर चांपा में जिला खनिज न्यास मद से विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि</u>

3. (*क्र. 400) श्री नारायण चंदेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में अप्रैल, 2017 से मार्च, 2019 के बीच जिला खनिज न्यास मद के द्वारा विकास कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई ? (ख) जांजगीर-चांपा जिले में जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत कितने कार्य प्रारंभ हुए हैं और कितने कार्य अप्रारंभ है ? अप्रारंभ रहने का क्या कारण हैं ? कृपया बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में अप्रैल 2017 से मार्च 2019 के बीच जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से विकास कार्य हेतु 259.37 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृत 646 कार्य प्रारंभ हुए हैं और 130 कार्य अप्रारंभ है. कार्य अप्रारंभ रहने के कारण † [1] संलग्न परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 06 में दर्शित है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से डी0एम0एफ0(जिला खनिज न्यास) मद से संबंधित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जांजगीर-चाम्पा जिले में इस मद में विकास कार्य हेतु अभी कितनी राशि उपलब्ध है ?

अध्यक्ष महोदय :- बस ?

श्री नारायण चंदेल :- फिर मैं पूछ रहा हूँ न।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो यह स्टाटर है।

[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो दोनों प्रश्न पूछे हैं, उसमें अभी कितनी राशि बची है, इसका उल्लेख है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि आपने जो पूछा है कि 646 कार्य प्रारंभ हुए, कितने प्रारंभ हुए और कितने अप्रारंभ हैं, इस प्रकार से प्रश्न है ? अब कितना पैसा है । 30 प्रतिशत राशि जो रायल्टी की है, उससे अधिक आना ही है, वह हर साल जुड़ना है और अभी कितनी राशि है, उसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिशिष्ट में बताया कि इस मद में 646 कार्य स्वीकृत हैं । कुल 130 विकास कार्य अप्रारंभ है, 52 कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई है । जिन कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और अनेक कार्य ऐसे हैं, जिनके वर्क आर्डर हो गए हैं तो वे काम भी अभी तक अप्रारंभ हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कार्य स्वीकृत कार्य हैं, जिनकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, निविदा हो गई है, जिनके वर्क आर्डर हो जाएंगे तो वे काम कब तक प्रारंभ हो जाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, आधे से ज्यादा काम तो आपके क्षेत्र के हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 130 कार्य अप्रारंभ हैं, मैं उसका पूरा ब्रेक-अप देना चाहूंगा । निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त की संख्या-51, राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त, इसकी संख्या-7, स्वीकृत आदेश में दर्शित कार्य की आवश्यकता के आधार पर कार्य प्रारंभ एवं आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के कारण, इसकी संख्या 7 और कार्य स्वीकृति पश्चात् पुन: भौतिक परीक्षण के आधार पर आवश्यकता नहीं होने के कारण 1, आचार संहिता एवं निर्माण कार्य में रोक राज्य शासन के आदेश क्रमांक 2.1.2019 में केवल 7, अन्य मद से स्वीकृत मतलब ऐसे भी कार्य हैं, जो दूसरे मद से स्वीकृत हो गए थे, उसकी संख्या-2, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण 1, अतिरिक्त कक्ष के संबंध में आवश्यकता संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त, उसकी संख्या-1 है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन ने अभी डी.एम.एफ. फंड के लिए नई गाईड लाईन जारी की है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नई गाईड लाईन के हिसाब से जो काम नहीं हुए हैं, विकास कार्य के लिए जिले में पैसा पड़ा हुआ है और शासन ने नई गाईड लाईन का आदेश जारी किया है, सारे कलेक्टरों को निर्देश जाए, वहां प्रभारी मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ में तत्काल उनकी बैठकें हो जाएं और जो भी राशि जिलों में उपलब्ध है, उसका निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ हो जाए, ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी सारे जिले में जारी करने का निवेदन मैं करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- निवेदन स्वीकार कर लीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा कि डी.एम.एफ. फंड में इनके शासनकाल में हम लोग मांग करते रहे कि डी.एम.एफ. फंड में विधायकों को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी सदस्य रखा जाये, लेकिन आपने नहीं रखा । 2015 से डी.एम.एफ. फंड चालू है और अभी जो परिवर्तन किया गया है, पहले डी.एम.एफ. न्यास के अध्यक्ष कलेक्टर हुआ करते थे, अभी प्रभारी मंत्री को रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट) और दूसरा, सारे जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, उनको रखा गया है, तीसरा, आप केवल दो सरपंच को इसमें रखते थे, इसमें तो अब प्रत्येक गांव के 10-10 सदस्य हैं, वे भी इसमें रहेंगे, उनकी अनुशंसाएं मानी जाएगी और दूसरा, जो आपने कहा, उसमें हम लोगों ने नियम में परिवर्तन किया है, वहां जो प्रभावित लोग हैं, पिछले समय तो शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम से राशि स्वीकृत होती थी, केवल बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा था । पहली बार यह हो रहा है कि 50 प्रतिशत राशि है, जो प्रभावित लोग हैं, उसकी जीवन में परिवर्तन आये, उनको सीधा लाभ मिले, इस दिशा में यह नियम बनाया गया है । इसमें जो नियम बन चुका है, उसको हम सरक्यूलेट कर देते हैं और आज विधान सभा सत्र आज समाप्त हो जायेगा, उसके तत्काल बाद हमारे प्रभारी मंत्री बैठक लेंगे और जो राशि है, उसकी नई गाईड लाईन के हिसाब से स्वीकृति प्रदान करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी ।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो परिवर्तन किया गया कि कलेक्टर के स्थान पर प्रभारी मंत्री को रखा गया है, यह एक प्रशंसनीय कदम है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि जिन स्थानों में खदान खोदी जाती है, नुकसान तो उन्हीं का होता है । आपने केवल 50 प्रतिशत राशि उस क्षेत्र में खर्च करने का नियम बनाया है । मेंरे ख्याल से और उदार होना चाहिये, अगर इसे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा सीमा तय करनी है तो लोक सभा क्षेत्र की सीमा तय कर दीजिए । जहां खनिज है, उस लोक सभा क्षेत्र के बाहर इस पैसे का खनिज मद का उपयोग न हो, बैलाडीला में खुदे और रायपुर में प्रयोग हो, यह बिल्कुल गलत है । वहां दक्षिण बस्तर के रहने वाले आदिवासियों के साथ अन्याय है, आपने 50 प्रतिशत किया है, इसको शत प्रतिशत कर दीजिए । अगर एरिया बढ़ाना है या तो जिला कर दीजिए या लोक सभा कर दीजिए । पूरे प्रदेश में इसको मत रखिये। बैलाडीला का पैसा रायपुर में लगता है तो हमारे दिल में बहुत टीस पहुंचती है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा । न्यास की जो प्राप्त राशि है, जो प्रत्यक्ष प्रभावित लोग हैं, वहां 50 प्रतिशत करना है । उसके बगल के जिले में पहले भी गाईड लाईन है.....।

श्री अजीत जोगी :- अभी तो कहीं भी कर देते हैं रायपुर में ।

श्री भूपेश बघेल :- जोगी जी, एअर स्ट्रिप अब नहीं बनेगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूॅं । कलेक्ट्रेट में लिफट नहीं बनेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूॅं । (मेंजों की थपथपाहट) खनिज प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हीं के जीवन स्तर उठाने में खर्च होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कहना चाहूंगा कि इस पैसे की राशि, पहली बात तो यह है कि जो हितग्राही हैं, उनको चिन्हिंत किया जा रहा है । निवासी की आवश्यकता के अनुरूप 5 वर्षीय विजन डाकुमेंट्री तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, इससे सोशल आडिट भी किया जायेगा । न्यास निधि से संपादित कार्यों की सतत जीविकोपार्जन, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नया सेक्टर शामिल किया गया है । जो पुराने थे, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पेयजल है, इसके अलावा, यह तीन जो कार्य है, सतत जीविकोपार्जन, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नये सेक्टर के रूप में चार और सेक्टर हम इसमें शामिल किये हैं, जिससे वहां के जीवन में परिवर्तन आये । यह राज्य सरकार ने फैसला लिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अपने-अपने सरकार के अपने-अपने दृष्टिकोण होते हैं । लेकिन मैं नारायण चंदेल जी के प्रश्न में ही पूरक प्रश्न करना चाहता हूँ, जो परिशिष्ट में 68 नंबर है, उसी तरह के 9 प्रकरण है, माननीय अध्यक्ष महोदय । जिसमें रायपुर के पत्र क्रमांक 2/1/19 के द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध, तो स्वीकृत राशि पर प्रतिबंध लगाया गया है या आपने जो परिशिष्ट में जानकारी दी है, 68 नंबर है, 93 नंबर है, 94 नंबर है, 75 है, 76 है, 78 है, 77 है, 82 है, 83 है । तो चुनाव भी हो चुका है, सब चीजें हो चुकी है, चुनाव को एक कारण बताया और प्रतिबंध को दूसरा कारण बताया है । उन स्वीकृत कार्यों पर प्रतिबंध किन कारणों से लगाया गया, क्या वह प्रतिबंध हटायेंगे और उस कार्य को फिर से संपादित करने के लिए, कार्य आदेश जारी करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि माननीय सदस्य बार-बार सदन में चिन्ता व्यक्त करते थे कि राज्य सरकार ने नये सरकार चुनने के बाद निर्माण कार्य में रोक लगा दिया है । अध्यक्ष महोदय, 130 कार्य जो अप्रारंभ है, उसमें से केवल 7 कार्य है, 130 में से केवल 7, और वह कार्य राज्य सरकार के केवल उस निर्णय के कारण से रूके कि अब जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उसे रोका जाए। 123 कार्य दूसरे कारणों से जैसे कहीं मांग नहीं है, तो कहीं जमीन नहीं है, तो कहीं निविदा प्रक्रिया अपूर्ण है तो कहीं मांग प्रतिवेदन अप्राप्त है इन सारे कारणों से रोके गये हैं। केवल 7 कामों की आप चिन्ता कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- 09 काम हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप देख लें, केवल 07 कार्य हैं। उसके बारे में आप कह रहे हैं तो अब नई कमेटी बन गई है उसमें आप खुद फैसला कर लें। माननीय सदस्य नारायण चंदेल जी उसमें सदस्य हैं। पहले तो विधायकों को रखते नहीं थे, अब तो आप बैठकर खुद ही फैसला कर लेंगे। यहां कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- राज्य सरकार से प्रतिबंध लगा है उसे वहां वे लोग कैसे हटायेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- वह प्रतिबंध हट चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं यही पूछ रहा था कि यदि आपने प्रतिबंध हटा दिया है तो वही कार्य उससे संपादित होंगे?

श्री भूपेश बघेल :- सवाल इस बात का है कि चूंकि अब नई व्यवस्था लागू हो गई है तो नई व्यवस्था के अनुसार आप पुन: उस कार्य को सूचीबद्ध कर लें।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब माईनिंग के पैसे से स्वीमिंग पुल तो नहीं बनेंगे न?

श्री पुरूषोत्तम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कोरबा जिला जहां जिला खनिज न्यास मद में सबसे ज्यादा आमदनी होती है वहां 3 वर्षों तक वर्ष 2016-2017, 2017-18, 2018-2019 तक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और एक सहायक आयुक्त को निलंबित भी किया गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन कार्यों की जिनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करके उसमें जो अधिकारी संलिप्त हैं क्या उन पर कार्यवाही करेंगे, इस हेतु आश्वस्त करेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह जांजगीर-चांपा जिले से संबंधित प्रश्न था, माननीय सदस्य ने कोरबा के बारे में प्रश्न पूछा है स्पेशिफिक कोई शिकायत है तो दे दें उसकी जांच करा देंगे।

श्री पुरूषोत्तम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भ्रष्टाचार में एक अधिकारी सहायक आयुक्त निलंबित किया गया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसकी जानकारी दे दें, मैं देखवा लूंगा।

श्री पुरूषोत्तम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि प्रभावित लोगों का चिन्हांकन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रभावित लोगों का चिन्हांकन किस मापदंड पर किया जायेगा? जांजगीर जिला बहुत बड़ा जिला है, उसमें 09 विकासखंड हैं तो कौन से जिले में किस ढंग से किस विकासखंड के किन लोगों को प्रभावित की परिभाषा में लिया जायेगा?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रत्यक्ष प्रभावित हैं, जिस गांव में, जिस ब्लॉक में, जिस जिले में खदान है और उससे जो प्रभावित हैं। अलग-अलग खदान के अलग-अलग प्रभाव क्षेत्र हैं। गिट्टी का अलग होगा, डोलोमाईड का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, कोयला का अलग होगा, बाक्साईड का अलग होगा, तो अलग-अलग प्रभाव है उसके हिसाब से जो प्रत्यक्ष प्रभावित हैं उन हितग्राहियों को चिन्हिंत किया जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) एवं श्री विकास उपाध्याय (रायपुर नगर पश्चिम) के बोलने हेतु खड़े होने पर।)

अध्यक्ष महोदय :- इसमें जिला जांजगीर-चांपा से उद्भुत प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोगों का दुर्ग, रायपुर का नहीं चलेगा ऐसा बोल रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने परिशिष्ट में उन कामों को बताया है जो अप्रारंभ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जिनकी स्वीकृति हो गई है लेकिन अप्रारंभ है जिसको परिशिष्ट में नहीं दिया गया है। उदाहरण स्वरूप मैं एक काम बताता हूं कि जैजेपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 67 लाख रूपये से विस्तार का कार्य है और प्रथम डी.एम.एफ. की बैठक में यह स्वीकृत हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह कार्य निरस्त कर दिया गया है या आप उसे प्रारंभ करवायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- आप भी तो जिला जिला जांजगीर-चांपा के सदस्य होंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूची है वह 130 कार्यों की है, यदि उसके बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा है, वह वर्ष 2017 से 2019 तक का है। यह आप जो कह रहे हैं यह 2015-16 का है जिस समय शुरू हुआ होगा। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक के हैं इसलिए मेरे पास केवल इतनी ही जानकारी है। यदि आप कोई अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो उसे दे दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- तब तो और दुखद बात है। वर्ष 2016-17 का हम पूछ रहे हैं और वर्ष 2015 का जो स्वीकृत है वह शुरू नहीं हो पाया है। ये तो और चिन्ता की बात है।

श्री भूपेश बघेल :- ये तो बिल्कुल चिन्ता करनी चाहिए। जो आपके अगल-बगल बैठे हैं उनसे पूछिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अब तो आपके सामने हो गये हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 15 साल के बाद डी.एम.एफ. फंड का सही सदुपयोग हो रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम लोग मुख्यमंत्री जी से इतना ही आश्वासन चाहते हैं कि स्वीमिंग पुल न बनायें।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिला हास्पिटल की हालत बहुत खराब है। मैंने मुख्यमंत्री जी दुर्ग डी.एम.एफ फंड के लिए निवेदन किया था....।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, वोरा जी, यह डी.एम.एफ. चालू कब से हुआ ? 15 साल बाद सदुपयोग की बात कर रहे हैं। चालू कब से हुआ यह तो जानकारी दे दो ?

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि दुर्ग जिले में ....।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इतना ही हम लोगों को ....(व्यवधान) की स्वीमिंग पुल मत बनाये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, आपने धन्यवाद देने के लिए इजाजत मांगी थी। श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा । (व्यवधान)

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से .....। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिला चिकित्सालय में 5 करोड़ रूपये राशि की स्वीकृति आपके माध्यम से हुई है, उसको जल्दी जारी करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, महिला प्रश्न कर रहे हैं उनको करने दीजिए।

अनिता योगेन्द्र शर्मा ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आपके विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रदेश स्तरीय प्रश्न नहीं है। चांपा जांजगीर का है इसलिए वहीं के लोग रख सकते हैं।

श्री विकास उपाध्याय :- अध्यक्ष महोदय, पूरे डी.एम.एफ फंड में घपला हुआ है। एक कलेक्टर के इतिहास में दूसरे कलेक्टर के नाम पर चिट्ठी लिखी है कि जांच की जाये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि क्या उन लोगों पर कार्यवाही की जायेगी ? करोड़ों, अरबों का भष्टाचार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वन मंत्री जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर जिला के मामला हरे येखर सेती मे कहना चाहथों। पहले फैक्ट्री आथे, सपना दिखाथे। गांव के आदमी मन ला जोर के ऐसे बताथे कि ये गांव ला हमन दिल्ली, बंबई, कलकत्ता बनाबो करके। अऊ कंपनी ला खाले के बाद में गांव के जमीन ला भी ले लेथे। वोखर बाद में कोई चीज ला करना रथे। जैसे हमन रायपुर में आ के देखथन ता इतना पावर प्लांट रथे। मैं निवेदन करना चाहथों कि मुख्यमंत्री दोबारा अइसे नई करे। येखर लिए मैं धन्यवाद देथों और जो

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रभावी एरिया हे वो गरीब किसान मजदूर ला वोखर लाभ देथे वोखर लिए मैं मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहथों।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा प्रदूषण की प्राप्त शिकायतें

4. (*क्र. 189) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के धरसींवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में दिसम्बर, 2017 से मई, 2019 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (मोहम्मद अकबर) : (क) रायपुर जिले के धरसींवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में प्रश्नाधीन अवधि में 04 शिकायतें प्राप्त हुई है. (ख) जानकारी परिशिष्ट पर †[2] संलग्न है.

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आपके विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है वह अपूर्ण है। क्योंकि इंसान को छोड़िये, सिलतरा क्षेत्र में मछलियों के पेट से भी कालिग निकलती हैं। इस प्रकार के प्रकरण, इस प्रकार के अपूर्ण जानकारी देने वाले अधिकारी पर मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- वन मंत्री जी।

पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि रायपुर जिले के धरसींवा ब्लाक के अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में 2017 से 2019 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है। 4 शिकायतें प्राप्त हुई है जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। एक शिकायतकर्ता हैं सुरेश दीवान, दूसरा योगेश शर्मा, तीसरे में रोशन देवांगन और श्रीराम निषाद शिकायत के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई। यह पूरा उत्तर के साथ आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा यदि प्रदूषण के संबंध में आपको किसी मामले में और किसी को शिकायत हो तो आप यदि बता देंगे तो हम उसकी जांच करा देंगे।

श्री अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी, माननीय पी.एच.ई. मंत्री जी का ध्यान अवगत करना चाहूंगी। मेरा सिलतरा विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण आस-पास के गांवों का पानी प्रदूषित हो रहा है। सिलतरा में एक फिल्टर

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्लांट 10 वर्षों से बंद पड़ा है जिसको माननीय मंत्री जी चालू करायेंगे जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिल्टर प्लांट चालू हो पायेगा नहीं हो पायेगा। यहां अभी यह कहना कठिन है। लेकिन जो चिंता आपको है, आप जिस बारे में भी संज्ञान में भी जो बात आप लाये हैं, मैं पूरे की जांच करा दूंगा जो बेहतर होगा करा दूंगा।

श्री अनिता योगेन्द्र शर्मा :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- रश्मि आशीष सिंह।

जिला-बिलासपुर में अवैध नलकूप उत्खनन के विरूद्ध कार्यवाही

5. (*क्र. 159) श्रीमती रश्मि आशिष सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिलासपुर जिले में पेयजल परीरक्षण हेतु फरवरी, 2019 से नलकूप उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था ? (ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के बाद अवैध नलकूप उत्खनन के कितने प्रकरण बनाये गये ? संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) जी हां, बिलासपुर जिले में पेयजल परीरक्षण अधिनियम के तहत् 22 फरवरी 2019 से कलेक्टर बिलासपुर द्वारा नलकूप उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है. (ख) 22 फरवरी 2019 के बाद अवैध नलकूप उत्खनन के 09 प्रकरण कलेक्टर बिलासपुर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बनाये गए. संबंधितों के विरूद्ध की गई कार्यवाही ††[3] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित जो प्रश्न लगाया था उसका उत्तर मुझे मिल गया है। मेरा माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह है कि बल्कि कहा जाये तो वहां पर नलकूप जो अवैध उत्खनन था उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इसमें कार्यवाही के प्रकरण केवल 9 दिखाये गये हैं। उसमें जो पेनाल्टी की गई है उसकी राशि में भी भिन्नता है। मेरा पी.एच.ई. मंत्री जी से आग्रह यह है कि जो पेयजल परीरक्षण अधिनियम है उसके तहत, चूंकि तखतपुर विधानसभा में पानी की बहुत किल्लत है तो वहां पर जो नरवा योजना है उसके लिए अधिक से अधिक कार्य किया जाये जिससे वहां भूमिगत जल स्त्रोत बढ़े। जो उत्तर मिला है उससे मैं संतुष्ट हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न कुछ नहीं है। डॉ. विनय जायसवाल।

---

[3] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पेनाल्टी उसमें कितने लोगों को की गई है, तो उसमें उत्तर दिया गया है कि 9 लोगों को पेनाल्टी की गई है।

प्रश्न क्रमांक- 06 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- केशव प्रसाद चंद्रा।

<u>जिला जांजगीर चांपा में गौण खनिज की संचालित खदानें एवं स्थापित क्रेशर</u>

7. (*क्र. 183) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में गौण खनिज की कितनी खदानें संचालित हैं ? खदान का स्थान, मालिक का नाम, जमीन का खसरा एवं रकबा, खदान की स्वीकृति की समय सीमा के साथ-साथ खनिज किस वर्ग के हैं खदानवार बतायें ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में कितने क्रेशर संचालित हैं ? स्थापित क्रेशर का स्थान, मालिक का नाम एवं पता जमीन का खसरा एवं रकबा, स्वीकृति दिनांक पर्यावरण स्वीकृति दिनांक भण्डारण क्षमता क्रेशरवार बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर चांपा में गौण खनिज की कुल 194 खदानें संचालित है. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" पर दर्शित है. गौण खनिज में किसी प्रकार का वर्ग नहीं होता है. (ख) जिला जांजगीर-चांपा में कुल 128 क्रेशर संचालित है, जिसमें से स्वीकृत लीज के भीतर 94 क्रेशर एवं भण्डारण अनुज्ञापत्र प्राप्त कर 34 क्रेशर संचालित है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" पर दर्शित है.

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 194 खदान और 128 क्रेसर जिला जांजगीर चांपा में संचालित हो रही है करके जानकारी दिये हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने खदान और क्रेसर हैं तो निश्चित रूप से उसमें ट्रांसपोर्टिंग में गाड़ी का उपयोग होता होगा और उसके कारण तमाम् प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क जीर्ण-शीर्ण हो गयी है। जो सड़क गांव के लोगों के लिए बनायी गई है, वह पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई है। क्या इनके संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? और उस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई ? या ऐसी सड़क जो इस खनिज के आवागमन, ट्रांसपोर्टिंग के कारण टूट रही है, उसकी मरम्मत करवायेंगे क्या ? या नया बनवायेंगे क्या ? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खदान का प्रश्न है और सड़क में पहुँच गये।

अध्यक्ष महोदय :- खदान का समान ट्रांसपोर्ट होकर जाता है इसलिए सड़क में चल दिये।(हंसी)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका पत्र प्राप्त भी हुआ है और माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि पी.एम.जी.एस.वाई. में जो सड़कें बनती हैं, उसमें जितने भी भारी वाहन गुजरने के कारण से बहुत जल्दी, वह सड़क टूट जाती है और आपके यहां की अधिकांश सड़कें हैं वह पी.एम.जी.एस.वाई. के ही हैं और केन्द्र सरकार ने उसमें अभी संधारण की कोई व्यवस्था नहीं की है। जब अभी नीति आयोग की बैठक हुई, तब भी हम लोगों ने, जितने मुख्यमंत्री हैं, इस बात को प्रमुखता से उठाये हैं कि पी.एम.जी.एस.वाई. में संधारण की भी, राशि की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ये हम सब की चिंता है, पूरे प्रदेश की चिंता है तो उसमें संधारण की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण से एक बार सड़क बन जाती है तो साल, दो साल में, यदि वह खराब हुआ तो उसके संधारण की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं भी आपकी चिंता से सहमत हूँ और केन्द्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है और मैं समझता हूँ कि उसमें जल्दी कोई समाधान निकालेंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क पर एक निश्चित क्षमता तक वाहन जा सकते हैं ? जब तक वह सड़क नहीं बनती है, ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या उसमें भारी वाहन न चले ?

श्री भूपेश बघेल :- देखिए। ये दोनों चीजें हैं। सड़क की गुणवत्ता किस प्रकार से होगी ? उसका स्पेसिफिकेशन कितना होगा ? वह भारत सरकार तय करती है। वाहनों की जो भार क्षमता है, वह भी भारत सरकार ही तय करती है। इस मामले में आपकी चिंता से भारत सरकार को अवगत जरूर करा देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रजनीश कुमार सिंह। ये जांजगीर चांपा से संबंधित है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खदान खासकर के पत्थर के खदान से दमा और सिलिकोसिस जैसी बीमारी होती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नीतिगत मामला भी है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खदान वाले तो कमा कर चले जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों, काम करने वाले मजदूरों को उसका दुष्परिणाम मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसके कारण वहां के लोग दमा और सिलिकोसिस जैसी बीमारी से प्रभावित न हों, इस पर सरकार क्या कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? क्योंकि जांजगीर-चांपा जिले से सबसे ज्यादा सिलिकोसिस का मामला आया है और ये लाईलाज बीमारी है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने चंदेल जी के प्रश्न के उत्तर में यही कहा कि हम स्वास्थ्य की दिशा में खर्च करते हैं। लेकिन बिल्डिंग बनाने के काम में करते हैं और दूसरा मैंने

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

जोगी जी का जो प्रश्न था, उसमें मैंने कहा कि हम हितग्राहियों को चिन्हित करेंगे तो जो प्रत्यक्ष प्रभावित लोग हैं, उसमें हम ज्यादा राशि खर्च करेंगे। इसका अर्थ ही यही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, रोजगार है, हम इस दिशा में खर्च करेंगे । मैं आपकी चिंता से सहमत हूँ और उसमें उसके ईलाज के लिए पूरी राशि और चूंकि आप वहां के सदस्य हैं तो मैं उस मामले में कहना चाहूंगा कि वहां आप उस दिशा में फण्ड एलाट करवायें और उनका ईलाज भी करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रजनीश कुमार सिंह।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो खदान है, उसमें ब्लास्टिंग होती है, बारूद से ब्लास्ट करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। ये खदान केवल 3-4 हेक्टेयर का है, जितना भी खदान है एक हेक्टेयर का है। बारूद तोड़ने के बाद पत्थर किसान के खेत में जाता है जिसके कारण वे खेती नहीं कर पाते। आपके माईनिंग में ये प्रावधान भी है कि जो खेती नहीं कर पाते हैं उनको खदान का मालिक मुआवजा देगा। लेकिन वास्तव में हमारे जिले में ये मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कलेक्टर को निर्देश देंगे कि ऐसे प्रभावित किसानों को ये सुनिश्चित करें कि उनको, खदान के मालिक फसल क्षति का मुआवजा दें ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय इस मामले में शिकायत मिली है। ब्लास्टिंग होने के बाद आसपास के खेतों में इस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, इसकी शिकायत मिली है और इसकी जांच अभी प्रक्रियाधीन है। क्योंकि अभी शिकायत मिले ज्यादा दिन नहीं हुआ है। उसकी जांच कर लेते हैं और जो सही पाया जायेगा, उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

<u>बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित कोलवाशरी</u>

8. (*क्र. 757) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेलतरा विधानसभा में संचालित कोलवाशरी की संख्या कितनी है ? कितनी कोलवाशरी प्रक्रिया में या प्रस्तावित हैं स्थान का नाम सहित बतायें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : बेलतरा विधान सभा में 03 कोलवाशरी संचालित है. मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-लिम्हा, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर में 01 कोलवाशरी प्रस्तावित है.

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड कोलवाशरी प्रस्तावित है। यह प्रस्तावित है या स्वीकृत है?

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम लिम्हा, तहसील बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को कोलवाशरी ग्रेड टाईप 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु दिनांक 18-5-2018 को स्थापना सहमति जारी की गई है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- इसकी जनसुनवाई कब हुई और पर्यावरण विभाग द्वारा इनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है या नहीं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्सेट टू स्टेबलिश स्थापना की सहमति जारी हुई है और सारी प्रक्रियाओं के बाद जारी की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सत्यानारायण शर्मा।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आप समझ नहीं रहे हैं कि क्या आपको पूछना चाहिए, पूछिये।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो और 3 कोलवाशरी संचालित हैं, उसमें पर्यावरण की शर्तों के तहत जो अनुमति प्रदान की गई है, उसके प्रतिपालन के लिए आपके विभाग के द्वारा किस स्तर के कर्मचारियों के द्वारा इन शर्तों का पालन करने के लिए कब-कब निरीक्षण किया गया है और उसमें सही पाया गया है या गलत पाया गया है, नियमों का उल्लंघन पाया गया है, इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मूल प्रश्न देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मूल प्रश्न से उदधृत नहीं होता।

<u>नलकूप खनन का लक्ष्य</u>

9. (*क्र. 606) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में नलकूप खनन का जिलेवार लक्ष्य क्या है ? (ख) 25 जून, 2019 तक जिलेवार कितने नलकूपों का खनन पूर्ण किया जा चुका है ? सफल, असफल की जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में संभावित पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम हेतु नलकूप खनन का जिलेवार अंतरिम लक्ष्य की जानकारी †[4] संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित अनुसार है. (ख) 25 जून, 2019 तक जिलेवार खनिज नलकूपों, सफल, असफल की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित अनुसार है.

[4] परिशिष्ट "पांच"

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भीषण गर्मी में यहां पेयजल की भयंकर समस्या है, उस वक्त कुल नलकूप खनन रायपुर जिले का ही लूं तो कुल 43 नलकूप खनन हुआ है और उसमें से 31 सफल हैं और 12 असफल हैं। ये असफल होने के क्या कारण हैं ? ये 12 नलकूल क्यों असफल हुए ? इस वक्त शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करना था, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये। माननीय अध्यक्ष जी, मात्र 118 का लक्ष्य रखा गया है जो रायपुर जिले के लिए बहुत ही कम रहा, उसमें मात्र 43 नलकून खनन हुए हैं। उसमें सें 31 सफल हैं और 12 असफल हैं। आप यह बता दें कि असफल होने का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय :- 31 सफल हैं, 12 असफल हैं। माननीय मंत्री जी बताईये।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रकार की बात है। पहला जितना आप चाहेंगे उसके हिसाब से मांग के अनुरूप नल खनन हो जायेगा, लेकिन आचार संहिता के कारण काम रूका हुआ था। दूसरी चीज नलकूप असफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है, जैसे आपका आवेदन आया कि आपको इस गांव में 4 बोर करवाने हैं उसमें साथ में यह भी उल्लेख रहता है। मैं माननीय सभी सदस्यों से जो यहां बैठे हैं, यह आप सबके लिए बोलना चाहूंगा। क्योंकि हमारे पास सर्वे की टीम भी है। अगर वह वहां पर जाकर पानी चेक करके बोर करेगी तो असफल होने की संभावना बहुत कम होगी। लेकिन अधिकांश यह होता है कि मंत्री जी आप इस गांव में गाडी भेजिये और इस जगह पर आप बोर करवाईये। कई बार असफल होने का कारण वह होता है। सबसे बड़ी बात इस साल ग्राउण्ड वॉटर लेवल भी बहुत डाउन हुआ है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास डिपार्टमेण्टल जो रिग मशीन है, वह बहुत पुरानी हो गई है, ज्यादातर खराब हैं, बोरिंग ज्यादा गहराई तक खोद ही नहीं पा रही हैं, इसके कारण बोर असफल हो रहे हैं। क्या आधुनिक तकनीक मशीन को बाजार से हायर करके बोर करवायेंगे ताकि बोर सफल हो और ज्यादा से ज्यादा बोर किये जा सकते हैं ? बोर ज्यादा गहराई तक हो, क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है कि हमारी बोर मशीन पुरानी हो चुकी हैं। अच्छी कंडीशन में हैं। लेकिन आपकी जो चिंता है निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की, यहां सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों की चिंता है। क्योंकि वाटर लेवर डाउन हो गया है, अगर ज्यादा गहराई तक हमें बोर करने की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर आगे चलकर प्राइवेट सेक्टर से भी बोर कराया जायेगा।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले में 180 का लक्ष्य था और मात्र 24 हुआ है, उसका कारण यह था कि रायगढ़

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिले में एक ही मशीन है जो गहराई तक खोद सकती है और एक मशीन दो दिन में एक पम्प खोदती है तो क्या प्राईवेट मशीन से खोदवाएंगे ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय सत्यनारायण शर्मा जी को इसका जवाब दिया है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक और प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- दो प्रश्न नहीं हो सकते । श्री धर्मजीत सिंह जी ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक और बरमकल ब्लॉक में बिल्कुल नीचे चला गया है तो क्या उसके लिये कोई अलग मापदंड होंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उनसे पूछिएगा, वे मिलकर बात कर लेंगे । आप माननीय मंत्री जी से कक्ष में जाकर मिल लीजिएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायक लोग बोलते हैं कि यहां पर खोदना है, हां बोलते हैं । क्यों बोलना पड़ता है क्योंकि उस मोहल्ले में पानी की कमी रहती है, वहां के गांव के हिसाब से बैठक में जब पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि भई मान लो आदिवासी पारा में नहीं है या सतनामी पारा में नहीं है तो हम लोगों को बताना पड़ता है । आप तो हमको यह बताईये कि आपके विभाग में सबसे ज्यादा डीप बोरवेल करने के लिये आपके विभाग की कितनी क्षमता है ? जो सबसे ज्यादा हो और अगर नहीं है तो आपको सबको मालूम है कि अभी आने वाले समय में वाटर लेबल और भी नीचे गिरेगा, पानी तो गिर नहीं रहा है, अकाल की स्थिति है तो हाहाकार तो उसी में मच रहा है । दो महीने से परेशान थे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करें न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आपके मशीन की सबसे ज्यादा गहराई तक खोदने की क्षमता कितनी है और क्या हर जिले में आपकी मशीन उपलब्ध है और अगर नहीं है तो क्या आप प्राईवेट लोगों को इसमें इंवाल्व करके नल खोदाई के काम को गति पकड़ायेंगे ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हमारी जो मशीन है उसकी खोदाई की क्षमता अधिकतम साढ़े 600 फीट है और जैसा कि आपने कहा तो यह वस्तुस्थिति है कि आज की तारीख में वाटर लेबल बहुत डाऊन हो गया है क्योंकि ग्राउंड वाटर का अधिक दोहन होने के कारण या फिर अधिक उपयोग होने के कारण निरंतर वाटर लेबल डाऊन जा रहा है, बारिश भी कम हो रही है और आपके तीसरे प्रश्न का जवाब तो मैंने शुरू में ही दे दिया कि आवश्यकता के हिसाब से आने वाले समय में प्राईवेट सेक्टर से भी कराया जाएगा ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच

10. (*क्र. 808) श्री शिवरतन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 25 जून, 2019 तक मंत्रालयीन सेवा के कितने अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र की जांच की ? कितने प्रकरण में प्रमाण पत्र फर्जी करार दिया गया ? संबंधित के नाम, पदनाम सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध 25 जून, 2019 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" के कितने अधिकारी/कर्मचारियों को उनके जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के उपरांत भी उच्च पदों पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 25 जून, 2019 तक मंत्रालयीन सेवा के 57 अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र की जांच की. 06 प्रकरण में प्रमाण पत्र फर्जी करार दिया गया. संबंधित के नाम पदनाम सहित ब्यौरा प्रपत्र "अ" पर ††[5] संलग्न है. (ख) प्रश्नांश (ख) की जानकारी प्रपत्र "ब" पर †† संलग्न है. (ग) प्रश्नांश कंडिका "क" के किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों को उनके प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने के उपरांत भी उच्च पदों पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बताया है कि 57 प्रकरणों में जांच की गयी और 06 प्रकरणों में फर्जी प्रमाण-पत्र पाये गये । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहला उच्च स्तरीय छानबीन समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ? और इसी के साथ दूसरा यह जो 57 प्रकरण हैं इसके जो अंतिम आदेश हैं यह समिति के द्वारा जारी किये गये या उस विभाग के अधिकारी के द्वारा जारी किये गये यह स्पष्ट कर दें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो छानबीन समिति है यह उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश पर बनायी गयी है और उसके जो निर्देश हैं उसके हिसाब से वे सदस्य हैं । आपका दूसरा प्रश्न क्या था ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि सदस्य कौन-कौन हैं ? आपने उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश पर बनाया गया है ऐसा बताया । मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि यह जो 57 आदेश जारी हुए जो भी 06 को फर्जी पाया गया, चूंकि 51 को आपने मुक्त किया तो यह जो आदेश निकले यह आदेश समिति के माध्यम से निकले हैं या किसी विभाग के अधिकारी ने यह आदेश जारी किये हैं ?

---

[5] परिशिष्ट "छः"

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से छानबीन समिति के द्वारा ही इसकी जांच की गयी है और उसी के द्वारा आदेश जारी किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में होता यह है कि ज्यादातर प्रकरण में जैसे इसमें 06 प्रकरण हैं तो 06 में से 05 लोग कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और स्टे मिलने का जो मूल कारण होता है वह यह होता है कि आदेश वास्तव में समिति के सभी सदस्यों के साईन से निकलना चाहिए करके और वह आदेश उससे न निकलकर के जो उस समिति का एक अधिकारी होता है उसके साईन से आदेश निकल जाते हैं और वह स्टे का एक बड़ा आधार बनता है तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ? और इस 57 प्रकरण में पूरी समिति का एक निर्णय है या केवल एक अधिकारी का निर्णय है यह स्पष्ट कर दें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश तो इन्हीं के कार्यकाल का है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, सवाल यह नहीं है कि यह किसके कार्यकाल का है । मैंने जो प्रश्न किया है ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, है । जो सच्चाई है उससे कैसे इंकार कर सकते हैं और आपने जो कार्यवाही की उसकी मैंने जानकारी दे दी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समिति के सदस्यों का नाम पूछा और बहुत स्पष्ट कहा है कि वह आदेश समिति का है या एक अधिकारी का है ?

श्री भूपेश बघेल :- इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा कि कौन-कौन सदस्य हैं । सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, संचालक शिक्षा ये आदिम जाति कल्याण विभाग के संचालक भी हैं और शिक्षा विभाग के संचालक और विशेषज्ञ, इस प्रकार के उसके सदस्य होते हैं, संचालक, भू-अभिलेख । ये उनके सदस्य होते हैं । यदि आपके पास इस प्रकार की कोई शिकायत है कि सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं, उसके बाद भी आदेश जारी हो गया है तो आप मुझे जानकारी दे दें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, एक अंतिम प्रश्न । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सब आपके कार्यकाल का है । माननीय मुख्यमंत्री जी, समिति के सारे सदस्य अधिकारी वर्ग के हैं । सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वही अधिकारी काम करते हैं । मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन 57 प्रकरणों में से 6 को आपने फर्जी पाया, 5 लोग कोर्ट से स्टे लेकर आ गए । स्टे लाने के पीछे प्रमुख कारण यह है कि यह समिति का आदेश न होकर, एक अधिकारी का आदेश है । क्या आप पूरे 57 प्रकरणों की जांच कराएंगे ? यह निर्णय समिति का है या एक अधिकारी का है, इसकी जांच कराएंगे क्या ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई पर्टीक्यूलर किसी मुद्दे पर कोई शिकायत हो तो दे दें, उसकी जांच करा लेंगे । सबकी जांच कराने की क्या आवश्यकता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 57 प्रकरण कितने ज्यादा है, आप एक बार में बुलाकर जांच करा सकते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- यानी आपकी सरकार ने जो समिति गठित की थी उस पर आपको विश्वास नहीं है । आपके पास कोई पर्टीक्यूलर शिकायत हो तो दे दीजिए, मैं जांच करवा लेता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने जो जवाब दिया है मैं पर्टीक्यूलर उसी पर बात कर रहा हूं, केवल 57 प्रकरण की बात कर रहा हूं । एक बार बुलाकर जांच करवा लीजिए। अच्छा चलिए ये 5 प्रकरण जिन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिला है, आप इनकी जांच कराएंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- जब हाईकोर्ट में स्टे हो गया है तो फिर उसकी कैसे जांच कराएंगे । जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसकी जांच कैसे करा लें ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जो स्टे मिला है । स्टे मिलने का एक मात्र कारण यह है कि समिति का निर्णय न होकर, एक अधिकारी के द्वारा आदेश निकाल दिया गया । समिति की जो औपचारिकता करनी चाहिए थी, वह औपचारिकताएं पूरी नहीं हुईं । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में समिति ने निर्णय किया या नहीं किया, इसकी जांच तो आप अपने स्तर पर करा सकते हैं ?

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में पूरी गड़बड़ियां हुई हैं। आपने अपने समय जांच क्यों नहीं करवाई ?

श्री शिवरतन शर्मा :- इसकी सरकार और उनकी सरकार की गड़बड़ी की बात नहीं है । जो अधिकारी हमारी सरकार में थे वही अधिकारी आपकी सरकार में भी हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- अधिकारियों से आपने किस प्रकार से काम लिया है, अब उसी को आप उजागर कर रहे हैं । यदि इस प्रकार से गलत किया है तो आप जानकारी दे दें, मैं उसके खिलाफ जांच करा लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप लिखित में जानकारी दे दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आपकी सरकार ने आपकी सुनी नहीं । अब आप निश्चिंत होकर बोलिए, अब कार्रवाई होगी, भरोसा रखिए । आपकी सरकार आपकी सुनती नही थी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न । मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया है कि ये पांच लोगों को स्टे मिलने का एक मात्र कारण यह है कि यह समिति का निर्णय न होकर, एक

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिकारी के द्वारा आदेश जारी करा दिया गया । जिन पांच प्रकरणों को स्टे मिला है, इसकी जांच करा लें, मैं यही तो कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखित में अलग से दे दीजिए ना, जांच करा लेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं भी तो वही कह रहा हूं आप मुझे जानकारी दे दें, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं वही जानकारी तो दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी ।

श्री भूपेश बघेल :- आपके पास कोई प्रमाण है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं सदन को आश्वास्त करता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- रिकार्ड तो आपके पास है । इन प्रकरणों में आपको केवल रिकार्ड ही तो चेक कराना है ।

श्री भूपेश बघेल :- तो दे दीजिए ना मुझे ।

<u>सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भीमसेनडीह से भकुर्रा तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि</u>

11. (*क्र. 214) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के वन परिक्षेत्र सारंगढ़ (सामान्य) के अंतर्गत सत्र 2018-19 में भीमसेनडीह से भकुर्रा तक 03 कि.मी. (WBM) सड़क निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि की स्वीकृति हुई थी ? (ख) उक्त निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? अगर निर्माण कार्य अधूरा है, तो कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

वन मंत्री (मोहम्मद अकबर) : (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भीमसेनडीह से भकुर्रा तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि में वर्ष 2018-19 में भीमसेनडीह से भकुर्रा तक 03 कि.मी. (WBM) सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 45,30,000/- की स्वीकृति हुई थी. (ख) उक्त निर्माण कार्य मार्च, 2019 में पूर्ण कर लिया गया है. कार्य अधूरा होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मेरे सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के वन परिक्षेत्र सारंगढ़ (सामान्य) के अंतर्गत सत्र 2018-19 में भीमसेनडीह से भकुर्रा तक 03 कि.मी. (WBM) सड़क निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि की स्वीकृति हुई थी ? **एवं** उक्त निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? अगर निर्माण कार्य अधूरा है, तो कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, उत्तर में ही साफ लिखा हुआ है कि सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र के भीमसेनडीह से भकुर्रा तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि में वर्ष 2018-19 में भीमसेनडीह

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

से भकुर्रा तक 03 कि.मी. (WBM) सड़क निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 45,30,000/- की स्वीकृति हुई थी एवं उक्त निर्माण कार्य मार्च, 2019 में पूर्ण कर लिया गया है. कार्य अधूरा नहीं है ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी बने हुए 6 महीने नहीं हुए हैं। वह पूरी जर्जर है। टूट रहा है व फट रहा है, उनकी तत्काल जांच कराई जाए। धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करा लीजिए। श्री बृजमोहन अग्रवाल।

प्रश्न संख्या : 12 XX XX

<u>जिला राजनांदगांव में बैगा बच्चों के लिए जूता चप्पल वितरण एवं कोचिंग की व्यवस्था</u>

13. (*क्र. 766) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज विभाग के अंतर्गत खनिज न्यास मद के शिक्षा क्षेत्र के तहत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से 2018-19 में बैगा बच्चों के लिए जूता चप्पल वितरण एवं विभिन्न कक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? (ख) उक्त कार्यों हेतु निविदा कब आमंत्रित की गयी, किन-किन संस्थाओं/फर्मों ने भाग लिया उन्हें कब कार्यादेश जारी किया ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में बैगा बच्चों के लिए जूता चप्पल वितरण एवं विभिन्न कक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है. (ख) प्रश्नांक "क" की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजनांदगांव के बैगा बच्चों के लिए जूता चप्पल वितरण एवं कोचिंग व्यवस्था हेतु राशि स्वीकृति और उनके संबंध में निविदा और कार्य ओदश के बारे में मैंने प्रश्न लगाया था। यह दोनों 'क' और 'ख' गलत हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहूंगा कि क्या वे इसे स्वीकार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- क्या गलत है ? आप प्रश्न करिए न। क्या गलत है, आप बताइए ?

श्री दलेश्वर साहू :- माइनिंग के वेबसाइट में देख लीजिएगा। इनका जो फिगर दिया है, वह शिक्षा व्यवस्था के कोचिंग के लिए करीब-करीब 2 करोड़ 8 लाख 55 लाख रूपये पैसा स्वीकृत हुआ है और 95 लाख इन्हें एडवांस में भी दे दिया गया है और यहां पर उत्तर देते हैं कि सिर्फ 65 लाख रूपया ही उनके लिए स्वीकृति हुई है। यह टोटल गलत है। माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इनकी जांच करा ली जाए और देखना होगा तो वेबसाइट में क्लियर लिखा हुआ है। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मतलब, प्रश्न नहीं है।

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- मैं माननीय मंत्री जी से चाह रहा हूं कि उनकी जांच कराकर कार्रवाई कराए। क्या जांच कराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- जांच करा लीजिएगा। बस, बात खत्म।

श्री भूपेश बघेल :- आप लिखित दे दीजिए। मैं परीक्षण करा लेता हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पष्ट है। वेबसाइट में डला हुआ है, जिसमें आपने गलत जवाब..।

श्री भूपेश बघेल :- वेबसाइट में क्या डला है ? वही मैं आपसे कह रहा हूं। आप लिखित में देंगे, उसको मैं करूंगा। मैं वेबसाइट के हिसाब से नहीं करूंगा।

श्री दलेश्वर साहू :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- वेबसाइट से कॉपी निकालकर उसकी फोटो कॉपी करके दे दीजिए। (हंसी) शैलेश पाण्डे।

बिलासपुर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का निरीक्षण

14. (*क्र. 94) श्री शैलेश पाण्डे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर में स्थित उद्योगों के द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों में कितने निरीक्षण किये गये ? (ख) अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 31-03-2019 तक जिला-बिलासपुर में स्थित प्रदूषणकारी प्रकृति के 362 उद्योगों के कुल 792 निरीक्षण किये गये हैं. (ख) उद्योगों में प्रदूषण की स्थिति पाये जाने पर उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट पर †[6] संलग्न है.

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिलासपुर में जो 362 उद्योग संचालित हैं, उन उद्योगों का पर्यावरण विभाग द्वारा जो निरीक्षण किया गया है, उसमें से मात्र जो जानकारी आयी है, उनमें केवल 7 उद्योग ऐसे हैं, जिनमें उन्होंने केवल नोटिस जारी किया है और एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि वहां पर कोल के बहुत सारे प्लॉट्स हैं। कोल की सारे वासरिस बिलासपुर में है। उसके बाद बिस्लरी जो दारू बनाने का काम करते हैं, वहां पर हैं और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, जिनमें सरकार को नुकसान हो रहा है। पब्लिक को नुकसान हो रहा है। जनता

[6] † परिशिष्ट "सात"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पर्यावरण को लेकर परेशान है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो जानकारी दी है, उसमें आपके विभाग के अधिकारी सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे है, यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह भी है कि क्या आप कुछ ऐसे उद्योग जोकि रेड मार्क वाले उद्योग होते हैं, उन उद्योगों पर क्या आप विशेष रूप से कोई जांच करना पसंद करेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सात लोगों का यहां उल्लेख किया गया है, उसमें निरीक्षण के दौरान एक है मेसर्स अनिल बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उद्योग द्वारा उत्पादन पूर्णत: बंद कर दिये जाने की जानकारी दी गई है। दूसरा मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, तहसील-बिल्हा है। इसमें 22/05/2017 को उद्योगों के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। तीसरा, मेसर्स माहेश्वरी कोल बेनिफिकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड परसदा है। इसमें उद्योगों का निरीक्षण दिनांक 12/09/2018 को किया गया। उद्योग को जारी नोटिस में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना पाया गया। चौथा, मेसर्स सत्या पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- गतौरी है। इसमें दिनांक 11/04/2019 को उद्योग के किये गये निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। पांचवां, मेसर्स फिल मिनरल्स एण्ड कोल बेनिफिकेशन है। इसमें मंडल द्वारा दिनांक 25/09/2018 को उद्योग पुन: निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोटिस में दिये गये निर्दशों का पालन पालन किया जाना पाया गया। छठवां, मेसर्स ओमेक्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-करगीरोड कोटा है। इसको 25000 मीट्रिक टन एट ए टाइम हेतु नवीन सशर्त सम्मति अभी जारी की गई है। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, ग्राम-लोहण्डी, तहसील-तखतपुर है। दिनांक 09/05/20189 को उद्योग के लिए किये गये निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना पाया गया। मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। दिनांक 03/04/2019 को उद्योग के लिये किये गये निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जानकारी तो जवाब में आ गई थी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्या है, सीधा-सीधा प्रश्न करिये।

श्री शैलेष पाण्डेय :- सीधा-सीधा प्रश्न यह है कि जो बड़े प्रदूषण करने वाले उद्योग हैं, जैसे वेलकम डिस्टलरी, भाटिया जी की डिस्टलरी, मेसर्स फिल मिनरल्स एण्ड कोल, हिन्द एनर्जी, मुंदड़ा वाशरी, क्या आप कोई समिति बनाकर इन पर कोई कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे क्या ? यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ ?

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूँ। (हंसी) आपने जिन औद्योगिक इकाईयों का उल्लेख किया है, पर्यावरण विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं, निरीक्षण करने के लिए आपकी उपस्थिति में जांच करने जायेंगे, इस बात की घोषणा करता हूँ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अंतिम प्रश्न उस महिला विधायक का है, वह पहली बार आ रही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, एक मिनट। माननीय मंत्री जी ने बताया कि सब ठीक है। हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपके विभाग ने जांच किया है। जब सब ठीक है, तो एक मंत्री पूरा काफिला लेकर छापा मारने सिरगिट्टी में क्यों गया ?

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िये न।

श्री धर्मजीत सिंह :- छापा मारने गया तो सीढ़ी लगाकर अहाता पर चढ़ रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सीढ़ी लगाकर उधर कूदे। उनको कोई पहचाना नहीं। गेट नहीं खोले तो सीढ़ी से उस तरफ कूदे और बोले कि मैं मंत्री हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सीढ़ी लगाकर अहाता में चढ़ोगे, आप उद्योगपतियों के ऊपर भय व्याप्त कराते हो। जब सब ठीक है तो आप छापा मारने की नौटंकी क्यों करते हो।

अध्यक्ष महोदय :- सुश्री शकुन्तला साहू।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- दरवाजे में जाकर चिल्ला रहे हैं कि मंत्री आये हैं, मंत्री आये हैं और मंत्री के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- दरवाजा बंद है तो कलेक्टर को भेजते। मंत्री सीढ़ी लगाकर बंद सरीखे चढ़ रहे हैं, यह कोई तरीका है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- और बताये कि मैं मंत्री हूँ, कहकर के।

श्री धर्मजीत सिंह :- बंदर बन रहे हो। बंद तो मत बनो।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी मंत्री को इस तरह से बंदर शब्द का उपयोग किया जायेगा, तो यह निंदनीय है। बंदर शब्द को विलोपित किया जाये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं खड़ा हूँ, आप लोग बैठ जाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग सीढ़ी में चढ़े हो या नहीं, यह बताओ न ? हमारे पास वीडियो

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्लिीपिंग है। बंदर सरीखे नहीं चढ़ना चाहिए, आप मंत्री हो। आप छत्तीसगढ़ के मंत्री हो, ये सीढ़ी में बंदर-वंदर लोग चढ़ते हैं। यह बहुत गलत है। आप कानूनी कार्रवाई करिये। लेकिन ये क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, आप सीनियर हैं, आप बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप चार लोगों का काफिला लेकर चले गये।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, सहजता, सरलता को हास्य में न लिया जाये, यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शकुंतला साहू। नई सदस्या हैं, पहली बार प्रश्न कर रही हैं, उनको प्रश्न करने दीजिये, आप अपना काम जीरो आवर में करिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय शैलेष पाण्डेय जी बोल रहे थे कि जैसे कोरबा में वाशरी में रेड हुआ, वैसे ही यहां करवा दो, मुख्य बात वही है।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी बैठिये। आप अपनी बात जीरो आवर्स में कर सकते हैं, अभी शकुन्तला साहू को प्रश्न करने दीजिये।

<u>जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में गौण खनिज उत्खनन हेतु जारी किए गए पट्टा/लीज</u>

15. (*क्र. 65) सुश्री शकुन्तला साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत गौण खनिज उत्खनन हेतु किसके-किसके नाम से कहॉ-कहॉ पट्टा (लीज) जारी किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संचालित गौण खनिजों के उत्खनिपट्टों की जानकारी ++[7] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

सुश्री शकुन्तला साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रश्नोत्तरी में जो जवाब दिए हैं, मैं उस उत्तर से संतुष्ट हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया, धन्यवाद।

<u>जिला कोरबा में संचालित क्रेशर प्लांट</u>

16. (*क्र. 884) श्री मोहित राम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में कितने क्रेशर यूनिट (मशीन) गिट्टी के लिये स्थापित है ? (ख) विकासखंड पोंड़ी उपरोड़ा

[7] परिशिष्ट "आठ"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में किन-किन व्यक्तियों को क्रेशर यूनिट संचालन की अनुमति दी गई है? (ग) विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा में क्रेशर यूनिट के संचालन से खनिज विभाग को वर्ष 2017 एवं 2018 में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला कोरबा में 04 क्रेशर यूनिट (मशीन) गिट्टी तोड़ने के लिए स्थापित है. (ख) विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा में श्री संदीप जाखड़ व श्री सुनील कुमार अग्रवाल को क्रेशर यूनिट संचालन हेतु भण्डारण अनुज्ञापत्र जारी किया गया है तथा श्री लक्ष्मी प्रसाद खैरवार द्वारा स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में क्रेशर संचालित किया जा रहा है. (ग) विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा में क्रेशर यूनिटों के संचालन से वर्ष 2017 में 1 लाख 33 हजार 600 रुपये तथा वर्ष 2018 में 57 हजार 80 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है.

श्री मोहित राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछना चाहा है। कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा ब्लाक में क्रेशर मशीन गिट्टी तोड़ने के लिए लगाया गया है, मुझे उसका उत्तर मिल चुका है। परन्तु मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि उसमें 4 यूनिट क्रेशर मशीन का बताया जा रहा है, उसमें अधिकारी के द्वारा उसको छिपाया गया है। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2017-18 में रायल्टी की जो राशि बताई जा रही है, यह बहुत कम है। क्योंकि करोड़ों रूपये की गिट्टी का भण्डारण किया गया है। इससे सरकार को हानि हो रही है। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि उसको बढ़ाया जाये ताकि उससे समाज का फायदा हो।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, जो प्रश्न पूछा है। जो क्रेशर यूनिट है, वह खदान में है तो उसकी रायल्टी मिलती है। लेकिन जो क्रेशर यूनिट है, वह केवल भण्डारण के लिए ही अनुमति लेते हैं तो उसकी निश्चित राशि है, उसके हिसाब से लिया गया है। उसकी जानकारी भी दे दी गई है। विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा में क्रेशर यूनिट के संचालन से वर्ष 2017 में 01 लाख 33 हजार 600 रूपये तथा वर्ष 2018 में 57 हजार 80 रूपये की राजस्व की प्राप्ति हुई है। जमीन में जो भण्डारण करते हैं, वह नियम के अनुसार उन्हें अनुमति दी जाती है, यह उसकी राशि है।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हैं ?

श्री मोहित राम :- हां (सिर हिलाकर सहमति दी गई)

<u>अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संचालित लिफ्ट सिंचाई योजना</u>

17. (*क्र. 141) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्रेड़ा द्वारा अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी लागत से कहॉ-कहॉ पर किस-किस नहर पर कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा से संचालित लिफ्ट सिंचाई योजना के स्टेशन स्थापित किये गये हैं ? (ख) उपरोक्त कार्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कब आरंभ हुआ और कब समाप्त हुआ और निर्माण किस एजेन्सी द्वारा और कितनी लागत से किया गया ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) क्रेड़ा द्वारा अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में हसदेव दांयीतट नहर पर ग्राम खिसोरा, ग्राम हरदी विशाल तथा ग्राम मधाईपुर में अलग-अलग 03 स्थलों पर सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए है जिनकी ग्रामवार, पंप की क्षमतावार परियोजना लागत की जानकारी परिशिष्ट "अ" में दर्शित है. (ख) वांछित जानकारी †[8] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है कि तीन स्थानों पर क्रेडा एजेंसी द्वारा पम्प लगायी गयी है । जो दो स्थान हैं, जहां पर 10.1.2019 को कार्य पूर्ण करने की तारीख बतायी जा रही है । मैं बताना चाहूंगा कि परिशिष्ट-9 में जो जानकारी दी गई है, उसमें क्रमांक 2 एवं 3 में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और जो परिशिष्ट 9 के क्रमांक 1 ग्राम खिसोरा में गुणवत्तविहीन पाईप लगायी गई है और ट्रायल टेस्टिंग में पूरी पाईप टूट गई है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपा पूर्वक इस पूरे मामले की जांच करा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- करा लेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तीनों कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं और टेस्टिंग चल रही है । टेस्टिंग के दौरान यदि कोई परेशानी आती है तो उसको दूर किया जाता है इसलिए तो टेस्टिंग कराई जाती है और इसी के कारण पूर्णता प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता । अभी तो टेस्टिंग नहीं हुई है । जब टेस्ट हो जायेगा, प्रमाण-पत्र देंगे, उसके बाद आपको लगेगा की गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से आपके कहने के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

मिट्टी तेल का आवंटन एवं उठाव

18. (*क्र. 73) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जिले को प्रतिमाह कितने लीटर मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त होता है एवं उठाव कितना लीटर हुआ 1-1-2019 से 30-06-2019 की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" में विधान सभा क्षेत्र मस्तूरी में कितने लीटर मिट्टी तेल का आवंटन हुआ एवं उठाव कितने लीटर हुआ है ?

[8] परिशिष्ट "नौ"

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी ††[9] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मिट्टी तेल के उठाव के संबंध में माननीय खाद्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन में 734 किलोमीटर मिट्टी तेल दिया गया है और उसका 396 किलोलीटर का उठाव हुआ है तो उठाव का गैप क्यों हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- शार्ट में जवाब दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि उठाव में कमी क्यों आई है ? मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की नीति के कारण उठाव में कमी आई है क्योंकि दर में बेतहाशा वृद्धि और गैस कनेक्शन धारियों को अपात्र घोषित करने के कारण उठाव में कमी आई है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ आपके राज्य सभा सदस्य चिट्ठी लिखते हैं कि केन्द्र शासन से आवंटन नहीं आया है । जब इधर आवंटन आ गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से 2014 में 15.35 रूपये और अधिकतम मूल्य का जो दर 16.18 रूपये आया है। इसी प्रकार 2015 में 15.52 रूपये की जगह में 16.32 रूपये आया है । इस प्रकार से दर में वृद्धि आई है और दर में लगातार वृद्धि के कारण गरीब तबके के लोग मिट्टी तेल नहीं उठा रहे हैं इसलिए उठाव में कमी आई है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा आवंटन आ रहा है, इतना आवंटन आ रहा है, वह तो उठाव नहीं हो पा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज़, प्लीज़, आप बैठिए । आपका प्रश्न नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, नेता जी को प्रश्न करने दीजिए । मंत्री जी, आप बैठ जाएं । प्रश्न क्रमांक 19 ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, आपके नेता जी खड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठ जाएं । प्रश्न क्रमांक 19 ।

[9] परिशिष्ट "दस"

अप्रेषित/प्रकाशन के लिए नहीं

सीमेंट कंपनी के ओव्हर लोड वाहनों पर कार्यवाही

19. (*क्र. 299) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि माह मार्च व अप्रैल, 2019 में विभाग द्वारा श्री सीमेंट, ईमामी व अल्ट्राटेक तथा अन्य सीमेंट कंपनियों की व सीमेंट से भरी अन्य व्यक्तियों की ओव्हर लोड वाहन पकड़ी गई थी ? (ख) यदि हां, तो किस कंपनी व व्यक्ति की कौन-कौन सी वाहन कितने टन ओव्हर लोड पकड़ी गई थी ? (ग) प्रश्नांश **ख** के अनुसार क्या मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 के अनुसार उक्त वाहन मालिक/कंपनी पर कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन-किन पर कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (मोहम्मद अकबर) : (क) हां यह सही है. (ख) विस्तृत विवरण प्रपत्र "अ" पर ‡[10] संलग्न है. (ग) हां कार्यवाही की गई है. विस्तृत विवरण प्रपत्र "ब" पर ‡ संलग्न है.

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में सारी बातों को स्वीकार किया है, लेकिन जो परिशिष्ट दिया है, उसमें नाम गायब है । इस समय ओव्हर लोडिंग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके कारण जांच की गई है, उसको मंत्री जी ने स्वीकार किया है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने स्वीकार किया है तो ईमामी और अल्ट्राटेक, इन दोनों का नाम परिशिष्ट में नहीं है तो क्या इनके खिलाफ जांच हुई है, कार्यवाही हुई है ? आपने स्वीकार किया है, लेकिन नाम नहीं है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने प्रश्न **ख** को ध्यान से पढ़ें । आपने जो प्रश्न किया है-यदि हां, तो किस कम्पनी व व्यक्ति की कौन-कौन सी वाहन कितने टन ओव्हर लोड में पकड़ी गई ? कम्पनी के नाम से कोई वाहन नहीं है । इसलिए जो ड्राईवर थे, उनके नाम पर से कार्यवाही की गई है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, जिस कम्पनी में वे कार्यरत् हैं, जिनके साथ में अनुबंध है । यदि वह ड्राईवर का नाम भी है और यदि अनुबंध है तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित है इसलिए कम्पनी के ऊपर भी वह मामला बनता है । उसमें आपने 199 के अंतर्गत कार्यवाही की है इसलिए मैंने कहा कि जो अनुबंध है तो वह संस्था भी उसके अंतर्गत में है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि अनुबंध है तो संस्था उसके अंतर्गत है और संस्था के विरूद्ध बकायदा एफ.आई.आर. भी की गई है और चालान की राशि भी नियमानुसार वसूल की गई है ।

---

[10] परिशिष्ट "ग्यारह"

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 पटल पर रखता हूँ ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेंस बजट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेंस बजट) पटल पर रखता हूँ ।

(3) वर्ष 2018-2019 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2018-2019 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूँ।

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(3), दिनांक 27 दिसम्बर, 2018

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(3), दिनांक 27 दिसम्बर 2018 पटल पर रखता हूँ ।

(5) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ शासन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 (क्रमांक 49 सन 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ शासन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखती हूँ ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में अकाल की छाया मंडरा रही है । पिछले 10 दिनों से पानी नहीं गिरा है । 50 प्रतिशत से ज्यादा बोआई नहीं हुई है और किसान चिन्तित है, जमीन फट रही है । चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसानों को लग रहा है कि फसल होगी कि नहीं होगी। लोगों को बीज नहीं मिल रहे हैं । पूरे छत्तीसगढ़ की हालत ऐसी है और सरकार जो है, सोई हुई है । सरकार किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के लिए नहीं कर रही है । सरकार कर्जा माफी का बहाना करके ....।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद सोकर उठकर आ रहे हैं, प्रश्नकाल में वे अनुपस्थित थे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में थोड़ा इन्तजार कर लो ना, मंत्री जी जवाब देंगे । आप इन्तजार कर लो ना। आपको इतना जल्दबाजी क्या है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सरकार पानी बरसाने का भी काम करेगी क्या ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भयावह स्थिति का सामना करने के लिए सरकार हमेंशा वैकल्पिक व्यवस्था करती है, अभी तक सरकार की ओर से किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्या किया गया है, अगर लेट सोइंग के लिए उनको जरूरत पड़ेगी तो क्या बीज की व्यवस्था है? वर्तमान में जितने हमारे बांध हैं, उनमें भी पानी की मात्रा बहुत कम है । 10 प्रतिशत से कम पानी बचा है । किसानों को कितना पानी दिया जा सकेगा ? कितनी बोआई हो सकती है ? कितनी फसल हो सकती है ? इसके बारे में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी किसानों को नहीं दी जा रही है, जनता को नहीं दी जा रही है, उसके कारण बहुत ज्यादा असंतोष है । मैं चाहूंगा कि हम सब लोगों ने मिलकर स्थगन प्रस्ताव दिया है, यह मानसून सत्र है, इस सत्र में इसी की चर्चा होती है । आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें । इसमें चर्चा करवायें, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की चिन्ता है, उसे दूर किया जा सके । आपसे आग्रह है कि आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हम सब लोगों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है । पूरे प्रदेश में किसानों की जो हालत है, बहुत ही गंभीर है । पूरे प्रदेश में चिन्ता का विषय है । सूखे की स्थिति है । अवर्षा की स्थिति है । सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है । हमारे जांजगीर-चांपा जिले में जो नहर है, 10 तारीख से चालू हुआ है, वह भी बंद हो गया है । किसानों की लगातार मांग आ रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय चन्द्राकर जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रकृति के प्रकोप के कारण जो अकाल की स्थिति बन रही है, सो बन रही है माननीय अध्यक्ष जी । पहली बार ऐसा हो रहा है कि अकाल को पैदा करने में सरकार भी सहयोग कर रही है । कहीं पर भी बिजली नहीं आ रही है । हमारे जिले में जो सुनिश्चित सिंचाई का जिला है, वहां बिजली नहीं होने के कारण अकाल की स्थिति बन रही है । पूरे जो डैम सर्किल है, उसमें कहीं पर भी पानी नहीं है । रोपा का जो कार्य होता था, सारे बंद हो चुके हैं, मौसम विभाग ने एलर्ट जारी किया है उसके बाद भी पानी नहीं गिर रहा है, स्थिति भयावह है । अभी तक हमने विधान सभा में किसानों के बारे में जितनी बातें की है, जितने ध्यानाकर्षण, स्थगन लगाये, सत्ता पक्ष ने उसको स्वीकार नहीं किया है । आज सत्र का आखिरी दिन है, आपसे आग्रह है कि इस सदी की सबसे भीषण अकाल की आशंका छत्तीसगढ़ में दिख रही है, उसमें सारे काम रोककर तत्काल चर्चा कराई जाये ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की चिन्ता और ऐसा कृषि मंत्री जो खुद ट्रैक्टर चलाते हैं, खुद हल चलाते हैं और आज कृषि मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस स्थिति में कम से कम सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब आ जाना चाहिए कि आपकी कार्ययोजना क्या है। मैं जिस जिले से हूं या जिस जिले से चौबे जी हैं सोयाबीन की पूरी फसल का बीज एक बार बोआई के बाद पूरी तरह से खराब हो चुका है। जो धान के बीज डले थे वह सब खराब हो रहे हैं। आने वाले समय में न केवल सिंचाई और खेती की समस्या आयेगी, ड्रिंकिंग वॉटर के लिए हमारी क्या कार्ययोजना है, निस्तार के लिए हमारी क्या कार्ययोजना है, एक प्रकार से पूरे प्रदेश के किसान चिन्तित हैं। उसके लिए सरकार ने कुछ बैठक बुलाई है, सरकार ने कुछ कार्ययोजना बनाई है तो इस कार्ययोजना के बारे में हमें जानकारी मिल जाए और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों की चिन्ता दूर हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जो वर्षा होती है उससे लगभग 40 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। पूरे प्रदेश में किसान चिन्तित हैं, अकाल की स्थिति निर्मित हो गई है। सोयाबीन अंकुरित होने के बाद सूख रहा है। बहुत से स्थानों पर किसानों ने धान बोया और वह धान भी भता (छत्तीसगढ़ी भाषा में (मुरझाना)) रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में लगभग 4.5 लाख कृषि पंप हैं और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि जो किसान अपने सिंचाई पंपों से खेती करना चाहते हैं उनमें इतनी बिजली कटौती हो रही है कि वह पंप भी बेकार हो गये हैं। सरकार इस ओर गंभीर नहीं है। हमने आपके माध्यम से स्थगन तो दिया है, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बीज और खाद की व्यवस्था सरकार करे इन सब विषयों पर स्थगन दिया है इस पर आप चर्चा करें।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपकी लाईन ठीक है, शिवरतन जी। आपकी लाईन तो नहीं कटी न?

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरी लाईन काटने की क्षमता किसी में है नहीं और आपकी लाईन कटने की उम्र आ चुकी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- महाराज, कोई चांस नहीं है, आप चारों सामने वालों का कोई चांस नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि मार्गदर्शक मंडल के पांच वरिष्ठ विधायक हैं।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, आप चिन्ता मत करिये, हम लोगों को मुख्यमंत्री का अधिकार प्राप्त है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 15-20 दिन से पानी नई गिरेहवय, थोड़-थोड़ रायपुर में अभी दू दिन गिरे हे। कल भी मैं बिलासपुर में बात करे हवंव कि पानी गिरे हे तो नई गिरे हवय। लगभग हमर बीच के जतका एरिया हवय सूखा के स्थिति में हवय। थरहा दे हवय, थरहा भी अब बरियायेल शुरू हो गे हवय। ऐखर साथ ही साथ पंप के अभी जो पानी निकलत हवय केवल थरौटी वाले ला पला सकथे, रोपा लगाये बर ओमा ले पानी नई जा सकत हे, अतका ओमा पानी अभी नई निकलत हे। और आज की स्थिति में किसान ला बिजली भी नहीं मिलत हे। तो दोहरा मार पड़त हे। एक तो भगवान के जेन हे पानी नहीं गिरत हे दूसरईया सरकार के मार पड़त हे जेन बिजली मिलत रहिस तेन नहीं मिलत हे तेखर कारण होवथे। और ये बात जौन आये हे कि यदि वास्तविक में दू-चार दिन और आठ दिन नई गिरिही तो दूसरईया खेत ला कई ठन ल बोयेल पड़िही। वो स्थिति में कि सरकार के पास में आज का स्थिति हवय ओखर व्यवस्था बीज के है कि नहीं, खाद के है कि नहीं? ये तमाम बात को लेकर के आज महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव दे हन और हम चाहथन कि आज सत्र के आखिरी दिन हे ये सारे काम ला रोककर ऐमा चर्चा कराये जाए जेमा किसान मन ला ऐखर जानकारी मिल सकय।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी समस्या गंभीर है, इसे समझते हुए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस बारे में अपना कुछ वक्तव्य दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे छत्तीसगढ़ का इतना महत्वपूर्ण विषय है, हम तो चाहेंगे कि आप कल दिन भर का सत्र और बुलाएं। एक दिन सत्र की अवधि बढ़ा दें और इसके ऊपर आप चर्चा करवायें क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय :- आपका महत्वपूर्ण समझते हुए तो मैं उनसे वक्तव्य दिला रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, वक्तव्य आने से क्या होगा? आप उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवायें, तब पूरा जवाब आयेगा। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। इसके उपर सत्र की अवधि को बढ़ायें। यह मानसून सत्र किसानों की समस्याओं के लिए होता है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अभी 07 दिन का सत्र हो गया, सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई। आज जब हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आ रही है तो आप उस पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- महत्वपूर्ण विषय है इसीलिए आसंदी ने सरकार को बक्तव्य देने के लिए निर्देशित किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूंगा कि कल आपने गंभीरता दिखाई थी और जब माननीय प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का वक्तव्य आया तो हमने बड़ी गंभीरता से सुनने की कोशिश की। अब उस वक्तव्य के बाद सरकार के वक्तव्य की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। वह वक्तव्य नहीं था, बल्कि किसी राजनीतिक पार्टी का प्रस्ताव था। इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने सरकार की गंभीरता खत्म कर दी है। इसलिए आप जब तक चर्चा नहीं करायेंगे तब तक वक्तव्य नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, केशव चंद्रा जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, आसंदी ने सरकार की तरफ से फैसला दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की गंभीरता को देखते हुए मंत्री के बयान आने के बाद शासन ने व्यवस्था दी है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने....।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कल एक मंत्री जी का वक्तव्य आया वह राजनीतिक प्रस्ताव पर वक्तव्य था। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, कोई राजनीतिक प्रस्ताव पर वक्तव्य नहीं था।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार वक्तव्य देने के मामले में अपनी विश्वसनियता खो चुकी है। आप जब तक चर्चा नहीं करायेंगे तब तक (व्यवधान) और पूरी गंभीरता नहीं आयेगी। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, पहले अजय चंद्राकर जी का बी.पी चेक कराया जाये, लगता है इनकी बी.पी हाई हो गयी है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, पहले चर्चा करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, कोई राजनीति नहीं कर रही है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपके सभी सदस्यों ने बात कही है मैं सुना हूं। मैं गंभीर हूं, मुझे विचार करने देंगे कि नहीं।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- केशव चंद्रा जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, हमारा भी उसमें यह कहना है कि (व्यवधान) हमारा आपसे एक आग्रह है कि आने वाले दिनों में प्राकृतिक रूप से भयंकर संकट की स्थिति निर्मित हो चुकी है। यह परंपरा नहीं है, जब भी देश में संकट की स्थिति होती है तो पार्लियामेंट में और प्रदेश में कोई संकट की स्थिति है तो यहां होती है। यह कोई सरकार के खिलाफ या पक्ष में बोलने वाली बात नहीं है। यहां सरकार को कई आइडियास मिलेंगे, सरकार का क्या ओपिनियन है, उनके क्या कार्यक्रम है उसकी जानकारी हमको मिलेगी। किसानों की चर्चा के लिए आपसे आग्रह है कि आप विशेषाधिकार का प्रयोग करके कल का दिन सारे सदन के लोग यहां पर हैं, कल आप एक दिन अपने विशेषाधिकार....।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय मंत्री जी का वक्तव्य तो सुन लो, आप लोग सुनना नहीं चाहते हो। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आना है आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं इस सदन में अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर बात करूंगा और आप मुझे कोई नहीं रोक सकते। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री जी का वक्तव्य आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की छत्तीसगढ़ के आसन्न अकाल की परिस्थितियों को देख करके कल सदन के लिए एक दिन की बैठक बुलवाईये और सिर्फ उसमें चर्चा करवाईये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। केशव चंद्रा। (व्यवधान) केशव चंद्रा। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

समय :
12:31 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- अभी नहीं, मैं बाद में सुनूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार की जिद्द के कारण अण्डे बांटने के कारण सावन में भगवान नाराज हो गये हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बृजमोहन भईया, आज पूर्व कृषि मंत्री हैं। वर्तमान कृषि मंत्री ये हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- आज इतनी अच्छी बारिश हुई है आप इसके बावजूद भी....(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- बृजमोहन भईया, आप पूर्व कृषि मंत्री हैं और वर्तमान कृषि मंत्री को बोलने के लिए ईजाजत दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सावन के महीने में अण्डा बांटोगे तो भगवान ऐसे ही नाराज होंगे और आपके अण्डा बांटने की जिद्द के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को अकाल पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- कृषि मंत्री जी को बोलने दीजिये।

गृह मंत्री(श्री ताम्रध्वज साहू) :- अगर भगवान नाराज होते हैं तो किसी न किसी महामण्डलेश्वर को बीच चौक में बैठाकर उपवास में 2-4 महीने के लिए बैठाना पड़ता है और हमारे छत्तीसगढ़ में आपसे बड़ा महामण्डलेश्वर कोई दूसरा नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप आसन जमाओ, पण्डाल लगाओ, मैं उस पर आऊंगा। आप मेरा स्वागत करना।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। महामण्डलेश्वर की गद्दी चेंज हो गई है। अब उधर चली गई है। तो अब आप महामण्डलेश्वर की जगह में बैठिए और हम लोग जल चढ़ाने आएंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- ये मेरे पास नहीं, इधर आ गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महामण्डलेश्वर न इधर है न उधर। वे सामने बैठे हैं । अब आप लोग महामण्डलेश्वर से नारा लगवा रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा जी की ओर इशारा करते हुए)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप शुरू हो जाईये।

समय :
12:32 बजे

<u>वक्तव्य</u>

<u>प्रदेश में सूखे एवं अकाल की स्थिति के संबंध में वक्तव्य</u>

कृषि मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ध्यानाकर्षण का उत्तर है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन तो पढ़ा नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वह पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में इस वर्ष मानसून का आगमन लगभग एक सप्ताह विलंब से हुआ अत: कृषि कार्य भी विलंब से प्रारंभ हुआ। कृषि विभाग के मैदानी अमले के आंकलन के आधार पर अभी तक बोता धान का क्षेत्राच्छादन लगभग 80 प्रतिशत हो चुका है। धान रोपाई का कार्य अभी प्रारंभ ही हुआ है तथा एक सप्ताह बाद इस कार्य में और तेजी आयेगी। विभागीय आंकलन के अनुसार वर्तमान स्थिति में क्षेत्राच्छादन लगभग 50 प्रतिशत हुआ है जो गतवर्ष इसी अवधि के क्षेत्राच्छादन से लगभग 9 प्रतिशत कम है। इस कमी का प्रमुख कारण मानसून का विलंब से आगमन ही है।

दिनांक 18.07.2019 की स्थिति में राज्य में औसतन 83.7 प्रतिशत वर्षा हो चुकी है। राज्य के 17 जिलों में वर्षा 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हुई है तथा 01 जिले जांजगीर-चांपा में अभी तक हुई वर्षा औसत वर्षा की लगभग 79 प्रतिशत है। सरगुजा, रायपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा एवं कांकेर में वर्षा 70 प्रतिशत से कम हुई थी। दिनांक 19.07.2019 की स्थिति में वर्षा की स्थिति में सुधार हुआ है तथा बालोद जिले में औसत वर्षा 70 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। दिनांक 18 से 19 जुलाई के बीच रायपुर में 18.1, सरगुजा में 7.6 एवं दुर्ग में 11.8 मि.मी. औसत वर्षा होने से स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य के वृहद जलाशयों में जलभराव 40 प्रतिशत से अधिक है जिसका उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जा सकेगा। वर्तमान में फसल स्थिति सामान्य है तथा हाल ही में हुई वर्षा से इसमें और सुधार की संभावना है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य में पेयजल की कहीं कोई कमी नहीं है।

जहां तक किसानों को सिंचाई पंप पर बिजली की उपलब्धता नहीं होने का कथन है यह तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि सभी सिंचाई पंपों पर प्रत्येक दिन 18 से 22 घण्टे से अधिक कालावधि के लिए बिजली की सप्लाई की जा रही है। किसानों की सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा इस वित्तीय वर्ष में प्रथम त्रैमास में 3,652 स्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन जारी किये गये हैं और किसानों की तत्काल सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगभग 88 हजार, 536 अस्थाई पंप कनेक्शन किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं ताकि वे अपनी सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति बिना किसी व्यवधान के पूरा कर सकें।

खरीफ वर्ष 2019 हेतु 8 लाख 50 हजार 550 क्विंटल बीज एवं 10 लाख 50 हजार मे.टन उर्वरक की आवश्यकता आंकलित की गई है। दिनांक 18.07.2019 की स्थिति में राज्य में कुल 8 लाख 65 हजार 277 क्विंटल बीज भंडारित किया जा चुका है जो आंकलित आवश्यकता का 101 प्रतिशत

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिक है। कृषकों द्वारा अभी तक 7 लाख 9 हजार 515 क्विंटल से अधिक बीज का उठाव किया जा चुका है जो लक्ष्य का 83 प्रतिशत है। बीज उठाव का कार्य निरंतर जारी है तथा बीज की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है, अपितु राज्य में 2 लाख 20 हजार क्विंटल से अधिक बीज शेष है। गतवर्ष इसी अवधि में 6 लाख 87 हजार क्विंटल बीज का उठाव कृषकों द्वारा किया गया था जबकि इस वर्ष का बीज उठाव 21 हजार 760 क्विंटल अधिक है।

इसी प्रकार 9 लाख 52 हजार 423 मे.टन उर्वरक राज्य में भंडारित है जो मांग का 91 प्रतिशत है। उर्वरक उठाव की गतिविधि सितंबर माह तक जारी रहती है। अभी तक 5 लाख 12 हजार 518 मे.टन उर्वरक वितरण हुआ है तथा 4 लाख 39 हजार मे.टन से अधिक उर्वरक भंडारण केन्द्रों में सुरक्षित है। गतवर्ष इसी अवधि में उर्वरक वितरण 4 लाख 1 हजार 92 मे.टन था जो इस वर्ष 1 लाख 11 हजार 426 मे.टन बढ़कर 5 लाख 12 हजार मे.टन से अधिक हो चुका है।

कृषक हितों के प्रति संवेदनशील सरकार ने प्रत्येक आकस्मिक परिस्थिति से निपटने कृषि वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों के माध्यम से '' जिलेवार आकस्मिक कार्ययोजना'' पूर्व से ही तैयार कर ली थी। मानसून के विलंब से प्रवेश तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्षा के असमान वितरण के परिप्रेक्ष्य में कम अवधि में पकने वाली धान किस्मों एवं अन्य फसलों के बीजों को आकस्मिक परिस्थितियों हेतु सुरक्षित रखने का कार्य भी सफलतापूर्वक संपादित कर लिया गया है।

धान की शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे एम.टी.यू. 1010, आई.आर. 64, डी.आर.आर. 42, डी.आर.आर. 44, सहभागी, दंतेश्वरी, इंदिरा एरोबिक, इंदिरा बरानी धान-1, समलेश्वरी एवं आई.आर. 36 जैसे किस्मों की 64 हजार 246 क्विंटल मात्रा बीज निगम के प्रक्रिया केन्द्रों एवं सहकारी समितियों में शेष है। राज्य की विभिन्न बीज उत्पादक सहकारी समितियों के पास भी 37 हजार 113 क्विंटल शीघ्र पकने वाली धान किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध है। इसके अलावा निजी अनुज्ञप्तिधारी विक्रय केन्द्रों में भी शीघ्र पकने वाली धान किस्मों की 8 हजार 603 क्विंटल मात्रा उपलब्ध है। इस प्रकार संपूर्ण राज्य में धान की शीघ्र पकने वाली किस्मों की 1 लाख 9 हजार क्विटल से अधिक मात्रा शेष है।

धान की मध्यम अवधि में पकने वाली किस्मों जैसे महामाया, राजेश्वरी, महेश्वरी, पी.के.व्ही., एच.एम.टी., छत्तीसगढ़ जिंक राईस, चन्द्रहासिनी, डी.आर.आर. 43, डी.आर.आर. 39 आदि की भी 53 हजार 259 क्विंटल से अधिक मात्रा बीज निगम के प्रकिया केन्द्रों एवं सहकारी समितियों में शेष है। दलहनी फसलों (मूंग, उड़द, अरहर) की 12 हजार 978 क्विंटल से अधिक मात्रा प्रक्रिया केन्द्रों, सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के पास उपलबध है। इसी प्रकार तिलहनी फसलों (तिल, रामतिल, सोयाबीन) के बीज की 18 हजार 829 क्विंटल एवं मक्का बीज की 33 हजार 327 क्विंटल मात्रा भी राज्य में उपलब्ध है। उपरोक्त उपलब्ध शीघ्र एवं मध्यम अवधि में पकने वाली फसल किस्मों के बीज का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपयोग आकस्मिक परिस्थितियों में किया जा सकेगा ताकि कृषकों को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो सके।

वर्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखने एवं कृषकों को सामयिक सलाह तत्काल उपलब्ध कराने विभागीय अमले को सघन कृषक संपर्क एवं कृषि चौपाल आयोजन संबंधी निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

बीज एवं उर्वरक के पर्याप्त भंडारण के साथ ही इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की भी सघन कार्यवाही की जा रही है । शासन द्वारा जारी अभियान के अंतर्गत समग्र रूप से बीज से संबंधित 858 विक्रय केंद्र, उर्वरक से संबंधित 912 विक्रय केंद्र तथा कीटनाशी रसायन विक्रय से संबंधित 593 केंद्रों इस प्रकार कुल 2363 विक्रय केंद्रों का सघन निरीक्षण अभी तक किया जा चुका है । 9 बीज विक्रय केंद्रों, 10 उर्वरक विक्रय/निर्माण केंद्रों तथा 03 कीटनाशी रसायन विक्रय/निर्माण केंद्र कुल 22 प्रतिष्ठानों में अवैध भंडारण अथवा संदेहास्पद निर्माण प्रक्रिया अथवा सामग्री के अमानक होने की आशंका जैसी स्थितियों के दृष्टिगत सामग्री जप्त करने एवं निरूद्ध करने की कार्यवाही की गई है । इसी प्रकार 58 प्रतिष्ठानों में विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है तथा 13 अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को जारी अनुज्ञा निलंबित की गई है । इसके अलावा 02 प्रतिष्ठानों को जारी उर्वरक विक्रय अभिस्वीकृति निरस्त कर दी गई । इस प्रकार कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए 02 प्रकरणों में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 16 प्रकरण न्यायालय अथवा जिला दण्डाधिकारी कोर्ट में प्रस्तुत किये जा चुके हैं ।

शासन द्वारा कृषि आदानों के पर्याप्त भंडारण हेतु की गई व्यवस्था के साथ ही आकस्मिक परिस्थितियों हेतु शीघ्र एवं मध्यम अवधि में पकने वाली फसल किस्मों की उपलब्धता सुनितश्चित करने तत्परतापूर्वक की गई कार्यवाही से कृषकों का विश्वास संवेदनशील शासन के प्रति और अधिक बढ़ा है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर आप चर्चा आयोजित कर लें । इसके ऊपर आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें या कल चर्चा रख दें, एक दिन का सत्र बढ़ा दें । कल इसके ऊपर चर्चा करवा लें । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अब स्वर्णा धान का बीज ही उपलब्ध नहीं है । छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा स्वर्णा धान का बीज चाहिए और स्वर्णा धान का आधे से कम मात्रा में बीज उपलब्ध है, आपने अपने जवाब में भी स्वर्णा धान के बीज के बारे में और महामाया बीज भी उपलब्ध नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मानसून की देरी हो रही है । चर्चा में आया है कि लेट वैराईटी का धान जो पहले वितरण किया जा चुका है, जिसके बारे में बताया गया । अब हमको

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

विलंब से वर्षा के कारण निपटना पड़ेगा तो हमने अभी आपको अर्ली वैराईटी के धानों की किस्म बतायी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, आपके अर्ली वैराईटी के महामाया और राजेश्वरी में नहीं है जो आप बोल रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने अभी बताया कि राजेश्वरी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- महामाया नहीं है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महामाया का तो इस बार वितरण ही नहीं हुआ है, कई सोसाईटियों में नहीं पहुंचा है और खाद की बात है आपके पोटाश खाद कई सोसाईटियों में नहीं है । किसान भटक रहे हैं । आप उसको दिखवा लीजिये । उसके साथ में जो बिजली की बात आयी है, आपके पास बताने के लिये बहुत अच्छा है कि आप 22 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन आप गांव में जाकर देखेंगे तो बिजली आ कम रही है और जा ज्यादा रही है । अभी इतनी अघोषित कटौती है कि किसानों को पम्प चलाना मुश्किल हो गया है और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलेगा, आप दीजिये न। हम कहां मना कर रहे हैं ? आप उनके वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दीजिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, पूरा बोलिए । आधा-आधा मत बोलिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बताया गया कि 22 घंटे बिजली मिल रही है । आज भी बिजली का घोर संकट है । पम्प नहीं चल पा रहे हैं और जब बिजली ट्रिप हो जाये तो उससे आज किसान बहुत परेशान हैं । मैंने पहले ही बताया कि जो केवल थरहा वाले खेत हैं उसके बाद थरहा को उखाड़कर जब लगाने के लिये इतने बिजली के अवसर भी नहीं मिलते हैं कि पर्याप्त पानी हो सके यह घोर संकट है । मैंने खाद की समस्या के बारे में बताया, पोटाश बहुत सारी सोसायटियों में नहीं है । जैसा बताया जा रहा है कि यहां की समितियों में भंडारण की व्यवस्था की गयी है, आपके भंडारण की व्यवस्था होगी लेकिन जहां किसानों के घर तक पहुंचनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए । आज भी किसान खाद के लिये घूम रहे हैं और आज पूरे प्रदेश में बिजली की समस्या, साथ ही खाद की समस्या और महामाया धान की समस्या मान लो कहीं 10 दिन बारिश नहीं हुई तो घोर समस्या महामाया धान की है चूंकि यह सोसाईटी में उपलब्ध नहीं है इसलिये हम लोग चाहते हैं कि इस सारे विषय को लेकर आप कल का एक दिन का सत्र बढ़ा लें और कल के सत्र में पूरे विषय में चर्चा आ जाये । आज जो वित्त विधेयक का पास करने का है तो वह हम लोग कर देंगे, मुख्यमंत्री जी भी बैठे

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुए हैं, एक दिन यदि आप बढ़ायेंगे तो वह किसानों के लिये होगा, किसानों के हित में होगा यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और सभी बैठे हैं ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमको पर्याप्त समय भी मिलेगा और मंत्री जी की सारी बातें भी आ जायेंगी । यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा का विषय था तो 03 दिन तक तो अंडे में ही बर्बाद कर दिये, उस समय केवल 03 दिनों तक अंडा दिख रहा था । (व्यवधान) आज जब सत्र समाप्ति की ओर है तब इनको किसान याद आ रहे हैं । इनको 03 दिनों तक किसान याद नहीं आ रहे थे । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप अभी मेरे साथ इसी सदन से बाहर चलिये, मैं किसी से भी बात करवा देता हूं कि बिजली गोल है । (व्यवधान) कोई नहीं कहेगा कि बिजली मिल रही है । इस बार सबसे ज्यादा सरकारी प्रायोजित अकाल है कि पम्प चल ही नहीं रहे हैं । आप बाहर चलिये, मैं आपको अभी बिजली गोल है उसके बारे में किसी से भी बात करवा देता हूं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- सारे नकली ट्रांसफार्मर तो आप लोगों ने खरीदकर लगवाया है, वहीं तो गड़बड़ हुआ है । उसको सुधारने का काम अभी हम लोग कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि किसानों को 18 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, यहां डोमेस्टिक कनेक्शन वालों को 18 से 22 घंटे बिजली नहीं मिलती है, इतनी कटौती हो रही है । किसानों को तो 10-12 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सारे नकली ट्रान्सफार्मर तो आप लोगों ने खरीदकर लगाये हैं । यही तो गड़बड़ हुआ है । उसको सुधारने का काम अभी हम लोग कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये कह रहे हैं कि 22 घंटे बिजली दे रहे हैं । यहां व्यवसायिक कनेक्शन वालों को 22 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, इतनी कटौती हो रही है । किसानों को तो 10-12 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है ।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि यह दैवीय आपदा है और छत्तीसगढ़ के किसान ने दैवीय आपदा का हमेशा हिम्मत से सामना किया है । लेकिन वह सरकार को अपना माई-बाप मानता है । दैवीय आपदा में आपको माई-बाप बनकर उसकी मदद करनी होगी । मेरा यह कहना है कि अधिकारियों ने यह बिल्कुल गलत जानकारी दी है कि प्रत्येक गांव में 22 घंटे बिजली उपलब्ध है । सभी विधायक अपने दिल पर हाथ रखकर अपने सभी गांवों में पूछ लें, मेरे ख्याल से किसी भी गांव में 22 घंटे बिजली लगातार उपलबध नहीं हो रही है । आ रही है, जा रही है और जहां उसके पास बोरवेल है, वह उसका भी प्रयोग नहीं कर पा रहा है । कृपया पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी विद्युत विभाग की मीटिंग खुद बुला लें और सुनिश्चित करें कि यह टी.एण्ड डी.

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

जो है, इसमें बहुत खामियां हैं । ट्रान्सफार्मर लगातार फेल हो रहे हैं । रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, रिपेयर नहीं हो रहे हैं । इस पर एक अभियान चलाकर कार्रवाई करना आवश्यक है । 22 घंटे बिजली मिलने की बात असत्य है । मेरे ख्याल से प्रदेश के 20 हजार गांवों में से एक भी गांव नहीं होगा जहां लगातार 22 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है । विद्युत विभाग ने यह जो जानकारी दी है यह पूर्णतया असत्य है ।

अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से 2 बीजों का उल्लेख किया गया । महामाया और स्वर्णा, दोनों का प्रयोग हमारा किसान करता है, मैदानी इलाके में बहुत ज्यादा करता है । इसकी उपलब्धता पूरी करनी चाहिए । तीसरी बात, जो कर्ज माफी से किसी कारण से छूट गए हैं, अन्यान्य कारणों से छूट गए हैं । डिफाल्टर हैं, कॉमर्शियल बैंक के हैं, निजी स्रोतों से लिया हुआ है, उन किसानों को बेसहारा मत छोड़िये । उनको कम से कम बीज और खाद उपलब्ध कराइए, जिससे कि वे अपनी खेती कर सकें । यह बोनी का समय अब लगभग समाप्त होने को आया है । रोपा भी लगने लगा है, 50 प्रतिशत रोपा हो चुका है । यदि तत्काल कार्यवाही नहीं करते हैं, 7 दिन, 8 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं करते हैं तो बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के किसान को होगा । मेरा निवेदन है कि अधिकारियों के आंकड़ों पर मत जाइए, बिजली को सुनिश्चित कराइए । मुख्यमंत्री जी खुद बैठें, अधिकारियों के साथ बैठें और यह जो बिजली गांव में नहीं मिल रही है, उसको सुनिश्चित कराएं । यह जो दो तीन तरह का धान का बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है, बड़ी शिकायत है कि अमानक खाद बिक रही है । मैं कृषि मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के सहकारिता संस्था नम्बर 1633 के कई किसानों ने मुझे फोन किया कि हम जो खातू लाए हैं, बिल्कुल बेकार है । मैंने तत्काल आपके कलेक्टर को सूचित किया । अब उन्होंने कार्रवाई की या नहीं की, यह मैं नहीं जानता । मैं आपके क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं । ऐसे तमाम क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि अमानक खाद बिक रही है । इसको गंभीरता से लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सब लोग अपनी बातें अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कर लीजिएगा । अब मैं ध्यानाकर्षण ले रहा हूं ।

श्री अजीत जोगी :- मेरी अंतिम बात यह है । मुझे अंतिम वाक्य तो बोलने दो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे निवेदन किया है कि कल एक दिन सदन बुलाकर चर्चा करवा लें ।

श्री अजीत जोगी :- मेरा अंतिम निवेदन यह है । मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं । हम लोगों ने एक दिन का काम रोका था तो एक दिन और काम करने में हम 90 विधायकों को कोई अड़चन नहीं होगी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, रोपा लगाना है। बरसात की खेती हो गई है। अब हम लोगों को छुट्टी दीजिए। तीन दिन तो ये अंडा-अंडा में बर्बाद कर दिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजीत जोगी :- बृहस्पत, मैं बोल रहा हूं तब तो रूको। मेरे चेले रहे हो। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- बिगड़ गये न। कहीं शिक्षा में कमी रह गयी थी।

श्री अजीत जोगी :- मैं यह कह रहा हूं कि कृपया मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें। एक दिन कल हम लोग फिर बैठ जाते हैं और पूरा सदन इस पर चर्चा करे।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत संकट की बार-बार बात हो रही है। सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का पेपरों में समाचार छपा कि बिजली व्यवस्था को बिगाड़ने में भाजपाइयों का हाथ है।

श्री देवेन्द्र यादव :- एकदम सही है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- (व्यवधान) इसकी सजा हमारे छत्तीसगढ़ के आम लोग भुगत रहे हैं। इनकी कमीशनखोरी के कारण आज छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ट्रांसफरमिशन थोड़ी न (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ट्रांसफार्मर का कोई ठिकाना नहीं था, ये नहीं बताया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- केशव चन्द्रा जी, आप अपनी बात बजट के दौरान कर लीजिएगा। मैं आपको समय दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, गोल-मोल जवाब दिया है। बिजली की बात कर रहे हैं। अजय चन्द्राकर जी अभी आपको बोल रहे हैं। (व्यवधान) सरकार के बजट से आज पूरे किसान इससे असंतुष्ट है। मंत्री जी का जवाब ठीक नहीं आया है । हम संतुष्ट नहीं हैं और इनके जवाब से असंतुष्ट होकर हम सदन से बर्हिगमन करते हैं।

समय
12.51 बजे

<u>बर्हिगमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बर्हिगमन किया गया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:52 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 43 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत् शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेगी। डॉ. रमन सिंह जी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष जी..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको उसमें समय दूंगा न। पर्याप्त समय दूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब बहुत दिन बाद ध्यान आकर्षित करथे भई। सुन तो ले। कुछ तो सम्मान करिए भाई। कुछ तो सम्मान दे। 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक मिनट मैं अपनी बता रख देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप अनुपूरक बजट में अपनी बात कर लीजिएगा। मैं पूरा समय दूंगा। अनुपूरक बजट में पूरी बात कह लीजिएगा। मैं आपको स्पेशल समय दूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब, आप पहली बार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, डॉ. साहब का सुनिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक मिनट। मैं शून्यकाल में भी खड़ा हुआ था। आप समय दिये थे लेकिन दो लोगों के बाद बोलने के लिए बोले। मैं आपके निर्देश का पालन किया। उनके बाद पुन: आप बोले कि बाद में समय दूंगा। मैं आपके निर्देश का पालन किया। शून्यकाल में कम से कम जो नियम है, उसके तहत आप सुन लें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- एक तो शर्मा जी और चन्द्राकर जी नहीं बोलने देते हैं। आप तो छोड़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। अगर आप अनुपूरक बजट में नहीं बोल रहे होंगे तो सुना दीजिए। अगर उसमें बोल रहे हैं तो मैं पूरा समय एक्स्ट्रा दे दूंगा न।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अनुपूरक बजट में बोलना अलग प्रक्रिया है। शून्यकाल में बोलना अलग प्रक्रिया है। यह अलग विषय है कि आप मुझे समय नहीं देना चाहते हैं तो नहीं बोलूंगा। आसंदी का निर्णय मुझे स्वीकार है, लेकिन वह अलग विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बहुत अच्छे सदस्य हैं। डॉ. साहब को बोलने दीजिए। आप बहुत सक्रिय भी हैं और अच्छे भी हैं।

(1) **<u>प्रदेश में बुनकर समितियों को कच्चा माल (सूत) उपलब्ध नहीं होना</u>**।

डॉ0 रमन सिंह (राजनांदगांव) सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपरण संघ मार्यादित रायपुर का पंजीयन होने के पश्चात वर्ष 2002-03 में शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभाग एवं उपक्रमों को कपड़ा एवं ड्रेस प्रदाय हेतु नोडल एजेंसी अधिकृत किया गया है, तब से राज्य के सभी समुदाय के लोगों को निरंतर रोजगार उपलब्ध हो रहा था। किन्तु प्रदेश में राज्य के बुनकरों को 3 माह से सतत रोजगार बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी विभाग से कपड़ा प्रदाय आदेश प्राप्त न होने के कारण राज्य के सभी जिलों की बुनकर समितियों को कच्चा माल (सूत) उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के 40 हजार बुनकर एवं 10 हजार सहायक बुनकर और 2 हजार महिला समूह के सामने जीवन-मरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस कार्य में प्रदेश के सभी वर्गों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जातियों के लगभग 52 हजार निर्धन बुनकरों के सामने जीवन-यापन की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे प्रदेश में असंतोष व्याप्त है।

ग्रामोद्योग मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित रायपुर का पंजीयन होने के पश्चात वर्ष 2002-03 में शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों एवं उपक्रमों को कपड़ा एवं ड्रेस प्रदाय हेतु नोडल एजेंसी अधिकृत किया गया है। यह भी सही है कि तब से राज्य के सभी समुदाय के लोगों को बुनाई के माध्यम से निरंतर रोजगार उपलबध हो रहा है। यह कहना सही नहीं है कि राज्य के बुनकरों को 03 माह से सतत रोजगार बंद हो गया है। विगत 03 माह में राज्य के 188 बुनकर सहकारी समितियों को 231 टन पोलिस्टर कॉटन धागा राशि रूपये 5.72 करोड़ तथा 37 टन ऊलन धागा

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

राशि रूपये 42.90 लाख का प्रदाय किया जाकर बुनकरों को राशि 11.37 करोड़ का बुनाई पारिश्रमिक वितरित किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी विभाग से कपड़ा प्रदाय आदेश प्राप्त न होने के कारण राज्य के सभी जिलों की बुनकर समितियों को कच्चा माल (सूत) उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे- वन विभाग, लोक शिक्षण विभाग, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, महिला बाल विकास विभाग, मदरसा बोर्ड, केन्द्रीय जेल, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग आदि से वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 194.05 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 159.84 करोड़ के मांग आदेश प्राप्त हुए हैं।

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के 40 हजार बुनकर एवं 10 हजार सहायक बुनकर और 02 हजार महिला समूह के सामने जीवन मरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह भी सही नहीं है कि इस कार्य में प्रदेश के सभी वर्गों अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जातियों के लगभग 52 हजार निर्धन बुनकरों के सामने जीवन-यापन की समस्या खड़ी हो गई है। शासन द्वारा प्रदेश के बुनकरों के हित में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए हाथकरघा संघ द्वारा पहली बार स्कूल प्रारंभ होने के दिनांक 24 जून, 2019 को ही 57.54 लाख गणवेश सेट की आपूर्ति की गई है। अत: प्रदेश के बुनकर समुदाय में कोई असंतोष व्याप्त नहीं है।

डॉ0 रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपने भी इस जवाब को ध्यान से सुना होगा। ध्यान से सुनते ही यह जवाब अपने आप में बताता है कि सरकार कितनी निष्क्रिय है, कितनी संवेदनहीन है और बुनकरों के जीवन से किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, 52 हजार बुनकर परिवारों के सामने भूख मरने की स्थिति आ गई है। मंत्री जी का जवाब ऐसा है कि 11.37 लाख रूपये का पारिश्रमिक वितरित किया गया है। मैं मंत्री जी को एक आकड़ें दे दूं , पहली बार मंत्री बने हैं, 2016-17, 2017-18, 2018-9 के बीच में एक वर्ष में 167 करोड़ रूपये की वस्त्रों की आपूर्ति हुई हैं और वर्ष 2018-19 में 180 करोड़ रूपये की वस्त्रों की आपूर्ति हुई है। यह काम करने का तरीका होता है कि कम से कम दो साल में 350 करोड़ बुनकर परिवारों के हाथ में नहीं आया, वे डिफाल्टर थे, उनके कर्जमाफी की घोषणा की गई ।

समय :
1:00 बजे

आज 11 करोड़ रूपये 40-45 हजार परिवार और स्व-सहायता समूह के 10 हजार लोगों को दिया जा रहा है । या तो इस योजना को बंद कर दिया गया। यदि बच्चों को बुनकरों के माध्यम से धागा दिया जाता है, एक लंबी प्रक्रिया चलती है । इस प्रक्रिया में सरकार की कार्य पद्धति और सरकार की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्थिति बता रही है कि सरकार कैसे काम कर रही है, यह सरकार गरीब वर्गों के लिए कितनी संवेदनहीनता है । उन परिवारों की रोजी-रोटी की समस्या सामने आ गई है । राजनांदगांव, कोरबा, जांजगीर-चांपा में, बाकी जगह आन्दोलन हो रहे हैं, बुनकर भूख मर रहे हैं और सरकार का जवाब आ रहा है कि 11 करोड़ रूपये की आपूर्ति दी गई । इसकी प्रक्रिया होती है कि महिला बाल विकास अपने डिमांड के आधार पर, कपड़े की आपूर्ति के आधार पर उनको धागा देता है, कपडे बनाते हैं, फिर स्व सहायता समूह के कम से कम 10 हजार बहिनें उसको सिलाई करके, काटकर उसकी आपूर्ति करते हैं, वैसी ही स्कूल शिक्षा विभाग में यही प्रक्रिया चलती है । चार महीने पहले उनको एडवांश फंड दिया जाता है । चूंकि आप पहली बार मंत्री बने हैं, शायद वे पूरी जानकारी ले लें । यह काम करने लायक है । ये कोई प्रश्नोत्तर का सवाल नहीं है । मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप असफल हुए। आपके पास वक्त है, आप पहली बार मंत्री बने हो । बुनकर की समस्या ग्रामोद्योग की सबसे बड़ी और उनके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है । मंत्री जी, क्या आपने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था, यदि हां तो कौन सी तारीख को पत्र लिखा था ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य जी, मेरे जवाब के आखरी चार लाईन में वही है कि हमारी सरकार बनते ही, स्कूल सत्र की शुरूआत होते ही शिक्षा विभाग में हमने सबसे पहले गणवेश का वितरण किया और महिला बाल विकास के द्वारा भी गणवेश वितरण हुआ, मंत्री जी मेरे बाजू में बैठी हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निर्देश आपकी तरफ से भी होना चाहिए क्योंकि आप उसी जिले के हैं, उस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं से आप वर्षों तक संघर्ष करते रहे हैं, लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और यहां भी इस मुद्दे को देख रहे हैं । आज एक बात का फैसला और निर्णय हो जाये कि हम उन बुनकरों के 40 हजार परिवारों को रोजी-रोटी देंगे, उनको धागा देंगे, उनके कपड़े की खरीदी की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए समुचित रूप से पैसे का उपयोग करेंगे । इसमें 180 करोड़ रूपये से लेकर 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था लगती है और जब बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है तो क्या हम उन बुनकर परिवारों को मरने के लिए छोड़ देंगे ? उनके पास आज खाने-पीने की समस्या हो गई है । मंत्री जी, सिर्फ एक बात बोल दें कि हम पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे और बुनकरों को पूरे का पूरा रोजगार देंगे । 40 हजार बुनकरों की रोजी-रोटी की समस्या का समाधान करेंगे । हम हर साल अलग-अलग विभागों में आर्डर देते थे, उसकी कॉपी है। मैं आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर मैं यही कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, आज यह निर्णय ले लें कि हम बुनकरों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए उनको धागे देकर उनके कपड़े खरीदी की व्यवस्था करेंगे और स्कूल शिक्षा विभाग के साथ-साथ महिला बाल विकास विभाग और अन्य विभागों में

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खरीदी के लिए जो सामान लगता है, जो कॉटन यूज़ करते हैं, उसकी शत-प्रतिशत खरीदी बुनकरों से होगी, यदि यह सुनिश्चित हो जायेगा तो मेरा प्रश्न या ध्यानाकर्षण का मतलब इतना ही है कि उन परिवारों को रोजी-रोटी मिले, उनके जीवन में खुशहाली आये । मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो शायद वे इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि हम इसके लिए कार्य योजना बनाएंगे और इसका क्रियान्वयन करेंगे ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं जवाब दे सकता हूं । जवाब नहीं पाऊंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं । निश्चित तौर पर आप बहुत सम्माननीय हैं और आपका प्रश्न भी आम जनता से जुड़ा हुआ है । हमारे विभाग के द्वारा जितने भी विभागों को सप्लाई की जाती है, निश्चित तौर पर सभी के पास बजट है और हम सभी को सप्लाई करेंगे । रही बात पुरानी व्यवस्था की तो जो व्यवस्था चालू है तो इसमें बंद, चालू वाली बात क्या है ? निश्चित तौर पर गरीबों को लेकर हमारी सरकार की, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की चिन्ता है कि उनके लिए किया जायेगा।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय विभागों को आपूर्ति के निर्देश जारी होना चाहिए और उसके लिए बजट में अलग-अलग विभाग में कितना प्रावधान है, यह बता दीजिए । सिर्फ एक लाईन का जवाब दे दीजिए। बिना उसके प्रावधान बताये, बिना प्रावधान किए इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता । महिला बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा और उस विभाग से पूछ लीजिए । इसका पूरा जवाब दीजिए कि इन विभागों के पास कितना बजट आता है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विभागों के मंत्रिगण यहां बैठे हुए हैं, मैं सबसे लेकर आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा और इसका आपको यकीन दिलाता हूं, आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार पहले से अच्छा काम करके दिखायेगी । (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. रमन सिंह :- पहले से अच्छा काम करिए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने साल से योजना चालू हुई है, उसकी तुलना में अच्छा काम करके हमारी सरकार दिखायेगी । (मेंजों की थपथपाहट)

डॉ.रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पहले से अच्छा काम करिये । मैं पन्द्रह साल और पांच साल की तुलना नहीं कर रहा हूँ । मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूँ कि इसके आदेश कब तक जारी हो जायेंगे । विभिन्न विभागों से तालमेल करके क्या महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, आप मुझे सूचित करेंगे, बोल दिया विधान सभा के अंदर, अध्यक्ष जी को सूचित कर दें । अध्यक्ष जी, पूरे विभाग को जानते हैं, एक और सभी विभागों की बैठक लेकर अध्यक्ष जी और मुझे इसकी जानकारी दे दें कि हम 45 हजार बुनकर परिवारों का जिसमें सिर्फ बुनकर परिवारों में, आदिवासी भी कर रहे हैं, अनुसूचित जाति भी कर रहे हैं, पिछड़ी जाति और सामान्य सभी वर्ग के लोग धागा बुनने के काम में लग रहे हैं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उनके लिए हम रोजगार की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। एक संयुक्त बैठक कर लीजिए । इसका निराकरण करके अध्यक्ष जी को बता दीजिए, मुझे बता दीजिए । निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी । धन्यवाद ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है सम्माननीय । अतिशीघ्र आपको इसकी जानकारी उपलबध हो जायेगी । हम अच्छे से अच्छा करके दिखायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी, आप भी एक प्रश्न पूछिये ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बुनकरों की समस्या से जुड़ा हुआ है । एक तरफ हम पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहे हैं । जो हाथकरघा चलाने वाले बुनकर हैं, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, अभी बुनकरों ने प्रत्येक जिले में, जहां बुनकर लोग काम करते हैं, जहां उनकी बाहुल्यता है, चाहे वह राजनांदगांव है, रायगढ़ हो, जांजगीर चांपा हो, बालोद हो । सब जगह बुनकरों ने धरना दिया है, जिनको कच्चा धागा नहीं मिल रहा है । इस विषय को लेकर धरना दिया है। मंत्री जी का बयान दूसरा आ रहा है। बुनकर बहुत सीधे हैं, सहज हैं, विनम्र हैं, कभी वह सड़क पर नहीं आते । लेकिन आज उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी है । उनका परिवार बेरोजगार हो गया है । पूरे प्रदेश में 54 हजार परिवार बुनकरों के हैं । वह सड़क पर हैं । माननीय मंत्री जी का जो बयान है, वह इससे परे है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बुनकरों को राज्य शासन के द्वारा, उनके विभागों के द्वारा, जो कच्चा धागा सुत दिया जा रहा था, वह क्यों बंद कर दिया गया, उसके क्या कारण है । उनको कब से धागा वितरित किया जायेगा ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय बंद नहीं किया गया है । आगे भी सप्लाई जारी है ।

अध्यक्ष महोदय:- श्री अजय चन्द्राकर जी ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बंद नहीं किया गया है तो बुनकर क्यों सड़क पर आयेंगे ? महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से उन्होंने सारे कलेक्टर को ज्ञापन दिया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बुनकरों को सड़क पर लाने के लिए तो आप लोगों की रणनीति है । भारतीय जनता पार्टी के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, बुनकर कहां हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- तै कले चुप बैठ तो । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब माननीय डॉ.रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वर्ष 2004 में हमारी राज्य सरकार ने 4 करोड़ 65 लाख बुनकर समितियों को माफ किया था । हमारे माननीय मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत सरकार द्वारा बुनकरों को व्यक्तिगत कर्ज 15 करोड़ को माफ किया था, जिससे बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधरे । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बुनकरों के ऊपर अभी जो कर्ज है, क्या राज्य सरकार बुनकर परिवारों के समस्त कर्जों को पूरे प्रदेश में माफ करने की इस सदन में घोषणा करेगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- आप काहे नहीं किये साहब । आपको माफ करने का 15 साल टाईम दिये थे ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जी, इस बारे में विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये, चन्द्राकर जी । अंतिम प्रश्न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आप उत्तर दिलवा लेंगे तो अंतिम है साहब ।

अध्यक्ष महोदय :- कोशिश करूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आपने कहा है कि 188 बुनकर समितियों को 231 टन पालिस्टर धागा दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुल कितने बुनकर संघ है, धागा की डिमांड कितनी है, उस डिमांड के हिसाब से कितने को कितना धागा दिया गया है, दूसरा उसका भुगतान कितना लंबित है, जिसमें से आपने 11 करोड़ रूपया दिया है । तीसरा, अभी जो आपने भुगतान किया है, वह कौन सी तारीख में भुगतान किया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- तीनों पंचवर्षीय के लिए एक-एक सवाल ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जानकारी है । पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा । उपलबध करा दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पूरे प्रदेश के एक-एक की नहीं जानता ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- इसमें एक-एक विधान सभा वाईस दिया हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने जो उत्तर दिया है, उसी के अंतर्गत मैंने पूछा है। प्रदेश में कितने बुनकर संघ है । 188 भर को दिया है तो बाकी को देंगे या नहीं देंगे? दूसरा, कितना भुगतान लंबित है? बता दें कि प्रदेश में इतना भुगतान लंबित है जिसमें से 11 करोड़ रूपये दिये, बाकी कब तक देंगे? धागे की डिमांड कितनी है और भुगतान कौन सी तारीख को दिया? इसमें प्रदेश स्तर का क्या सवाल है? यह तो छोटा-छोटा सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बाल की खाल निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं इसलिए लोग घबरा जाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत छोटा सा प्रश्न है। कुल बुनकर संघ कितने हैं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, गोली खाना भूल गये इसलिए फिर हल्ला करना शुरू कर दिये।

श्री अजय चंद्राकर :- (श्री बृहस्पत सिंह की ओर इशारा) माननीय अध्यक्ष जी, पहले इनकी बीमारी की जांच कराओ या मंत्री आदि बनवा दो, उपाध्यक्ष बनवा दो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आपको जवाब चाहिए कि बाजू में बात करना है? राज्य में 234 बुनकर सहकारी समितियां हथकरघा संघ के उत्पादन में संलग्न हैं। इसके साथ ही आपका जो बाकी प्रश्न था।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं दो सौ चौंतीस।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- शासकीय वस्त्र उत्पादन में 94 बुनकर समितियों की राशि 5.04 करोड़ रूपये की बुनाई मजदूरी भुगतान बकाया है जिसके भुगतान की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ गणवेश वस्त्र सिलाई के 556 महिला स्व सहायता समूहों की राशि 8.93 करोड़ रूपये की सिलाई पारिश्रमिक की राशि का भुगतान बकाया है, वह बहुत जल्द हो जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपसे मैंने कोई दूसरा प्रश्न पूछा नहीं है। मैं पूछा हूं कि धागे की डिमांड कितनी है और आपने कितना सप्लाई किया है? डिमांड को बता दें? और अभी जो भुगतान किया है उसको कौन सी तारीख को किया?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जैसे ही पता लगेगा आपको बता दिया जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अलग से लिखकर आपको भेज देंगे।

(2) अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर में व्याप्त अनियमितता।

श्री यू.डी.मिंज (कुनकुरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में भारी अनियमितता व्याप्त है। दिनांक 15-07-2019 तक प्राधिकरण पर 4000 करोड़ से अधिक राशि का कर्ज है। वहीं करोड़ों रूपये की राशि राज्य तथा केंद्रीय सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हुई, परंतु इन राशियों का वहां बैठे अधिकारियों द्वारा दुरूपयोग किया गया। प्राधिकरण में नियम विरूद्ध नौ-नौ वर्षों से अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। मुख्य अभियंता भी लगभग नौ वर्ष से एक ही जगह पर पदस्थ हैं। प्राधिकरण में एक समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए जारी निविदाओं में अलग-अलग योग्यता तथा मापदंड निर्धारित किया जाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जाता है। सौ-सौ, दो-दो सौ करोड़ के ठेके चहेते ठेकेदारों को देकर उपकृत किया जाता है। अभी हाल ही में एक समान प्रवृत्ति के तीन कार्यों हेतु अलग-अलग योग्यता व मापदंड निर्धारित किया जाकर निविदा जारी की गई। इतना ही नहीं निविदा से अतिरिक्त आईटम बनाकर अतिरिक्त रेट स्वीकृत कर ठेकेदारों को प्रत्येक ठेके में 20 से 25 करोड़ का भुगतान अधिकारियों की मिलीभगत से किया जाता है। नवा रायपुर में 20,000 एकड़ में आवासीय कॉलोनी विकसित की जानी थी, परंतु इस ओर ध्यान न देकर 5 करोड़ की लागत से श्मशान घाट का निर्माण किया जाकर राशि का दुरूपयोग किया गया। आम जनता को जहां 1300/-प्रति वर्गफुट की दर से जमीन उपलब्ध कराई जाती है, वहीं गोल्फ कोर्स के लिए 1/- रूपये प्रति वर्गफुट की दर से जमीन दे दी गई तथा गोल्फ कोर्स के नाम से

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

आबंटित जमीन में नेताओं तथा अधिकारियों ने आलीशान बंगले निर्मित कर लिये। शासन के समस्त विभागों का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाता है, किंतु नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में अधिकारियों द्वारा ऑडिट परीक्षण महालेखाकार से कराने से इंकार कर दिया गया। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में धनराशि के दुरूपयोग से आम जनता में रोष व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में भारी अनियमितता व्याप्त है। यह भी सही नहीं है कि प्राधिकरण पर 4000 करोड़ से अधिक का कर्ज है अपितु वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 15-07-2019 की स्थिति में कुल आहरित ऋण राशि रूपये 4641.50 करोड़ में से रूपये 3257.87 करोड़ के ऋण का पुर्नभुगतान किया जा चुका है। प्राधिकरण को केन्द्र शासन/राज्य शासन से अभी तक रूपये 2937.87 करोड़ पूंजी अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं जबकि अब तक रूपये 6017.77 करोड़ पूंजीगत व्यय किया गया है जिसमें बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से दीर्घ कालीन ऋण एवं संपत्तियों के व्ययन से प्राप्त राशि भी शामिल है। अत: यह सही नहीं है कि प्राधिकरण द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन से प्राप्त अनुदान राशियों का दुरूपयोग किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना में स्वीकृत सेटअप में वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियमित अमला नहीं है। इसलिए प्राधिकरण के कार्यभार एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। इनमें कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं, जो लंबी अवधि से कार्यरत् हैं। प्राधिकरण में मुख्य अभियंता के पद पर कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं हैं। प्राधिकरण में नियमित अधिकारी प्रमुख अभियंता के पद पर कार्यरत् हैं। यह कहना सही नहीं है कि समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए जारी निविदाओं में अलग-अलग योग्यता एवं मापदण्ड निर्धारित किया जाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जाता है। वास्तविकता यह है कि निविदाओं में कार्य के अनुसार ही समान कार्य की योग्यता की शर्तें रखी जाती है। यह सही नहीं है कि अतिरिक्त रेट स्वीकृत कर ठेकेदारों को प्रत्येक ठेके में 20 से 25 करोड़ का भुगतान किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि नवा रायपुर में 20,000 एकड़ में आवासीय विकास किया जाना है वास्तविकता यह है कि नवा रायपुर विकास योजना 2031 के अनुसार कुल 2113.39 हेक्टेयर अर्थात 5220 एकड़ आवासीय विकास हेतु प्रावधानित है। नवा रायपुर की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए पांच-पांच एकड़ भूमि में 02 शमशान गृहों तथा कब्रिस्तानों की योजना है। यह कहना सही नहीं है कि नवा रायपुर में आम जनता को 1300 रूपये प्रति वर्गफुट की दर से जमीन उपलब्ध कराई जाती है। वास्तविकता यह है कि आवासीय उपयोग के अंतर्गत रोड़, पानी, बिजली, सिवरेज आदि की व्यवस्था के साथ पूर्णत: विकसित भूखंडों का सेक्टर 30 में रूपये 985/- प्रति वर्गफीट, सेक्टर 12 में 1235/- से 1607 प्रति वर्गफीट की दर से व्ययन किया जा रहा है। यह भी कहना सही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं है कि गोल्फ कोर्स के लिए 1/- रूपये प्रति वर्गफुट की दर से जमीन दे दी गई है। वास्तविकता यह है कि छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश दिनांक 23/02/2016 द्वारा सेक्टर-24 में गोल्फ कोर्स, क्लब हाऊस सह स्पोर्ट्स काम्पलेक्स तथा आवासीय बंगले हेतु आरक्षित कुल अविकसित भूमि क्षेत्रफल 138.80 एकड़ में से केवल गोल्फ कोर्स के विकास हेतु 101.21 एकड़ भूमि रियायती दर 1/- रूपये प्रति वर्गमीटर तथा शेष भूमि 37.59 एकड़ प्रीमियम दर 825/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दस से आबंटित की गई है। आबंटिती द्वारा 20.82 एकड़ भूखंड में अनुमोदित अभिन्यास अनुसार आवासीय बंगलों का निर्माण कर व्ययन निविदा की शर्तों के तहत किया जाना है। इस प्रकार यह भी कहना सही नहीं है कि गोल्फ कोर्स के नाम से आबंटित जमीन में नेताओं तथा अधिकारियों ने आलीशान बंगले निर्मित कर लिये हैं अपितु अनुबंध की शर्तों के अनुसार आबंटिती को भूखंड तथा बंगलों के मार्केटिंग तथा बुकिंग तथा कब्जा देने का प्रावधान है। यह कहना सही नहीं है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आडिट परीक्षण नहीं कराया जाता है अपितु वस्तु स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के दिनांक 10.03.2003 के द्वारा राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वर्तमान में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण) का आडिट पश्चातवर्ती/आवासी संपरीक्षा आवश्यकतानुक्रम में विभाग द्वारा संपन्न कराये जाने हेतु निर्देषित है जिसके तहत स्थानीय निधि संपरीक्षा के संपरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक की अवधि का अंकेक्षण कार्य संपादित किया जा चुका है, 200-10 का आडिट वर्तमान में किया जा रहा है तथा 2010-11 एवं 2011-12 में आडिट हेतु निर्देषित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय महालेखाकार के दल द्वारा 11.09.2017 से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर पायलट आडिट संपन्न किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017-18 (कर-निर्धारण वर्ष 2018-19) तक की अवधि हेतु वैधानिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करा लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त कार्य संपादित करने से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध जनता में किसी प्रकार का रोष व्याप्त होने की स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी।

श्री यू.डी.मिंज :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह था कि मुख्य अभियंता पिछले 9 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ हैं। उत्तर में आपने बताया कि मुख्य अभियंता का पद रिक्त है। जबकि वास्तविकता यह है कि मुख्य अभियंता को ही प्रमुख अभियंता बना दिया गया है और उनके द्वारा ही मुख्य अभियंता का कार्य भी किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि एक ही अधिकारी पिछले 9 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ है। माननीय मंत्री जी आपने अपने जवाब में बताया कि शमशान गृहों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और कब्रिस्तान की योजना है। जबकि वास्तविकता ये है कि निर्माण कार्य 4 वर्ष पूर्व ही पूरे किये जा चुके हैं, जिनका 4 करोड़, 85 लाख रूपये का भुगतान ठेकेदार को किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्या है ?

श्री यू.डी मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें एक और जानकारी दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने भूखण्ड आवंटन को लेकर एक जवाब और दिया। 1235 रूपये वर्गफीट से लेकर 1607 रूपये वर्गफीट से आवास भूखण्ड सेक्टर 12 में दिया गया है। साथ ही मंत्री जी ने यह भी जवाब दिया कि 37.59 एकड़ जमीन 825 रूपये वर्गमीटर अर्थात् 75 रूपये वर्गफीट में आवंटित की गई है, जो कि डेवलपमेंट कॉस्ट से बहुत कम है। विभाग के अधिकारियों ने जो भी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं, वह सही नहीं है। मेरा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि एन.आर.डी.ए. में पिछले 10 वर्षों में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी कोई जांच की एजेंसी बनायेंगे क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ये कोई स्पेसिफिक बात सामने लाएंगे तो हम उसकी जांच भी करा देंगे। लेकिन स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि आप इसकी जांच करायें।

श्री यू.डी मिंज :- माननीय मंत्री जी धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है ? यादव जी, आप एन.आर.डी.ए. में क्या करेंगे ?

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंन अपने उत्तर में कहा है कि उसका ऑडिट होता है जबकि मैं भी लोक लेखा समिति में था और माननीय सत्यनारायण भईया जी भी थे, वहां पर ए.जी. ने स्वयं कहा कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण के सारे काम ऑडिट से बाहर है तो इसमें सत्यता कौन सी बात है? वहां पर ऑडिटर जनरल के द्वारा ऑडिट नहीं होता है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऑडिट के बारे में वर्ष 2003, वर्ष 2007-08 की अवधि का अंकेक्षण कार्य संपादित किया जा चुका है। वर्ष 2009-10 का ऑडिट वर्तमान में किया जा रहा है और उल्लेखनीय है कि कार्यालय महालेखाकार के दल द्वारा 11.09.2017 तिथि से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर, पायलेट ऑडिट संपन्न किया जा चुका है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उसके पूर्व नहीं होते थे। अभी इसके बाद से शुरू हुआ है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इन वर्षों में वर्ष 2002-03 से बनने के बाद की स्थिति है ये पूरी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नया रायपुर विकास प्राधिकरण कुल कितने एरिये में काम कर रहा है? और उस एरिये में जो लोगों की निजी जमीनें हैं, अधिग्रहित नहीं की गई हैं, उन जमीनों पर निजी लोगों को काम करने के लिए अनुमति दी जाएगी कि निजी लोग अपने निर्माण का काम कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और आपको नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को कुल कितनी जमीन की आवश्यकता है? और बाकी जमीन को आप फ्री कर देंगे क्या ? कि किसान अपना उपयोग कर सकें ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो टोटल एरिया लैण्ड का प्रस्तावित किया गया है, 2113.39। टोटल एरिया बताया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आपने रेसिडेंशियल एरिया बताया है, टोटल एरिया कितना है? उसमें कितनी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है? कितनी भूमि अधिग्रहित से छोड़ी गई है और उनको निर्माण, बेचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उनको अनुमति कब से देना शुरू करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 237 स्क्वायर किलोमीटर, 8 हजार हेक्टेयर।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कितनी भूमि ऐसी है जिसको अधिग्रहित कर लिया गया है और कितनी भूमि ऐसी है जिसको अधिग्रहित नहीं किया गया है और जो भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है, उनको बेचने, निर्माण करने की परमिशन नहीं मिल रही है और आपकी आवश्यकता कितनी है? क्या बाकी को आप खुली छूट दे देंगे कि वह बेचे, निर्माण करें, जिससे कि नये रायपुर का डेवलपमेंट हो सके।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा नोटिफाईड एरिया 8 हजार हेक्टेयर का है अब चूंकि ध्यानाकर्षण में कितना अधिग्रहित हुआ है ये इसका विषय नहीं है तो मैं आपको उसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सा एरिया ऐसा है जो अधिग्रहित नहीं हुआ है। जो एरिया अधिग्रहित नहीं हुआ है और अभी नये रायपुर में पापुलेशन नहीं बढ़ रही है तो इसलिए किसानों की जो जमीन है, उनको हम फ्री कर दें, वे अपनी जमनी का, आपको पहले लेयर का उपयोग करना है, सेकण्ड लेयर का उपयोग करना है तो आप उसको करें। आप बाकी जमीन को फ्री कर दें, जिससे कि किसान उसका निर्माण कर सके, उसको बेच सके, उनके घर में पैसा आ सके। इसका निर्णय आप जितना जल्दी लेंगे, उतना जल्दी हमारे नये रायपुर का डेवलपमेन्ट हो पायेगा, इस बात का आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल, धन्यवाद। श्री सत्यनारायण शर्मा जी।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं नेताओं और अधिकारियों को किस वर्गफुट की दर से जमीन बेची गई है, जमीन की दर क्या है, फुट में बताईये? चूंकि पूरे शहर के आसपास जमीनों की कीमत फुट के हिसाब से ली जा रही है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के विषय में अधिकारी, नेताओं का विवरण नहीं है। उसमें अलग-अलग नाम दिये हैं कि इनको इतना-इतना दिया गया है, अधिकारी, नेताओं के बारे में कोई नाम बता दें तो वह भी बता दें।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों, नेताओं का ध्यानाकर्षण में पूछा है। किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता को अगर जमीन आवंटित की गई है तो किस वर्गफुट की दर से दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- अलग से जानकारी लेकर बता दीजियेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया है, इनके ध्यानाकर्षण के विषय में ये है कि अधिकारी, नेता बड़े-बड़े बंगला बना लिये हैं, केवल इतना ही लिखा हुआ है। किसको बेच दिये, इस बारे में विवरण नहीं है। यदि आपको चाहिए तो फिर आप बतायेंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- अलग से दे दीजियेगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप जानकारी दे दीजियेगा, बस इतना ही कहना है।

(3) बिलासपुर शहर में अवैध रूप से हुक्का पार संचालित होना।

श्री शैलेष पांडे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- बिलासपुर शहर में विगत 5 वर्षों से दर्जनों हुक्काबार संचालित हो रहे हैं तथा हर माह नये हुक्काबार रेस्टोरेंट और कैफे के फूड लाइसेंस की आड़ में अवैध रूप से खोले जा रहे हैं। इन हुक्काबार में अवैध रूप से मादक पदार्थ जैसे चरस, गांजा, कोकीन मिलाकर परोसा जाता है, जिससे युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जा रही है। बिलासपुर में एक बड़ा एजुकेशनल हब बन रहा है, लेकिन 10वीं कक्षा से कालेज तक के छात्र-छात्राएं इन हुक्काबारों में देर रात तक नशे की गिरफ्त में रहते हैं। इन हुक्काबार पर किसी भी शासकीय विभाग का नियंत्रण नहीं है। इन हुक्काबार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए रोक लगाना आवश्यक है। अन्यथा छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से निकालना मुश्किल होगा। इससे आमजनों में रोष व आक्रोश व्याप्त है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि बिलासपुर शहर में विगत 05 वर्षों से दर्जनों हुक्काबार संचालित हो रहे हैं तथा हर माह नये हुक्काबार, रेस्टोरेंट और कैफे के फूड लायसेंस की आड़ में अवैध रूप से खोले जा रहे हैं, जिसमें अवैध रूप से मादक पदार्थ चरस, गांजा, कोकीन मिलाकर परोसा जाता है। बिलासपुर शहर में नगर निगम द्वारा विगत 05 वर्षों में वर्ष 2014-15 में 06, 2015-16 में 04, 2016-17 में 09, 2017-18 में 08 एवं 2018-19 में 13 हॉटल एवं रेस्टोरेंट को गुमाश्ता लायसेंस दिया गया है। इसी प्रकार आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में 27, 2015-16 में 25, 2016-17 में 22, 2017-18 में 10 एवं 2018-19 में 11 एवं 2019-20 में 16 हॉटल एवं रेस्टोरेंट को बार का लायसेंस दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों में रेस्टोरेंट- 20 तथा कैफे -118 को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटपा (Cigarette and Other Tobacco Product " Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade & Commerce, production, Supply and Distribution" Act 2003) अधिनियम 2003 लागू है। बिलासपुर शहर में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित नहीं हो रहे हैं। अवैध रूप से हुक्का बार संचालन करने वाले हॉटल, रेस्टोरेंट के विरूद्ध कोटपा एक्ट 2003 के तहत उपनिरीक्षक स्तर व उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी, पुलिस विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को कार्यवाही करने का अधिकार है। इस तारतम्य में विगत 05 वर्षों में बिलासपुर शहर के विभिन्न थानांतर्गत क्षेत्रों में अवैध हुक्का बार का संचालन करते पाये जाने पर थाना तारबहार में 02 प्रकरण एवं थाना सिविल लाईन में 02 प्रकरण, थाना चकरभाटा में 02 प्रकरणों में कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 03 प्रकरण की कार्यवाही की गई है। वर्तमान में किसी भी रेस्टोरेन्ट को हुक्काबार का लायसेंस नहीं दिया गया है। अवैध हुक्काबार के संचालन की शिकायत पर पुलिस विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

अशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या इस उत्तर में कुछ धर्म का दिख रहा है ?

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अधर्म बढ़ते जा रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह कब से बढ़ रहा है ? क्या श्री भूपेश बघेल जी की सरकार जब से आयी है तब से बढ़ रहा है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आपने सुना नहीं कि माननीय मंत्री जी ने जितना भी पढ़ा तो सारे लाईसेंस आप लोगों की सरकार ने दिये हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह अधर्म कब से बढ़ रहा है ?

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी हुक्काबार हैं । सब होटल के नाम पर खोले गये हैं । पहले बिलासपुर में होटल खुले । मैं दर्जनभर की बात करता हूं । माननीय मंत्री जी, मैं आपको 20 हुक्काबारों के नाम देता हूं, मैं लिस्ट लेकर आया हूं, उनकी फोटो खींचकर आया हूं कि यह सब रेस्टोरेंट हैं । होटल शिवा इन, यूटी बीयर कैफे, मूंछवाले कैफे, कलर्स कैफे, प्लेटिनम कैफे, लिग्रीक कैफे, होलीपाई कैफे यह सब कैफे के नाम पर पूरे प्रदेश में यह धंधा खोला गया है । हमारे प्रदेश की बेटियां, हमारे प्रदेश की बहुएं, हमारे प्रदेश की नई पीढ़ी दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, कॉलेज के लड़के ये सब वहां पर जाते हैं और बड़ी शान से खाना खाते हैं । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बताना चाहता हूं कि बड़ी शान से खाना खाते हैं और हुक्का पीते हैं । क्या हुक्का पिलाना हमारी परंपरा है, क्या हमारी संस्कृति है ? अगर इसका कानून नहीं है तो कानून बनना चाहिए । अगर पुलिसवालों के संरक्षण में ये हुक्काबार चल रहे हैं तो माननीय गृहमंत्री जी को पुलिस विभाग के सभी छत्तीसगढ़ के एसपी लोगों को यह निर्देश देना चाहिए कि इस प्रकार से वह हुक्काबार नहीं चलने चाहिए । नशे को नहीं बढ़ाना है । पिछले 05 सालों से यह चल रहा है । आज हमारी सरकार है । आज हमारे गृहमंत्री धर्म पालन करने वाले हैं । मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि इसमें एक नियम बनना चाहिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय जी आसंदी से भी कि इस पर सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है और इसका सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नशे का व्यापार बढ़ते जा रहा है और नशे के व्यापार में जो लोग फायदा कमा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को धोखा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ को नशे के गिरफ्त में ले जा रहे हैं तो मेरा यही निवेदन है कि उनके विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- श्री पाण्डेय जी, हुक्काबार के अलावा आप पूर्ण शराबबंदी की भी बात कर दो न, भैया वह भी नशा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह बोलने के लिये आपको छोड़ दिया है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सरकार आपकी है, हो सकता है कि आपकी मांग को मान लेंगे । आप शराबबंदी की भी बात कर दीजिए, पूर्ण नशाबंदी की बात कर दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता आपको धन्यवाद देगी कि आपने साहस तो किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लाईसेंस देने का काम हमारा विभाग नहीं करता जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नगर-निगम, आबकारी और खाद्य औषधी प्रशासन द्वारा दिया जाता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भाषण का उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- भाषण का दे रहे हैं । मैं एक प्रश्न करता हूं कि यह जो हुक्काबार है यह अवैध है कि वैध है यह बता दीजिये ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि होटलों को जो लाईसेंस दिया गया है । स्वयं प्रश्नकर्ता सदस्य बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट के लिये, होटल के लिये गुमाश्ता एक्ट में, बार में लाईसेंस लेते हैं और वे संचालन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें हुक्काबार संचालित होता है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका मूल प्रश्न ही वही है कि अवैध रूप से जो हुक्काबार संचालन होता है उसको बंद किया जाये उसके लिये कार्यवाही की जाये तो मैंने उसी की जानकारी दी कि यह जो होटल का या बार का लाईसेंस दिया गया है उसके बाद अगर उसमें अवैध चला । पुलिस को जो जानकारी मिलती है, शिकायत मिलती है, जानकारी आती है, मुखबिर से खबर आती है तो हम कार्यवाही करते हैं और जो कार्यवाही की गयी है उसकी भी जानकारी मैंने दी है कि हम लोगों ने जो कार्यवाही की है उसमें लगातार तारबहार में 02 प्रकरण, सिविल लाईन में 02 प्रकरण, चकरभाठा में 02 प्रकरण जहां भी हमें जानकारी मिलती है हमारा विभाग कार्यवाही करता है । भविष्य में भी जो जानकारी मिलेगी हम मजबूती से और सख्ती से कार्यवाही करेंगे ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई कानून नहीं है तो सब अवैध है । जब सब अवैध है तो फिर शिकायत की जरूरत क्या है ? ऑलरेडी पूरे छत्तीसगढ़ में सबको बैन करना चाहिए ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आपको वहां के पुलिस अधीक्षक को लिखकर देना पड़ेगा कि यहां-यहां हुक्काबार चल रहा है वहां छापे मारे जाएंगे, उस पर कार्यवाही होगी । बाकी लोगों को बाकी काम ज्यादा है इसलिये हुक्काबार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनेक प्रकरणों में हुक्का बार में नाबालिग लड़के, लड़कियों को पकड़ा गया है । शिकायत की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें संज्ञान में है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं एक प्रश्न पूछा है । हुक्का बार वैध है या अवैध है, उसका कोई लायसेंस दिया जाता है क्या ? इस बात का जवाब मंत्री जी दे दें । जितने भी हुक्का बार हैं, उनके बारे में लायसेंस का कोई प्रोवीजन है क्या ? यदि नहीं हैं, तो क्या जो हुक्का बार चल रहे हैं उनको आप बंद करवाएंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि बार का लायसेंस दिया जाता है, हुक्का बार का कोई लायसेंस नहीं दिया जाता । तीन विभाग जो दिए हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि हुक्का बार का लायसेंस दिया गया है । इसलिए मैंने कहा कि हुक्का बार अवैध है, कोई लायसेंस उसका नहीं है और जानकारी पर कार्रवाई का जो प्रश्न है । जानकारी मिलती जाती है, कार्रवाई करते जाते हैं । मैंने पहले ही कहा कि इन-इन थानों में ये-ये प्रकरण दर्ज हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपके विभाग से संबंधित नहीं है फिर भी आप पूछिये ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाती है । उन्होंने बताया भी कि दो प्रकरण वहां, दो प्रकरण वहां, दो प्रकरण वहां । अवैध हैं वे उन्हें किस तरह से अवैध घोषित किया जाता है और किन नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है । आईपीसी, सीआरपीसी, किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है । आज तक किसी के खिलाफ माननीय न्यायालय ने कोई सज़ा पारित की है, क्या विभाग को इस बात की जानकारी है ?

अध्यक्ष महोदय :- इसके पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये हुक्का बार सिर्फ बिलासपुर में चलता है या रायपुर, दुर्ग सब जगह ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सब जगह है, सब जगह है ।

श्री शैलेश पांडे :- पूरे प्रदेश में कम से कम 300 हुक्का बार चल रहे हैं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- दुर्ग में भी चलता है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं । हुक्का बार पूरे प्रदेश में चल रहा है या केवल बिलासपुर में चल रहा है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे विभाग का नहीं है, इसलिए कहां-कहां चल रहा है, इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है । मेरे पास तो कार्रवाई करने का है, जहां-जहां

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चल रहा है उन पर कार्रवाई करते हैं । माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा, तारबहार में इस्तगासा क्रमांक 1/18, धारा 8 (11) कोटपा एक्ट के तहत, एन. मनीश कुमार राव, कोयला हुक्का बार, अग्रसेन चौक बिलासपुर । ये सबकी जानकारी है उपयोगकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई वाला भी है । सिविल लाइन में रियाजुल हक, अल्फाज खान, हमारे विभाग के द्वारा जो कार्रवाई होती है । उसमें बराबर इस्तगासा पेश होता है एफआईआर होता है । उपयोगकर्ता व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 सालों में जो बिगड़ गया है, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, आप करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है कि सरकार का जवाब आ रहा है और सरकार कहती है कि यह मेरे विभाग का नहीं है । सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है । हम लोग भी मंत्री रहे हैं, हम बाकी विभागों से जानकारी बुलवाकर अपने उत्तर में एड करते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश आने चाहिए कि यह सरकार की जिम्मेदारी है । मंत्री जी इस प्रकार का जवाब न दें कि मेरे विभाग से संबंधित नहीं है । उनका कहना है कि तीन विभाग से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है, आबकारी से संबंधित है । माननीय मंत्रियों को इस प्रकार का जवाब नहीं देना चाहिए कि मेरे विभाग से संबंधित नहीं है । वे शासन की तरफ से जवाब दे रहे हैं इसलिए शासन का संयुक्त जवाब आना चाहिए और आप निर्देशित करें । मुझे उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारीगण इस प्रकार का जवाब मंत्रियों को दे देते हैं कि सर, ये अपने विभाग का नहीं है, इसको आप रहने दीजिए । जबकि यह संयुक्त जिम्मेदारी है, संबंधित विभागों से जानकारी बुलवाकर मंत्री जी को जवाब देना चाहिए । मंत्री का इस प्रकार का जवाब देना उचित नहीं है । इस पर आपके निर्देश जारी होने चाहिए । इस बात का आग्रह है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम हुक्का बार का लायसेंस नहीं देते, बार का लायसेंस देते हैं । 6 महीने में कितने बार का लायसेंस दिया, जरा इस बात की जानकारी दे दें ?

अध्यक्ष महोदय :- अरे, आप उल्टी तरफ जा रहे हैं । चलिए मंत्री जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं । अभी मंत्री जी ने कहा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उलझाने का काम कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी मंत्री जी ने कहा कि हम बार का लायसेंस देते हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हम देते हैं, ऐसा नहीं कहा है । आप कुछ भी प्रश्न कर रहे हो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी आपने कहा ना ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हम देते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है । हम देते हैं नहीं कहा हूं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच सालों से इन्हीं ने वातावरण खराब किया है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हम देते हैं, ऐसा नहीं कहा हूं । सामूहिक जिम्मेदारी का निवर्हन भी हम करते हैं । मैंने ऐसा भी नहीं कहा है कि मेरे विभाग का नहीं है । मैंने कहा कि हमारा विभाग जो कार्रवाई करता है । नगर निगम ने जो लायसेंस दिया वह भी बताया हूं, खाद्य प्रशासन लायसेंस देता है वह भी बताया हूं । आबकारी लायसेंस देता है, वह बताया हूं । मैंने यह कहा कि मेरे विभाग से लायसेंस नहीं मिलता । कुछ भी घुमाकर माहौल क्रियेट करने का प्रयास मत करें ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका काम पकड़ने का है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- लायसेंस देते हैं, आपने यह स्वीकार किया है ना । कितने लायसेंस दिया है यह बता दीजिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- मेरा एक प्रश्न यह है कि ठीक है मान लिया कि इसका कानून नहीं है। मैं माननीय गृहमंत्री जी से यही तो चाहता हूं कि कानून नहीं है तो आप कृपया करके यह घोषणा करेंगे। क्या हम इस तरह से पूरे प्रदेश को नशे में झोंक दें? अगर कानून नहीं है तो आप कानून बनाने की घोषणा कर दीजिए कि हम इसके लिए सख्त से सख्त कानून जल्द से जल्द बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, यादव जी आप कुछ बोलिए। बोलिए, यादव जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं..।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। यादव जी को बोलने दीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- एक अंतिम प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाह रहा हूं। फूड का जो लाइसेंस हम लोग रेस्टोरेंट को देते हैं, तो कृपया करके उसमें हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए। यह आपके विभाग से भी आपको निर्देश देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है और गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कानून जल्दी लाना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- रोकने के लिए अक्षम है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विभाग किसी भी प्रकार से किसी गलती को रोकने में अक्षम नहीं है। पूरी तौर पर सक्षम है और हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। माननीय विद्वान सदस्य ने इसको कानून के दायरे में लाने की जो मांग की है, मैं अपनी ओर से लिख दूंगा कि तत्काल इस पर कानून बनाये ताकि यह पूरे प्रदेश में संचालित न हो। इसको रोका जाए। (मेजों की थपथपाहट) दूसरा माननीय सदस्य की चिंता है, जितने नाम का उन्होंने उल्लेख किया, वे मुझे उसकी

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सूची दे दें और बिलासपुर पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जहां छापा मारना हो, जिसको पकड़ना हो, जिसको भी गिरफ्तार करना हो, तत्काल हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- धन्यवाद, गृहमंत्री जी। क्योंकि नई पीड़ियां इससे बहुत बर्बाद हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव, आप भी नगर-निगम संचालित करते हैं। आपके नगर-निगम के अंतर्गत कितने बार चल रहे हैं? यह बताइएगा। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या आपने उन्हें मंत्री का दर्जा दे दिया। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- हर प्रश्न में ये लोग कुछ बोलते हैं तो मैंने कहा कि इस प्रश्न का भी उनके पास कोई जवाब होगा। बोलिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो हुक्का बार चल रहे हैं, इस पर कहीं न कहीं पूर्व के हमारे सम्मानीत साथी ने उठाया था, उस पर विषय है और उस पर खानापूर्ति कार्रवाई भी होती रही है। इसका काफी बढ़ावा भी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं? नगर-निगम दुर्ग के अंतर्गत कितने हुक्का बार चल रहे हैं? आपने कितने लोगों की शिकायत की है?

श्री देवेन्द्र यादव :- हमारे भिलाई नगर-निगम के अंतर्गत हम लोगों ने वैधानिक रूप से इसका लाइसेंस नहीं दिये हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी इस तरह की जानकारी मिलती रहती है, जिस पर समय-समय पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसका सख्त रूपी कानून और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, आप कुछ सुझाव देंगे?

श्री सौरभ सिंह :- आपका भी खुद कोई बार है क्या ?

श्री देवेन्द्र यादव :- जी, मेरे बड़े भाई का है।

श्री सौरभ सिंह :- वहां, हुक्का थोड़ी चलता है?

श्री देवेन्द्र यादव :-जी, नहीं। वहां नहीं चलता। आप कभी वहां पर आइए। मैं भी जाता नहीं, लेकिन आप आयेंगे तो आपके साथ जरूर चलूंगा। आपका स्वागत है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- तब तो शराबबंदी नहीं होगी।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) <u>वन विभाग के अधिकारियों द्वारा शासन की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा किया जाना।</u>

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- वन विभाग में अधिकारियों के हौसले इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि निजी विदेश यात्रा पर ऐसे चले जाते हैं जैसे कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं। बडे-बड़े घपले घोटाले स्वयं करने, मातहतों द्वारा करवाने/करने के बावजूद कोई कठोर कार्यवाही नहीं होने, पदोन्नतियां प्राप्त होते रहने तथा मलाईदार पदों पर नियुक्तियां प्राप्त करने में सफल होते रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नाम की कोई उच्च संस्था विद्यमान नहीं है और विभाग के उच्चाधिकारी स्वयं ही सरकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, वे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष को ध्यानाकर्षण लगाना पड़े। प्रदेश अध्यक्ष तो सरकार को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकता है। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है कि प्रदेश के अध्यक्ष को सरकार के खिलाफ ध्यानाकर्षण लगाना पड़े। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- वे अपने क्षेत्र के विधायक हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सुनने दीजिए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- पहले आप बात को ध्यान से तो सुनिए।

अध्यक्ष महोदय :- सुनने दीजिए। सुनने दीजिए। मरकाम जी। मरकाम जी। मंत्री जी क्या कह रहे हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से माननीय सभी सदस्यों को स्वतन्त्र रखा गया है। वह अपनी बात आराम से रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो आराम से रखिये, सब लोग सुनेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, लेकिन हम लोग बहुत दु:खी है। प्रदेश अध्यक्ष है, ध्यानाकर्षण लगाना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये तो। ...(व्यवधान)

डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- सुनने की ताकत रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत दु:खी हैं। बहुत, अत्यधिक, घोर दु:खी हैं।

एक माननीय सदस्य :- आपकी सरकार आर0एस0एस0 के लोग चलाते हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार सबको अपनी बात रखने के स्वतन्त्रता प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अपनी बात रखिये।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लोग कुछ मत लगाईये, हम लोग बहुत दु:खी हैं। हम अपना दु:ख व्यक्त कर सकते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में फिर से विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त होने की प्रतीक्षा और परवाह किए बिना काली कमाई से विदेश घूम आया है। जो अधिकारी सरकार तक की परवाह नहीं कर रहे हैं, वे जनता तथा विभागीय कामकाज के प्रति कैसे गंभीर हो सकते हैं। राज्य को ऐसी स्थिति के कारण अब तक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हो चुकी है। 44 प्रतिशत भू-भाग पर काबिज वन विभाग के कुशासन को दूर करने के लिए राज्य सरकार की निद्रा अब भंग होनी ही चाहिए और ऐसे भ्रष्ट तथा अनुशासनहीन लोक सेवकों के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उपरोक्तानुसार अत्यधिक खराब स्थिति के कारण जनता में शासन के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों का सरंक्षण मिला है न, इसीलिए ये सब है और ये भ्रष्ट और निरंकुश हो गए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने लिख दिया जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। यही हमारे लिए काफी है। माननीय मंत्री जी, उन्होंने लिख दिया कि जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है, यही काफी है। आप उत्तर कुछ भी दें। प्रदेश का अध्यक्ष कह रही है कि जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। ...(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- आपके सरकार में सुकमा के डी0एफ0ओ0 ने स्वीमिंग पुल बनवा लिया था। यह आप लोगों ने आदत डाल रखा है। यह इसका परिणाम है जो आज सामने आ रहा है। ये अधिकारी जो मनमर्जी कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाओ, बैठ जाओ भैय्या।

श्री संतराम नेताम :- अधिकारियों मनमानी करने की छूट दिए हो।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आपकी उत्तेजना से उनका ध्यानाकर्षण विचलित हो रहा है। कृपया इसका ख्याल रखें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :-तो उनको पढ़ने दीजिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मोहन मरकाम जी, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहे कि जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है, यह शर्मनाम स्थिति है। माननीय मंत्री जी, आपको पहले इसका जवाब देना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठो भाई, हो गया।

अप्रेक्षित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- उसी के कारण आज जनता भुगत रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रदेश में रोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया न।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये।

श्री मोहन मरकाम :- हम लोग सरकार में रहते हुए आप लोगों की करनी को उजागर कर रहे हैं। आप लोगों की करनी को हम लोग उजागर कर रहे हैं, आप लोगों ने 15 साल में जो करनी की है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि ये उत्तेजना की गोली खाकर आते हैं, इसको चैक करवाया जाये।

श्री सौरभ सिंह -: आप कौन सी अच्छी वाली गोली खाते हो, बता दो न।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि वन विभाग में भ्रष्टाचर तथा अधिकारियों के हौसले और हैसियत अब इतने अधिक बढ़ चके हैं कि निजी विदेश यात्रा पर ऐसे चले जाते हैं, जैसे कि पिकनिक मनाने जा रहे हों।

यह भी सही नहीं है कि बड़े-बड़े घपले घोटाले स्वयं करने, मातहतों द्वारा करवाने/करने के बावजूद कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने, पदोन्नतियां प्राप्त होते रहने तथा मलाईदार पदों पर नियुक्तियां प्राप्त करने में सफल होते रहने से ऐसा प्रतीत होता कि सरकार नाम की कोई उच्च संस्थान विद्यमान नहीं है और विभाग के उच्चाधिकारी स्वयं ही सरकार हैं। यह कथन भी सही नहीं है कि जो अधिकारी सराकर तक की परवाह नहीं कर रहे हैं, वे जनता तथा विभागीय कामकाज के प्रति कैसे गंभीर हो सकते हैं, स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, राज्य को ऐसी स्थिति के कारण अब तक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हो चुकी है। यह भी सही नहीं है कि ...।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उसको सुनिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन जी, ये प्रक्रिया है । आप भी अपने समय में ध्यानाकर्षण लगाते रहे हैं और वहां पर भी इसी प्रकार का उत्तर आता है कि ये कहना सही नहीं है, ये कहना सही नहीं है । और अंत में यही आयेगा, कितना भी रोष, आक्रोश हो, आक्रोश नहीं है। अंत में यही आयेगा । ये आखरी लाईन है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गलत बोल रहे हैं क्या ? आप प्रदेश अध्यक्ष की बात को नकार रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आप मंत्री जी हैं क्या या अध्यक्ष जी हैं क्या ? मंत्री जी जवाब देंगे.....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो । .....(व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष तो दूसरी बात है, इस सदन में हम सब सदस्य हैं और सदस्य की बात है । इसको आप ध्यान से सुनिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय शिवरतन जी, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उनके संज्ञान में जो बात आई तो उन्होंने आरोप लगाया, सच्चाई मैं बता रहा हूं, अपने आप सब क्लीयर हो जायेगा । उनके संज्ञान में जो बात आई, वे रख सकते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बता दीजिए, यहां बताने की क्या जरूरत है । .....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- यहां की प्रक्रिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाते हैं, वहां बता दीजिए । .....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आपकी सरकार के समय अपनी बातों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बताते थे क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, बताते थे । .....(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद अकबर :- वहां बताते थे, यहां नहीं बोलते थे । कुछ भी बात करते हो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, यहीं बैठकर सरकार के खिलाफ चिल्लाते थे । वे दिन आप भूल गए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही नहीं है कि हाल ही में फिर से विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त होने की प्रतीक्षा और परवाह किये बिना काली कमाई से विदेश घूम आया है । वस्तुस्थिति ये है कि श्री एस.एस. बजाज, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ0ग0 रायपुर के द्वारा दिनांक 20.06.2019 से 30.06.2019 तक 11 दिवस के अर्जित अवकाश एवं उक्त अवधि में विदेश प्रवास की अनुमति हेतु आवेदन उनके नियंत्रण अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, छ0ग0 राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को प्रस्तुत किया गया था, जो छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, छ0ग0 राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के द्वारा प्रेषित किया गया । दिनांक 19.06.2019 तक राज्य शासन से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होने पर श्री बजाज के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 19.06.2019 को विदेश प्रवास की सूचना देते हुए विदेश प्रवास पर प्रस्थान किया गया । उनके पत्र दिनांक 19.06.2019 में श्री बजाज ने यह भी लेख किया है कि उनके द्वारा विदेश प्रवास हेतु अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग से मौखिक अनुमति प्राप्त की गई है । इसकी पुष्टि जांच उपरांत की जा सकेगी ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन के पत्र क्रमांक/एफ 07-13/2015/10 (भा.व.से.) दिनांक 10.07.2019 के द्वारा श्री बजाज को यह सूचना दी गई कि उक्त अर्जित अवकाश अवधि में आपको निजी विदेश प्रवास की अनुमति शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है ।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 10.07.2019 के अनुक्रम में श्री बजाज के द्वारा उनके पत्र दिनांक 18.07.2019 के द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए लेख किया गया है कि अर्जित अवकाश एवं विदेश यात्रा की स्वीकृति हेतु विधिवत् रूप से निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव स्वीकृत हेतु अवकाश अवधि के 40 दिवस पूर्व प्रेषित किया गया था । इस संबंध में मेरे विदेश प्रवास पर रवाना होने के पूर्व तक राज्य शासन की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति अथवा स्वीकृति के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । भारत सरकार, कार्मिक प्रशिक्षण एवं पेंशन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 27 जुलाई, 2015 के अनुसार स्वयं के व्यय पर निजी विदेश यात्रा की स्वीकृति आवेदन पत्र प्राप्त होने के 21 दिवस के भीतर अनुमति/स्वीकृति के संबंध में निर्णय प्राप्त न होने पर शासकीय सेवकों को यह मानते हुए कि अनुमति दी जा चुकी है, यात्रा किये जाने का प्रावधान है । इसी प्रावधान के तहत श्री बजाज के द्वारा नियंत्रणकर्ता अधिकारी को सूचना देते हुए वे विदेश प्रवास पर रवाना हो गए थे । उनके द्वारा उनके निजी विदेश प्रवास के प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए औपचारिक अनुमति जारी करने का अनुरोध किया गया है ।

श्री एस.एस.बजाज, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ0ग0 रायपुर का यह प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है तथा इस प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा । अत: जनता में आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि संबंधित अधिकारी शासन के बिना अनुमति से विदेश प्रवास पर गये । शासन संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही करेगी । विदेश जाने के लिए क्या शासन को दोबारा पत्र लिखा गया और शासन संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित अधिकारी विदेश प्रवास से लौटने के बाद उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदन में उन्होंने भारत सरकार के आदेश 27 जुलाई 2015 का एक हवाला दिया । इसके अनुसार कोई अधिकारी आवेदन देकर विदेश प्रवास पर जाता है, 21 दिनों के भीतर यदि जवाब नहीं दिया जाता, किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी जाती कि किसी प्रकार की कोई कमी है । इस पत्र के अनुसार यह मान लिया जायेगा, यह भारत सरकार का है, उसको अनुमति मिल गई । उस आधार पर विदेश प्रवास पर चले गये । आने के बाद उनको यह पता चला कि यहां के

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विभागीय सूचना से उनको जानकारी दी गई कि आपको अनुमति नहीं दी गई है । उन्होंने कहा कि भारत सरकार का 27 जुलाई का आदेश है, उसके अनुसार यह माना जाये कि 21 दिन तक मुझे सूचना नहीं मिली थी, इसका कारण मैं चला गया, मेंरे प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये । अब इन सभी बातों को और भारत सरकार का पत्र इन्होंने उल्लेख किया है, परीक्षण करके उचित कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- विचार नहीं किया गया है, कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद 5 से 43 तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पवर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे :-

5. सर्वश्री देवव्रत सिंह, धरमलाल कौशिक, सदस्य
6. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजीत जोगी, मोहन मरकाम, सदस्य
7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
9. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
11. श्री अरूण वोरा, सदस्य
12. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
13. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, सदस्य
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
15. श्री अजीत जोगी, सदस्य
16. श्री अजीत जोगी, डॉ. श्रीमती रेणु जोगी, सदस्य
17. सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, चन्द्रदेव प्रसाद राय, सदस्य
18. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य
19. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
20. डॉ.विनय जायसवाल, सदस्य
21. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य
22. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
23. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
24. श्री मोहन मरकाम, सदस्य

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

25. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य
26. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य
27. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
28. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
29. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
30. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, सदस्य
31. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
32. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
33. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
34. श्री दलेश्वर साहू, डॉ.रमन सिंह, सदस्य
35. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
36. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डमरूधर पुजारी, सदस्य
37. श्री अजीत जोगी, डॉ. श्रीमती रेणु जोगी, सदस्य
38. डॉ.विनय जायसवाल, सदस्य
39. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
40. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य
41. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
42. श्री मोहित राम, सदस्य
43. श्री रामकुमार यादव, सदस्य

समय :
1:58 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 क 2 को शिथिल कर आज दिनांक 19 जुलाई 2019 को मैंने सदन में 18 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है । निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य
2. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य
3. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
4. श्री सौरभ सिंह, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

5. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
6. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
7. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
8. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
9. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
11. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
12. श्री रामपुकार सिंह, सदस्य
13. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
14. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
15. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
16. श्री यू.डी.मिंजय, सदस्य
17. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सदस्य
18. श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य

समय :
1:59 बजे

<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>

<u>लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्ठम एवं नवम</u>

सभापति (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्ठम एवचं नवम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

समय:
2:00 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्रीमती इंदू बंजारे
2. श्री धरमलाल कौशिक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3. श्री कुंवर सिंह निषाद

4. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान</u>

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि - दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 55, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार तीन सौ इकतालीस करोड़, बावन लाख, इकत्तीस हजार, पांच सौ दस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार द्वारा प्रस्तुत 4341 करोड़ 52 लाख के इस अनुपूरक का मैं विरोध इसलिए करता हूं कि इसमें जो प्रमुख दस प्रावधान है जिसको मैं देख रहा था, उन प्रावधानों को मुख्य बजट में भी लिया जा सकता है। जानबूझकर पहले की गई कमी और उसकी पूर्ति के लिए ये प्रावधान जोड़े गये हैं जो मूल बजट में ले लेना था। इन 10 प्रावधानों का योग यदि लगायें तो 3663 करोड़ रूपये होता है। ये सभी ऐसे प्रावधान हैं जो मुख्य बजट बनाते समय सरकार को पता था कि ये सारे प्रावधान जिसमें धान का बोनस हो, कर्जमाफी हो, चना वितरण, नमक वितरण बाद में जोड़ा गया, बिजली बिल ये सारे प्रावधान, उतनी राशि का प्रावधान नहीं किया गया और उस समय 4711 करोड़ का घाटे का बजट पेश किया गया। मूल बजट में इतने बड़े 4711 करोड़ रूपये के घाटे का बजट प्रस्तुत हुआ। उसके बाद भी ये आवश्यक प्रावधान छोड़ दिये गये थे। ऐसा जानबूझकर बजट का घाटा कम दिखाने के लिए किया गया था। जो बजट प्रस्तुत हुआ था वह छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़े बजट घाटे वाला बजट था। अभी भी सरकार ने राजस्व में वृद्धि के कोई उपाय नहीं किए हैं।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

इसके बावजूद 4700 करोड़ से ज्यादा के अनुपूरक में आय का इंतजाम कहां से होगा सरकार को पता नहीं? इसके साथ ही इस अनुपूरक का औचित्य ही समाप्त होता है यह समझ से परे है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 जब हमने इस राज्य में बागडोर संभाली थी, उस समय हमें विरासत में 342 करोड़ का राजस्व घाटा और 1933 करोड़ का वित्तीय घाटा मिला था। जो उस समय के जी.एस.डी.पी. का जब सरकार बनी उस समय 6.4 जी.एस.डी.पी. का वित्तीय घाटा था। 15 साल में कड़े वित्तीय अनुशासन, सुदृढ़ वित्तीय प्रशासनिक क्षमता, राज्य का राजस्व बढ़ाने के उपाय, जनता की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग, राज्य ने किया और विकास में छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के लिए जाना जाता है। 15 साल में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। आज आर्थिक स्थिति ऐसी है कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति की चिंता पूरे देश और दुनिया में हो रही है। यह है वित्तीय कुप्रबंधन का मतलब, छः महीने के अंदर सरकार की हालत किस प्रकार की हो गई है? मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि यदि आप इसके प्रावधान देखें और इस प्रावधान के पहले पन्ने के पहले पेज में ही जो प्रावधान रखा गया है वहीं से मेरी आपत्ति शुरू होती है। 4341 करोड़ 52 लाख 31 हजार रूपये का प्रावधान रखा है। आप अनुपूरक बजट के पहले पन्ने को पलटायेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि राजस्व का व्यय, उस लाईन को यदि आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा ।

समय :
2:05 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि राजस्व व्यव 4132 करोड़ 95.5 प्रतिशत राजस्व के मद पर खर्च हो रहा है। यह इस अनुपूरक का कमाल है कि 95 प्रतिशत से ज्यादा कितना राजस्व मद में होगा और पूंजीगत में कितना होगा ?

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, पिछली सरकार में वित्तीय प्रबंधन स्काई वॉक के रूप में देखा गया है। हम तो किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- सभापति महोदय, 159 करोड़ इसका मतलब है कि टोटल अनुपूरक का मुश्किल से 4.5 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय है। स्टेट के इन्फ्रास्टक्चर की क्या हालत होनी है, क्या संकेत और और क्या संदेश जा रहा है। 95 प्रतिशत राजस्व व्यय में खर्च करने के बाद इस सरकार का आने वाला समय में क्या स्थिति बनने वाली है। उसका चित्रण करना भी डरावना होता है। यह 159 करोड़ इतना बड़ा राजस्व और पूंजीगत व्यय 15 साल में पहली बार देखने को मिला है। इसका मतलब है कि इन्फ्रास्टक्चर निर्माण के सारे काम रूक जायेंगे, विकास रूक जायेगा। जो स्टेट 15 साल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

था अब कदम ताल करता हुआ दिखेगा। क्योंकि आपने उस दिशा में इन्फ्रास्टक्चर में ध्यान ही नहीं दिया। पिछले 15 सालों में 32,800 करोड़ रूपये का लोन लिया गया था लेकिन आपकी सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। इस सरकार ने 7 महीने में ही 11,300 करोड़ रूपये का लोन ले लिया। मुख्य बजट में fiscal deficate 10,880 था। इस अनुपूरक के बाद यह 15 हजार करोड़ रूपये हो जायेगा। 2019-20 में प्रस्तावित जी.एस.डी.पी. 3 लाख 36 हजार जो टोटल 2019-20 का जी.एस.डी.पी. है वह 3 लाख 36 हजार करोड़ रूपये है। 3 लाख 36 हजार करोड़ रूपये के जी.एस.डी.पी. में यह हमने जो fiscal deficate की बात की है, यह जी.एस.डी.पी का 4.47 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत जो तीन प्रतिशत की सीमा होती है वह उस तीन प्रतिशत की सीमा से 1.47 प्रतिशत से अतिरिक्त fiscal deficate है। इसका मतलब स्टेट को वित्तीय नुकसान होगा। स्टेट की अर्थव्यवस्था में इसका बोझ पड़ेगा जो डेड़ हजार से ज्यादा अतिरिक्त हमारी Bearing capacity थी यह 3 प्रतिशत की एफ.आर.बी.एम. एक्ट की सीमा को जब लांघते हैं तो यह क्षमता यह अधिकार हम खो देते हैं। वित्तीय प्रबंधन का मतलब यही होता है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन का रिजल्ट स्टेट के ग्रोथ में इकॉनामी में होता है, जब हम इन्फ्रास्टक्चर पर ज्यादा काम करते हैं और जब हम कर्ज की सीमा में कर्ज लेते हैं उन दोनों में काम होता है। एक सरकार की आदेश fourteen finance commission इसका उल्लंघन करते हुए निर्देशों की जो मूलभूत व्यवस्था में पंचायतों को अधिकार है, नगरीय निकायों को अधिकार है, पंचायत को अधिकार है वह अपने विवेक से इस पैसी की राशि का उपयोग कर सकती है। एक बार हमने भी किया। एक बार हमने स्काई योजना के लिए कोशिश की, उस पैसे को लेने का प्रयास किया, बाद में पंचायत के लोगों ने विरोध किया तो हमने उसको वापस कर दिया। आज वही स्थिति बन रही है फिर पंचायत के लोग विरोध कर रहे हैं। fourteen finance commission में नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी इस योजना में डाला जा रहा है। यह निश्चित रूप से पंचायती राज के हजारों, हजार लोगों की आपत्ति और विरोध है, उनकी असहमति है। वह इस योजना से नहीं जुड़ना चाहते हैं। मगर उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप इस योजना में इस फंड को डायवर्ट करने की साजिश हो रही है और उसी प्रकार प्राधिकरण के पैसे को भी इसी योजना में एन.जी.जी.वी (नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी) बोलते हैं इसमें डायवर्ट किया जा रहा है। आप सभी पैसों को डायवर्ट कर देंगे। अभी बहुत अच्छा लगा, गौठान की बात होती है। एक दो मेरे सरपंच तीन महीने पहले आये। हमारे यहां गौठान बन गया है, उद्घाटन के लिए आना है। 15 दिन बाद आये बारिश तो नहीं हो रही थी, एक थोड़ी सी बारिश हुई, हवा चली जो पूरा गौठान में फुस, घास लगाये थे वह रबक गया। रबकने का मतलब बैठ गया। उसका पूरा का पूरा बाउड्रीवाल बह गया जितना पैसा वहां पर लगाये गये थे। ऐसे जितने भी गौठान और गाय की स्थिति बन रही है, वह या तो नाली में बह गया है या ऐसा इन्फ्रास्टक्चर बन रहा है। पंचायत में एसेट्स ऐसे बनना चाहिए जो परमानेंट तरीके के हों। एसेट्स

असंशोधित/अप्रमाणित के लिए नहीं

का निर्माण होना चाहिए। ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने का होना चाहिए। ग्रामीण अधोसंरचना को जब तक शक्ति नहीं देंगे तब तक हम उसमें काम नहीं कर सकते।

समय :

2:10 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अभी जो निर्माण हो रहे हैं, 25-20 लाख रूपये देकर और अलग-अलग योजनाओं को डाईवर्ड करके, मगर वह स्थाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। गाय को पालना है, हम सब चाहते हैं न वहां पर भूसा, पैरा, खाने, पीने की व्यवस्था है। देश अल्टर बनाया जा रहा है तो क्या इस योजना का स्थाई रूप से छत्तीसगढ़ की इकॉनॉमी में बेहतर करने के लिए जो उपाय हो रहे हैं, जो फण्ड को डाइवर्ड कर रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? इस बात की भी चिंता होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के साथ-साथ, सरकार ने बड़े-बड़े वायदे किये। जनघोषणापत्र जारी किया और उसमें जनता के बीच जाकर गंगा जल लेकर कसम खायी और उन्होंने कहा, राहुल जी कहते हैं सभाओं में कहते थे कि हम 10 दिन के अंदर सारे कर्जे माफी कर देंगे। आज कर्ज की क्या स्थिति है? 10 दिन नहीं, 7 महीने निकल गये। आज भी सहकारी और ग्रामीण बैंक के 62-67 प्रतिशत कर्ज ही माफ किये गये हैं इस तरह किसानों का कुल 12 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ करना है तो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और सभी बैंकों के कर्ज माफ करना है तो कुल 12 हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। इसके विरूद्ध मुख्य बजट और अनुपूरक बजट 5 हजार, 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बाकी पैसे की व्यवस्था कब, कैसे करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, वही स्थिति आज धान खरीदने के लिए सरकार ने मार्कफेड को 9 हजार करोड़ रूपये की गारण्टी दी है। धान खरीदने के बाद मिलिंग और पूरा चावल न बेच पाने की वजह से मार्कफेड को 4 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का घाटा हो गया है। अब ये कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। इन्होंने ये जिस प्रकार आर्थिक प्रबंधन किया है जिस प्रकार से नीतियां बनायी है मार्कफेड को 4 हजार करोड़ रूपये का घाटा हो गया है। अगर मार्कफेड बैंक का कर्जा नहीं चुका पाएगा तो सरकार को चुकाना पड़ेगा, ये हमारी जवाबदारी है, गारण्टी है। अब मार्कफेड 6 हजार, 500 करोड़ रूपये से ज्यादा के घाटे में चल रहा है। उसने अनुपूरक में सरकार से पैसे मांगे थे जो नहीं दिये गये। यदि इस साल 80-85 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी होती है तो मार्कफेड को अपनी जमीन को गिरवी रखकर, लोन लेने की स्थिति आ रही है। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम घोषणापत्र पढ़ रहे थे, जब हम जन घोषणापत्र देखते हैं और हम बजट, अनुपूरक देखते हैं तो हमारी कल्पना होती है कि उन योजनाओं को समाहित तो किया जायेगा, जिसके बारे में बड़े-बड़े वायदे किये थे। जिसकी वजह से जनता ने उनको जिताया था, सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बनाने का अवसर दिया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय किसानों को कहा गया था, वायदा किया गया था कि 2 साल का बकाया बोनस देने का वायदा किया गया था, बोनस के लिए न बजट, न अनुपूरक में एक रूपये का प्रावधान नहीं किया गया है । किसानों को क्या जवाब देंगे ? किसानों के पास जाकर दो साल के बोनस के लिए, न इस पर राशि का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य स्थिति बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के शक्कर के कारखाने, 4 कारखानों की स्थिति से शुरू करना चाहूंगा कि भोरमदेव और पण्डरिया के गन्ने कारखाने की 4 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है। कबीरधाम जिले के 22 हजार गन्ना किसान प्रभावित हैं। भोरमदेव शक्कर कारखाने में 12 हजार किसानों के 110 करोड़ रूपये की खरीदी की गई और अभी भी उनकी 46 करोड़ से ज्यादा की राशि बाकी है। उनकी इच्छा, सोच थी कि अनुपूरक में इस राशि का प्रावधान रखा जायेगा, उनके बोनस की राशि का प्रावधान किया जायेगा, चावल, शक्कर कारखाने में शक्कर पड़े हैं। उस शक्कर को बेचिए, उस शक्कर को सरकार ले ले और सरकार उस शक्कर को बेचकर उन किसानों का पेमेण्ट करे। किसान 4-5 महीने से भटक रहा है और हमें अनुपूरक में उम्मीद थी कि जरूर कुछ न कुछ विषय आएगा और उनके लिए प्रावधान रखा जायेगा। मगर अनुपूरक में भी इसके लिए प्रावधान नहीं रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि कुपोषण से मुक्ति की बात कहना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को आदिवासी भाईयों के लिए बधाई दूंगा कि आपने चना, नमक तो जोड़ दिया। मजाक उड़ता है कुपोषण, चना देने का मतलब क्या है ? उसका साईंटिफिक रिजन क्या है ? दूध देते हैं उसके पीछे कारण क्या है ? कुपोषण का दर बस्तर और सरगुजा में सबसे ज्यादा है इसके लिए कार्ययोजना बनायी थी किसी बोर्ड की राजनीति के लिए चना नहीं, वह बंद कर दिया गया, देर आये दुरूस्त आये, ठीक है। चना का मजाक उड़ाया गया, चना को चखना बना दिया और यदि आपने चना को चखना बना दिया तो अण्डे की भुर्जी बनायेंगे ? ये क्या है ? ये जनता के सामने एक मंत्री स्तर का व्यक्ति जब इस प्रकार का बयान देता है तो उन कुपोषित बच्चों के साथ इससे ज्यादा बड़ा मजाक और क्या हो सकता है ? इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। अब हम लोग ऊपर उठ गये हैं, विधानसभा में आ गये हैं। .. (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय डॉक्टर साहब क्या कभी अंडा खाये हैं या नहीं खाये हैं? क्या आप कभी उपयोग किये हैं?

डॉ. रमन सिंह :- अब खाने-पीने की बात तुमसे क्या करें ? आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जानवर के खाने लायक भी चना नहीं था, उससे कुपोषण दूर होगा ?

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- डॉक्टर साहब ने इन्फ्राक्ट्रकचर तो बना दिया, अस्पताल बनाया, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं हैं, स्कूल बनाया वहां शिक्षक नहीं हैं, हम लोग भर्ती करने का काम कर रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इन लोगों को बोलने का अवसर नहीं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चना, नमक के लिए इस गलतफहमी में थे कि सरकार ने ऐसा योजना शुरू की है जिसका कोई महत्व नहीं है। नमक जीवन से, स्वाभिमान से, उनकी जीवन पद्धति से जुड़ा है। नमक के बदले में लघु वनोपज बदल दिया करते थे, उस नमक के बदले में 60-60 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। उस नमक के बदले में उस वनांचल का आदमी पूरा दिन बरबाद करता था। छत्तीसगढ़ सरकार ने नमक देकर कोई ऐसी योजना शुरू नहीं की, बल्कि उनकी इज्जत और स्वाभिमान को बचाने की योजना थी। इसलिए नमक की योजना को यदि छत्तीसगढ़ की कोई भी सरकार छुऐगी तो वही हश्र होगा, 11 में 9 विकेट गिर गये। चना की योजना को बंद करने का क्या असर हुआ ? बस्तर और सरगुजा की जनता ने, मैदानी इलाके की जनता ने दिखाया है। हम सोच-समझकर योजनायें बनाते हैं। सारी योजनाओं को बदल देंगे, घर का बल्ब बदल देंगे। योजनाओं को अध्ययन करिये, अध्ययन करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसको देखिये, उसके बाद उन योजनाओं के बारे में बात करिये। अनुपूरक में मुझे लगता था कि बड़ी-बड़ी घोषणाओं, बातों के साथ, बड़े-बड़े विश्वास के साथ इसको हमने शुरू किया, अनुपूरक आया तो उम्मीद हुई, छत्तीसगढ़ के लाखों नवयुवक देख रहे थे कि बजट के इस प्रावधान में क्या 10 लाख नवयुवकों के लिए 2500 रुपये के बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान होगा ? 10 नवयुवकों के लिए भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह अनुपूरक बजट है। नये लोगों को रोजगार देने की बात तो छोड़िये, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो छोड़िये, जो रोजगार के लिए तरस रहे थे, टकटकी लगाये सरकार की ओर देख रहे थे, आज उन युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के शिवाय 61 हजार बच्चे जो पुलिस की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिये हैं, अंतिम परिणाम घोषित होना बाकी है, गृह विभाग रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। इस सरकार में आते ही बेरोजगारों को दोहरी मार पड़ी। 61 हजार बच्चे रोजगार के लिए घूम रहे हैं, उनके लिए सरकार में कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस प्रकार जो लेटतलीफ हो रही है, सरकार की मंशा पर युवकों को शंका होती है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, वह कह रहे हैं कि पूर्व में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच की जाये, ऐसी भर्ती प्रक्रिया को रोका जाये, ऐसा बच्चों की तरफ से ज्ञापन आ रहा है। ऐसा पिछले 15 सालों में हुआ है।

डॉ. रमन सिंह :- क्या जवाब के लिए तीन-चार लोगों को अधिकृत कर दिया गया है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो युवाओं से जुडा हुआ विषय रहेगा, उसमें बोलेंगे।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक में लोगों को विश्वास था कि बजट का प्रावधान होगा। शराबबंदी के लिए बड़ी-बड़ी बातें हुई थीं। गांव-गांव में महिलाओं के बीच गीता और गंगा जल लेकर सौगंध खाई गई थी। इतनी बड़ी-बड़ी कसम खाने के बाद लोगों को लगता है कि 1, 2 महीने निकल गये, 6 महीने निकल गये, 7 महीने निकल गये, अब तो कुछ होगा। उनको लगता था कि इस बजट में प्रावधान होगा। मगर प्रावधान 55 लाख का रखा गया है। ये समझाने के लिए कि शराबबंदी क्यों नहीं की जा रही है ? बजट में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है। शराब के रेट में, दुकानों में, समय में वृद्धि हो रही है, कोई चीज कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद इसको पूरा ओपन कर दिया जायेगा। हर दुकान में उपलब्ध रहेगा। ये सरकार की नीति और सोच है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में अंतिम तीन महीने में लगभग 12 हजार करोड़ कर्ज लेने के बावजूद 10 हजार करोड़ के निर्माण कार्य के बिल भुगतान लंबित हैं। प्रदेश के सारे विकास ठप्प हैं। प्रदेश में तेजी से जो विकास हो रहा था, वह रूक गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार सड़क, पुल, बिजली का, नगरीय निकाय के जितने काम हैं, सबको केन्सिल किया गया है। पंचायत के जितने काम हैं कैंसिल किया गया, पैसे वापस बुलाये गए । फिर से उसको सेंक्शन करने की प्रक्रिया हो रही है । काम की गुणवत्ता का एक उदाहरण जिसको आप भी महसूस करते होंगे, मुख्यमंत्री जी भी महसूस करते होंगे और मैं भी महसूस करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शंकर नगर का ओव्हरब्रिज । रोज आते हैं, रोज जाते हैं, हमने इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाये, हमने इतने बड़े ओव्हरब्रिज बनाये, ओव्हरब्रिज तो बन गया था लेकिन उसमें डामर और बाकी काम बाकी थे, इन्होंने किया । उस सड़क में एक-बार चलकर आईए और जाईए, ऐसा लगेगा कि 50 साल पुराना ओव्हरब्रिज है इतने झटके लगते हैं, नया-नया बना है, अभी एक महीना नहीं हुआ है उसकी गुणवत्ता सरकार के काम को बताती है कि किस प्रकार यह काम और किस प्रकार की गुणवत्ता विभाग के माध्यम से हो रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको जाकर देखेंगे तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में विस्तार हुआ । मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- हम लोग तो केवल उद्घाटन किये साहब, यह सारे काम तो आप लोगों ने किये । आपके समय का वह मेन रोड वाला ऊपर-ऊपर बन रहा था वह भी है उसका क्या होगा ?

डॉ. रमन सिंह :- वह भी बता रहा हूं ।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

श्री देवेंद्र यादव :- वह आपके ही समय का पूरा काम है, हमारे समय का नहीं है । आप अपनी ही बात बता रहे हैं । (हंसी)

डॉ. रमन सिंह :- फिर तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं । (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिये एक बड़ी कार्ययोजना बनी । मेडिकल कॉलेज को 2-3 से बढ़ाते-बढ़ाते 10 मेडिकल कॉलेजों की स्थिति में आयी, बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया, बच्चे बेहतर स्थिति में आ गए । मैं आज बजट में देख रहा था, अनुपूरक में देख रहा था, बजट के प्रावधान देख रहा था कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिये हम क्या कर रहे हैं ? मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव 69 करोड़ की डिमांड । 20-25 करोड़ का बिल पेंडिंग, 06 महीने से कार्य बंद, ऑपरेशन थियेटर के काम, सारे हॉस्टल के काम, मेडिकल कॉलेज के काम ये सारे काम पिछले 06 महीने से बंद हैं, डेढ़ साल में 62 परसेंट काम हुआ, इस 07 महीने में 5 परसेंट काम नहीं हुआ और उसमें एक डिपार्टमेंट यदि 69 करोड़ का डिमांड भेजता है, 69 करोड़ से उस मेडिकल कॉलेज की स्थिति सुधर जाएगी ? मेडिकल कॉलेज में हम डिस्ट्रिक हॉस्पिटल को शिफ्ट कर देंगे, इसकी तैयारी कर लिये थे लेकिन मुझे लगता है जब मैंने उसके बजट का प्रावधान देखा तो मुझे हंसी आयी छत्तीसगढ़ के उस प्रमुख मेडिकल कॉलेज के लिये 100 रूपये का टोकन प्रावधान रखा गया । 100 रूपये का टोकन प्रावधान, पता नहीं यह सरकार राजनांदगांव के साथ, उस मेडिकल कॉलेज के साथ क्या मजाक करना चाहती है ? काम हो रहा है, ओटी बनकर तैयार हो गये, सारी चीजें कम्प्लीट हो रही हैं अब उसको कम्प्लीट करने की अंतिम स्थिति आ रही है । वही हाल रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज की है इम्प्लीट काम, जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज, सरगुजा को पैसा दे देना, सरगुजा में काम कर देना, सरगुजा को बेहतर करें उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है । जन चिकित्सा के लिये 100 रूपये का टोकन प्रावधान । इतना रिक्वॉयरमेंट यदि हम उनके डिमांड को देखें तो डिमांड के आधार पर इस सप्लीमेंट्री में प्रावधान को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार को कोई गंभीरता नहीं है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीट करने के लिये यदि एक-बार वह कम्प्लीट नहीं हुआ तो जर्जर हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा ये सारे काम अधूरे रह जाएंगे । स्टेडियम का काम अधूरा है, यदि स्टेडियम का काम पूरा नहीं होगा तो यह अधूरे रह जाएंगे, ये जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर बने हैं उसको समयबद्ध अवसर देकर उसको पूरा करने की जरूरत है और यदि यह नहीं किया गया तो 200 रूपये के अनुपूरक के प्रावधान पर यह स्वास्थ्य विभाग बेहतर नहीं हो सकता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक योजना । जिस योजना की बड़ी आलोचना हुई। जिस योजना के बारे में बड़ी-बड़ी बातें हुई स्काई योजना । स्काई योजना में कहा गया कि हमने जनता के साथ छल किया है । आज स्काई योजना को वापस सरकार ने मंजूर किया । मैं इसके लिये बधाई दूंगा कि अच्छा किया । स्काई योजना जनता के लिये यह योजना थी । स्काई योजना में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

थी । मोबाईल वितरण के साथ-साथ टॉवर खड़े करना, टॉवर तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक वहां मोबाईल नहीं होगा, मोबाईल वहां पर तब तक काम नहीं करेगा जब तक टॉवर नहीं होगा । अंडा और मुर्गी के जैसे है इसलिये इस स्काई योजना में दोनों प्रावधान, इस योजना के प्रावधान रखे गये थे और इस योजना के प्रावधान में 1485 टॉवर लगाने के और 45 लाख मोबाईल वितरण का और बस्तर के लिये हमने डबल कनेक्टीविटी दी थी । बस्तर नेट के माध्यम से सातों जिलों को कनेक्टिविटी दिया था और छत्तीसगढ़ के एक-एक गांव तक, एक-एक पंचायत तक भविष्य में इंटरनेट कनेक्टीविटी कैसे मिल सकती है, टेलीफोन कनेक्टीविटी कैसे मिल सकती है ? उस क्षेत्र में डिजीटल डिवाईस का जो सबसे बड़ा कारण था कि आज देश में यदि 72 प्रतिशत लोगों के पास मोबाईल है तो ग्रामीण ईलाकों में 29 प्रतिशत, दंतेवाड़ा-सुकमा में 6 प्रतिशत लोगों के पास मोबाईल है । इसको समाप्त करने के लिए ही स्काय योजना लागू की गई थी । 900 टावर लगाए जा चुके हैं और इसको और 832 किलोमीटर आप्टीकल फाइवर लगाकर, यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किया गया है । अध्यक्ष महोदय, हमने चार योजनाएं बनाई थी । हमने विजन के साथ काम किया था । रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और मोबाइल में कनेक्टिविटी देने का काम हमने किया था । ये चार कनेक्टिविटी इस राज्य की शक्ति और ताकत आने वाले 20 साल के लिए बढ़ाने वाली है । कनेक्टिविटी का कितना बड़ा महत्व है यह मुझे उस दिन समझ में आया था जब मैं नारायणपुर के सुदूर अंचल के गांव में जनसम्पर्क अभियान में गया था । नारायणपुर के बीचोबीच उस नक्सल बस्ती में उतरा, मैंने लोगों से सड़क की, बिजली की, पानी की बात की । जब 300 लोग इकट्ठे हो गए तो मैंने जाते-जाते पूछा कि आप लोगों की एक मांग बताओ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे मुझे पूरा करना है । उन्होंने कहा कि साहब, टावर लगा दो, मोबाइल से बात करना है । उस बस्तर का, नारायणपुर का, अबूझमाड़िया की भी प्राथमिकता क्या थी ? मुझे उस दिन समझ में आया कि ये नया छत्तीसगढ़ सोचता क्या है, ये बस्तर सोचता क्या है ? उनके लिए कनेक्टिविटी का महत्व कितना बड़ा है ? रायपुर में बैठकर हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते । कनेक्टिविटी की बात हुई, इसलिए स्काय योजना का जन्म हुआ । इससे जीएसडीपी का ग्रोथ होगा । इससे एक्टिविटी बढ़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय, हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया । पुलिस हाउसिंग के 10 हजार मकान बनाने के लिए हमने 800 करोड़ के लोन की व्यवस्था की । अध्यक्ष महोदय, 480 करोड़ का लोन लिया गया था । पुलिस हाउसिंग के 6 हजार मकान बन गए हैं । यदि इन पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, पुलिस के कर्मियों के लिए, जीएडी के मकान के लिए 800 करोड़ की योजना थी । जब वह पूरी होगी तो छत्तीसगढ़ एक बेहतर छत्तीसगढ़ के रूप में दिखेगा । छत्तीसगढ़ का एक बेहतर विषय जनता के सामने आएगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वित्तीय कुप्रबंधन, अपरिपक्वता और मैनेजमेंट की कमी की वजह से छत्तीसगढ़ आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा है । हिंदुस्तान के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली घटना होगी कि कोषालय के सर्वर को एक महीने तक डाउन रखा गया । 10 हजार बिलों को वापस या अस्वीकृत किया गया । परिणामस्वरूप लोगों को भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा । आज भी उनको भुगतान नहीं मिल रहा है । सातवें वेतन आयोग का एरियर्स, केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत डी.ए. कर्मचारियों को अप्राप्त है । इसके साथ ही साथ आयुष्मान योजना, स्मार्ट कार्ड योजना का तो कोई अता-पता नहीं है । इतनी बड़ी योजना जिसमें 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था है । 50 हजार के स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था, खामियां हो सकती हैं, खामियों को कम किया जा सकता है लेकिन छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करके ऐसी योजना को बंद करने की साजिश नहीं करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना चलाई थी, तीर्थाटन योजना । उस योजना का नाम बदल दिया गया । अब उस योजना को तीरथ-बरत योजना कर दिया गया । नाम बदलना अच्छी बात है, नाम तो कुछ भी रख लिया गया लेकिन लोगों को लाभ तो मिलना चाहिए । लोगों को तीरथ-बरत में स्टेशन पर बुला लिया और वे बेचारे बुजुर्ग आए तो उनका पता चला कि पैसा कौड़ी नइ हे, गांव लहुट जाओ, वे गांव लौट गए । यह तो बता दें कि तीरथ-बरत करना है तो कब से करना है ? कब ले योजना बनही, कब ले पइसा आही, एकर लिए 50 लाख के प्रावधान हे, ठीक हे प्रावधान रख दे गए है तो प्रावधन का उपयोग होना चाहिए । सबसे मजेदार बात यह है कि केन्द्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का 1500 रूपया बढ़ा दिया गया। बढ़ाया केन्द्र सरकार ने, मोदी जी ने और फोटो छप रहा है इनके मंत्री जी का । बधाई देते है मुख्यमंत्री जी को 1500 रूपया आंगनबाड़ी वालों मानदेय केन्द्र सरकार ने दिया है, आप अपने बजट से दो भाई । कुछ तो लगाओ, फोटो छपाने से ही थोड़े ही काम होगा ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र ने छत्तीसगढ़ का 34 प्रतिशत मिट्टी तेल कटौती कर दिया । छात्रावासों में चावल देना बंद कर दिया गया, उसके बारे में भी डॉ. साहब बताएंगे तो खुशी होगी ।

श्री सौरभ सिंह :- यादव जी, छत्तीसगढ़ में जनता ने लोक सभा में क्या रिजल्ट दिया है, यह आपने देखा है ना ?

श्री देवेन्द्र यादव :- जी, जी । विधान सभा का भी याद रखिए । अब उस 34 प्रतिशत कटौती पर बात करने की जिम्मेदारी आपकी है । आपकी जिम्मेदारी है जो छात्रावासों का चावल छीना गया, उस पर बात करने की ।

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

श्री रमन सिंह :- इनको रिजल्ट की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि इनके प्रभारी गुरू जी आये थे और पेपर में नंबर जांच रहे थे मंत्रियों के। सबका क्लास लिये। क्लास लिये तो सबने पूछा सब मंत्रियों को क्लास लिये हो तो क्या हुआ? गुरूजी बोले 11 में 10 में 10 नंबर दिया हूं। मैंने कहा कि 10 में 10 नंबर सब मंत्री को दे दिये तो 11 में 9 कैसे हो गया भाई? 9 कैसे हार गये? यह तो रिजल्ट है। ऐसे पेपर जंचेगा तो वही हाल होगा जो लोक सभा में हुआ था और आने वाले समय में अन्य चुनाव में भी होगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कॉपी जांचने की जवाबदारी डॉ. साहब को ही था और नंबर देने का।

श्री देवेन्द्र यादव :- इनके समय में तो इनके मंत्री के परिवार के लोगों की जगह पर दूसरे लोग जाकर-बैठकर पेपर देते थे। वह स्थिति सब जानते हैं। इनके समय में डी.के.एस. का पट्टा एक को दे दिया गया। एक को आयुष यूनिवर्सिटी का पट्टा दे दिया गया था। कोई नान चला रहा था। इनके समय यह कुनबावाद चल रहा था।

श्री रमन सिंह :- अध्यक्ष जी, बाकियों को भी बोलने का मौका मिलेगा। पहले तो अपनी भावना को रखने का प्रयास किया कि किस प्रकार यह छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है? यह अवसर और समय है बचाने का । स्टेट को एक बेहतर दिशा में ले जाने का, अच्छा वित्तीय प्रबंधन करने का और हम चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बाकी क्षेत्रों में एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक जिन योजनाओं को हमने लागू किया, उन योजनाओं को आगे बढ़ाएं। इसमें किसी राजनीतिक दल या पार्टी की बात नहीं है। जो योजना जनता से जुड़ी है, उसको लागू करे। निश्चित रूप से जनता धन्यवाद देगी और मैं इस अनुपूरक का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। मरकाम जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैया, अब आप ओपनिंग बेट्समैन भी नहीं रहे।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी कुछ भी समर्थन या विरोध में बोलें पर उन्होंने यह कह दिया है कि जनता में रोष और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने हाउस में लिखकर दिया है। अब इसके बाद वे कुछ भी कहें, वह सही नहीं माना जाएगा। आज तो कम से कम नहीं माना जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी। एक मिनट मरकाम जी। सत्तू भैया कोच हैं। इधर खैर बहुत सीनियर हैं, इनके बारे में नहीं बोलूंगा। उनके किनारे धनेन्द्र साहू हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको तो ओपनिंग के लायक भी नहीं माना गया। रिजेक्ट।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हमारे नौजवान साथी लोग बोल रहे हैं। उनको हम लोग मौका दे रहे हैं। पहली बार आये हैं। अच्छा बोल रहे हैं। उनको encourage कर रहे हैं। यह बात आपके समझ में नहीं आयेगी। दो आदमी मिलकर पूरे सदन को चला रहे हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपकी रवि शास्त्री से तुलना की है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है धर्मजीत भैया, वे नये को मौका नहीं दे रहे हैं। वे टेस्टेट एण्ड रिजेक्टेड की श्रेणी में आकर इधर से उधर चले गये।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिस तरह से पहले आप आ गये थे।

श्री मोहन मरकाम :- छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी लोकप्रिय किसान पुत्र मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 55, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80 के कुल चार हजार तीन सौ इकतालीस करोड़, बावन लाख, इकतीस हजार, पांच सौ दस रूपये अनुपूरक राशि इस बजट से मांग की गई है। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

समय :
2:34 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री मोहन मरकाम :- आज छत्तीसगढ़ का मूल बजट लगभग 95 हजार करोड़ था। आज अनुपूरक के साथ एक लाख दो हजार इकचालीस करोड़ कुल बजट हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिकल्पना की थी छत्तीसगढ़ की जनता का एक-एक पाई का खर्च छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए जो काम करने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, उसी के अनुसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 18 साल हुए। 18 साल के बाद बनने के बाद नयी सोच, नयी ऊर्जा आती है। माननीय सभापति जी, हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा श्रद्धेय चंदूलाल चन्द्राकर जी, श्रद्धेय डॉ. खूबचंद बघेल जी, श्रद्धेय बेरिस्टर छेदीलाल जी कई महान छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टाओं ने छत्तीसगढ़ राज्य देखा था। छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्य बनेगा। मगर हमने पिछले 15 सालों में देखा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री के रूप में हमेशा वित्तीय प्रबंधन की बात करते थे। मगर हमने पिछले 15 सालों में देखा है कि लगातार वित्तीय कुप्रबंधन के कारण छत्तीसगढ़ पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। जब तक तत्कालीन सरकार थी, तब तक छत्तीसगढ़ पर 45 हजार करोड़ रूपये का कर्ज बोझ हो गया था। माननीय सभापति जी, जब हम 2003 तक सरकार में थे, तब लगभग 6 सौ करोड़ रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने में छोड़कर गये थे। मगर इन 15 सालों में 45 हजार करोड़ रूपये का कर्ज हो गया है। आज छत्तीसगढ़ में कोई बच्चा जन्म लेता है तो 18 हजार रूपये का उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। तो तत्कालीन सरकार के वित्त मंत्री के रूप में काम किया था, वित्तीय प्रबंधन का बहुत बुरा हाल था।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे छत्तीसगढ़ में 76 प्रतिशत आबादी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। उनको लेकर, उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास कैसे हो, उसके लिए लगातार बजट में प्रावधान कर रहे हैं और उसके लिए योजना बना रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नई परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ को समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने की ओर ले जाना चाह रहे हैं। मैं कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि एक किसान का बेटा, ग्रामीण परिवेश को समझने वाला एक मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो एक नई सोच के साथ 95 हजार करोड़ रूपये बजट में से 38 हजार करोड़ रूपये सिर्फ और सिर्फ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- संतराम जी, संतराम जी।

श्री मोहन मरकाम :- मोहन मरकाम भाई, संतराम नेताम नहीं हूँ, संतराम जी इधर बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सॉरी-सॉरी।

श्री मोहन मरकाम :- थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने पहले ही बताया कि दवाई खाना भूल गए हैं, दवाई खाकर आ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मरकाम जी, अभी सरकार के विरोध में थे और पांच मिनट में आप सरकार के गोद में बैठ गये। यही तो बात है। एक लाईन में रहा करो। इसीलिए आपको मंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए माननीय अमरजीत भगत जी मंत्री बन गये।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले मुख्यमंत्री जी नहीं थे, अब मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- अगर सरकार में कोई कमी रहती है तो सत्ता पक्ष के सदस्यों, विधायकों की भी जिम्मेदारी है कि सरकार के संज्ञान में लाये। छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता की बातों को रखना हमारी भी ड्यूटी है। अगर हमारे संज्ञान में कोई बात आती है तो हम सरकार के संज्ञान में बात जरूर लाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ..।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, बस हो गया, उनको बोलने दीजिये।

श्री मोहन मरकाम :- हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। आज गांव को समृद्ध और सुखी बनाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने "नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी " की बात रखी है। माननीय सभापति जी, आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ और नीति आयोग भी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जो परिकल्पना है, जो काम कर रही है, अगर उसको संयुक्त राष्ट्र संघ और नीति आयोग भी तारीफ कर रही है तो कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। आज छत्तीसगढ़ सरकार जो योजनाएं बना रही हैं, जो पैसा आम जनता के विकास के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काम आ रही है, वह कहीं न कहीं स्वागत योग्य है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका बेहतर लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय की तरह योजनाएं नहीं बनी है- "लंदन से न खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से" लगभग 500 करोड़ रूपये पानी की तरह बहाया गया था। तो माननीय रमन सिंह की बाड़ी में, माननीय चन्द्राकर जी की बाड़ी में डीजल मिल रहा है क्या ? मैं साथियों को पूछना चाहता हूँ ? लगभग 500 करोड़ रूपया खर्च करने के बाद एक लीटर डीजल का उत्पादन नहीं कर पाये। मगर हमारी सरकार ने जो "नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी" योजना चला रही है, वह कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण भी रूकेगा। आज पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ है, अगर आने वाले समय में विश्वयुद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। आज आप रायपुर जैसे जगह में जाईये 6-7 सौ फीट में भी बोरिंग करते हैं तो पानी नहीं निकलता । हमारी सरकार ने सतही जल को बचाने का निर्णय लिया है, नदी-नालों को बांधकर सतही जल को, नालों को रिचार्ज करने का निर्णय लिया है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं । कई गौशालाओं में आपकी सरकारों के समय 3-4 सौ गायें मरती थीं, हिन्दू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, मगर भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना अंतर है । इनके कार्यकर्ता गाय का खाल बेचकर व्यवसाय करते थे । गाय का चारा भी इन लोगों ने खा लिया था । ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है । चाल और चरित्र है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, चारे की बात कर रहे हो । चारा खाने वालों के साथ गठबंधन तो बिहार में आप लोगों ने किया था ।

श्री मोहन मरकाम :- आप लोगों ने चारा भी खा लिया था इसलिए लगभग 3-4 सौ गौ माता की मृत्यु हो गई थी, इस बात को आप क्यों भूल रहे हैं ? छत्तीसगढ़ की जो चार चिह्नारी है, छत्तीसगढ़ की पहचान है, जो हमारे प्राचीन वेद ग्रंथों में भी इसका वर्णन है और आज हमारी सरकार, सनातन परम्पराएं, सनातन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, उसको फिर से पुन:र्जीवित करने का प्रयास किया है । जैविक खेती, जैविक खाद, उर्वरा भूमि, बारहमासी नाले, उत्पादन पशु-पालन, जल संरक्षण, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की विक्रेन्द्रीयकरण पर जोर दिया है । आज सरकार का पूरा बजट उसी पर काम कर रही है । आपके जैसे स्काई वाक जो जनता के उपयोग की चीज नहीं है, लगभग 80-90 करोड़ रूपये

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

का दुरूपयोग न हो, इसलिए सरकार ने फिर से उसको बनाने का निर्णय लिया है । जनता के पैसे का आप लोग कैसे बंदरबांट करते हैं, आप स्वीमिंग पुल बनाते हैं, आप अन्य चीजों में खर्च करते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो डी.एम.एफ. का पैसा जिन खदान उत्पादन क्षेत्रों में खर्च होता है, उन्हीं क्षेत्रों के, उनके रहवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र का कैसे विकास हो, उसके लिए भी खर्च करने का निर्णय लिया है, वह कहीं न कहीं स्वागतयोग्य है ।

माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने मांग संख्या-2 में माननीय सांसदों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 60 लाख का प्रावधान किया है, इसमें माननीय सांसदों को लाभ मिलेगा । उसके साथ-साथ पुलिस अकादमी, चन्द्रखुरी में ई-लर्निंग के लिए 1 करोड़, 20 लाख का प्रावधान किया गया है, ताकि हमारे पुलिस के जवान जो आज छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या की जो स्थिति बन रही है या अन्य समस्याओं के लिए प्रावधान किया गया है । उसके साथ-साथ राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के अंदरूनी क्षेत्रों में सी.आर.पी.एफ. के 7 नवीन बटालियन खोलने के लिए 44 करोड़ रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया है, जो आपने 15 सालों में नक्सली समस्या को दूर नहीं कर पाये, मगर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि नक्सली समस्या यहां से खतम हो, इसलिए नक्सली समस्या को खतम करने के लिए सरकार ने जो आधुनिक सुविधाएं चाहे सी.आर.पी.एफ. के लिए हो या राज्य की पुलिस के लिए हो, उसके लिए प्रावधान किया गया है । अग्निशमन एवं एस.डी.आर.एफ. के जवानों के प्रशिक्षण के लिए भी 1 करोड़, 39 लाख का प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति जी, राज्य में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत देयकों को राहत के लिए 49 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । चन्द्राकर साहब, आप सुन लीजिए । जो बिजली बिल हाफ करने की हमारी सरकार की घोषणा थी, उनको रियायत देने के लिए भी हमारी सरकार ने प्रावधान किया है । हमारी सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है । भारतीय जनता पार्टी की तरह करनी और कथनी में अंतर नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, बिजली बिल हाफ नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में बिजली हाफ हो गई । पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती की ये स्थिति है।

श्री मोहन मरकाम :- आप लोगों के सरकार के कुकर्मों का फल है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- वह तो आप लोगों ने घटिया ट्रांसफारमर लगाये थे, इसलिए बिजली में प्राब्लम आ रही है ।

श्री मोहन मरकाम :- जो वायर खींचे थे, वह भी घटिया था । इसी कारण पन्द्रह सालों तक कमीशन का खेल आपकी सरकार ने चलाया था, आज छत्तीसगढ़ की जनता ....।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक माननीय सदस्य:- माननीय डॉ. साहब ने कहा था, कमीशन मत खाओ, सरकार फिर आयेगी ।

श्री मोहन मरकाम :- तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक साल कमीशन खाना छोड़ दो, 30 साल तक राज करोगे । शेम-शेम छत्तीसगढ़ की जनता ने इनका चाल चरित्र को पहचान लिया, पन्द्रह साल राज करने के बाद 15 सीटों पर लाकर सिमट दिया ।

एक माननीय सदस्य :- यह नहीं समझे, जनता समझ गई थी ।

श्री मोहन मरकाम :- जनता समझ गई थी कि यह कमीशनखोर है, अब इनको मौका नहीं देना चाहिये ।

श्री कवासी लखमा :- यह ले-देकर बच गया, ज्यादा उचक रहा है। हमारी गलती के कारण है, यह भी जाने वाला था । वह तो सेटिंग में बच गया, नहीं तो वह खत्म हो गया था ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, आज सरकार लगातार काम कर रही है, खरीफ वर्ष 2019 धान उत्पादन प्रोत्साहन के लिए भी 471 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया था । आप कहते थे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, किसानों को नहीं मिल रहा है, आज हमारी सरकार लगातार कर रही है । आपकी सरकार साहब 1750 रूपये समर्थन मूल्य था । आपकी सरकार ने 65 रूपये बढ़ा दिये । हमारी सरकार तो सीधा 1750 से 2500 रूपया धान का समर्थन मूल्य किया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । छत्तीसगढ़ के किसानों की हितैषी सरकार, छत्तीसगढ़ के किसानों का दु:ख-दर्द समझने वाली सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 85 लाख मीट्रिक टन धान 20 हजार करोड़ रूपये किसानों के धान समर्थन मूल्य में खरीदा । अगर ग्यारह हजार करोड़ रूपये कर्ज माफ करने वाली कोई सरकार है तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है । माननीय सभापति जी, सरकार जो कहती है, वह करती है । इन सात-आठ महीनों की सरकार में जो-जो वादा किया था, वह-वह वादा पूरा किये हैं । संचालनालय उद्यानिकी के भुगतान के लिए भी 15 लाख का इसमें प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति जी, मांग संख्या 17 इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण बिलासपुर चिकित्सा आपूर्ति के लिए भी दो करोड़ का, मद क्रमांक-2 कृषकों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ के लिए 76800 करोड़ का अतिरिक्त इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय महोदय जी, यह सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी नहीं है । मुख्यमंत्री जी चले गये हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- आप बता दीजिएगा, आपका कर्जा कितना माफ हुआ । साहू मैम, आपका कितना कर्जा माफ हुआ, बता तो दीजिए। कहीं न कहीं हमारी सरकार बैठे हुये हमारे सम्मानित सदस्य हैं..।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह :- दो-तीन साल में आपको बोनस कितना मिला था ?

श्री मोहन मरकाम :- हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है । मांग संख्या 20 जिला बालोद के दल्ली राजहरा जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने हेतु 356 लाख का प्रावधान इस बजट में किया गया है । मांग संख्या-21 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 431 लाख का इस बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कही है, जो कहा है, पूरा किया है । माननीय अध्यक्ष जी, आकस्मिकता निधि भृत्य एवं अंशकालीन स्वीपर की मजदूरी भुगतान के लिए भी 857 लाख का इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। हमारे पंचम विधान सभा के सम्माननीय सदस्य हैं, जिनको अभी लेपटाप नहीं मिला है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे वित्त मंत्री की चिंता है, जो हमारे सम्माननीय नये सदस्य हैं, उनको लेपटाप देने के लिए भी 55 लाख का इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है । मैं हमारे वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । हमारे साथियों के भावनाओं का ख्याल करके प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति जी, कहीं न कहीं लगातार सरकार कर रही है और हमारी सरकार की घोषणा के अनुसार नवीन राशन कार्ड बनाने के लिए इस अनुपूरक बजट में 4 करोड़ 96 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। हम चाहेंगे कि नया राशन कार्ड सम्माननीय सदस्य आदरणीय चन्द्राकर जी, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी का भी बने। हमारी सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है, आप चाहेंगे तो उनके घर तक पहुंचाकर हम राशन कार्ड देंगे और जो इन्कम टैक्स पेयी है उनको भी हम राशन कार्ड देंगे। आज पी.डी.एस. डीलर मार्जिन मद क्रमांक-2, मांग संख्या-39 इसके लिए भी 5000 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने जनता को इतना भ्रमित किया कि नमक बंद हो गया, चना बंद हो गया अब चावल भी बंद होगा, मगर हमारी सरकार ने उसके लिए भी प्रावधान किया है। चना के लिए भी प्रावधान किया है, नमक के लिए भी प्रावधान किया है और आने वाले दिनों में हमारी सरकार दो किलो गुड़ भी देगी, यह ऐतिहासिक निर्णय माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। रियायती दर पर आयोडीन नमक वितरण के लिए 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मांग संख्या 41 में आकस्मिकता निधि भृत्य के लिए भी अलग प्रावधान है। उसके साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों में सहायक अनुदान के लिए 427 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी छात्र भोजन सहायता के लिए भी 700 रूपये प्रति माह के लिए 366 लाख का अतिरिक्त प्रावधान इसमें किया गया है। हमारी सरकार इस छत्तीसगढ़ के चाहे स्टूडेंट हों, किसान हों, मजदूर हों सभी के लिए लगातार कार्य कर रही है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशियालिटी चिकित्सालय के लिए भी 2100 लाख का प्रावधान किया गया है।

असंशोधित/मुद्रण के लिए नहीं

सभापति महोदय :- मरकाम जी समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- चिट के पीछे तरफ जो कोरा है उसको भी अभी ये पढ़ेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, 05 मिनट में समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के संचालन के लिए भी अतिरिक्त व्यय 12247 लाख का भी इसमें प्रावधान किया गया है। मध्य क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण के लिए भी इसमें 200 लाख का प्रावधान किया गया है। आज कहीं न कहीं रियायती दर पर नमक के साथ-साथ चना वितरण करने के लिए भी इस बजट में चना प्रदाय करने के लिए 17 हजार लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा फैलाई थी, यह उसका जवाब है। ये जो कहते हैं वह करते कुछ नहीं मगर हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है। राज्य में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत देयकों में राहत हेतु 4448 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री के रूप में जो भाषण दे रहे थे कि जिस-जिस जगह के लिए भी जो-जो प्रावधान था हमारी सरकार ने उन सबके लिए प्रावधान किया था। हमारी सरकार ने बेरोजगारी की बात की थी, मेडिकल कालेज की बात की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2003 का उनका घोषणा पत्र और संकल्प पत्र याद दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक 12वीं पास पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपकी 15 साल की सरकार ने कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया और कितने लोगों को नौकरी दी? आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हमारी 9 महीने की सरकार है, इस 9 महीने में हमारी सरकार में महालेखाकार की रिपोर्ट आई है पहली बार महालेखाकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार की पीठ थपथपायी है कि छत्तीसगढ़ सरकार का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, आपकी सरकार ने हमारे बस्तर के बहुत सारे लोगों को आंध्रपदेश, कर्नाटक में पलायन क्यों किये ? आज बेरोजगारी भत्ते, आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया। बेरोजगारी का बढ़ावा आपकी सरकार ने किया है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, आज तत्कालीन मुख्यमंत्री वित्तमंत्री के रूप में एफ.आर.बी.एम का हमेशा बात करते थे।

सभापति महोदय :- मरकाम जी समाप्त करिये।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, मैंने वित्तमंत्री के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री को एफ.आर.बी.एम. में 12 सालों से देखा। जब भी उनका बजट भाषण होता था, एफ.आर.बी.एम. एक्ट की बात करते थे। आज हम देखते हैं अगर पिछली सरकार का वित्तीय प्रबंधन की बात होती है या fiscal responsibility and budget management की बात होती है। पिछली सरकार का बजट मैंनेजमेंट ऐसे क्षेत्रों में खर्च होता था जो जनता से उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। मगर हमारी सरकार ने बहुजन हिताय

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बहुजन सुखाय का निर्णय लिया है। जनता की गाढ़ी कमाई का एक-एक पाई-पाई का पैसा जनता के विकास में, जनता के निर्माण में खर्च करने का अगर निर्णय लिया है वह अगर हिम्मत है तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने लिया है। कहीं न कहीं जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जनता के हित में लगातार काम कर रही है और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तविक भारत गांव में बसता है। यदि गांव नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ की 76 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि आधारित है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय वित्तमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता की एक-एक पाई का पैसा जनता के विकास, छत्तीसगढ़ के विकास, समृद्धि में खर्च करेगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। माननीय अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे खेद है कि यह कोरा साईड में भी कुछ लिखा है अगर इसको भी प्रसंशा में बोलते तो अच्छा रहता।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, साहब थोड़ा सही-सही बताना। उल्टा पुल्टा मत बताना।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे घाटे और फायदे में बात हो रही थी।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, ये बोले की हाथ पैरा ज्यादा मत हिलाना। मेरा निवेदन है कि इनको सिंगल सीट दी जाये। क्योंकि नारायण चंदेल जी डर के मारे इनके बाजू में नहीं आते हैं। इतना हाथ पैर हिलाते हैं कि नारायण चंदेल जी इनके बाजू में आते नहीं, बैठते नहीं हैं, छुट्टी मार देते हैं।

श्री संतराम नेताम :- सभापति जी, पिछले साल डॉ. रमन सिंह को......।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यह व्यवस्था अलग से सम्माननीय सदस्य के लिए बनाई जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, लाख बोल लो, मुझे जो बोलना है मैं वही बोलूंगा और जैसा बोलना है वैसा ही बोलूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, इनकी पीड़ा वैसे जायज है। मैं भी यहां पर श्री अमितेश शुक्ल के साथ बैठता था, बहुत हेलमेट वगरा पहन कर बैठना पड़ता था। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 2019-20 के विधानसभा के समक्ष छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंदर वित्तमंत्री के वक्तव्य का प्रकटीकरण है। वह बड़ा आश्चर्यजनक है और उसके बाद मैं अनुपूरक पर बोलूंगा। इसमें वित्तीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रबंधन में मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता पर एक लाईन बोल देता हूं। राज्य गठन के पश्चात् प्रारंभिक वर्षों में राज्य संग्रहण लक्ष्य के अनुरूप में नहीं होने से तथा नये राज्य के स्थापना संबंधी व्ययों के अधिक होने के कारण वर्ष 2003-04 तक राज्य राजस्व घाटे की स्थिति में रहा। यह आपने प्रस्तुत किया है, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। उसके बाद इसमें लिखा है, यद्यपि 2013-14 और 2014-15 को छोड़कर अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण राजस्व घाटे की स्थिति निर्मित हुई। वर्ष 2015-16 और 2017-18 में पुन: बेहतर वित्तीय प्रबंधन से राजस्व अधिशेष रहा। यह आपने प्रस्तुत किया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जब रमन सिंह सरकार की या दुनिया की आलोचना करते हैं। वह उस तरह के चारणभाट और रीतिकाल की परंपरा में जो भाषण देते हैं कि कुछ भी आये, हां ही बोलना है तो उनको यह दस्तावेज जरूर पढ़ लेना चाहिए जो आपकी सरकार ने प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति महोदय, अब इसमें दूसरी बहुत दु:खद बात है। जो छत्तीसगढ़ के भविष्य को रेखांकित करेगी और मैं हर साल, 5 सालों तक जब आपकी सरकार रहेगी तो मैं इस लाईन को जरूर पढ़ करूंगा। पहला है जो एफ.आर.बी.एम. का बार-बार उल्लेख हो रहा था। कुल राजस्व प्राप्तियों के टी.आर.एस. के प्रतिशत के स्वरूप में राजस्व घाटा वर्ष 2017-2018 राजस्व घाटा माईनस 5.73 प्रतिशत था, ये माननीय वित्त मंत्री जी ने विधान सभा के समक्ष कहा है फिर वर्ष 2018-2019 का बजट अनुमान और वर्ष 2018-2019 का जो संशोधित है। बजट अनुमान में ये माईनस 6.10 था और वर्ष 2018-2019 के संशोधित बजट अनुमान में ये प्लस 57 माने समझ लीजिए, लगभग 15 प्रतिशत घाटा बजट का, राजस्व घाटा हो गया। आप ही लिख रहे हैं मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। अब अभी वर्ष 2019-2020 में माईनस 1.44 का अनुमान रहेगा तो देखेंगे अभी, साल के आखिरी में नया बजट आयेगा, कितना अनुमान है ? और दो वर्षों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया, माईनस 7.50 और 8.50, माईनस 8.00 दो वर्ष का, संसदीय कार्यमंत्री जी मैं हर साल इन दोनों लाईनों को जरूर पढ़ूंगा और उसके बाद जो फाईनेनशियल डिविनिशियट है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, जी.एस.पी.डी.में राजकोषीय घाटा, ये राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे में आ जाते हैं। वर्ष 2017-2018 में 2.40 है, फिर वर्ष 2018-2019 का बजट अनुमान 3.21, वर्ष 2018-2019 के संसोधित बजट अनुमान में 6.20 मतलब दुगुना, लगभग। ये 4 महीने या तुरंत उसके बाद आपने 2.99 का अनुमान लगाया । अब मैं 2.99 में बोलना चाहता हूँ कि अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि लगभग 11 हजार, कुछ घाटा लिये हैं। 27 हजार में 11, 12 हजार और जोड़ दें तो 40 हजार रूपये का कर्ज, जो उस तरह के राजस्व कर्ज फालतू कामों के लिए लिये गये हैं जो नाबार्ड के या ए.डी.बी. की तरह विकास कार्यों के लिए पूंजीगत निर्माण के लिए नियमित व्यय कर लेते हैं, मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। 40 हजार, उसके बाद इनके वेतन का जो अनुमान है वह लगभग 11 से 18 प्रतिशत के आसपास है। इनकी सब्सीडी बढ़ी। अनुपूरक दो को देखने के बाद कहीं पर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी आपने मेन बजट में नया कोई कर नहीं लगाया। अनुपूरक दो में इसका कहीं पर कोई लक्ष्य और अनुमान नहीं है और छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कहीं कोई नये काम नहीं हो रहे हैं और बजट में जो राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा दिख रहा है, बजट, वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ एक गहरी खाई की ओर बढ़ रहा है। ये बड़ा स्पष्ट है जो कोई भी आरोप लगाये। ये मैं आपके बजट को पढ़ रहा हूँ जो आपने प्रस्तुत किया है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, लोकसभा चुनाव में राहुल जी ने बार-बार कहा। यदि कोई आपत्ति लेगा तो मैं किसी गलत संदर्भों में उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जितने मंत्रीगण हैं हमने 10 दिन में कर्ज माफ कर दिया, मैं आपको उसकी दो स्थिति बताता हूँ।

श्री कवासी लखमा:- माननीय सभापति जी, कर्ज माफ हुआ या नहीं हुआ, वह भी बताये लेकिन ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय कार्यमंत्री जी का इंजेक्शन लग गया और आप खड़े हो गये।

श्री कवासी लखमा:- माननीय सभापति जी, बड़े-बड़े पेपरों में आया था कि पूर्व पंचायत मंत्री जी इस्तीफा देने वाले हैं, ये कब होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये, मैं बोल रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, 15 सालों में आपने किसानों का 4 आना छूट किये हैं क्या ?

श्री कवासी लखमा:- माननीय सभापति जी, शिवरतन शर्मा जी जिंदा लोगों को बोलते हैं कि वह मर गये। बस्तर में दो लोग मर गये। ऐसा असत्य मत बोलिए। हम लोग आपका सम्मान करते हैं। आप विद्वान लोग हैं। इन्होंने कहा था कि इस्तीफा दूंगा। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति जी, सम्माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिस तरीके से कर्ज लिया गया है और ये फालतू कर्ज है तो किसानों का कर्ज माफ होता है तो इनको फालतू लगता है तो ये निंदनीय विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैं आगे बोल रहा हूँ। आप सही कर्जा माने। वह कर्ज सही हो, फालतू हो, असली हो। जिसको मैं बोल रहा था उसके बाद इसकी टिप्पणी आये तो मेरा उस टिप्पणी पर स्वागत है। छत्तीसगढ का पहला विनियोग इस सरकार का आप मुझे समझायेंगे, मैं वित्तीय बातें कम समझता हूँ। लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ । 26 फरवरी 2019 को विनियोग पारित हुआ। ऐसा कौन सा जादू का डंडा है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि जब यह सरकार शपथ ग्रहण करती है, 10 दिन के अंदर कर्ज माफ हो गया। जब विनियोग पारित हुआ, उसके बाद विभाग में पैसा जाता है, माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमोदित होगा, विभाग में पैसा जायेगा, विधानसभा से

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जायेगा। कौन से तरीके ऐसे हैं ? इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से ये असत्य बोला, जब मैंने कहा कि मैं 10 दिन में इस्तीफा दे दूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुनिये तो, तकनीकी चीज समझ में नहीं आयेगी।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- हिन्दुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं, दो घंटे के अंदर कर्ज माफी की फाईल में दस्तखत किया, क्या आपने 15 साल में कभी किया है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री जी से जरूर सुनना चाहूंगा कि जब विनियोग 27 फरवरी को पारित हुआ तो 10 दिन में कर्ज माफ कैसे हो गया ? यह मैं जानना चाहूंगा। मैंने कहा कि मैं 10 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आज भी कह देता हूं, जब विनियोग 27 तारीख को पारित हो रहा है तो 10 दिन में कर्ज कैसे माफ होगा ? आप कागज में कुछ भी लिख दें। आपकी केबिनेट में कुछ भी पास कर दें। रावण ने कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, मैं सागर के जल को मीठा कर दूंगा, मैं सोने में सुगंध ला दूंगा, मैं आग को धुएं में परिवर्तित कर दूंगा। आप ऐसी कुछ घोषणा कर सकते हैं। .. (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, कम से कम हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज तो माफ करने की कोशिश तो किया। अल्पकालीन कृषि ऋण माफ कर दिया, कम से हमारी सरकार ने कर्ज माफ करने का पहला कदम उठाया है। आपने सरकार ने कहा था कि किसानों को 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, बोनस देंगे, वह वादा नहीं निभाया। यह किसानों के प्रति चिंता करते हैं और 300 रुपये बोनस मात्र दो साल दिये थे।

सभापति महोदय :- माननीय संतराम जी बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं कर्जमाफी पर ही बोल रहा हूं। जब कर्जमाफी हो गई, कल ध्यानाकर्षण में माननीय प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ने कहा कि व्यवसायिक बैंक के 2000 समथिंग करोड़ 2 लाख 79 हजार किसानों के, भूमि विकास बैंक के 2000 समथिंग 2 लाख 17 हजार किसानों के और 1 लाख 18 हजार किसानों के एन.पी.ए. का मामला लंबित है। अब यदि मैं अनुपूरक में बात करूंगा तो अनुपूरक में भी आपने ऋण माफी के लिए 7886 करोड़ की मांग की है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अंक भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप यह बता दीजिए कि जो किसानों का कर्ज माफ हुआ है, वह गलत है या ठीक है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- 7886 करोड़ की मांग की है। मैंने दो गिनाया, तीन गिनाया, इतना पैसा और मांगा है, 10 दिन में कहां से ऋण माफी हो गई और किसका प्रचार छत्तीसगढ़ की जनता के सामने किया? उसका परिणाम क्या आया, उसको बता देता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय आप एक तरफ आरोप के ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने एक भी आरोप नहीं लगाया है, अभी आरोप लगाऊंगा।

श्री अमरजीत भगत :- सरकार सत्ता में आने के बाद पहला दस्तखत किसानों की कर्ज माफी के लिए किया, आपने ठीक उसके विपरीत कहा कि अगर एक भी व्यक्ति का कर्ज माफ हो गया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सरकार ने तो कर्ज माफ करके दिखाया, आपको अपने इस्तीफे का याद है या नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जब कर्ज माफी हो गई।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि एक भी व्यक्ति का कर्ज माफ होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। विनियोग के बारे में नहीं कहा .. (व्यवधान).. सवाल इस बात का नहीं है कि कर्ज माफ नहीं हुआ। .. (व्यवधान).. उन्हें नैतिकता के तहत इस्तीफा दे देना चाहिए।.. (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- अगर कोई किसान खेती करता होगा तो हमारी सरकार ने उसका भी कर्ज माफ किया है।

सभापति महोदय :- आप सभी बैठिये। माननीय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे आग्रह किया कि 27 फरवरी को मुख्य बजट का विनियोग पारित हुआ तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे 10 दिन के अंदर किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया, इसका उत्तर देंगे तो इसका समाधान हो जायेगा। अब जब कर्ज माफी हो गई तो माननीय कृषि मंत्री जी कल के ध्यानाकर्षण में और आज बजट में 786 करोड़ रुपये किसलिए मांगे हैं? यही तो यक्ष प्रश्न है। जब कर्ज माफी 10 दिन में हो गई, अब उसका परिणाम क्या आया।

श्री कवासी लखमा :- यह 700 करोड़ रुपये कर्ज का है, यह बचा हुआ है, इसलिए इस्तीफा नहीं दिये हो।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा फरमान..।

सभापति महोदय :- मंडावी जी बैठिये। जब माननीय बैठ जायें, तब आप अपनी बात कह सकते हैं। वह बैठ नहीं रहे हैं, चलिये चन्द्राकर जी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, निवेदन था कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में कुछ भी बोलते हैं, उसका एक महत्व रहता है, अगर आपने घोषणा की है तो करके दिखाना चाहिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जी।

सभापति महोदय :- आप उनको प्रोवोग मत करिये।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों के द्वारा लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जाता है । (व्यवधान)

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ये एक-साथ इतने लोग खड़े हो रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं सबको बोल रहा हूं । बैठिए । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, दो दिन पहले 02 जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया था । (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- श्री शिवरतन भैया आपसे ही सीखे हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी, कर्नाटक में 16 लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है । आपकी सरकार के स्पीकर को वहां इस्तीफा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है । (व्यवधान) यहां इस्तीफा मांग रहे हैं, वे दे देंगे तो क्या करा लोगे ? अभी दिलवा देते हैं फिर आप स्वीकार करवा लेना । (व्यवधान) आप कारण सहित इनको इस्तीफा दे दो कि कर्जा माफ नहीं किये हैं इसलिये इस्तीफा दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- धर्मजीत भैया, इस्तीफा की बात नहीं हो रही है । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- जहां-जहां इनकी बहुमत नहीं है, वहां-वहां इस प्रकार की चीज चल रही है ।

सभापति महोदय :- श्री अमरजीत जी, अगर नहीं देंगे तो आप इनका क्या कर लेंगे ? इस बात को छोड़िए ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए तो दे देना चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप क्यों बार-बार इस्तीफे की बात करते हैं, वे नहीं देंगे तो आप क्या कर लेंगे ? चलिये, छोड़िए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि जब सरकार अपनी घोषणा का पालन कर रही है तो श्री अजय चंद्राकर जी भी अपनी घोषणा का पालन करे । वे क्यों पालन नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी 786 करोड़ रूपये बताये । अब दूसरी बात जो उसका प्रभाव पड़ा । इस प्रदेश में आज भी राजनीतिक स्थिरता है । मैं वित्त सचिव जी को बधाई दे देता हूं, मुख्यमंत्री जी ये रहेंगे तो उनको भी बधाई दे दूंगा कि छत्तीसगढ़ अब 01 लाख करोड़ को पार कर चुका है लेकिन मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू । (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह ठुल्लू क्या होता है ? घोर आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- ये बोले थे कि इस्तीफा देंगे । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह ठुल्लू क्या होता है ? ठुल्लू किसको बोलते हैं ? (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- इतने वरिष्ठ साथी होकर ऐसी बात करते हैं, ठुल्लू किसको बोलते हैं ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार माननीय अजय चंद्राकर जी ने फिर से असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- इन्होंने कुछ और नहीं बोला है । (व्यवधान) इन्होंने बाबा जी का ठुल्लू कहके बोला है । (व्यवधान) उन्होंने अभी बयान दिया है न, मेरे पास पेपर कटिंग है, वीडियो कैसेट है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह बाबा जी का ठुल्लू क्या होता है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अच्छा जो होता है वह पुन्नूलाल मोहले जी बतायेंगे । (व्यवधान)

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य को लज्जा आनी चाहिए कि इस तरीके की भाषा का उपयोग वे इस पवित्र सदन के अंदर कर रहे हैं । जहां छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोगों के जीवन के लिये नीति बनती है वहां इस तरीके के शब्दों का उच्चारण हो रहा है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX][11] ने भी कहा था कि बाबा जी का ठुल्लू । उनसे पूछ लो । गलत है तो निकाल दो । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- इसको विलोपित कर देना चाहिए ।

सभापति महोदय :- भई, रिकॉर्ड में रहने दीजिए न । क्या दिक्कत है। (व्यवधान) बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझको तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं ।

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इसको विलोपित कर दें । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- विलोपित क्यों करें ? रिकॉर्ड में रहने दीजिए । (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- यह सदन का अपमान है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- इन्होंने अपमानित किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए । (व्यवधान)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री देवेंद्र यादव :- सदन से माफी मांगनी होगी । माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, ये आपकी तरफ इशारा कर रहे थे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- यादव जी बैठिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, आपकी तरफ ईशारा करके कह रहे थे कि बाबा जी का ठुल्लू । इसको यह वापस लें । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- सदन में माफी मांगें । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिए । सब बैठिए । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- इसको विलोपित कर देना चाहिए ।

सभापति महोदय :- अरे रिकॉर्ड में रहने दीजिये, क्या बिगड़ता है ? चलिये कोई बात नहीं ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले जी को इसके लिये नियुक्त कर दें कि ठुल्लू किसको बोला जाता है ? (हंसी)

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल जी इन मामलों में बहुत माहिर हैं, इस बात को जाने दीजिए । (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- वे बहुत अनुभवी हैं । (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ये ठुल्लू नहीं बोला भाई, उल्लू बोला है । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति-उत्साह में हम लोगों को आईना भेजा । मुझे एक आईना मिला और इस झूठ का, इस असत्य का परिणाम क्या आया, किसानों के साथ धोखाधड़ी का, किसानों के साथ अन्याय करने का । सभापति महोदय, 6 महीने के अंदर इस सरकार की कलई उतर गई । लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी को दिल्ली जाकर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है । चाहे माननीय [XX] [12] जी बोलें, उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उनका प्रदर्शन 100 परसेंट है । एक सीट की जगह वे दो सीट में आ गए ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- सभापति जी, चंदेल जी की चेयर अलग करवा दीजिए । आदरणीय मेरा आपसे निवेदन है कि चंदेल जी को एक हेलमेट दे दिया जाए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले में इनको बोलने का अधिकार नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले ने घंटी बजाई है ।

---

[12] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- अभी जो नाम लिया गया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, ये बजट पर नहीं बोलना चाहते, केवल राजनीतिक चर्चा करना चाहते हैं । इन्हें निर्देशित करिये कि ये विषय पर बोलें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बता दीजिए कि विनियोग और बजट दोनों पर साथ-साथ चर्चा होती है । मैंने बजट पर भी बोला है ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप अनुपूरक में आइए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मूल पर ही आ रहा हूं । इन्होंने मुझे अभी तक बोलने ही नहीं दिया है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- कभी ये ठुल्लू बोलते हैं, कभी हमारी पार्टी की बात करते हैं । ये क्या बजट पर बोल रहे हैं, ये क्या विषय पर बोल रहे हैं । सभापति महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि कृपया ये सब्जेक्ट पर ही बोलें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- थोड़ा सुनो तो याद ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए बोलें ।

सभापति महोदय :- जब सीनियर सदस्य भाषण दे रहे हों तो अन्य सदस्यों को बीच में टोकाटाकी नहीं करना चाहिए ।

श्री कवासी लखमा :- ये ठुल्ली, फुल्लू को समझा दीजिए

सभापति महोदय :- ये उचित नहीं है, आप सब बैठिये ।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन ये ठुल्लू को विलोपित किये हैं या नहीं ।

सभापति महोदय :- ये इशारा कर रहे हो आप, ये कैसे रिकार्ड में आएगा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, इन्होंने तो साइड में किया, ये तो डायरेक्ट आपको इशारा कर रहे हैं (हंसी) । उनके डायरेक्ट हिट लिस्ट में आप ही हो (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- धर्मजीत जी, उनकी हिट लिस्ट में नहीं हैं और बाकी के हिट लिस्ट में हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे में तो उनका पूरा सम्मान है, हम इंतजार भी कर रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, लेकिन ठुल्लू किसको बोलते हैं ?

सभापति महोदय :- फिर वही बात, बृहस्पत सिंह जी (हंसी)

श्री अजय चन्द्रकर :- सभापति महोदय, मुझे एक लाइन भी ईमानदारी से बोलने नहीं दिया गया है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- ये अजीब-अजीब शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, यह निंदनीय है ।

सभापति महोदय :- भई ऐसा करिये, आप अकेले में बता दीजिए कि किसको कहते हैं (हंसी) ।

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कपिल शर्मा जी के लाइव शो में पूरे देश में सुना और कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आता तो माननीय [XX][13] ने उसका इस्तेमाल कई बार किया । उस भाषावली- बाबाजी के ठुल्लू का ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तभी तो उन्होंने इस उम्र में नई ले आई ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, यह टी.वी.शो नहीं, विधान सभा है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- आपकी तरफ से सख्त निर्देश हों कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल न हो ।

श्री कवासी लखमा :- ये [XX] का नाम लेना अच्छा है क्या, वे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं । ये सब लोगों को बोलते जा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोलने से हम कैसे सुनेंगे सभापति जी ।

सभापति महोदय :- अब जो बीच में बोलेंगे उनकी बातें रिकार्ड में नहीं आएंगी।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन बाबाजी का ठुल्लू को तो विलोपित करा दीजिए।

सभापति महोदय :- अरे, रहने दीजिए रिकार्ड में क्या बिगड़ता है (हंसी) जो क्रेडिट-मिस्क्रेडिट है वह उनको जाएगी ना । आपका क्या बिगड़ रहा है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- विलोपित करा दीजिए ।

सभापति महोदय :- नहीं, कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- वह असंवैधानिक है और वे बार-बार बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- चलिए, अब इस विषय को बंद करिये । बैठिये अब कोई नहीं बोलेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करके बोल रहा हूं । ये जो शब्द को विलोपित करने की बात बार-बार कह रहे हैं । हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी के गुरू हैं भोपाल में । वे इतनी बार इस शब्द का उपयोग कर चुके हैं कि यह पूरी तरह से संसदीय हो गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक लाख दो हजार करोड़ रूपये 700 और कुछ है हमने पार कर लिया, लेकिन इस प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है। मेरी दृष्टि से इस प्रदेश में एक लाख हजार करोड़ के बजट को खर्च करने के लिए राजनीति की स्थिरता नहीं है। अभी इनके प्रभारी माननीय [XX] ने कहा है कि 7 दिन में नया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, यह इशू नहीं है।(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- अनुपूरक बजट से बाहर बात कर रहे हैं (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सदस्य जी माफी मांगे। (व्यवधान)

---

[13] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- वे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आम लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये बाबा जी का ठुल्लू और यह राजनीति (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आप विषय वस्तु तक सीमित रहिए। इधर-उधर की बात मत करिए। जो आपने कहा उसे मैं विलोपित करता हूं।

मोहन मरकाम :- ये लगातार ऐसा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैंने विलोपित कर दिया।

श्री बृहस्पत सिंह :- सिर्फ विलोपित से कुछ नहीं होगा। इनको प्रताड़ित करिए। खाली विलोपित से नहीं होगा। इनको प्रताड़ित भी किया जाए।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, अजय चन्द्राकर जी, सदन के संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। सदन में वह भी अनुपूरक के विनियोग पर इतना हल्का भाषण देंगे, यह हम उम्मीद नहीं करते थे। (शेम-शेम की आवाज)

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो भाषण ही नहीं दिया हूं भैया। बोलने ही कहां दे रहे हैं।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह और भी गंभीर बात है। 25 मिनट आपका समय निकल गया और आप कह रहे हैं कि आप भाषण ही शुरू नहीं किये हैं। आपने [XX] [14] जी का नाम ले लिया। आपने [XX] का नाम ले लिया। आप बैठिए तो सही। यह न तो विनियोग का हिस्सा है और न ही अनुपूरक की उसमें कोई बातें हैं। आप पता नहीं सभापति जी की तरफ इशारा करके क्या-कया अभी बोले, जिस पर सभी आपत्ति कर रहे हैं। कुछ सुझाव देना है तो सुझाव दे दीजिए। कुछ खामियां हैं, उसको उजागर कर दीजिए। लेकिन विषय पर आप आइए न। कहां आप पूरे देश की राजनीति की बातें विनियोग में लाकर डाल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी बातें करें। जिन नामों का उल्लेख किया गया, उन सभी को विलोपित करिए।

सभापति महोदय :- मैंने विलोपित कर दिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक बार माननीय सदस्य को निर्देश करिए। ये गलत तरीके से..।

सभापति महोदय :- मैंने सभी सदस्यों से आग्रह किया है। सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि विषय वस्तु तक सीमित रहें और कोई भी सदस्य टोका टाकी न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैं सब बातों को छोड़कर एक लाइन उस विषय में बोल रहा हूं। माननीय भूपेश बघेल जी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और हो सकता है कि वे राष्ट्रीय

[14] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजनीति में चले जाएं और अध्यक्ष बन जाएं तो फिर नया नेता चुनना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि एक लाख करोड़ के बजट में राजनीतिक स्थिरता नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। कांग्रेस की चिंता करने की आपकी जवाबदारी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह परंपरा रही है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद द्वितीय अनुपूरक तक इस प्रदेश में नये आइटम लेते रहे हैं। यह इस बजट में पहली बार है जब कोई भी नया आइटम शामिल नहीं है और खासकर एक भी पूंजीगत शामिल नहीं है। माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने कहा कि 95 प्रतिशत राजस्व व्यय है और मैंने आपके पत्रक का उल्लेख किया और जिस न्याय स्कीम में आपने चुनाव लड़ा, उस न्याय स्कीम की इसमें झलक मिलती है। पी.डी.एस. डिलर मार्जिनशिप योजना के लिए 50 करोड़ उनका कमीशन बढ़ाने के लिए है। कह दिया है कि साढ़े 12 सौ दुकान कैंसल होंगे। अब सबके साथ न्याय होगा ? अब होगा न्याय तो उनको कमीशन बढ़ाकर दो।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अपना कमीशन का अनुभव बता रहे हैं। आप कमीशन का अनुभव बता रहे हैं कि कितना कमीशन दिया?

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मुझे राजद्रोह में नहीं फंसायेंगे, अनुमति देंगे तो इसी बजट पर कुछ बोलूंगा। इसमें प्रचार-प्रसार के लिए पैसा मांगा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चन्द्रकार जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधान सभा में दिये गये भाषण पर इनको कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन फिर भी ये समझते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- बिल्कुल-बिल्कुल। जितना उटपुटांग हो, सब बोल सकते हैं। बोलिए। क्योंकि आज तो आपको छूट है। जितना बोलना है, बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बजट पर ही तो बोल रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं। कार्रवाई करने की कोई बात नहीं है। यह पिछली सरकार के जो पाप है न, उसके लिए भुगतान करने की जरूरत है । (शेम-शेम की आवाजें)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, प्रचार-प्रसार के लिए जो पैसे मांग हैं, आप देख लीजिये India Today में माननीय बघेल जी का जो फोटो छपा है, वह मीम की तरह है। झूला झूलने में पकड़कर बिठा दिए हैं, ऐसा दिख रहा है। अब वह मीम में एक भा0ज0पा0 के कार्यकर्ता को जेल में जाना पड़ा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह विषय की बात है, बजट की बात है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, क्या है कि देश की परम्परा बन गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने उसी प्रकार झूला झूलते हुए देखा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या भूपेश जी को भी ऐसा ही झूला झुलायेंगे ?

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- बहुत समय हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप देख लीजिये, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- इनकी तरफ से कोई तथ्यात्मक बात तो आ नहीं रहा है।

सभापति महोदय :- कोई ऐसी बात मत बोलो जिससे सदन में उत्तेजना फैले।

डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- विषय से भटक गये हैं, विषय पर ध्यान होना चाहिए।

श्री देवेन्द यादव :- केवल तुलनात्मक भाषण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति और कांग्रेस सरकार जो कर रही है, बस उसको बता रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहली बार प्रशासकीय आदेश को प्रेस में देखा कि तीन एस0आई0टी0 बनाई गई। तो गृह मंत्रालय का नाम को बदलकर आप एस0आई0टी0 और एफ0आई0आर0 मंत्रालय कर दीजिये। कांग्रेस के कार्यकर्ता विसिल ब्लोअर बन गये।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, क्या आपके कार्यकाल का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का भी एक एस0आई0टी0 गठन हुआ है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- एस0आई0टी0 गठन हुआ है, करके लगवा दो।

सभापति महोदय :- चलिये, आप आप समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं तो अभी शुरू किया हूं।

सभापति महोदय :-आपको आधा घंटा हो रहा है भाई, आप रिलिवेंट बात करिये न।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, सदन के समय का दुरूपयोग हो रहा है। राजनीति की जा रही है। हम सब लोग बजट पर बात करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल राजनीति की जा रही है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, विषय वस्तु आ ही नहीं रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बजट की जो मुख्य बातें थीं कि राजस्व घाटा ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- जो नये माननीय नये सदस्य आये है, वे क्या उनको सब ऐसा सिखाना चाह रहे हैं ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने बजट पर राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा और इस बजट पर कोई नई चीजें नहीं ली गई हैं और जो घाटा जाने वाला है, उसके लिए इन्होंने न कोई कर रोपण किया, न कोई बात कही। उसका दुष्प्रभाव क्या दिख रहा है ? मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से ये इन्टरप्सन कर रहे थे, इनको सही सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं अभी इसमें सैकड़ों उदाहरण देता कि किस तरह की अराजकता, वित्तीय अराजकता, प्रशासनिक अराजकता, सारी चीजें इस प्रदेश में हैं। माननीय सभापति महोदय ग्रामीण विकास निगम से पहले साल के लिए 01 हजार करोड़ रूपये का कर्ज लिया। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, इस साल 348 मकान स्वीकृत हैं। आपको अभी तक 500 करोड़ रूपये नहीं मिला, बाजार में आपकी साख नहीं है कि आपको कर्ज मिले। वर्ष 2019-20 मे गरीबों के लिए जो आवास स्वीकृत हुआ है, उसका तो अभी भगवान मालिक है। आप लोग बहुत गरीब-गरीब कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अराजकता के बारे में 32 बार ट्रांसफर हुए, यह सरकार की पहचान है। आप सीनियर मंत्री रहे हैं। पहले हम बोलते थे कि एक कलेक्टर तीन जिला, चार जिला, पांच जिला करेगा। अब इन्होंने नई प्रशासनिक शैली शुरू की है। यह बजट का विषय है, इस बजट में उसका प्रभाव पड़ेगा कि एक कलेक्टर एक साल में 3-4 जिला करता है। माननीय सभापति जी, वित्तीय संकट कैसे है ? माननीय मुख्यमंत्री जी, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 से मिलते हैं तो कहते हैं कि "नरवा, गुरूवा, घुरवा, बाड़ी" इसको देखिये, समझिये। उनको यह भी बताना चाहिए कि ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- छत्तीसगढ़ी ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मुझे बोलने दीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- छत्तीसगढ़ में "नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी" क्या होता है...(व्यवधान) बोलने से मना नहीं है, आप अनुपूरक बजट में बोलिये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप खत्म करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह अनुपूरक बजट का सब्जेक्ट है। क्या यह अनुपूरक बजट का हिस्सा है क्या ? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये, पटेल जी बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह अनुपूरक बजट का हिस्सा नहीं है। कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, अजय जी बजट भाषण कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट में "नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी" है। ...(व्यवधान)

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप बैठिये, यह ठीक नहीं है।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और "नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी" पर बात करेंगे तो उस पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। .....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिए, ये ठीक नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- नरवा, घुरवा आपकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें यदि बात करेंगे तो उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है । .....(व्यवधान)...

श्री कुंवर सिंह नेताम :- आपकी भी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था-रतनजोत, उसका क्या हुआ ? उस पर भी जरा गौर कीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सरकार के विरोध में बोलिए.... .....(व्यवधान)...

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, ऐसा न करें, आप बैठिए, चन्द्राकर जी, आप कांन्टीन्यू कीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बजट में वित्तीय अराजकता में बता रहा था कि उनको यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ ने एक नई प्रशासनिक शैली विकसित की है कि जब चाहे, तब यहां का सर्वर डाऊन होता है । छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री जी और टी.एस. सिंहदेव जी के नेतृत्व में ऐसी फ्लेगशिप योजना चलाती है, जो देश के लिए उदाहरण बनती है, जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है । नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी और यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, जिसको फ्लेगशिप योजना बोलते हैं, ये मात्र एक प्रोजेक्ट है, जो बिना बजट के योजना चलाती है । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- सभापति महोदय, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आ गया है, चुनाव को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं । सरकार के खिलाफ उतना आरोप लगाएं, जितना शोभा देता है ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है । इसमें 47 तरह की अनुपूरक मांगें हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करने के लिए खड़े हैं । हम लोगों ने देखा है और कुछ ही दिन मुख्य बजट पास किया था, फिर भी बजट लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? ये अनुपूरक बजट हम लोगों ने इसलिए नहीं लाया है कि जिस तरह से इन्होंने रतनजोत में बंदरबांट करके कई हजार करोड़ का नुकसान किया । यह अनुपूरक बजट इसलिए नहीं लाये हैं, यह अनुपूरक बजट छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लाये हैं, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया है । हम लोगों ने पहले देखा, अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि अरब देशों की खाड़ी से, डीजल हमारी बाड़ी से,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इन्होंने इस योजना में कई हजार करोड़ बरबाद किया, ऐसा बरबाद करने के लिए हम लोग अनुपूरक नहीं ला रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बृहस्पत जी, उसमें भी एक एस.आई.टी. गठित कर लो न । एस.आई.टी. गठित करने का रिकार्ड कायम कर रखे हो । एक एस.आई.टी. और गठित कर दो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, हमारी राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है । मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उन किसानों के दर्द को समझा है क्योंकि जो हल्ला कर रहे हैं, वे कभी धान नहीं बेचते, नांगर नहीं चलाते हैं, कभी खेती नहीं करते, इनको किसानों का दर्द क्या समझ में आयेगा ? मैं अपने हाथ से खुद नांगर चलाता हूं और चलाता था, आज ट्रेक्टर हो गया तो ट्रेक्टर से खेती करते हैं, मुझे मालूम है किसानों का दर्द क्या होता है ? खेत में कैसे थरहा डालते हैं, कैसे रोपा लगाते हैं, कटाई के समय क्या होता है और जब मंडी में धान बेचने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वह भी दिन हम लोगों ने देखा है । इनको किसानों का दर्द नहीं मालूम है, इसलिए बहुत चिल्ला रहे हैं । अगर इनको थोड़ा सा भी दर्द मालूम होता तो मेरे ख्याल से ये बोलते कि बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काम किया है । जो बजट प्रावधान किया गया है, ये लगातार तीन दिन से चिल्ला रहे हैं, विपक्ष के साथ आवाज उठा रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है, ये सारी बातें समाहित हैं । जिन किसानों के बहुत सारे कर्जे, जो किसान डिफाल्टर हो गए थे, वे भी सारी बातें हैं । किसानों का धान 25 सौ रूपये में आपने पहले ही खरीद लिया है । किसानों के उत्थान के लिए जो सारी योजनाएं लाई गई हैं, उसके संबंध में है । जो हमारे किसान फिर से लोन ले सके, यह जो सेटल वाला लोन का तरीका अपनाया गया है, वह भी है। इनके जमाने में 71 हजार राशन कार्ड परिवारों को दिया गया कि इतने लोग गरीब हो गए, फिर अचानक घटकर 21 हजार राशन कार्ड धारक आ गए। इसके बाद लगातार बढ़ता-घटता रहा । छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहली बार ऐसा फैसला किया कि अगर छत्तीसगढ़ का निवासी है, आधार कार्ड है तो प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड देंगे । अगर बी.पी.एल. में नाम है तो एक रूपये और दो रूपये में देंगे, अगर बी.पी.एल. में नाम नहीं है, आयकर दाता है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को 10 रूपये किलो चांवल का कार्ड देंगे और कार्ड देने की व्यवस्था चाहे बृहमोहन भैया हों, चाहे डॉ. रमन सिंह जी हों, चाहें शर्मा जी हों, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है । आपके संज्ञान में ला दूं कि चन्द्राकर जी का भी राशन कार्ड बन रहा है । सभी का राशन कार्ड बना रहे हैं और सभी को 10 रूपये किलो चांवल देने का भी प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही पुनीत योजना है । जिस गांव में हम लोग चुनाव के दौरान जाते थे, जो पहुंच वाले लोग होते थे, उनका कई कार्ड बना हुआ पाया जाता था । एक ही परिवार में कई कार्ड होते थे सर । हमारे बलरामपुर जिले के त्रिशुली गांव में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहां 17 कार्ड था । सारे उत्तरप्रदेश के रिश्तेदारों के नाम पर था, जो प्रशासन ने कार्यवाही की है । दूसरा, एक मण्डल अध्यक्ष थे, उनके परिवार के एक ही घर में ग्यारह कार्ड मिला । जो न तो यहां के मतदाता हैं, न यहां के रहने वाले हैं । राज्य के लोगों को बताया गया है । इन सारी विसंगतियों को रोकने के लिए नया कार्ड बनाया जा रहा है । सभी का कार्ड बने, सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, अगर पति, पत्नी और एक बच्चा है, तीन ही हैं, तो सरकार ने तय किया है कि हम 35 किलो का चावल देंगे । अगर पांच मेंबर तक हैं तो 35 किलो देंगे । सभापति महोदय, पांच से अगर अधिक है, 7 किलो प्रत्येक परिवार का बढ़ता चला जायेगा, यदि प्रत्येक यूनिट मे पांच से अगर अधिक है । यह बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी है, जिसके लिए राशन कार्ड बनाने में खर्चा आ रहा है, इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा । कम से कम ऐसी सोच आदरणीय बघेल जी ने लाया है । इस कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में अच्छा पहल किया है । चाहे जंगल में रहने वाला हो, चाहे पहाड़ में रहने वाला हो, चाहे खेत में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे वह गरीब आदमी हो, चाहे वह अमीर आदमी हो, चाहे आयकर दाता हो, सबके लिए कार्ड की व्यवस्था की गई है । सभापति महोदय, कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि राशन कार्ड नहीं बनता था । जब हम किसी चीज का फार्म भरने जाते थे, यह होता था कि मतदाता परिचय पत्र आधार के साथ-साथ राशन कार्ड की कापी भी जमा करें । वहां राशन कार्ड नहीं मिलता था । सभापति महोदय, यह बहुत अच्छी सोच है । दूसरा, लगातार जो सरकारें काम कर रही है, एक और अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है, अब पूरे छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरगुजा, बस्तर में, अन्य जगहों में विवाद की स्थिति पैदा होती है । सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जन्म के साथ ही जाति प्रमाण लोगों को मिले । हम इसका स्वागत करते हैं । सभापति महोदय, यह बात विपक्ष को इसलिए सता रही है कि 15 साल में रतनजोत तक घुमते रह गये, जर्सी गाय तक घुमते रह गये और मोबाईल तक ही सिमट गये । सभापति महोदय, किसने मना किया था ? यह भी कर्जा माफ कर सकते थे ? सभी लोगों का राशन कार्ड दे सकते थे । सभापति महोदय, इन्होंने देने का काम नहीं किया है । सिर्फ इन्होंने हल्ला करने का काम किया है । सदन में तरह-तरह के अनर्गल बयान देकर सदन को उकसाने का काम किया है। हम लोगों ने सोचा कि प्रदेश की सारी बातें रखेंगे, क्षेत्र की बातें को लेकर आयेंगे, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य आये हैं, पिछली बार हम लोग विधान सभा में जितने भी थे, उसमें से 30 पुराने लोग ही आये हैं । सभापति महोदय, 60 लोग पिछले बार नहीं थे, उन लोग चुनकर आये हैं । यह सदन के माध्यम से हम जो बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता देखती है । हर लोग चैनल्स के माध्यम से देखते हैं कि हमारा नेता वहां क्या बोल रहा है, हमारा विधायक वहां क्या बोल रहा है, क्या बातें उठा रहा है ? हर नवजवान, हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी, हर छात्र, हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति, टी.वी. चैनल के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? यह देखते हैं । हमको इस सदन में आकर अनर्गल बयान नहीं करना चाहिये, जिससे छत्तीसगढ़ के सदन में अपमान झेलना पड़े । आप बहुत बड़े साथी है, इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा । आप संसदीय मंत्री भी रहे हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा । इतना ही कहूंगा कि यह विचार इनके ऊपर छोड़ते हैं । छत्तीसगढ़ की जनता फैसला करेगी, क्या बोले, क्या करें ? सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि 15 साल में साहब आपको बहुत काम करने का मौका मिला और पानी की बात हो रही है, जलग्रहण की बात हो रही है। 15 साल में साहब छत्तीसगढ़ की हालत यह हो गयी कि कई जिलों में 700 फीट वाटर लेवल नीचे चला गया । कई जिलों में वाटर लेवल 500 फीट, 700 फीट नीचे हो गया है । 15 साल में उन्होंने कोई जलग्रहण का काम नहीं किया है, वाटर रिसर्च का काम नहीं किया है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार करने जा रही है । छत्तीसगढ़ी भाषा में नरवा, घुरवा कहा गया है, शायद इनको समझ में नही आया है । नरवा का शब्द क्या है, नदी जहां से शुरू होती है, उसको शुरू से पानी रोकने का काम करेंगे, जल रिचार्ज का काम करेंगे, जल ग्रहण का काम करेंगे, उसको वाटर शेड भी हम बोलते थे, उसे करेंगे, ताकि जल का स्तर हमारा ऊपर उठे । यह काम करने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है । शायद इनके दिमाग में नहीं आ रहा होगा । मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ी भाषा को फिर से ट्रांसलेट करके फिर से अध्ययन कर लेना चाहिये । यहां बहुत विद्वान साथी है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है । सभापति महोदय, जब इनको मौका मिला, बहुत सारे लम्बे-चौड़े काम किये, चना उत्सव मनाया, कभी मोबाईल उत्सव मनाया और लगातार उत्सव के नाम पर करोड़ों रूपये खर्च करते रहे। अंतिम-अंतिम में जब छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर दिया कि 15 साल बहुत उल्लू बनाये हो अब अपने रास्ते पर जा, तो इन्होंने मोबाईल बांटना शुरू कर दिया। कई हजार करोड़ रूपये का मोबाईल खरीदा गया। मैं साथियों को इतना ही बोलूंगा कि जैसे किताब पढ़ते हुए जब आगे जाते हैं तो पीछे पढ़ी हुई बातों को भी पन्ना पलटकर अंडरलाईन करते जाते हैं, तो ऐसा करते रहना चाहिए। पिछले 15 सालों में आपने जैसा कर्म किया है कि आपको जनता ने 15 सीटों में बैठा दिया है ऐसी हरकत दोबारा मत कीजिए। हम लोग पिछली बार भी जब सदन में आये थे तो उस समय 53 नये सदस्य चुनकर आये थे, इस बार भी जब हम लोग चुनकर आये हैं तो जो सदन में थे उसमें से सिर्फ 30 साथी ही पिछली बार के दिख रहे हैं और 60 वे लोग दिख रहे हैं जो पिछली बार नहीं थे। चन्द्राकर जी, वैसी ही हालत होगी। जनता आपका, हमारा और हम सभी का मूल्यांकन कर रही है। समाचार, टी.वी. चैनलों, दर्शक दीर्घा, मीडिया के चैनलों आदि माध्यमों से हमारा आपका सबको अवलोकन कर रही है। आप आत्ममंथन करें कि आपने रतनजोत में कई हजार करोड़ रूपये बर्बाद किया। आपने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात की उसे भी आपने नहीं दिया। मोबाईल बांटने की बात हुई उसमें भी आपने खूब कमीशनखोरी की, लूट मचाया। 1500-2000 की चीज को आपने 4 हजार-5 हजार रूपये में खरीदा। इन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सारी चीजों को जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की मदद कर रही है, कर्ज माफी का काम कर रही है। यह भारत का ऐसा राज्य है जहां बाजार में मोटा चावल 20 रूपये किलो बिकता है लेकिन यहां के किसानों का धान 25 रूपये किलो बिकता है। इसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आपने किसानों को ऋण मुक्त किया है। जो वर्षों से कर्ज से लदे हुए थे उनको आपने फिर से लाईन में लाने का कार्य किया है। आपने किसानों का दर्द समझा है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, 90 हजार करोड़ से ज्यादा के मूल बजट के बाद भी पिछले छः महीने में छत्तीसगढ़ में जनता के हित में जो विकास के कार्य दिखना चाहिए था वह दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय इसके कि आधा-अधूरा कर्जमाफी का कार्यक्रम इस प्रदेश में आयोजित हुआ है। ऋणमाफ कृषकों की संख्या 16.65 लाख है और 11 हजार करोड़ रूपये उसमें खर्च हुए हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार ने आर.बी.आई. से 7 हजार करोड़ रूपये का कर्ज भी लिया है। सभापति महोदय, सरकार को इस कर्ज का ब्याज भी देना पड़ेगा। पूर्व की सरकार ने भी 15 सालों में 48 हजार करोड़ रूपये का कर्ज लिया था और इन सबके कारण हम प्रति व्यक्ति 7 हजार रूपये के कर्जदार तो हो चुके हैं और अगर आर्थिक मितव्ययिता नहीं बरती जायेगी, अगर प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त नहीं किया जायेगा, अगर फिजूलखर्ची नहीं रोकी जायेगी तो जन कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं होंगे और कर्ज के बोझ में सरकार और यहां की जनता दबती जायेगी और हमारे अन्य सब कार्य प्रभावित होंगे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम नौकरी देंगे। जब पिछली सरकार ने वर्ष 2018 में पुलिस की भर्ती का एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें यही अधिकारी जो अभी इनके पास चिट भेजते हैं, बैठते हैं, इन्हीं लोगों ने भर्ती कराया था। उनको भर्ती नहीं करके न जाने क्या-क्या IF, BUT लगाकर उन बच्चों को आज तक नियुक्ति नहीं दी गई। और जब वे लोग मांग करने के लिए रायपुर आये तो जो बच्चे पुलिस में भर्ती होने वाले हैं उन्हीं को पुलिस ने डंडे से मारपीट करके भगा दिया। भाई, आप नौकरी देने का वायदा किये हो तो दो, निरस्त करना है तो निरस्त करो लेकिन भर्ती की प्रक्रिया तो चलाओ ताकि इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। आपने जो बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था उस पर तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया। बजट में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। इनके बजट का एक मुख्य मुद्दा था कि शराबबंदी करेंगे। हमारे प्रदेश की माताओं, बहनों ने इन पर भरोसा किया। शराबबंदी के नाम पर इस सरकार को प्रचंड बहुत से जीता करके यहां पर भेजा है। आज क्या हो रहा है ? यह तो शराब बेचने का काम शुरू किये थे, आपने क्यों शुरू किया ? आपको

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

या तो बंद कर देना चाहिए। इसने तो फिर भी कुछ नियंत्रण में बेचा। आप तो अनियंत्रित होकर मनमर्जी बेच रहे हैं। एक बी.एस.एन.एल. का वहां कोई कर्मचारी आ गया है। मार्केटिंग फेडरेशन का एम.डी. है। रीवा का रहने वाला रिडायर्ड आदमी बी.एस.एन.एल में उसी का भट्ठा बैठ गया है जिसमें बी.एस.एन.एल में नौकरी में थे। क्या आपके यहां अधिकारी नहीं है ? इतने योग्य, अयोग्य चारों तरफ बैठे हैं। ईमानदार अफसर को आप हटाते हैं। आबकारी का इतना भ्रष्ट अधिकारी है कि वह प्रतिदिन जो ओव्हर रेट 20 रूपये से 200 रूपये तक बिक रहा है। कई करोडों रूपया जो वसूलीकर्ता हैं, वह शाम तक के बहुत से लोगों को इधर प्रभावशाली पहुंचाता है। आपने इसको गैय्या बना लिया है। दुधारू गाय बना लिया है। शराब अभिशाप है, इसको रोकने की कोशिश करिये तो आप कहां से अधिकारी पकड़कर ले आये ? जो भी हो, वह खुला नंगा नाच कर रहा है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सभापति महोदय, हम लोगों को कोई किधर बोले, इशारा किये। भैय्या इधर कोई किसी को नहीं पहुंचाता।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, नहीं पहुंच रहा है तो मांगो न पहुंच रहा है। आपको नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं ? अब आप अपने करम में रो। कहां से कहां पहुंच रहा है पता करो। हम और बता देंगे। सदन में नहीं बोल पा रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, कुलदीप भैय्या चौक में बैठना बंद करो। व्यवस्था कहीं और हो रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, एक मिनट। छै: माह में लाखों लीटर शराब सरकारी रिकार्ड में जप्त हुआ। यह मैं नहीं बोल रहा हूं सरकार का रिकार्ड बोल रहा है। यह कहां से जप्त हो गया। जब सरकार दारू बेच रही है, सरकारी खरीदी कर रही है, सरकार का डेड़ दो सौ लोगों का कंपनियों से एग्रीमेंट है। किसको ज्यादा मंगाते हैं, किसको कम मंगाते हैं, क्यों ज्यादा मंगाते हैं, क्यों कम मंगाते हैं ? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। हजारों लीटर शराब इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर जप्त हुआ है तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और बाहर से जहरीली शराब का आवागमन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पहले तो इन लोग बिल काटते थे, शराब बेचने का काम इनकी सरकार ने किया था। यह पहले बिल भी देते थे। मंत्री जी थोड़ा ध्यान देंगे, बातचीत तो आप कर ही लेंगे। बिल काटते थे, आपके डिपार्टमेंट में आजकल बिल नहीं कांटते क्योंकि मध्यप्रदेश से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है। ऊपर ही ऊपर बिक रहा है। 20 से 200 रूपये तक के रेट हैं। शाम को एम.डी. साहब जो बी.एस.एन.एल. वाले हैं, वह आकर अपना माल टाल लिये। पूरा खाताबही में शाम को हिसाब कर लेते हैं। हम तो आंकड़ा भी नहीं पढ़ सकते उससे ज्यादा उनके पास पैसा आता है। आपके रिकार्ड के ऊपर डेली-डेली करोड़ों रूपया आता है। आबकारी वाला शराब बेच रहा है, थाने वाला एक सिपाही खड़ा

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

करता है। अगर दो आदमी आठ बाटल या आठ पौव्वा लेकर निकले। वह थानेदार को मोबाईल करता है, थानेदार पहुंच जाता है और उसको थाने में केस में अंदर करता है। भैय्या शराब सरकार बेच रही है तो थानेदार क्यों उसको पकड़ रहा है ? क्यों पकड़ता है, जो नियम कानून के अंतर्गत है उसमें भी पकड़कर जेल में भेजते हैं। थानेदार अलग वसूली ले रहा है। एन.जी.टी. national green tribunal परेशान है। वह बार बार बोल रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विचार करो। ये चखना दुकान खोल दिये हैं। मैं पढ़ा हूं, चखना दुकान के 13 नार्म्स हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आया है। यह 13 नियम कानून को ताक में रख करके, धज्जिया उड़ा करके अपने गुरूओं और चेलों को चखना दुकान दिये हैं। आपको नहीं मिला होगा तो मैं नहीं कह सकता। आप उनके गुड बुक में नहीं हैं। सचेतक बन जाने से खुश मत होईये। उसके लिये विशेष योग्यता हासिल होती है, उसके लिए विशेष डिग्री चाहिए। अगर नहीं है तो शाम को मिल लेना। आपको कोई भी एक गुढियारी वुढियारी का चखना दुकान मिल जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उनसे पूछ लीजिए। सदन में इच्छा व्यक्त कर दें कि कहां का लेना है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इशारा करूंगा। वह मेरा दोस्त है मैं उसके सम्मान के खिलाफ बात नहीं करता।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो हमारा परम मित्र है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय लखमा जी भी हमारे दोस्त हैं। माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सुन तो लीजिये। मैं आपका चखना की महिमा सुनाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि 50 मीटर तक कहीं पर भी दुकान नहीं रहेगी। हर चखना दुकान के पास 50 मीटर में दुकान अंदर में है। उसमें ये लिखा हुआ है कि पूरे बॉटल का प्राईज लिखा रहेगा और पैग्ड फुड बंटेगा। 50 मीटर के बाहर, हर जगह कसाई के यहां से घटिया क्वालिटी का जो थर्ड क्लास का मटन होता है, जो आप अण्डा बांट रहे हैं, वह सब चखना दुकान में जाएगा, चना, मूंगफली न जाने क्या-क्या जितने किस्म के अमानक चीजें हैं, वह सब चखना दुकान में बचे रहे हैं। शाम को इनके लोग ठीक दरूआ टाईप पहुंचकर, वसूली कर लेते हैं। एक्साईज वाला वसूली करके ले जाता है। नियम में चखना दुकान नहीं है। आप आबकारी विभाग के चखना दुकान को अवैध रूप से उगाही का अड्डा बनाकर रखे हो और उसके बाद भी हम ये तक के छोड़ देते, पाऊच और ग्लास का नियम प्रतिबंधित है। जहां-जहां चखना दुकान है उसके आजू-बाजू 5 एकड़ में अगर आप अभी चले तो मैं अभी दिखाऊंगा, जिस चखना दुकान में देखना हो तो केवल पाऊच, ग्लास, प्लास्टिक का कचरा, कूड़ा ढेर लगा हुआ है। यहां तक भी ठीक था। पहले कांच की बॉटल में शराब आती थी आप तो प्लास्टिक प्रेमी हो गये एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग रोको, शराब वाले वही ओ.एम.डी. साहब जो महापुरूष हैं, वह ...।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय धर्मजीत जी, माननीय कवासी लखमा प्रश्नों के उत्तर देने को छोड़कर, बाकी सब चीज समझते हैं, वह नहीं समझते हैं ये आप मत समझना।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं। वह हमारे साथ वर्ष 1998 में एक संग मध्यप्रदेश की विधान सभा में बैठे हैं। आप भी थे और कौशिश जी भी थे, ऐसा नहीं है हमारा भाई बहुत काबिल है। ठीक है अंक गणित में हम लोग कमजोर ही हैं। 2 लाख रूपये रख देंगे तो कल सुबह तक नहीं गिन सकेंगे या तो 1 लाख, 90 हजार हो जाएगा या 2 लाख, 10 हजार हो जाएगा। कभी राईट नहीं गिन सकते। दो नोट जुड़ जाएगा। इसलिए आप जो नोट गिनने वाला उधर जिंदा मशीन है, वह बहुत खतरनाक है, उससे बचकर रहे। किसी दिन क्यों भेजोगे? अब चलिये, इतना बहुत है। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ।

श्री कवासी लखमा:- ये क्या कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपके ऊपर आरोप लगा ही नहीं रहा हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- भाई साहब, एक और अच्छी चीज आपको समृद्ध कर देता हूँ। कल के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अब 3700 करोड़ रूपये की जगह में 5 हजार करोड़ का राजस्व लिया जायेगा। कितना ऋण माफी हुई है, दारू किसमें-किसमें कितना पैसा रेट बढ़ा है? सब वापस।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो बोल रहा हूँ। कि आप क्यों इतना तकलीफ कर रहे हो, आप कोई चिंता मत करिये। पान ठेला को लाईसेंस दे दो, अस्पताल के मेडिकल कॉलेज को दे दो, पी.एस.ओ. में दे दो, बस स्टेण्ड में खोल दो, रेल्वे स्टेशन में खोल दो। आप सिक्किम गंगटोक टाईप का सब तरफ बेचवाओ, आपको कौन रोक रहा है। अब तो भारत स्वतंत्र है आप आराम से बेचिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, जिसको पीना है, वह आसमान से ले आएगा। लखमा जी, मैं अभी यहां पर बोल रहा हूँ। आप अभी फोन करके, अपना कोई ईमानदार अफसर को भेजो, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के किनारे इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे, वाईस चांसलर के घर के किनारे आधारशिला विद्यामंदिर स्कूल के बीच में, चौक में एक शराब दुकान है। मैं एक बार 3-4, 8 दिन पहले आम लेने गया था, वहां पर एक बगीचा है। मैं वहां देखते गया। मैं बोला कि यह क्या है? ये बड़ा सजा-धजा है, तो बोले कि यह शराब दुकान है, अब मैं बोला ये क्या है आगे में एक छोटा सा स्टॉल लगा था और पीछे उसमें मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हुई थी और दस पांच नेताओ की, जिसमें चखना दुकान खुलता है अरे थोड़ा सा तो लिहाज करो, अरे चखना करो तो करो मुख्यमंत्री को आप के लोग चखना दुकान में लगाएंगे, इतना भी अंधेर कर रहे है मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का ख्याल आप लोगों को नहीं है। अरे वो मुख्यमंत्री है वो थोड़े जानते हैं कि वहां आप लोग क्या कर रहे हैं?

श्री कवासी लखमा :- ये सब ये किये हैं। हम लोग धीरे-धीरे काम कर रहे हैं। इन लोग पाप किये हैं। जो आप बोल रहे हैं, ये इन लोग करके रखे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- आप अभी फोन करके बाहर निकलिये, फोन करिये, अभी सदन के चलते आपको सूचना आयेगी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के किनारे वह फोटो लगी हुई है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, वह हमारे साथी लोग जान-बूझकर लगा दिये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बैठिये न। मैं तो तर्क में बात कर रहा हूं।

श्री संतराम नेताम :- आप तो पूरा-पूरा एक तरफा ऐसा बता रहे हैं कि हमारी सरकार ही कर रही है। आपकी सरकार ने भी ये काम किया है, शराब बेचने का काम आप लोगों ने शुरू किया है, हमारी सरकार ने तो बाद में किया है। आप ऐसी कहानी बता रहे हैं कि पूरी फोटो लगी है तो ये है। .. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संतराम जी बैठिये। यह उचित नहीं है। देखिये मेरी अनुमति के बिना जो भी सदस्य बोलेगा, वह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे एक मिनट बोलने के लिए अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि हम लोगों ने चखना में माननीय मुख्यमंत्री, अन्य लोगों का फोटो लगाया है, जैसा संतराम जी ने कहा, माननीय गृहमंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं, उसके लिए एक एस.आई.टी. बना दें।

सभापति महोदय :- फ्रेक्चुअली कोई बात नहीं है। चलिये, माननीय धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं शायद आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। मेरे को यहां सबसे ज्यादा ध्यान से यहां दो ही आदमी लखमा जी और चौबे जी सुनते दिख रहे हैं। मैंने तो खुद कहा कि आपने शराब बेचने का काम शुरू किया है। आप सुनोगे तब तो। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि कब राज्य मंत्री, मंत्री बनूंगा।

श्री संतराम नेताम :- सदस्य महोदय, ऐसा नहीं है, पूरी ऐसी बात बता रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरूआत करवाई है, उसके बाद अभी जो 6 महीने हुए हैं, उसमें आप पूरा आरोप लगा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, इसीलिए मैंने एस.आई.टी. की मांग की। इसमें एस.आई.टी. की मांग करो।

श्री संतराम नेताम :- वह एस.आई.टी. वाली जो मांग है। मैं आपकी बात पूरी तरह सुना हूं जितना आपने बताया है, मैं पूरा-पूरा सुना हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने यह कहा कि भाजपा की सरकार ने शराब बेचने का काम शुरू किया है। मैं इससे ज्यादा क्या उनको गोली मार दूं। मैं तो नहीं मार सकता।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- हम भी तो कह रहे हैं उस समय भी होता था, अभी भी होता है। उस समय भी चखना की दुकान थी।

सभापति महोदय :- संतराम जी, बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। ऊर्जा विभाग को 11 हजार करोड़ रुपया उपभोक्ताओं से वसूल करना है, मतलब इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को 11 हजार करोड़ रुपये पाना है। आप वसूली कर नहीं पा रहे हैं। आपने 5-5 कंपनियां बनाकर रखी हैं, मैं पिछली बार भी विधानसभा में बोला था कि ये सफेद हाथी पालने से कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रदेश है। पहले भी 2 कंपनियों में पूरा ऊर्जा विभाग ठीक से काम करता था। जब से 5 कंपनी बनी हैं सब काम लचर है, अस्त-व्यस्त है, फाईलों के बीच में, लड़ाई-झगड़े के बीच में, फाईलों के दौर में यह सब काम रूकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरे ही आज के प्रश्न के उत्तर में इस सरकार ने बताया है कि तेलंगाना को आपने 4 रुपया समथिंग के रेट पर बिजली का विक्रय किया है और 28 सौ करोड़ रुपया आपको तेलंगाना सरकार से पाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बजट बनाने के पहले आपको अधिकार है, आप तो सत्ता में हैं, आप जितने का बजट बनायेंगे, वह पास हो जायेगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे घर में ही इतना पैसा है कि अगर हम कर्ज न लें या दूसरों से न मांगें तो हमारा खर्च चल सकता है। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे आपके विकास के काम को गति मिलेगी। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को 11 हजार करोड़ रुपया वसूली करना है तो आप उनको बोलिये न कि वसूली का कार्यक्रम चलायें। जब पैसा नहीं दे रहे हैं तो तेलंगाना सरकार की बिजली काट दो और वसूली करो। नया स्टेट है, हमसे बाद में बना है। हम उसको बिजली दे रहे हैं, कोई उसके कर्जदार नहीं हैं। हमारे पैसे को दो, क्योंकि हमारे प्रदेश में विकास के काम की बहुत जरूरत है। आपको बड़ी-बड़ी योजनाओं को करना है तो पैसा तो आना चाहिए। 5-5 होल्डिंग कंपनी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां सदन में बोला, आपने उसके लिए 6 महीने में कोई प्रोसेस एडाप्ट नहीं किया, यह हम आपको बताना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, लाईन लास की बड़ी प्राब्लम है। भाजपा के समय में बिजली ज्यादा मिलती थी, आपके समय में कम हो गई, मैं इस आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। नकली ट्रांसफार्मर की सप्लाई इतनी ज्यादा आ चुकी है, उस ट्रान्सफार्मर में एल्युमूनियम का लगा हुआ है। पहले भेल से आता था, उसमें कापर का लगता था, वह केपिसीटी आब्जर्व करता था। आप काहे को यह जो बड़े-बड़े पूंजीपति और उद्योगपति छत्तीसगढ़ को चरने के लिये आते हैं ।

समय :
4:00 बजे

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- यह सब कारनामे श्री अजय जी की सरकार के रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बोल तो रहा हूं आप लोग सुनते नहीं हैं । कौन सी दुनिया में जीतो हो यार ? मैं बोल तो रहा हूं लेकिन आपको भी बता रहा हूं कि इन्होंने जैसा किया वह जो एक्साईज वाला है न उसको भी डॉ. रमन सिंह जी के समय में लाया गया था लेकिन उसकी योग्यता में आप डॉ. रमन सिंह जी से ज्यादा फिदा हो गये हैं और उसको बिल्कुल मशीन की जगह में जिंदा मशीन रख दिये हो । मैं यही तो बोल रहा हूं । ट्रांसफार्मर अच्छे मंगवाये जायें । हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं । यदि किसी भी सदस्य को एक एडिशनल ट्रांसफार्मर लगवाना हो तो सबइंजीनियर सर्वे करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर उसको लिखेगा फिर वह डी.ई. रिकमंड करेगा फिर उसको ई.सी. रिकमंड करेगा, फिर उसको सी.ई. मंजूर करेगा जैसे कोई चंद्रयान भेजना हो, आप लोग तो इस टाईप से बात कर रहे हैं । किसान को एक ट्रांसफार्मर लगाना है, दुनिया में सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा है । बिजली विभाग में यह नाईन विंडो सिस्टम क्या है ? इसको बदलिये और जब गांव में किसानों का ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको आपके अधिकारी बदलते नहीं हैं और यह जिम्मेदारी अधिकारियों की है ।

श्री अमरजीत भगत :- श्री धर्मजीत भैया आपको तो दिक्कत नहीं आती होगी। कहीं दिक्कत आती होगी तो आप बताईये न, हम लोग आपकी मदद करने के लिये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बैठो यार । आप क्या है कि अभी मंत्री बन गए हैं न । आपको अभी लोगों का दर्द समझ में नहीं आएगा । हम लोग विपक्षी विधायक हैं, जब एक फोन आता है रात को तो डरने लगते हैं कि भैया मोर गांव के ट्रांसफार्मर जल गे हे । आपके टाईप होते न तो अधिकारी को मैं रात को ही भेजकर ट्रांसफार्मर लगवाता लेकिन आपकी जगह में नहीं हैं इसलिए बोलते हैं कि ठीक है भैया, कल बात करेंगे, देखते हैं और जब सुबह बात करते हैं तो दस बहाने, ट्रांसफार्मर नहीं है, लाईनमेन नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है । हम व्यावहारिक पीड़ा को समझ रहे हैं, आप उसकी मदद करिए । मैं अपने घर के लिये यह ट्रांसफार्मर नहीं लगवा रहा हूं । किसानों के लिये जरूरी है, अकाल में वही बचाएगा, पानी देगा । आप नये-नये लड़कों की भर्ती क्यों नहीं करते हैं ? वह 60 साल वालों को करते हैं । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उम्र को कम करो, सिर्फ फाईल करते हैं, माल-टाल कहां है बोलते हैं इसके अलावा कोई काम नहीं करते । आप नये-नये लड़कों की भर्ती करिये । बहुत से टेक्नालॉजी में तेज लोग हैं, आपने पुराने जमाने के लोगों को भर्ती कर दिया है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, बिजली ऑफिस में ठेकेदारी प्रथा है । ठेकेदार पता नहीं बड़े-बड़े लोगों से मिलकर जाता है न तो पता नहीं अफसर यदि कुछ बोलते हैं तो उसको डांटता है । इसको भी आप थोड़ा देखिए मतलब अभी प्रदेश में लोग किश्तों में सो रहे हैं । 12 बजे आये तो 1 घंटे सो जाओ क्योंकि 2 बजे जाना है । यदि 5 बजे आया तो 1 किश्त में सो जाओ, रात के 12 बजे

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आये तो एक किश्त में सो जाओ यानी लोग नींद भी किश्तों में ले रहे हैं । यह जर्क क्या है ? बिजली वालों से जरा पूछिएगा कि यह जर्क क्या है ? यह जो खेदामारा में स्विच को ऊपर-नीचे करते हैं न इसमें भी बहुत बड़ा खेल है । आप एक-बार समीक्षा करके कड़े निर्देश तो दीजिये तब तो कुछ होगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन और आवास के बारे में जल्दी-जल्दी बता देता हूं । वर्ष 2015 से 2018 तक यानी 03 साल में 32 करोड़ पौधे लगाये गये हैं । वर्ष 2019 में फिर अभी आप 07 करोड़ लगाने वाले हैं । खर्च अरबों रूपयों में है । आज तक न कोई स्पॉट में गया, न यह देखा कि 32 करोड़ पौधों में से कितने सौ पौधे जिंदा है, मैं बस इतना ही पूछ रहा हूं ? 05 प्रतिशत पौधे भी जिंदा नहीं हैं और करोड़ों रूपये लोगों के जेब में घूम-फिरकर चला जाता है अधिकारियों के या नेताओं के या अन्य किसी के भी, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन केवल उत्सव मनाने से इस प्रदेश में हरियाली नहीं आएगी । वन्य प्राणियों की मौत, 06 महीने में 100 से ज्यादा वन्य प्राणी विभिन्न कारणों से मर गए । पोस्टमार्टम भी ठीक से नहीं करते हैं । बिलासपुर का सफेद शेर मरा तो पहले यह बयान आता है कि इसको सांप ने काट लिया । जैसे वे सांप काटते देखने के चश्मदीद हों । बाद में पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि हार्टफेल हो गया । आप एक अदना सा डॉक्टर भी नहीं रखे हैं जो पोस्टमार्टम कर सके, एक संस्थान नहीं रखे हो । छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा वन संसाधन है ।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा धर्मजीत भइया, शेर का हार्ट फैल नहीं हो सकता है क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- तो फिर पहले यह क्यों कहा गया कि सांप ने काटा ? बोला तो आपके ही मंत्री ने । इसी सदन में कहा गया कि सांप ने काटा । हार्ट फैल नहीं, कुछ भी फैल हो सकता है । सभापति महोदय, जलस्रोत के नाम पर 21 करोड़ रूपया स्वीकृत है । यह कार्य 2019 तक पूर्ण होना था । माननीय मंत्री जी (श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री की ओर संकेत करते हुए) आप देखते हैं तो लगता है कि आप सुन रहे हैं । बाकी तो इधर मैदान साफ है । 2019 तक पूर्ण हो जाना था लेकिन 21 करोड़ खर्च हो जाने के बाद भी वन्य प्राणियों के लिए जल स्रोत नहीं बने । इस दौरान जंगलों में आग बहुत लगी । सेटेलाइट ने सूचना दी लेकिन आज तक आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए । आपके पास न तो कोई कर्मचारी है और न ही कुछ है । उद्योगपति, नंदीराज पर्वत को पूरे तानाशाही से जाकर काट लिया है, जिसके नाम से आप लोग चिढ़ते थे, आजकल ज्यादा प्रेम हो गया है, अडानी जी से। उसको एक हजार, दो हजार झाड़ काटने की अनुमति है और हमारे अचानकमार रिजर्व टाइगर के अतरिया गांव का एक बैगा अपनी झोपड़ी में रह रहा था तो एक रेंजर जाकर, बैगा, बैगिन और उसके परिवार को बेरहमी से डंडे से पीटा । मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवायी, कलेक्टर से शिकायत की । आपके नेता खादी पहनकर पहुंच गए और उसकी सिफारिश कर रहे हैं । ये अच्छी बात नहीं है । जब गरीबों के मान और सम्मान की लड़ाई कोई लड़े तो आपको साथ देना चाहिए । आततायी का साथ दोगे तो नेस्त-नाबूद और

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

तबाह हो जाओगे । अचानकमार की अपनी समस्या है, मैं उस पर कितना बोलूं । आप लोग ध्यान देते नहीं हैं । चलिए, कोई बात नहीं ।

सभापति महोदय, ये उरला, सिलतरा आपके क्षेत्र में है ना । पूरे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण मापने के लिए एक जिम्मा दिया गया है, एनाकॉन लेबोरेटरी प्रायवेट लिमिटेड नागपुर को । इसकी मशीन में हमेशा यही लिखाता है कि सब सही है । कभी नहीं लिखता कि सिलतरा में कभी प्रदूषण है । अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि इस कंपनी को महाराष्ट्र की सरकार ने अपने यहां ब्लैक लिस्टेड किया । मेरे पास जिलाधिकारी कार्यालय परभणि, गौण खनिज विभाग का पत्र है जिसमें उसके खिलाफ लिखा है कि इसको किसी भी प्रकार से प्रदूषण नापने का काम नहीं दिया जाए । लेकिन हमारे यहां पता नहीं क्या हो रहा है, दुनिया भर के रिजेक्टेड को सेलेक्ट कर रहे हो । एक रीवा वाले को आबकारी में ले आए, एक महाराष्ट्र के रिजेक्टेड को पर्यावरण में ले आए । एन.जी.टी. ने 408 उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया, एक-एक करोड़ रूपए का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया । 408 उद्योगों के खिलाफ अभियोग चलाने का आदेश दिया । सभापति जी, ये सिर्फ एन.जी.टी. का आदेश है, क्रियान्वयन कहीं नहीं है । नोटिस दो, जवाब दो और क्या कार्रवाई होती है, कुछ नहीं पता चलता है । आपको बताना चाहिए कि आपने क्या कार्रवाई की है । आज ही आपने शैलेश पांडे जी के प्रश्न में बता रहे थे कि बिलासपुर में छापा मारे, जांच की, सब सही पाया गया । सब सही पाया गया फिर भी मंत्री जी दौरा करने, जांच करने क्यों जाते हो, सब सही है तो । अब उस बात को छोड़िये , उस बात को नहीं बोलता । एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है इस सरकार के संरक्षण। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री मस्तूरी के बोहारडीह गांव में 7.6.2019 यानी कुछ दिनों पहले एक गांव वालों की बैठक, जनसुनवाई रखा । मस्तूरी गांव वालों के प्रचार प्रसार के लिए, एक नियम है कि लोकप्रिय अखबार में न्यूज या विज्ञापन छपना चाहिए । मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7.6.2019 को बोहारडीह जो कि 100 प्रतिशत दूरस्थ अंचल में है उसकी सूचना को छापने के लिए एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के लोगों ने दिल्ली के दैनिक अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में 300 पेज का अंग्रेजी में विज्ञापन दिया है । बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में, अंग्रेजी में 300 पेज का विज्ञापन बोहारडीह गांव की जनसुनवाई के लिए दिया है । हमारा बाप समझेगा अंग्रेजी, वह भी 300 में छापोगे तो । पर्यावरण प्रभाव की ईआईए रिपोर्ट भी अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा । यह नव भारत, हरिभूमि उसके लायक नहीं थे । वह टाइम्स ऑफ इंडिया में अंग्रेजी में 300 पेज का विज्ञापन दिया । कहां से जनसुनवाई होगी ?

श्री अमरजीत भगत :- भाभी जी कम से कम से पूछ लीजिएगा । वे तो अंग्रेजी समझती हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो भाभी जी कौन सा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती हैं। वे भी तो हरिभूमि ही पढ़ती हैं। सभापति जी, आप थोड़ा सुनिए तो। सुन तो लीजिए। 5 हजार हेक्टेयर जमीन जिसमें प्रतिवर्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

39 लाख टन चूना पत्थर निकलेगा। जिसमें 5 गांव के लोगों की जमीन ली जाएगी। लैण्ड जिससे लिया जाएगा, लैण्ड यूजर को कोई नौकरी का प्रावधान नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, अभी हमारे उद्योग मंत्री न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया घूमकर आये हैं। समझ में नहीं आये, तो उनसे पूछ लीजिएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- दंतेवाड़ा में एक ठोक खीला बनाने का कारखाना खोलवा लेगा तो मुझे बताना। (हंसी) सभापति जी और सुनिए न। आदरणीय, आप तो सुनिए, बहुत जरूरी है। आपको भी इसे जानना बहुत जरूरी है। घूम-फिरकर कहीं न कहीं सब लोग उनसे टकराते हैं। इस फैक्ट्री के लिए प्रतिदिन 30 लाख 50 हजार लीटर प्रतिदिन पानी इसको चाहिए। कुरान बेग नहर से, आपके नहर से, लीलागर नदी से शिवनाथ नदी से और बेशर्मी की हद तो तब हो गयी जब इसने आपकी सरकार के अधिकारियों के समक्ष लिखित में दिया कि मैं इन सब कामों के बदले के लिए जितना बताया हूं एक केन्टीन खोलूंगा। एक एंबूलेंस दूंगा और एक विश्राम गृह बनाउंगा। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को इस तरीके से लूटने वाले लोगों को आपके अधिकारी और जब यह हो रहा था तो आपका एडीशनल कलेक्टर और पर्यावरण अधिकारी वहां थे। आखिर इस सरकार को ऐसे उद्योगपतियों को यहां लाने के पीछे आपका मकसद क्या है? मैं यह पूछना चाहता हूं । आखिर आप इतना उपकृत क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है ? जनता जानना चाह रही है। उसी के किनारे तो लाफार्ज है। उसी के किनारे के.एस.के. पॉवर प्लांट है। वह पूरा इलाका राखड़ से भरा हुआ है। अभी भी आपको चैन नहीं है। जो काम इन्होंने राखड़ का किया था, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ अडानी का आपके नेता विरोध करते हैं। दूसरी तरफ अडानी को नंदीराज पर्वत उजाड़ने की अनुमति दी जाती है और उसके लिए तर्क दिया जाता है कि यह एक केन्द्रीय संस्था है। छत्तीसगढ़ को अगर कोई उजाड़ने के लिए कोई भी संस्था अनुमति दे तो इस सदन को अधिकार है। एक प्रस्ताव पास करिए। ऐसे सारे एग्रीमेंट को निरस्त कर दीजिए। सदन ने बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन आप नंदीराज पर्वत को तोड़ना चाहते हैं। नंदीराज पर्वत पर कब्जा करना चाहते हैं जोकि हमारे आदिवासी भाइयों की आस्था का केन्द्र बिंदु है। यह बहुत ही अपमान करने वाली बात है। उसे खत्म करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जंगलों को नहीं कटने देंगे और किसी भी प्रकार से यह ए.सी.सी. फे.सी.सी. और यह अडानी मडानी इन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। आप नियम बनाइए। विधान सभा में प्रस्ताव लाइए।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, कृपया conclude करिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- बस दो मिनट। दो मिनट में खत्म हो जायेगा। चुनाव में घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हम चिटफंड मामले को उठायेंगे। 250 फर्जी कंपनियां 2.70 लाख निवेशक 12 अरब रूपये का निवेश और धोखाधड़ी अब तक कितनी चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई हुई है? कितने को आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गिरफ्तार किया है ? कितनी संपत्ति जब्त की है ? जरा आप बताइए। चोरी, डकैती, लूट के 2018 के 2100 प्रकरण हैं। इस पूरे मामले में 10 करोड़ नगद का मामला है। सिर्फ 740 प्रकरण पर ही कार्रवाई की गई है। दुर्घटना के बारे में मैं आज ही अखबार में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ का एक लड़का बच्चा जो बांबे में फिल्म में काम करता था, धरसींवा में मर गया।

श्री अमरजीत भगत :- भैया, आप बताइए। कैसे होगा ? जब करने लगते हैं तो बोलते हैं कि बदलापुर की कार्रवा। बदलापुर की कार्रवाई।

सभापति महोदय :- चलिए, धर्मजीत जी। काफी समय हो गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक्सीडेंट का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। वर्ष 2018 में 14 हजार हादसा हुआ। 4600 लोग मरे। 10 हजार से ऊपर घायल हुए और प्रतिदिन 38 मौतें छत्तीसगढ़ की सड़कों पर हो रही हैं। राजधानी में 400 से अधिक सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं। सभापति महोदय, आप जिस शहर में रहते हैं, हम लोग रहते हैं, उसमें 4 हजार से अधिक सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हैं। उसमें से आधा बंद है और आधा का विजन धुंधला है मतलब चार हजार के चार हजार कैमरे बेकार हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। ये पुलिस के अफसर बोल रहे हैं। राजधानी को सुरक्षित रखना है, तो आपको इनको भी, सुरक्षा के इंतजाम को देखना होगा और हिरासत में 6 महीने में 6 मौतें हो चुकी हैं। इसलिए इस छः माह के इस सरकार के इनके विभाग, अधिकारी और मंत्रियों की जो स्वेच्छाचारिता जो है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो मनरेगा में नियुक्ति भर्ती नियम में छत्तीसगढ़ का निवासी अनिवार्य था, उसको बदलकर के अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। बाद में एक आई0ए0एस0 अफसर ने माफी मांग ली और सरकार ने चेतावनी दे दी। बिजली कटौती-Whattsapp में एक मामला आया, राजनांदगांव के मांगेलाल के विरूद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, बाद में उसको हटा लिया। धमतरी चिटफण्ड कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए 60 हजार रूपये के लेनदेन में वहां के थाना प्रभारी को सस्पेण्ड किया गया। भिलाई में 40 पेटी जब्त शराब के मामले को दबाने के नाम पर भिलाई पुलिस 5 लाख रूपये लेनदेन थाना प्रभारी, हवलदार सस्पेण्ड। नये जिले के गठन के लिए आपके सरकार के मंत्रालय से आदेश जारी होता है। मंत्रालय से आदेश जारी हो गया कि नये जिले बनाये जाये, आप इसको बाद में वापस ले लेते हैं। चौबे जी, आप संसदीय कार्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है कि बिलासपुर का कलेक्टर मंथन सभागृह में आपके कांग्रेस के महापुरूषों की बैठक लिया। बैठक उनकी गुटबाजी को दूर करने के लिए लिया गया कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो आपस में जूतम-पैजार मत करना भैय्या, लाईन से माला पहनाना, एक दूसरे को पकड़कर मंच से नीचे मत उतारना, वहां के विधायक को धक्का देकर नीचे मत करना, दूसरे विधायक को ऊपर कर देना, इस टाईप की मीटिंग बिलासपुर में अधिकृत रूप से हुई है। वीडियोग्राफी है। माननीय मंत्री जी, यह स्वेच्छाचारिता है या नहीं ? किसी भी राजनीतिक

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दल की बैठक कलेक्टोरेट में हो और वह भी सिंगल और वह भी उनके आंतरिक मामले को सुलझाने के लिए हो, यह बहुत आपत्तिजनक है। अरपा नदी में मैं तो आरती उतारू रे अरपा मैया की, उसमें आप भी गये, शैलेष पाण्डेय जी भी आरती उतारे थे। भूपेश बघेल जी भी आरती उतारे थे। वहां के कुछ समाजसेवियों ने एक कांग्रेस के पार्षद अखिलेश बाजपेयी ने प्रयास किया, गर्मी में उस नदी को साफ करने की कोशिश की। ले-देकर 10-12 ट्रक कचरा निकाले, शाम को नगर पालिक निगम, बिलासपुर बढ़ते कदम, 10 ट्रक कचरा वहां ले जाकर डम्प कर दिया। वे लोग कई महीने में 10 ट्रक कचरा निकाले और नगर निगम ने एक घण्टे के अंदर अरपा नदी की जय हो कहकर 10 ट्रक मारा।

श्री शैलेष पाण्डेय :- वह पुरानी सरकार का ठेकेदार था।

श्री धर्मजीत सिंह :- पुरानी नहीं है, छः महीने हो गए, सब नई है।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, चलिये समाप्त करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं खत्म ही कर रहा हूं, आखिरी समापन कर रहा हूँ। सभापति जी, आवास और पर्यावरण की अधिकारी ने कहा कि यह बहुत गलत है, मैं कार्रवाई करूंगी। अब वह क्या कार्रवाई करे ? यहां बिलासपुर सीवरेज के बारे में जब प्रश्न उठाओ तो बिलासपुर में वे लोग, जो जिन्दगी में कभी ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लडे, जो कभी पंच का चुनाव नहीं जीते, वे वहां बयान देते हैं कि विधायक धर्मजीत सिंह को सरकार से श्वेत-पत्र जारी कराने की मांग करनी थी, अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलना था, मंत्री के खिलाफ बोलना था। अब बताओं कि इतना दिन खराब तो नहीं हो गया कि वह ग्राम पंचायत का पंच चुनाव नहीं जीता है, मैं उसकी बात को मानू ? मुझे क्या बोलना है, मैं मांग कर रहा हूँ, मैंने तो बोला कि जांच करो, मंत्री जी मैंने तो बोला था कि जांच करो, जो दोषी हों, उन पर कार्रवाई करो। लेकिन अब आपके लोग बाहर में अभिव्यक्ति की आजादी को भी मानने से इंकार कर रहे हैं। मतलब वह प्रेशर, हम कांग्रेस के सरकार के नेता हैं, हम तुमको देख, उसके ब्रेकेट में सब यही लिखा है न, देख लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, हम तो इनको मान लिए हैं और हम उनको बोले कि हम वहीं आकर आपक काम करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो बोले, लेकिन आपके उन लोगों को कौन बोले, जो अकल से पैदल हैं, उनको।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, आखरी बात कहना चाहता हूं । बिलासपुर में नशे का सीरप बहुत बिक रहा है, वहां से हजारों पेटियां बरामद हो रही है, वहीं से सब चल रहा है । नशे के कारोबार में आप दारू तो बेच रहे हैं, चखना भी बेच रहे हैं, लेकिन कम से कम सीरप को बंद कराओ । सीरप से

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बच्चे बिगड़ते हैं । जिसके घर का बच्चा नशे की गिरफ्त में आता है, वह घर तबाह हो जाता है । आदरणीय मंत्री जी, मैंने बहुत सी बातें बोली हैं, आप सुने होंगे, नहीं तो चौबे जी बता देंगे । आप जरूर ख्याल रखिएगा । छत्तीसगढ़ की संपदा को एक पूंजीपतियों के हाथ में मत दो, उद्योग से सिवाय धुंआ के कुछ नहीं मिलना है । जब तक नहीं लगेगा, तब तक ए.सी. वाला केंटीन दे रहे हैं, केंटीन दूंगा, विश्राम गृह बनाऊंगा, बोलते हैं । ऐसा थोड़ी होता है।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आपकी ये बातें आ गई हैं, समाप्त करिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हम 5 हजार हेक्टेयर को जाने नहीं देंगे, विरोध करेंगे और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद । लखमा जी, चखना से बचाओ ।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति जी, इधर वालों का भी नम्बर लगना चाहिए ।

सभापति महोदय :- इधर ही लगेगा । मैं जो कुछ भी कार्यवाही कर रहा हूं, नियम से कर रहा हूं ।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- महाराज, सही-सही बोलना । बस्तर में दो लोग मर गए, जिंदा लोगों का मत मरवाना । ठीक-ठीक बोलना।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- सुन तो लीजिए । माननीय सभापति जी, नवम्बर, 2018 में पंचम विधान सभा के चुनाव सम्पन्न हुए और पंचम विधान सभा के चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और आदरणीय टी. एस. सिंहदेव जी जन घोषणा-पत्र बनाने वाली समिति के संयोजक थे और आप लोगों के द्वारा एक लोक लुभावना जन घोषणा-पत्र जारी किया गया और उसका परिणाम यह था कि छत्तीसगढ़ में पंचम विधान सभा में कांग्रेस पार्टी को वह बहुमत मिला, जो इसके पहले की चार विधान सभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं था । तीन चौथाई मेजारिटी के साथ यह सरकार बनी ।

माननीय सभापति जी, यह सरकार का प्रथम अनुपूरक बजट है । सरकार की ओर से एक मुख्य बजट भी आ चुका है । मैं इनके घोषणा-पत्र की बाद में बात करूंगा । विधान सभा चुनाव के बाद लोक सभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के दौरान...।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, अनुपूरक विषय पर बोलिए, कहां लोकसभा, विधान सभा चुनाव ले आये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, मैं विषय पर बोल रहा हूं । मैं अनुपूरक के विषय की पृष्ठभूमि में ही बोल रहा हूं । लोकसभा चुनाव के दौरान जब पूरे देश में राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जा रहा था तो यहां 60 माह बनाम 60 दिन का नारा दिया गया और रिजल्ट सबके सामने है । कांग्रेस का रिजल्ट इसलिए खराब हुआ क्योंकि इन्होंने जन घोषणा-पत्र में जनता के साथ जो वादा किया था, उस वादों को पूर्ण करने में सरकार पूरी तरह से असफल रही ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय शर्मा जी, खराब कहां हुआ, एक सीट से दो सीट जीते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, किसानों के कर्ज माफी की बात बार-बार आती है । आज भी जब माननीय अजय चन्द्राकर जी का भाषण चल रहा था तो एक विषय लोग बार-बार उठा रहे थे कि 10 दिन में कर्ज माफी न करने पर आपने इस्तीफा देने की बात की थी, आप इस्तीफा दो । कल भी मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि सरकार 17 अप्रैल को गठित हुई और 17 अप्रैल से सरकार काम करना शुरू की और 26 अप्रैल को 10 दिन की समय-सीमा पूरी होती है । 10 दिनों में किसी किसान का कर्ज माफ हुआ हो तो एकाध नाम आप बता दीजिए, लेकिन वे नाम बताने में असफल रहे । आज भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है । आज भी सहकारी बैंकों में जो कालातीत ऋण किसान हैं, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है । इस अनुपूरक बजट में आपने 768 करोड़ रूपये की मांग की है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- शर्मा जी, कहां का रिकार्ड पढ़ रहे हैं, अप्रैल में सरकार का गठन थोड़ी न हुआ है, यहां सरकार का गठन जनवरी में हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 17 दिसम्बर । माननीय सभापति जी, आपने 768 करोड़ रूपया का बजट प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है । उसके बाद भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लगभग 35 प्रतिशत किसान ऐसे बचेंगे, जिनका कर्ज माफ नहीं हो रहा है । माननीय सभापति जी, नशाबंदी के प्रचार-प्रसार इस विषय पर कार्यशाला, रैली और प्रतियोगितायें आयोजित करने के लिए इस अनुपूरक बजट में 67.5 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति जी, एक तरफ आप नशाबंदी के लिए 67.5 लाख रूपये प्रचार-प्रसार हेतु बजट प्रावधान करते हैं, वहींकल एक विधान सभा के प्रश्न में जवाब दिया है कि शराब से इस वर्ष 5 हजार करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य आबकारी विभाग ने रखा है । आपके जन घोषणा पत्र में आपने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की । वही दूसरी तरफ आबकारी विभाग के आमदनी बढ़ाने के लिए 5 हजार करोड़ रूपये का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। ये विरोधाभाषी बातें कैसे चलेगी, माननीय सभापति जी । माननीय सभापति जी,इस अनुपूरक बजट में राज्य निर्वाचन आयोग में सेट अप के लिए 42 अतिरिक्त नवीन पद, डॉ.भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में 195 नवीन पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में 10 नवीन पद, इन सारे कामों के लिए जो राशि स्वीकृत हुई है, वह 7 करोड़ 40 लाख रूपये की है । आपके पास रोजगार देने के लिए 7 करोड़ 40 लाख की व्यवस्था है। माननीय सभापति जी, इनका जो जनघोषणा पत्र निकला था, उस जनघोषणा पत्र में इस

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बात का उल्लेख था कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को हम 2500 रूपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे। छत्तीसगढ़ में माननीय सभापति जी, 27 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, न इनको रोजगार देने की व्यवस्था हो रही है, न इनको बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था है ।

श्री उमेश पटेल :- बेरोजगारी भत्ता पर आप बोल रहे हैं । यह प्रक्रिया में है, उसमें धीरे से सरकार आगे बढ़ेगी । जन घोषणा पत्र में है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- 2003 में बोले रहिसे बेरोजगारी भत्ता देबो ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, पिछले पन्द्रह साल के अपने घोषणा पत्र पढ़ लेते तो यह स्थिति नहीं होती ।

श्री उमेश पटेल :- जन घोषणा पत्र है, पांच साल के लिए है । उसकी व्यवस्था की जायेगी । अगर आपको याद नहीं होगा तो वर्ष 2003 में आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात कही थी । वर्ष 2013 में किसानों को 2100 रूपये देने की बात कही थी ।

श्री रामकुमार यादव :- कई झन मन गेरवा ला धरे हे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है, माननीय उमेश जी । हम अगर नहीं कर पाये, उसी के चलते वहां से यहां बैठे हैं । ...(व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अभी पन्द्रह साल और बैठना है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्या :- इसीलिए हम लोग कर रहे हैं । ...(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो आपको याद दिलाया हूँ । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- हम करेंगे । आपको यही बता रहा हूँ ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अपन घोषणा पत्र ला भुलागे, हमर ला याद रखे हे ।

श्री अमरजीत भगत :- शर्मा जी, यह बताईये कि आपको कर्ज माफी का लाभ मिला कि नहीं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं कर्ज लिया ही नहीं तो माफी का सवाल ही नहीं उठता।

श्री अमरजीत भगत :- पक्का । उस दिन आप कुछ और बोल रहे थे कि मेरा इतना माफ हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है, कर्ज में किसानो को लादने का काम आपकी सरकार ने किया है ।

श्री संतराम नेताम :- आपने किया था, हमारी सरकार ने तो माफ किया है। (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- खेतीबाड़ी का ...(व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- 2500 रूपये मिल रहा है, कर्जा माफी हो रहा है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- 300 रूपये बोनस देंगे बोले, 2100 रूपये समर्थन मूल्य देने के लिए बोले थे । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- आप नहर लाइनिंग का कार्य नहीं करवाये ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ।..(व्यवधान) आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए 15 आया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, सातवी नवीन बटालियन के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 44 करोड़ रूपये की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है । इनका जो जनघोषणा पत्र निकला था, उसमें इस बात का उल्लेख था कि नक्सलवाद प्रभावित पंचायतों के सामुदायिक विकास के लिए प्रत्येक पंचायत को 1 करोड़ रूपये की धनराशि दी जायेगी। माननीय बघेल लखेश्वर जी, माननीय मोहन मरकाम जी आप तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। किसी पंचायत के लिए कोई व्यवस्था की गई है इसे जरा मुख्य और अनुपूरक बजट को उठाकर देख लीजिए।

श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर (महासमुंद) :- माननीय सभापति महोदय, आप 15 साल राज किये, अभी छः महीने सरकार को बने हुए हुए हैं थोड़ा इंतजार करिये, समय दीजिए, जरूर करेंगे। आप अगर सिंचाई की व्यवस्था कर देते तो किसान कर्ज में नहीं जाते, आप 15 सालों में अगर पूरे 5 साल बोनस देते तो किसान कर्ज में नहीं जाते, आप अगर नहर लाईनिंग का काम कर देते तो आखिरी किसान को भी पानी मिलता लेकिन इस काम को भी आपने नहीं किया। जब किसान रबी फसल लेने के लिए जाते थे तो उस समय यदि आप बिजली कनेक्शन काटने की धमकी नहीं देते तो वह रबी फसल लेते। आपने तेंदूपत्ता में लूटने का काम किया है। आपने लोगों को कैसे-कैसे लूटा है हम जानते हैं।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, 10 मिनट हो गये हैं।

श्री शिवरनत शर्मा :- मैंने बोलना शुरू किया है लेकिन उधर से कोई बोलने दे तब न। मुझे धारा प्रवाह बोलना आता है, फिर ये लोग खड़े होकर चिल्लाते रहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।

सभापति महोदय :- आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप कन्क्लूड करिए।

श्री शिवरनत शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस अनुपूरक बजट में अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 30 करोड़ रूपये, जगदलपुर मल्टी स्पेशियालिटी हास्पिटल के लिए 21 करोड़ रूपये और बिलासपुर में सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के लिए 21 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। पर माननीय सभापति जी, जन घोषणा पत्र में और इस विधानसभा में दसों बार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात हुई, उसमें क्या हुआ? पूरे प्रदेश में लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। न स्मार्ट कार्ड में इलाज हो रहा है, न आप आयुष्मान योजना को ठीक ढंग से लागू कर पा रहे हैं और न अपने घोषणा के अनुसार यूनिवर्सल हेल्थ का लोगों को लाभ दिला पा रहे हैं और उसका नुकसान पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, 4300 करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि विधायकों को जो 3.5 लाख रूपये की जनसंपर्क राशि मिलती है उसको बढ़ाकर 10 लाख रूपये करेंगे और जो 10 लाख रूपये बढ़ाने की घोषणा की गई उसका भी अनुपूरक बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

श्री अजय चनद्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हाऊस की घोषणा का ऐसा अपमान आपके अधिकारियों के द्वारा? हाऊस में घोषणा की उसको नहीं लाया गया तो बाकी का फिर क्या होगा?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, अब घोषणाओं का क्या हश्र हुआ हम लोगों ने 15 साल तक देखा है। किन-किन घोषणाओं को प्राथमिकता से लेना है और किन-किन की आवश्यकता है, आप ही लोग कर्ज माफी की बात पर चिल्ला रहे थे। अब थोड़े पैसे शेष थे उसे भी इस अनुपूरक में लिया गया। जो आवश्यकताएं थीं, आखिर अनुपूरक की लिमिटेशन होती है। आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, समझते हैं। अब जिन चीजों की आवश्यकता है उसे शामिल किया गया।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो हाऊस की घोषणा का महत्व पूछ रहा हूं वह भी विधायकों से जुड़ मामले में।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कह रहा हूं न कि हमारा जो कमिटमेंट है वह पूरा होगा, ये आप निश्चित जानिए।

श्री अजय चंद्राकर :- हाऊस में घोषणा न हो तो सुनिश्चित कर दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, सदन में घोषणा हुई और उस घोषणा से कुल राशि जो अनुपूरक बजट में आनी है वह करीब छः से सवा छः करोड़ रूपये के बीच में आनी है। 4300 करोड़ रूपये के बजट में छः-सवा छः करोड़ रूपये बहुत मायने नहीं रखता। पर सदन की घोषणा को भी यह सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है यह इससे पता चलता है। आपने 10 लाख रूपये दिये, 3.5 लाख रूपये पहले से मिल रहा है यानी जनसंपर्क का 6.5 लाख रूपये प्रति विधायक बढ़ना है। 90 सदस्य हैं उनका 6.5 लाख रूपये बढ़ेगा तो कितना होगा? कुल मिलाकर छः-सवा छः करोड़ रूपये का मामला है। पर माननीय सभापति महोदय, यह सरकार सदन में तो घोषणा करती है ।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, 11 साढ़े 11 सौ करोड़ रूपये और 12 सौ करोड़ रूपये लिये हो, उतना देने में क्या है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, घोषणा को इतना महत्व देती है। यह इस अनुपूरक बजट से सिद्ध होता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, कौन सा छूट गया है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, कौन सा छूटना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बन गई है ? पिछले चार महीने से मार्च से अप्रेल से पूरे प्रदेश में पी.डी.एस. के माध्यम से जो चना और नमक मिलता था वह बंद पड़ा है। अभी आपने उसके लिए व्यवस्था की है।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, चलिये हो गया। समाप्त करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू ही किया है।

सभापति महोदय :- 13 मिनट हो गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, दो मिनट बोला हूं।

सभापति महोदय :- नही-नहीं। ऐसा नहीं है। मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकारूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, दो मिनट ही बचे हैं जितना बोलना है, दो मिनट में बोल लो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, चलिये मैं खत्म करता हूं। चना, नमक चार महीने से बंटना बंद है। एक काम में इस सरकार ने बड़ा रिकार्ड कायम किया है। वह रिकार्ड भुगतान न करना पड़े इसके लिए सर्वर डाउन करने में कायम किया है। मार्च के महीने में पूरे प्रदेश में ट्रेजरी में लगभग 22 दिन सर्वर डाउन रहा है। 22 दिन खाली लोगों को पेमेंट न करना पड़े करके इस सरकार ने नौटंकी की है।

सभापति महोदय :- इसको कैसे सिद्ध करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह तो सिद्ध है। आप 22 दिन किसी भी ट्रेजरी का निकालकर देख लीजिए। पूरे प्रदेश में लगातार 22 दिन सर्वर डाउन रहा है।

सभापति महोदय :- कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। किसी ने ऐसा बंद नहीं किया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में किसी भी राज्य में नहीं हुआ, खाली छत्तीसगढ़ में हुआ है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मृत घोषित करवा दिया था। इनकी आदत सदन को गुमराह करने की है। पहले भी हमने इनकी आदत देखी है।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री शैलेष पांडे :- सभापति महोदय, कमीशन नहीं मिला होगा न इसलिए...।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, मैंने उसका आधार भी बताया था। सरकार को खर्च करने के लिए एक भी पैसा देना उचित नहीं होगा। मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं।

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- श्री शैलेष पांडे जी।

श्री शैलेष पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विभिन्न मदों में 4,341 करोड़, 52 लाख 31 हजार 510 रूपये मांगे हैं। मैं इन सभी मदों का समर्थन करता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, पांडे जी समर्थन नहीं करना है। सबसे ज्यादा प्रशंसा करनी है।

श्री शैलेष पांडे :- सभापति महोदय, जी। अभी प्रशंसा भी करूंगा। मैं आपका ध्यान सबसे पहले इस बात पर आकर्षण चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे मंत्रिमंडल जिन्होंने किसानों के ऊपर इतना भला किया, इतना भला किया कि किसान आज मालामाल हैं। जब पूरे प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दो घंटे में उस फाईल को साईन किया था। मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो क्या रमन सिंह जी ने यह सारी व्यवस्था की थी ? कितने राष्ट्रीयकृत किसान हैं, हमारे सहकारी बैंकों में कितने ऋण हैं। हमारे कितने डिफाल्टर किसान हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए इतनी व्यवस्था करके रखी थी, नहीं की थी ? जब हम सरकार में आये, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने उसके बाद जाकर उस फाईल को साईन किया और उसके बाद वह प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद उस प्रक्रिया को इकट्ठा करके सारे किसानों की जानकारी ली गई। जैसे-जैसे जानकारी आती गई वैसे-वैसे किसानों का कर्जा माफ किया गया। मैं प्रशंसा करता हूं, पता नहीं क्यों हमारे विरोधी पक्ष के जो लोग हैं वह बार-बार इस बात को सदन में क्यों उठाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। यह समझ से परे है। एक तो इतने हजारों करोड़ों रूपयों का कर्जा माफ किया गया। उसके बाद एक भी प्रशंसा लेने बोनस त्यौहार की तरह जिले में नहीं गये। 106 करोड़ रूपये का बोनस दिया और पूरे जिले-जिले में जाकर अपना फोटो छपवा रहे हैं। इतना बड़ा-बड़ा होल्डिंग लगवा रहे हैं, प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यह नहीं किया। यह एक बहुत विचित्र बात है। खैर मैं विषय पर आता हूं। इससे पहले बस्तर सरगुजा प्राधिकरण के क्षेत्र में जो प्राधिकरण बनाये गये थे, उसमें लघु अंचल के अधिकांश जो आदिवासी थे, उनको शामिल नहीं किया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे माननीय मंत्री जी ने उपयोजना के क्षेत्र में उनको शामिल किया और बहुत अच्छा बजट आदिवासी क्षेत्र को दिया। केवल सरगुजा विकास प्राधिकरण, केवल बस्तर विकास प्राधिकरण इन दोनों में ही नहीं, उन्होंने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का भी गठन किया और इसमें 10 जिलों को शामिल किया ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को न्याय मिल सके, उनके लिए काम किया जा सके। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूँ ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति जी, मैं एक विशेष बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ाई करने आते हैं हमारी सरकार ने उनके भोजन के लिए 500 रूपये से 700 रूपये बढ़ाया है इसके लिए मैं ...।

सभापति महोदय :- देखिए, अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए 3 घण्टे का समय निर्धारित था। लगभग ढाई घण्टे से ज्यादा हो गया। अभी भी 12 सदस्य बोलने को हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग 5-5 मिनट में अपनी बात कहें, टू दी प्वाईंट बात कहें, रिलेवेंट बात कहें।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय सभापति जी, आपकी जैसी आज्ञा।

माननीय सभापति जी, मैं ये कह रहा था कि आदिवासी बच्चों की सहायता, भोजन की व्यवस्था के लिए 500 रूपये से 700 रूपये किया। ये हमारी सरकार की जो पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात जो है वह यह है जिस प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण हमारे पूरे प्रदेश में जो वृक्षों को काटा जा रहा है, उसके लिए हमारी सरकार ने जो 500 करोड़ रूपये का वन रोपण निधि वन विभाग को दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है इससे हमारे प्रदेश में हरियाली व्यापक रूप में आ सकेगी। मैं समझता हूँ कि वन में ये हमारी सरकार की जो पहल है, पूरे प्रदेश में जो वृक्ष लगाये जाएंगे। इससे पहले कभी भी किसी भी सरकार ने 500 करोड़ रूपये वन रोपण निधि वन विभाग को दिया है, इस तरीके का नहीं किया, जो आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने वृक्षों, वृक्षारोपण को लेकर, पर्यावरण को बचाने के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इसकी बहुत भारी-भारी प्रशंसा करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि बिलासपुर से हूँ इसलिए बिलासपुर के लिए अपनी मांगे जरूर रखूंगा। लेकिन एक बात अब सदन से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे माननीय सदस्य माननीय भीमा मण्डावी जी नहीं रहे। चूंकि वह बस्तर के नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, हमारे बहुत बड़े नेता आदरणीय महेन्द्र कर्मा जी को भी इसी तरीके से अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, वह भी बस्तर के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत लड़ाई लड़ते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिमण्डल से ये निवेदन करता हूँ और साथ-साथ सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बस्तर विश्वविद्यालय का नाम शहीद महेन्द्र कर्मा जी के नाम पर रखा जाये। मैं बस्तर के लिए मांग करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति जी, चूंकि पानी का संकट पूरे प्रदेश में है। इसलिए नदियों को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। नदियों को संरक्षित किया जायेगा, बांधा जायेगा तो जो हमारे बोर हैं, वह आज सूख रहे हैं। वह इसलिए सूख रहे हैं क्योंकि नदियां संरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बिलासपुर में जो अरपा नदी है उसके पानी को बांधा जाये, उसमें एक बैराज और एक एनीकट की जरूर बनाया जाये। ताकि नदियों

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

का संरक्षण हो सके और इसके साथ-साथ हमारा वॉटर लेवल जो शहरों को लेकर है, उन शहरों में वह बढ़ता रहेगा।

माननीय सभापति जी, एक दूसरी बात ये भी कहूंगा कि पहले अधोसंरचना का विकास करने के लिए सरकारों ने नालियों तक को पक्का बना दिया। कांक्रीटीकरण कर दिया। मेरे पूरे बिलासपुर में 8 करोड़ लीटर पानी पीने के लिए रोज लगता है। ये 8 करोड़ लीटर पानी, नाली से बहकर बाहर चला जाता है, शहर में नीचे जा ही नहीं पाता है अब इसके कारण क्या हो रहा है कि जल स्तर घट रहा है और हमारे जो बोर हैं वह रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में नालियों का कांक्रीटीकरण कर दिया गया है इसको हमें हटाना चाहिए और आप शासन को एक अच्छी नीति लानी चाहिए कि जो नालियां पक्की बना दी गई हैं, उन नालियों को फिर से बनाया जाये।

सभापति महोदय :- धन्यवाद्। कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय सभापति जी, केवल एक मिनट दे दीजिये। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अहिरन नदी को खूंटा घाट से जोड़ने वाली योजना है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम ये जानते हैं कि खूंटा घाट से बिलासपुर में पानी लाने के लिए अमृत मिशन योजना चलायी जा रही है। लेकिन उस योजना से पूरा पानी बिलासपुर में नहीं आ पायेगा। क्योंकि अहिरन नदी से खूंटाघाट को जोड़ने वाली जो जल संसाधन विभाग की योजना है, जब तक इस योजना को पूरा नहीं किया जायेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि अहिरन नदी को जोड़ना जल्दी से जल्दी किया जाये ताकि पानी की समस्या दूर की जा सके। चूंकि समय कम है और मुझे बोलना ज्यादा है, खैर कोई बात नहीं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस अनुपूरक का विरोध करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रदेश की जो दयनीय आर्थिक स्थिति है, प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले लदा जा रहा है। अभी प्रदेश को इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रदेश की जनता के सामने उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है? प्रदेश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री चौबे जी, थोड़ा एती कलेक सुन लें। माननीय चौबे जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी होना चाहिए। अभी इस प्रदेश ने 11 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। कर्ज किसके ऊपर आता है, आम आदमी के ऊपर आता है। इसलिए प्रदेश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति है और 7 महीने में ही हम इतनी बदहाली में पहुंच गये हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर राज्य सरकार को प्रदेश की जनता के सामने में श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए और उसकी घोषणा आज ही करनी चाहिए। इस सदन में होनी चाहिए।

समय :
4:46 बजे **(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति जी, इस अनुपूरक में किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है। इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश में हम कैसे विकास के काम करेंगे, अनुपूरक बजट में किसी प्रकार का कोई उद्देश्य, कोई हेतु, कोई विजन दिखता नहीं है। हमारा प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इस प्रदेश की जवानी और पानी को हम कैसे रोकें। ये तय होना चाहिए कि जवान के हाथ में रोजगार कैसे जायेगा, पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग कैसे होगा, कैसे किसान के खेत की तरफ पानी मुडे, इस प्रदेश की जनता को कैसे पीने के लिए शुद्ध पानी मुहैया हो, इस प्रदेश के जल, जंगल और जमीन को रोकना है। जिस तरीके से जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जमीनों पर बेजा कब्जा हो रहा है। आज निस्तार के लिए, गौचर के लिए कोई जमीन नहीं है। अभी धर्मजीत जी बोल रहे थे, बड़े-बड़े उद्योगपति आ करके हमारी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इन सारी चीजों के लिए प्रदेश सरकार का कोई स्पष्ट विजन होना चाहिए, कोई उद्देश्य, हेतु होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी पिछली 12 तारीख से जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, इस प्रदेश का अगर कोई भूमिपुत्र, अन्नदाता है, यहां की जो सारी अर्थव्यवस्था है, वह किसान और खेती पर निर्भर है। लेकिन किसान को हम कैसे सहूलियत देंगे, किसान के बोनस के लिए अनुपूरक में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उसके कर्ज माफी के लिए सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए आज जो किसानों की हालत 7 महीने में हुई है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद इतनी दयनीय स्थिति, इतनी बद्तर स्थिति नहीं हुई।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इतनी अच्छी स्थिति है।

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा चुप कर, तैं भिलाई के हस, का जानबे भई। माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश के भूमिपुत्र, अन्नदाता किसानों के बारे में इस सरकार का कोई विजन नहीं है। इस सरकार ने कहा था कि बिजली का बिल हाफ करेंगे। इस प्रदेश में बिजली हाफ हो गई, लेकिन कभी भी बिजली कटौती हो जाती है। मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रदेश की राजधानी में लोगों का ये कहना है कि बिजली की जैसी तंगी अभी है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद में कभी नहीं हुई थी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड कहता है कि पिछले साल से 35 प्रतिशत कम बिजली कटौती हुई है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये तो।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने नक्सलवाद पर खूब चर्चा की । हमारे पीछे बैठने वाला साथी श्री भीमा मण्डावी जो इस सदन का सम्माननीय सदस्य था । वह नक्सलवाद की बलि पर चढ़ गया । असमय काल के गाल में समा गया । नक्सलवाद के विषय पर इस अनुपूरक बजट में कोई ठोस नीति कि कैसे हम नक्सलवाद से हमारे जो पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे राजनेता, वहां के जनप्रतिनिधि उनको हम क्या सहूलियत देंगे ? उनको क्या मुहैया करायेंगे ? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे ? उनको रहने के लिये हम कैसे घर देंगे ? नक्सवाद को समूल नष्ट करने के लिये जैसे पंजाब में आतंकवाद को एक ठोस नीति बनाकर, एक ठोस कार्यक्रम बनाकर समूल नष्ट किया गया था वैसी कोई कार्ययोजना इस सरकार के इस अनुपूरक बजट में नहीं है, कोई विजन नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, इस अनुपूरक बजट में जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं । डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनको हम कैसे रोजगार मुहैया करायेंगे इस अनुपूरक बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है इसलिये मैंने पहले ही कहा कि इस प्रदेश के पानी और जवानी को रोकना चाहिए । हम पानी को कहां ले जायें, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, पानी का हम कैसे सदुपयोग करें और इस प्रदेश की जवानी को जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके हाथ में हम कैसे रोजगार उपलब्ध करायें ? यह विजन होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, स्वयं किसान हैं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप 15 सालों तक यह सुझाव क्यों नहीं दे रहे थे ? अभी तो हम लोग नये-नये आये हैं । यदि 15 सालों में ऐसे सुझाव आये होते तो ऐसी दुगर्ति नहीं होती ।

श्री नारायण चंदेल :- दादी, बईठ न गा । तोर हाथ जोड़त हंओं ।

सभापति महोदय :- देखिये, मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि 03 घंटे का समय निर्धारित है, ढ़ाई घंटे से ज्यादा चर्चा को हो चुके हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को बोलना है । सभी संक्षेप करें ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि कैसे हम टेल एरिया तक जो किसान का अंतिम छोर का खेत है वहां तक कैसे हम पानी पहुंचायें ? इसकी कार्ययोजना भी बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए । मैंने माननीय कृषि मंत्री जी को कहा था कि हर जिले में बड़े-बड़े आदमी के लिये तो रेस्ट हाऊस है, सर्किट हाऊस है लेकिन हर जिले में 50 लाख

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का, 1 करोड़ का एक किसान सदन होना चाहिए । जिला मुख्यालय में अगर किसान आता है, गांव का रहने वाला सुकालू, दुकालू, बैशाखू, समारू, पहाड़, डहारू तो वह वहां आकर के विश्राम कर सके, अपने जरूरी काम को निपटा सके । मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आज अनुपूरक बजट में किसान सदन की घोषणा करवा दें ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय के सुझाव पर तो मैंने हां ही कहा है भई । जांजगीर में आपके लिए एक बड़ा किसान सदन बनाया जायेगा यह तो मैंने कह ही दिया है ।

श्री नारायण चंदेल :- पूरे प्रदेश में ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने आपके लिये कहा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम लोग क्या गल्ती किये हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- कोई गल्ती नहीं किये हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ममा, तोर नंबर आही ता तहूं बता देबे कहत हंओं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि यहां की आर्थिक स्थिति को सुधारें । आज जैसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गयी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है वैसे ही इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूरे देश के अंदर में बदनामी हो रही है । अभी एक व्यापारी दिल्ली में कनाट पैलेस गया था तो उन्होंने पूछा कि कहां से आये हो तो बोले छत्तीसगढ़ से तो वे बोले कि अरे वह कर्जा लेने वाला छत्तीसगढ़। यह दृश्य उपस्थित हो गया । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- वह स्थिति तो आपकी सरकार ने बना दी है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- चंदेल जी, आप मन के करे ला हमन भुगतत हन । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, यह अच्छी बात नहीं है और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अपने खर्चे में कटौती करें । प्रशासनिक स्थिति को सुधारें, वित्तीय सिथति को सुधारें ।

श्री अजय चंद्राकर :- पहले आप यह बता दीजिये कि उस छत्तीसगढ़ वाले को उधारी मिली कि नहीं मिली ?

श्री नारायण चंदेल :- बाद में ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नारायण भैया, लगत है कि तोर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भेंट होए रहिस हे । ओकरे आधार पर ए बात चलत है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले की कुछ समस्याएं थीं । माननीय चौबे जी को मालूम है कि वर्ष 1998 में जांजगीर-चांपा जिले का निर्माण हुआ है लेकिन आज भी वहां कम्पोजिंग बिल्डिंग नहीं है और इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्ट्रेड कार्यालय में ताकि सारे ऑफिस एक जगह लगे कम्पोजिंग बिल्डिंग का निर्माण किया जाये उसको बजट में लाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें । अनेक सड़कों की स्थिति के बारे में हमने अवगत कराया है उसको शामिल करें । माननीय सभापति महोदय, मैं इस अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं । आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये धन्यवाद ।

श्री मोहन मरकाम :- चंदेल साहब, अभी तो आप विरोध कर रहे थे, अभी मांग कर रहे हो । मांग भी कर रहे हो और विरोध भी कर रहे हो, यह तो दोहरी राजनीति है ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाह रहा हूं । सभापति जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं तहेदिल से धन्यवाद् देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना अहम निर्णय लिया, चाहे किसानों के हित में हो, चाहे व्यापारियों के हित में हो, अगर आप देखेंगे तो सबके हित के निर्णय हैं । विपक्ष के पास घोषणा पत्र के अलावा कोई बात भी नहीं है । भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा पत्र तैयार करके रखा है, समय आने पर वे सारी घोषणाएं पूरी होंगी, हमें ऐसा विश्वास है और ऐसा होगा भी । किसानों के हित में इतने कम समय में इतने अहम निर्णय लेना, कम बड़ी बात है ? किंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, केवल नकारात्मक बात करने का इनका स्वभाव है । ये पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं । इनके पास नई सोच नहीं है । आज यदि आप इनके कार्यकाल को देखोगे तो पता चलेगा । मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा पहले दो प्राधिकरण थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया और तीन प्राधिकरण बनाया । पहले प्राधिकरण की बैठकों में मुख्यमंत्री स्वयं बैठकर उनका संचालन करते थे और पैसों का बंदरबांट हुआ करता था । आज प्राधिकरणों का विकेन्द्रीकरण करके उनको अधिकार दे दिया गया । सरगुजा विकास प्राधिकारण की जिम्मेदारी खेलसाय सिंह जी को दी गई, बस्तर की जिम्मेदारी लखेश्वर बघेल जी को दी गई और मध्य की जिम्मेदारी लालजीत सिंह राठिया जी को दे दी गई है । यह विकेन्द्रीकरण है । आप हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच को देखो । आपकी सरकार के समय आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया ? सारे अधिकारों को केन्द्रित करके कलेक्टर को दे दिया, उस समय न्यास मद के अलावा भी एक-एक पैसे के लिए हम लोग तरसते थे । कलेक्टर जो बोले वो निहाल । हम लोग एक नाली निर्माण के लिए पैसे के लिए तरस जाते थे । लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक गंभीर सोच के साथ, इसमें बीजेपी के विधायक भी सदस्य हैं और प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है । यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, उनके मंत्रिमंडल की सोच है । पिछली सरकार ने क्या किया ? जहां से कमीशनखोरी हो, जहां से पैसा मिलता हो, 1100 करोड़ रूपया किसानों को दिया है, इसमें कमीशन की बात ही नहीं है । लेकिन आपने तो कभी किसान के हित में कोई बात नहीं की । आपके 15 सालों के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या के कितने प्रकरण दर्ज हुए, ये सब आपके ही कार्यकाल में हुए हैं । आज किसानों के कर्ज माफी की बात हो या अल्पकालिक ऋण की बात हो या अपनी उपज का सही दाम 2500 रूपए क्विंटल की बात हो, कन्या विवाह योजना में 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया । वनवासियों को मिलने वाले 2500 रूपए मानक बोरा को बढ़ाकर 4000 कर दिया गया । ये सारे काम किसके हित में किए गए हैं, क्या इसमें किसी को कमीशन मिलेगा ? लेकिन आप के कार्यकाल में आपने जो भी किया, आप चरण पादुका बांटते थे उसमें कमीशनखोरी ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- साहू जी, टमाटर को कितना बढ़ाए, टमाटर को? टमाटर के बारे में बताइए ना, उसको कितना बढ़ाए ?

श्री दलेश्वर साहू :- समय आने पर वह भी बताउंगा ।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी थोड़ा संक्षिप्त कीजिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- जी, संक्षिप्त करता हूं । पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में निवासरत अनुसूचित जाति को 500 रूपए प्रतिमाह भोजन सहायता को बढ़ाकर 700 रूपया किया गया । छत्तीसगढ़ राज्य की बीमारी सहायता संजीवनी कोष में 30 करोड़ का बजट प्रावधान था, उसमें 9 करोड़ बढ़ा दिया, इसमें कोई कमीशनखोरी होगी सभापति महोदय ?

खाद्य सुरक्षा, अभी हमारे नये मंत्री जी ने काम संभाला है । छत्तीसगढ़ राज्य का खाद्य पोषण अधिनियम । पहले नीला, पीला दुनियादारी करके समाप्त करके, अंत्योदय परिवार को 1 रूपया किलो के हिसाब से 35 किलो चावल को प्राथमिकता से बजट में जोड़ा गया है

समय :
5:00 बजे

प्राथमिकता वाले परिवार को 35 किलो चावल जोकि 5 से अधिक हो, उनको देने का बजट में जोड़ा गया है। सामान्य परिवार वाले को 20 किलो 3 या 3 से अधिक सदस्य वाले को ये सारे पीला-नीला कार्ड को देने का जो प्रावधान किया है, उस सोच के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं।

सभापति महोदय :- समाप्त करें दलेश्वर जी। 5 मिनट में समाप्त करना था। 6 मिनट हो गये हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- अल्पकालीन ऋण के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि आपने कन्वर्सन किये हैं। आपने एक किसान के कर्जे को 3 साल में बांट दिया। 2017 में पटाओगे। 2018 में पटाओगे। 2019 में

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पटाओगे और 2019 में पटाओगे। आपने पटाया तो आपने ब्याज क्यों लिया? आपने तो कन्वर्सन कर दिया था। आप शून्य दर के ब्याज की बात कर रहे थे। पर आपने 3 साल में बांटने के बाद भी उनसे ब्याज लिया है। उसके बाद जब क्षतिपूर्ति बीमा की राशि आयी तो आपको उनके कर्ज में पटाना था। कर्जा वाला ऋण खातों में जाना चाहिए था। पर आपने नहीं किया और उसको चालू खाते में आपने जमा किया, जोकि किसान कभी भी निकालते रहते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आप बोलते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। इसी कारण से कर्जा माफ नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप हकीकत और सत्यता को जानने का प्रयास करिए।

सभापति महोदय :- साहू जी, समाप्त कीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- हवा बाजी करने में विश्वास मत रखिए। आपने मुझे इतना बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनुपूरक बजट पेश किया है, उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, उनको ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे पामगढ़ क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जोकि बहुत ही जर्जर स्थिति में है और एक झोपड़पट्टी में उसे संचालित किया जा रहा है। आजतक उसे फिर से बनवाने के लिए कितने आवेदन दिये हैं और कितने प्रस्ताव दिये हैं, उसके पश्चात् भी उसका निराकरण नहीं हो पाया है। मैं इस अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि हमारे पामगढ़ क्षेत्र का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसे अपने अनुपूरक बजट जोड़ें और उसे जल्द से जल्द एक नयी बिल्डिंग तैयार करने की मैं मांग करती हूं। साथ ही माननीय सभापति महोदय, जो 2159 पुलिसकर्मी की परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिलाया था, लेकिन आज तक उनके रिजल्ट की कोई घोषणा या कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है जिससे सभी जनअभ्यर्थी लोग जनआंदोलन करते हैं। जन-संघर्ष करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको पुलिस के द्वारा डंडे से मारकर, उनको डरा-धमकाकर वहां से भगा दिया जाता है और उनके साथ बहुत अत्याचार और अनाचार का व्यवहार किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि हमारे जितने भी 2159 जो पुलिसकर्मी हमारे भाई-बहनें जिन्होंने परीक्षा दिलाया था, उनको भर्ती करने की कृपा करें। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगी कि जब उन्होंने हमारे पामगढ़ क्षेत्र में पदयात्रा किया था तो उन्होंने गोधना में जो कर्नाटक पॉवर प्लांट है, वहां पर जो किसान है, उनकी जमीन कर्नाटक पावर प्लांट वालों ने अधिग्रहित कर ली थी और आज से 10 साल हो गया है, वहां पर न तो कोई प्लांट बना है और न ही उनकी जमीन को वापस किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जबकि नियम में बिल्कुल साफ है कि अगर 5 साल में कोई प्लांट नहीं खुलता है तो किसानों की जमीन को वापस दे दिया जाता है। उनकी जमीन वापस नहीं दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहां पर पदयात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने किसानों को यह वादा किया था कि जब उनकी सरकार आती है तो किसानों को उनकी जमीन वापस दिलायेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि जो उन्होंने वादा किया था, जो चुनावी माहौल में उसको पूरा करें और अपने घोषणा पत्र में जो-जो उन्होंने बहुत सारे वादे किये थे, जिसे कि हमारे क्षेत्र की जनता पूछती रहती है तो अपने जन घोषणा पत्र के बारे में भी वे बारीकी से तत्परता दिखायें। ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री आशीष कुमार छाबड़ा।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आपने मुझे यहां पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। अनुपूरक बजट, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके मांग के समर्थन के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, लगभग 7 महीना हुआ है, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। 7 महीने पहले चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सबने किसानों से कर्ज माफ और धान के समर्थन मूल्य के जो वादे उस समय किये थे, 7 महीने के अंदर किसानों को सरकार के प्रति विश्वास जागा है। पूर्व में जब उस समय विधान सभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय अपनी घोषणा के बारे में किसानों से चर्चा करते थे तो किसानों का एक ही चीज बोलना होता था कि हमने पूर्व की 15 साल की सरकारों को देखा है, जिन्होंने धान का समर्थन मूल्य 2100/- रूपये की बात की थी, 300/- रूपये बोनस की बात की थी, लेकिन उन्होंने 15 साल में नहीं दिया है। उनको लगता था कि कांग्रेस की सरकार भी किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी, धान का समर्थन मूल्य नहीं देगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के दो घंटे के अंदर किसानों का कर्जमाफी आदेश में साइन किया, धान का 2500/- रूपया समर्थन मूल्य किया। आज जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो किसान कांग्रेस की सरकार को काफी धन्यवाद देते हैं, किसान माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद करते हैं। पिछले कई दिनों से सदन में हम सब देख रहे थे कि हमार विपक्ष के विद्वान सदस्य एक ही बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। निश्चित रूप से किसानों का कर्ज माफ हुआ है। किसान उसको महसूस कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, उसके साथ ही साथ, अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हैं, जिसके मुख्य बजट में 260 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, सड़कों की लंबाई के मान में अतिरिक्त राशि की मांग के आधार पर प्रथम अनुपूरक बजट में 140 करोड़ रूपये का

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी दो दिन पहले जब प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रश्न किया था और माननीय बाबा साहब से निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में जिला मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर के नजदीक में प्रधानमंत्री सड़कों की स्थिति ऐसी है कि बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं। लेकिन विभाग के पास संधारण के लिए उचित मद नहीं होने के कारण, कोई राशि केन्द्र से प्राप्त नहीं होने के कारण हम उस सड़क का संधारण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस अनुपूरक बजट में 140 करोड़ रूपये का प्रावधान इसके लिए रखा है। साथ ही साथ हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण मुख्यमंत्री पेंशन योजना का प्रति माह नियमित रूप से भुगतान हो सके, उसके लिए 46 करोड़ 68 लाख रूपये का भी प्रावधान भी इस अनुपूरक बजट में रखा गया है। हमारे बहुत से ऐसे पेंशनधारी हैं, जब हम क्षेत्र के किसी गांव में जाते हैं, तो गांव का परेशान व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपनी मांग को लेकर आता है कि मुझे सरकार से पेंशन मिलना था, पिछले 10-10 महीने से नहीं मिल पाई है। लेकिन अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको ध्यान में रखते हुए 46 करोड़ 68 लाख का प्रावधान किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। वाड्रफनगर, दल्ली राजहरा, बिलाईगढ़, कोतबा में जल प्रदाय योजना को अतिशीघ्र पूर्ण कराने के लिए 12 करोड़ 42 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान इस अनुपूरक बजट में रखा गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिल सके। हम शुद्ध पेयजल छत्तीसगढ़वासियों को दे सके, जिसके तहत इस अनुपूरक बजट में प्रावधान रखा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं एक युवा हूँ, युवाओं की आवश्यकता को समझता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्याज अनुदान योजना के तहत उस शिक्षा के लिए जो ऋण विद्यार्थी लेते हैं, उनको ब्याज का अनुदान देने के लिए 02 करोड़ 35 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान इस अनुपूरक बजट में रखा है।

श्री मोहन मरकाम :- आशीष जी, आप युवा हूँ बोलते हैं, युवकों की क्या आवश्यकता है, उसको भी बता दीजिये ?

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- युवाओं की आवश्यकता है कि अच्छा पढ़े-लिखे, उनको अच्छा रोजगार मिले, हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, हमको छत्तीसगढ़ में रोजगार मिले, रोजगार के लिए भटकना न पड़े। लेकिन 15 साल से युवाओं के साथ छल किया गया है, उनको रोजगार नहीं दिया गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार आने वाले समय में युवाओं को उचित रोजगार उनके गांवों में, उनके कस्बे में, उनके शहरों में और छत्तीसगढ़ में उपलब्ध करायेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। अभी आप बढ़िया बता रहे हो कि मेरे क्षेत्र में इतना करोड़ रूपये का बजट प्रावधान हो गया। आप शायद बजट का यह प्रावधान पहली बार देख रहे हो या सप्लीमेन्ट्री मिलाकर दूसरी बार होगा। आपने यह जादू देखा है क्या कि बजट में आने के बाद वह गायब भी हो जाता है ? (हंसी) हां, थोड़ा सचेत रहियेगा, गायब भी होता है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- नहीं, मुझे पूरा विश्वास है।

सभापति महोदय :- आशीष जी, समाप्त करें ।

आशीष कुमार छाबड़ा :- जी । माननीय सभापति महोदय, भारी वाहन ड्राईविंग का प्रशिक्षण शुरू करने हेतु लायवलीहुड कालेजों में भी योजनाओं के लिए एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे भारी वाहनों की ड्राईविंग के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे सकें, ताकि छत्तीसगढ़ में जो दुर्घटनाएं काफी संख्या में बढ़ रही हैं, उसमें काफी हद तक इसमें रोक लगेगी । इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में 7 नवीन आई.टी.आई. में अतिरिक्त व्यवसाय ट्रेड प्रारंभ करने हेतु दो करोड़ रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में रखा गया है । बेरोजगारों को सूचना का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालय में इंटरनेट लिंकिग परियोजना हेतु 3 करोड़, 54 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, ताकि यहां के बेरोजगार युवाओं को इसका अच्छा लाभ मिल सकेगा । राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण अंतर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्र के 10 जिलों को तीन वर्षीय कार्य योजना तैयार करके 5 करोड़, 80 लाख का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको भी धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री मोहन मरकाम :- विरोध में बोलने के लिए खड़े हैं, जब विरोध कर रहे हैं तो कुछ मांगिएगा मत ।

श्री सौरभ सिंह :- हम नहीं मांगेंगे, गलती बताएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या वह आपके घर का पैसा है, जिसको नहीं मांगेंगे ? कहां का पैसा है ?

श्री मोहन मरकाम :- विरोध कर रहे हैं इसलिए कहा ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है । दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार की योजना थी, जिसका पैसा आया था । हमारे दल के ज्यादा से ज्यादा विधायक बिलासपुर संभाग से आते हैं और पूरे बिलासपुर

अशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

संभाग में इस योजना से 23 सब स्टेशन 8 महीने से अपूर्ण पढ़े हैं, 23 सब स्टेशन में आज भी काम नहीं किया जा रहा है । उसका क्या होगा ? कुछ नहीं कहा जा सकता, सरकार इस बात पर संज्ञान ले । माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर नहीं हैं । जांजगीर-चांपा जिले के हंसदेव-बांगों मिनीमाता परियोजना से आर.बी.सी. (राईट बैंक केनाल) में नहर से किसानों के लिए जल आपूर्ति होती है । वहां 48 घंटे से एक बूंद पानी भी किसानों के खेत में नहीं आया है। कारण क्या है ? नहर टूट गई । नहर को बनाने वाला कोई नहीं है और एन.टी.पी.सी. सीपत संयंत्र के लिए उसी प्वाइंट से पानी जाता है । अगर पानी जाना बंद हो गया तो एन.टी.पी.सी. सीपत संयंत्र का भी काम ठप्प हो जायेगा। ये परिस्थिति है, कोई अधिकारी आजतक वहां पर संज्ञान लेने नहीं गया है । जांजगीर जिले की तीन विधान सभा क्षेत्र और पांच तहसील में एक बूंद पानी नहीं आया । इंदू बंजारे जी का क्षेत्र, मेरे क्षेत्र और आदरणीय नारायण चंदेल जी के क्षेत्र में एक बूंद पानी नहीं आया । किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । जो परिस्थिति अभी चल रही है । रोपा है करके थरहौटी सूख गई है और उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है ।

माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के मेंटनेंस के लिए 140 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8 सड़कें हैं और संभवत: सभी सदस्यों के क्षेत्र में ऐसी सड़कें हैं, जिसका टेण्डर हो गया है और ठेकेदार को ये कहा जा रहा है कि काम मत करो, क्यों ? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और अभी सदन में बात आ रही थी कि केन्द्र सरकार से पैसा आता है । मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से पैसा मेंटनेंस के लिए नहीं आता, मेंटनेंस का पैसा राज्य सरकार के बजट से आता है और राज्य सरकार अपने बजट से प्रावधान नहीं कर रही है । पी0एम0जी0एस0वाई0 फेस 3 का पैसा आयेगा । जो पी0एम0जी0एस0वाई0 फेस 3 का पैसा आयेगा, वह फिर से केन्द्र सरकार का पैसा आयेगा । हम पी0एम0जी0एस0वाई0 फेस 3 पर जा रहे हैं, पर जो सड़कें पहले से बन गई है, हमारे सारे सदस्य इस बात की चिंता करते हैं । जो सड़कें पहले से बन गई हैं, जो सड़कें ठेकेदार की गारंटी अवधि में है, उनके ऊपर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । सरकार उन ठेकेदारों को यह भी नहीं बोली की बरसात के पहले गड्डों में कम से कम एक झौव्वा मुरूम तो डाल दो । पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़कों के गड्डों को तो भर दो । वह ठेकेदार जो पांच साल की परफारमेंस गारंटी में है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

माननीय सभापति जी, खाद्य सुरक्षा की बात हो रही थी । मिट्टी तेल पर बहुत राजनीति हो रही है कि मिट्टी तेल की कटौती हो गई, मिट्टी तेल का कोटा बढ़ना चाहिए, मिट्टी तेल का कोटा ऐसा होना चाहिए । आज ही प्रश्न का उत्तर आया है कि 9588 किलोमीटर मिट्टी तेल का प्रावधान केन्द्र सरकार से है और हमारा उठाव कितना है ये जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक का है और हमारा उठाव कितना है एक महीने 7834, एक महीने 7007, एक महीने 7500 तो फिर क्यों राजनीति कर रहे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं । माननीय सभापति महोदय, जो मिटटी तेल मिल रहा है, उसको तो पहले उठा लीजिए, उसको तो पहले वितरण कर लीजिए । उसके लिए तो प्रणाली बना लीजिए, जो मिटटी तेल मिल रहा है । उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है । माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं । मैं विनम्रता से उनको निवेदन करना चाह रहा हूँ । पूरे 90 विधान सभा के जितने भी विधायक यहां है, रेबीज का इंजेक्शन नहीं था । सब लोगों ने परेशानी फेस की है। जीवनदीप समितियों से सारे विधायकों ने पैसे दे-देकर, मैं सारे दल के सदस्यों की तरफ से बोल रहा हूँ । जीवनदीप समिति की तरफ से पैसा देकर रेबीज के इंजेक्शन की व्यवस्था की गई । यदि प्रावधान नहीं है तो प्रावधान होना चाहिये । यदि खरीदी नहीं हो रही है तो खरीदी होनी चाहिये । मेंरा विनम्र निवेदन है । रेबीज का इंजेक्शन नहीं आ रहा है । 44 करोड़ रूपये सी.आर.पी.एफ. के जवानों के लिए किया गया है। मेरा निवेदन है कि समयसीमा पर सी.आर.पी.एफ. के जवान जो पूरे भारत से आकर नक्सलवाद से लड़ते हैं । उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिये । एक डाटा है, सी.आर.पी.एफ. के जवान नक्सल आपरेशन में जितने नहीं मरते, उससे ज्यादा बस्तर में मलेरिया से मरते हैं । उनके लिए व्यापक और सुचारू व्यवस्था होनी चाहिये । 3800 लोग 7 महीना में सड़क दुर्घटना में मरे हैं । पुलिस वाले लोग रोड पर खड़े हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी बोल रहे थे, थानेदार का शाम को सिर्फ यही काम हो गया है, कौन आठ पौव्वा से ज्यादा लेकर जा रहा है । कौन 7 पौव्वा से ज्यादा लेकर जा रहा है । कौन क्या लेकर जा रहा है । उसकी व्यवस्था पर थानेदार लगे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- सौरभ भैयया वह भी सरकार बेच रहा है । सरकार के कर्मचारी हैं, उनको देखेंगे या नहीं देखेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- उसमें कुछ व्यवस्था भी हो जाता है ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सौरभ जी ने बहुत अच्छी बात कही है । 3800 लोग सड़क दुर्घटना में मरे हैं । बहुत चिन्ता का विषय है । सबसे ज्यादा विकास उपाध्याय जी रायपुर के पैरीफेरी में है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अंतिम में मोवा के ब्रिज के बारे में चर्चा हो रही थी । हमारे सदस्य लोग बहुत सारी बातें बोले । कल मैं मोवा के ब्रिज में जा रहा था, उदाहरण दे दूंगा । परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, मिनी माता जी की एक तस्वीर बनाई गई है, मोवा के ब्रिज के नीचे । उसको जाकर देखें, उसके ऊपर से पाईप लाइन लगा दी गई है । इस चीज को माननीय मंत्री जी देखें । यह पीड़ादायी चीज है । छत्तीसगढ़ की अस्मिता और सरकार के अधिकारी इस ढंग से काम करें । कौन वह ठेकेदार है, कौन वह अधिकारी है जो पाईप को ऐसे करके लगायेगा, मैं उस फोटो को खींच कर रखा हूँ । उस पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये । उस पाईप को तत्काल हटाना चाहिये । हमारे महापुरूषों की फोटो वहां पर इस तरह से लगाई जा रही है । उसके बाद वहां पर पाईप लगा है । यह गलत बात है,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ऐसी गलती कहीं पर नहीं होनी चाहिये । माननीय सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है । आपके बोलने के लिए समय दिया धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती अंबिका सिंहदेव ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैडन स्पीच के लिए बधाई दे दीजिए ।

सभापति महोदय :- हो चुका है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैडन स्पीच होता तो मैं खड़े होकर बधाई देता । उत्साहवर्धन करता कि आप अच्छा बोलिये ।

श्री उमेश पटेल :- क्या है, अजय भईया । आपको अपने अलावा कोई सुनाई ही नहीं देता ना ।

श्रीमती अंबिका सिंहदेव :- आपका ध्यान इधर आ गया है तो घबराहट हो रही है ।

श्रीमती अंबिका सिंहदेव (बैकुंठपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुपूरक बजट का समर्थन करती हूँ । कई बातें आ रही है कि कटौती होनी चाहिये । लोन नहीं लेना चाहिये था, यहां मैं यह कहना चाहूंगी कि कटौती कासमय अभी नहीं है । लोन लेना अभी बहुत जरूरी है । अगर छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना है, पहले पूरी व्यवस्था दुरूस्त करनी पड़ेगी । अभी तक चारों तरफ जो व्यवस्था है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में तो दिखाई ही नहीं देता । ऐसी परिस्थिति में बिना लोन लिये, कटौती करके हम कहीं आगे बढ़ नहीं पायेंगे, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि वह आगे होकर लोन लिये हैं । कृषि ऋण जो हमारे क्षेत्र में मिला है, उससे उनको बहुत फायदा मिला है । मुझे पता नहीं है कि आप लोगों में से कितनों को जानकारी है ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूं।

श्रीमती अंबिका सिंहदेव :- जरूर।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री टी.एस. सिंहदेव साहब, आप बोल रही हैं, आप रामचंद्र सिंहदेव जी की सीट से आती हैं, उनके परिवार की हैं, वर्ष 2003 में जब हम सत्ता में आये तो आपके दल के बहुत से लोग यह बोलते थे कि हम सिंहदेव साहब के कारण इधर आ गए। चौबे जी भी उसमें शामिल हैं। उनका वित्तीय प्रबंधन इतना शानदार था कि सब उनकी सलाह लेते थे। वही कर्ज लेने वाले बोलते थे कि आपके कारण हम इधर आ गए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- पर उन्होंने कुछ किया होगा तब तो आप भी आयी हैं और हम लोग भी आये हैं। पूरा उनका आशिर्वाद है।

श्रीमती अंबिका सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, कृषि ऋण का जो असर हुआ है, कि वहां फरवरी में अभी बहुत ओले गिरे थे। जिस एरिया में वह ओले गिरे थे वहां पर ज्यादातर कृषि में लोग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सब्जी उगाते हैं। उनकी पूरी फसल खत्म हो गई थी, पर उनका बस यही कहना था कि हमारी ऋण माफी हुई है इसलिए हमको इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और ये मार हम झेल लेंगे। यह इसी वजह से हुआ है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्ज माफी किए और कर्ज माफी में उनको बाकी जगहों से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वह उनको नहीं मिला और पूरी तरह से कर्जमाफी का बोझ हमारी सरकार पर ही आया है। अभी माननीय अजय चन्द्राकर जी, पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामचंद्र सिंहदेव जी का नाम ले रहे थे, तो मैं सदन में यह कहना चाहूंगी कि कल का ही दिन था जब वह हमारे बीच से चले गये। मैं उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बाढ़ सुरक्षा और सुदृढ़िकरण के लिए उन्होंने अलग से 10 करोड़ का प्रावधान रखा है। उससे मैं आशा करती हूं कि हमारे क्षेत्र में भी सालों से मरम्मत नहीं हुआ है। पानी होते हुए भी कहीं रूकता नहीं है और कहीं मिलता नहीं है। तो एक बार ये हो जायेगा तो हम भी आशा करते हैं कि पानी की कमी हमारे यहां कुछ तो पूरी होगी। वहां लोगों का कहना है कि कुमार साहब हमको बनी मजदूरी से किसान बनाये, पर अभी जिस तरह से हाल चल रहा था हमें वापस बनी-मजदूरी पर जाना पड़ेगा। मैं ये आशा करती हूं कि इस अनुपूरक बजट से जो पैसा आयेगा उससे नहरों की मरम्मत होगी, डेम की भी मरम्मत होगी और लोगों के मन में ये जो शंका है वह नहीं रहेगी और वे किसानी ठीक से कर पायेंगे। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सदन को सूचना

सदन के समय में वृद्धि

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है?

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनुपूरक मांगें रखी हैं ये मांगें निश्चित रूप से जो पूर्ण बजट रहा होगा उसमें जो कमीबेशी होगी उसकी पूर्ति के लिए रखी होगी। मैं समझता हूं कि बजट में यदि किसानों के लिए धान खरीदी से लेकर ऋण माफी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें बड़ी राशि की आवश्यकता है और अनुपूरक के माध्यम से उसे पूर्ण करने का प्रयास हो रहा है। हमारे जो जिला सहकारी बैंक हैं और जो समितियां हैं उनका तो लगभग 80-85 प्रतिशत ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी मिल गया, ऋण माफी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है लेकिन जो शेड्यूल बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो नेशनलाईज्ड बैंक हैं वहां अभी तक राज्य शासन द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कोई नोडल अफसर नहीं बनाने के कारण वहां ठीक से नहीं हो पा रहा है। मेरी बहुत सारे अधिकारियों से चर्चा हुई, स्टेट बैंक के रिजनल मैनेजर से भी चर्चा हुई, उनका कहना है कि किसी-किसी जिले में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जहां पर स्टेट बैंक के अधिकारी और जिले के अधिकारी सामंजस्य करके उन सारे हितग्राहियों को जिनकी ऋण माफी स्टेट बैंक या नेशनलाईज्ड बैंकों के माध्यम से होना है उसमें हो रहा है लेकिन अभी तक बहुत सारे जिलों में ऐसे नोडल अफसर नहीं बने हैं जिन्होंने स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या देना बैंक को यह बताया कि कुल कितना ऋण माफ होना है, कितने हितग्राही हैं, कितने लोग पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार ने कर्ज माफी की या उसके पहले जब पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार ने कर्जमाफी की तो उस कर्जमाफी से इस कर्जमाफी में अंतर है। उन दो राज्यों में जब कर्जमाफी हुई थी तो वहां पर उन राज्यों के पास इतना बड़ा बजट रहता था कि उनको कर्ज माफी के लिए कभी आर.बी.आई. से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने धीरे-धीरे करके कर्ज को दिया । उत्तरप्रदेश में दो वर्ष के बाद भी अभी तक कर्जमाफी चल रही है। मेरा निवेदन है, मैं आपके माध्यम से शासन से कहना चाहूंगा कि यदि सेड्यूल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इस तरह की बैंकों को अगर कर्जमाफी करना है, जो कि मात्र 25 से 30 प्रतिशत ही है और मुझे लगता है कि राशि भी 6 हजार करोड़ रूपये से ऊपर की राशि नहीं है। इसके लिए हर जिले में हर उप संभाग में जहां एस.डी.एम बैठते हैं, वहां पर नोडल ऑफिसर शासन के किसी डिप्टी कलेक्टर को बैठाना चाहिए जो उन बैंकों में जाकर इस बात की जानकारी इकट्ठा करे कि छत्तीसगढ़ शासन को उन बैंकों में कितना देना है। उनके जो जोनल मैनेजर हैं, डिवीजनल मैनेजर से चर्चा करके, बैंक वाईस चर्चा करे कि कितनी राशि उसमें समाहित होकर ट्रांसफर होना है। आप बजट में प्रावधान कर देंगे, आर.बी.आई. लोन दे देगा लेकिन जब तक के उन बैंकों को राशि नहीं मिलेगी और जब तक के आर.बी.आई. का क्लीयरेंस प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, वह कहीं भी किसी भी किसान को एन.ओ.सी. जारी नहीं करेंगे। इस पर शासन ध्यान देगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही आगे बढ़ेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में काफी राशि का प्रावधान हुआ लेकिन वह बहुत कम है। उस पूरे क्षेत्र में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर वह मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज को और अधिक राशि देने के जरूरत है। क्योंकि उधर राजनांदगांव जिले में और पूरे बालोद, बेमेतरा तक के उसका प्रभाव पड़ता है। मैं यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो एक सी.आर.एफ. की योजना के तहत एक पंडरिया बाजार मार्ग के लिए राशि दिया गया है। यह सड़ सबसे पहले जब मैं सांसद था, माननीय अकबर जी विधायक थे तो उस समय उस सड़क की स्वीकृति सी.आर.एफ में हुई थी। आज उस सड़क की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जितने भी अंतर्राज्यीय मार्ग हैं, जो दो राज्यों को जोड़ते हैं उन सड़कों पर काम करने की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जरूरत है। क्योंकि हमारे राज्य की पहचान उस सड़क से होती है। इस सड़क में राशि का प्रावधान तो किया गया है लेकिन इसमें अभी यह पता लगा है कि टेंडर की प्रक्रिया इसमें गलत हो गयी है। इस पर ध्यानपूर्वक काम होना चाहिए। शासन की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी यह योजना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की हमारी परिकल्पना है कि कैसे हमारा ग्रामीण विकास होगा, कैसे एक बेहतर गांव की व्यवस्था मजबूत होगी उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कलेक्टर लेवल पर या जिस तरीके से प्रशासनिक लेवल पर दबाव डालकर नीचे के अधिकारियों को कहा जाये कि टारगेट के अंदर इसे पूरा करिये, मैं समझता हूं कि यह योजना की सफलता केवल सहभागिता से ही पूरी हो पायेगी। जब तक के गांव के लोग इस योजना से नहीं जुड़ेंगे, सरकारी अधिकारी तंत्र केवल योजना को एक बार स्टैबलिस कर देगी, स्थापित कर देगी उसके बाद योजना बैठ जायेगी। मेरा निवेदन यह है कि इसमें अधिक से अधिक सहभागिता होनी चाहिए। मैं तो सुझाव देना चाहूंगा कि हम यह चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में दूसरी फसल हो और दूसरी फसल तभी होगी जब जानवरों की बंधान की प्रक्रिया होगी, जानवरों को हम एक जगह सुरक्षित रखेंगे तभी हमारी फसल बचेगी। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो बर्नी कंपोस्ड तैयार करने की परंपरा है। जब जानवर शाम को अपने मालिक के घर जाता है, उस समय जो गोबर इकट्ठा होता है उसका भी कलेक्शन करके यहीं लाना चाहिए और नस्ल सुधान का कार्यक्रम भी यहीं आपके उस केन्द्र में होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इतने बड़े कार्यक्रम में और बहुत सारी नयी चीजें जोड़ेंगे तो यह कार्यक्रम अत्यंत सफल होगा और छत्तीसगढ़ पूरे देश में यह मिलेगा। माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी नोडल ऑफिसर जितने भी अधिकारी इसको देख रहे हैं, एक बार आनंद (गुजरात) में इरमा एक संस्था है, Indian institute of rural management वहां के लोगों को बुलाकर इनको ट्रेन करना चाहिए कि कैसे सारे कार्यक्रम इंटीग्रेट करे। अभी नरवा, घुरूवा में केवल घुरूवा का और जानवर का काम हो रहा है पर जो बाड़ी वाला काम है और अन्य जो सारे कंपोनेंट हैं वह आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं। ऐसे में यह योजना बनने के बाद लंबे समय तक नहीं खींच पायेगी। अभी माननीय सौरभ सिंह जी कह रहे थे। मैं सारे विधायकों की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा। मेडिकल कॉलेज में तो स्वास्थ्य विभाग में प्रावधान किया गया है।

समय :
05:29 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक की चर्चा में इस बात को कहना चाहूंगा कि हम सारे विधायकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की जनभागीदारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जब भी हम उन समितियों में मीटिंग में जाते हैं, पहले यह रोगी कल्याण समिति हुआ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करती थी, आज जनभागीदारी समिति बन गयी है। छोटे-छोटे पदस्ताल में आज पद स्वीकृत थे, बजट में पद थे लेकिन कब बजट से विलोपित हो गये कि उनकी जो महीने की तनख्वाह है, जैसे अस्पताल में स्वीपर, लैब टैक्नीशियन, स्टाफ नर्स, कंपाउंडर, इंजेक्शन लगाने वाला व्यक्ति ये सारे छोटे-छोटे पद जो अस्पताल में हैं। बजट से इनके पद कब विलोपित हुए, ये पता ही नहीं चला। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि आप पैसा भेजते हैं, विधायक लोग समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग में जितने छोटे-छोटे पद अस्पतालों में हैं, उनकी हम महीने की राशि, तनख्वाह जो जीवनदीप समिति के माध्यम से देते हैं, उसके स्थान पर स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में जितने भी नियमित पद हैं, उनको नियमित रूप से बजट के तहत भर्ती की जानी चाहिये, चाहे संविदा से करें। लेकिन जीवनदीप समिति से उनका पेमेण्ट नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में दो बातें और कहना चाहूंगा कि माननीय धर्मजीत सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बातें कहीं, विशेषकर चखना दुकान के बारे में कहीं। मेरा तो यह सुझाव है, मेरा यह निवेदन है कि इतनी व्यापक चर्चा, शराब या चखने दुकान पर होती है। मैं तो समझता हूँ कि यदि एकाध वर्ष शासन की नीति शराब को और चलाने की है तो व्यवस्थित तरीके से शराब दुकान के डेढ़ या दो सौ मीटर पर नगर पालिका या नगर पंचायत के माध्यम से स्वत: वहां पर दुकानें बना दी जानी चाहिये और एक व्यक्ति के स्थान पर 10-12 लोग संचालित करें। मैं अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि राज्य अभी भी नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है। राज्य को बने, कोई बहुत समय नहीं हुआ है। आज राज्य में सारी चर्चा होती है, वह खर्च के बारे में होती है कि हमें यहां खर्च करना चाहिस, हमें यहां यह बनाना चाहिए, यहां पैसा खर्च होना चाहिए। लेकिन राज्य में आय के स्त्रोत बढ़ाने के बारे में चर्चा नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज भी अगर हम इस बात पर विचार करें कि पिछले 15-20 वर्षों से हमारा जो मैनपुर और पायलीखण्ड में हीरा खनने का काम रूका हुआ है, इस राज्य को हीरा खनन के बारे में सोचना चाहिए। आज वहां मध्यप्रदेश की सरकार में कमलनाथ जी ने बालाघाट में गोल्ड की माईनिंग चालू करवायी है...।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं कि यदि इस पर डी.पी.आर. तैयार करना हो तो आज बड़ी-बड़ी कंपनी डिबियर्स और रिओंटीटी जैसी कंपनी है, जो हीरा खनन में विश्व स्तर पर काम कर रही हैं। ऐसी कंपनियां आएगीं तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में हीरा खनन प्रारंभ होगा। ये हमारे राज्य का सौभाग्य है। साल में लगभग 30 से 32 हजार करोड़ रूपये आमदानी होगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जो अनुदान की मांगें हैं उनका बेहतर उपयोग हो सके और अनुपूरक बजट तो पास होगा। लेकिन जो मांगे अनुपूरक में दी गई हैं, इस राज्य को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ.(श्रीमती) रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक बजट के विषय में बोलने के लिए खड़ी हूँ और क्योंकि सदन में उसके बारे में मुख्यत: व्यापक चर्चा हो चुकी है मैं मुख्य तीन बातों पर आपका, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम स्वास्थ्य, शिक्षा और जल। स्वास्थ्य के बारे में मैंने अनुपूरक बजट में देखा। मेडिकल कॉलेज रायपुर में मात्र 5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है और उसमें जो 24 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सूची दी गई है, जो कार्डियो, वास्क्यूलर और थोरेसिक सर्जरी कर सकें तो क्लास वन से लेकर क्लास फोर। तो जैसा आप देवव्रत सिंह जी कह रहे थे कि राशि बहुत ही अपर्याप्त है, बहुत कम है, इस राशि को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नई राजधानी में एक सत्य साईं बाबा का कार्डियक्स इंस्टीट्यूट चल रहा है, अभी से वहां 10 साल की वेटिंग लिस्ट बन गई है और हमारे यहां डेढ़ साल से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रारंभ हुआ, पर 20-30 लाख रूपये की विसंगति के कारण हार्ट लंग की मशीन की खरीदी नहीं हो पा रही है और वह अभी तक सुव्यवस्थित ढंग से प्रांरभ नहीं हो पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र पेण्ड्रा में एक एम.सी.एच. सेनोटेरियम अस्पताल खुला है जो पहले आपके क्षेत्र में आता था। वहां पर एक्सरे मशीन तो आ गई है, पर टेक्निशियन नहीं है, डायलिसिस मशीन आ गई है वहां जिसका कोई उपयोग नहीं है। कृपया उस यथास्थान सुपरस्पेशियालिटी में स्थानांतरित कर दें तो ये उचित होगा। कोटमी और नवागांव मरवाही जिले के दो पी.एस.सी. हैं, जो मात्र दो-दो कमरे में चल रहे हैं वहां डिलिवरी, वगैरह सब कुछ हो रहा है तो मैं उसे विशेषकर आपके संज्ञान, ध्यान में लाना चाहूंगी। जहां तक शिक्षा के बारे में है, एक प्रश्न के उत्तर में जवाब भी आया था कि हर प्रायमरी, मिडिल और हाईस्कूल शाला में खेलगढ़ी योजना के तहत 20 विभिन्न खेल सामग्री आवंटित करने की योजना है जिसमें फुटबाल, बास्केटबाल, हाकी, इस तरह की विभिन्न खेल सामग्री है। पर मैंने तो आज तक अपने क्षेत्र में ये सामग्री का वितरण होते हुए नहीं देखा। इसमें भी बहुत विसंगति हैं, क्योंकि जो खरीदते भी हैं तो वह एक निश्चित दुकान से ही विशेषकर रायपुर और जशपुर की दुकानों से खरीदा जाता है। शिक्षा मंत्री जी तो नहीं हैं परन्तु सदन का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहूंगी। पूरे प्रदेश में गौरेला में गुरूकुल लगभग 100 एकड़ में एक ऐसा विद्यालय है जो मरवाही विधानसभा और मेरी कोटा विधानसभा की सीमा पर स्थित है, जहां क्रीडा परिसर भी है, वहां 245 बच्चे रेसीडेन्सियल रहते हैं। सन् 1990 से उनको पोषण आहार मात्र 60 रुपया प्रतिमाह दिया

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जा रहा है। हम लोग जो अंडे की बात कर रहे थे, शायद उसमें एक अंडा भी न आये। दूध 40 रुपया लीटर है तो 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पता नहीं कितने एम.एल. आयेगा। वह राशि जो 1990 से नहीं बढ़ाई गई, एक मात्र गुरूकुल शाला है, वहां उस राशि को संशोधित करके कृपया बढ़ाया जाये। वहां जो क्रीडा परिसर के छात्र हैं, उनकी संख्या 100 है, उनकी राशि अच्छा हुआ कि 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, पर यह जो 245 बच्चे गुरूकुल के हैं, उनकी अभी भी 60 रुपये है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में इस वर्ष भी जल एक जरूरी आवश्यकता के रूप में उभरा है। आपने जल आवर्धन योजना में भी बहुत राशि आवंटित नहीं की है, मात्र 50 करोड़ है। गौरेला में एक जल आवर्धन योजना मलनिया जलाशय से जल रही है, उसको बीच में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण वह अटक गई है। तीन चौथाई पूरी हो गई है। पिछले बजट में छपराटोला, पानी का संग्रहण करने के लिए जो अरपा बचाओ अभियान चल रहा है, लगभग 500 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। मैं चाहती हूं कि वह छपराटोला में अरपा नदी का रिजर्व वायर के रूप में वह बने ताकि बिलासपुर जिले और अन्य क्षेत्रों में वह पानी का संग्रहण हो सके। अरपा बचाओ अभियान तरह-तरह से चलता रहता है, पर जैसा धर्मजीत सिंह जी कह रहे थे कि बजट में आता है और फिर वह प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में गायब भी हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जो अरपा पानी को संग्रहण करने की छपराटोला वाली योजना है, कृपया उसे विलोपित या गायब न होने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। केशव चन्द्रा जी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समय दूंगा, क्या आप उस बारे में बात करेंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मेरे दल की तरफ से श्रीमती इंदु बंजारे जी बोल चुकी हैं। वह स्थगन का विषय था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, उसको ग्राह्य करके चर्चा करायें। बजट में मैं क्या बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय धरमलाल कौशिक जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4332 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार से पिछले बार जो मूल बजट आया था, मूल बजट के बाद में प्रदेश की 6 महीने में हम सब लोगों ने स्थिति देखी है और जो आकलन किये हैं, मैं ही नहीं बल्कि पूरी प्रदेश की जनता ने किया है कि उसका कैसे सदुपयोग हुआ। इसके कारण मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं। कोई भी सरकार जब चुन करके आती है, उनकी की हुई जो घोषणा, वायदे हैं, जनता की भी यह अपेक्षा होती है कि नई सरकार आएगी तो नई सरकार आने के बाद विकास के कार्य में और तेजी आएगी । लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीजों में

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

विकास के साथ आगे बढ़ेंगे लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य और उसके पहले मध्यप्रदेश में भी विधायक रहने का अवसर प्राप्त हुआ । यह पहली सरकार है जिसकी गति उल्टी बह रही है और उल्टी गति बहने का यह आशय है कि पैसा सरकार के विधानसभा में पास होने के बाद में यहां से लेकर के राज्य से जिले और पंचायत तक पहुंचनी चाहिए । पंचायत तक पहुंचने के बाद विकास के कार्य प्रारंभ होने चाहिए लेकिन यह पहली सरकार है । दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि उल्टी गंगा बह रही है, पंचायत में जो राशि भेजी गयी है, नगरीय-निकाय में जो राशि भेजी गयी है उस राशि को वहां खर्च न करके उस राशि को वापस बुलाने की जो प्रक्रिया की जा रही है यह सरकार की स्थिति है । सरकार के द्वारा विकास के लिये पत्र जारी किया जाता है कि हमने यह काम स्वीकृत किया और स्वीकृत करने के बाद वह राशि वहां पर उपयोग की जाती है लेकिन इस प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद में वित्त मंत्री जी ने जो पत्र लिखा, पंचायत मंत्री जी ने जो पत्र लिखा और अब नगरीय-निकाय मंत्री जी के यहां से जो सर्कुलर निकला वह सर्कुलर यह है कि सारे विकास के कार्य रोक दिये जायें और कोई भी काम प्रारंभ न किया जाये यह दुर्भाग्यजनक स्थिति प्रदेश में निर्मित हुई है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह काम जो पुराने इन लोगों ने सेंक्शन किये थे, साढ़े 1100 करोड़ का काम सेंक्शन कर दिया और पैसा था 200 करोड़ रूपया । सब कागज में बांट दिया, आप पैसा तो बांटे नहीं थे, कागज बांट दिये थे इसीलिये उसको निरस्त करना पड़ा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में ला दूं यह निवेदन था कि जब चौदहवें वित्त के पूरे छत्तीसगढ़ के पंचायतों का पैसा था वह टॉवर लगाने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने बुला लिया था ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसको आपको वापस कर दिया गया था, मेरी जानकारी में है । वह पैसा आपको वापस किया है, पंचायत वापस किये हैं मेरी जानकारी में है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- एफ.आई.आर. तक कराना पड़ा । इसके बाद यह बातें आयीं थीं । नेता जी इसका भी संज्ञान ला देते तो बड़ी कृपा होती ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय और लगातार जब गर्मी आती है और गर्मी के मौसम में चाहे वह नगरीय-निकाय हो, पंचायत हो शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिये राशि दी जाती थी लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि नगरीय-निकाय में जो पैसा है उसको वापस बुलवाये और पानी पीने के लिये भी पैसा नहीं दिये, राजधानी से लेकर के गांवों तक हाहाकार मचा हुआ है और पानी पीने के लिये यहां पर युद्ध हुआ है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा पैसा दिया गया है । पेयजल के लिये हमने एक पैसा नहीं रोका है । माननीय नेता जी आपको उसके पूरे कागज दे देंगे । पेयजल के लिये कोई नहीं रोका गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रोज लड़ाई-झगड़ा, थाने में रिपोर्ट । यह सरकार विकास के कार्य तो आप छोड़ दीजिये, शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने में भी यह सरकार असफल रही है । पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति रही है और जब ऐसी सरकार बजट प्रस्तुत करे तो उसका विरोध न करें तो क्या करें?

श्री बृहस्पत सिंह :- किसानों को पानी न देकर उद्योगों में दिया जा रहा था, हम लोगों ने बहुत विरोध किया था ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- आपके मंत्री जी ने पूरे प्रदेश को, शहर को घुरवा बना दिया था, आप खुद जानते हैं, आपने बोला था ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय कौशिक जी, अगर पानी नहीं मिल रहा है तो आपके सब तरफ पानी कहां से आ रहा है ? आप लोग कहां से पानी पी रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने यह व्यवस्था दी थी कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी या माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में जब ये दोनों बोलते हैं तो ध्यान से सुनना चाहिए । जितने इंटरप्शन होने थे वह हम लोगों के दौरान हो चुके और मैं अपने दल की ओर से यह कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक इंस्टीट्यूशन हैं वे बोलेंगे तो हम जरूर ध्यान से सुनेंगे और बोलेंगे तो उनकी अनुमति से बोलेंगे यह हम आपको आश्वस्त कर देते हैं । संसदीय कार्यमंत्री जी का फ्लोर में नियंत्रण नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष जी का सम्मान करना है कि नहीं करना है यह कांग्रेस पार्टी का विधायक दल जाने ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम तो पूरा सम्मान करते हैं, आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह नियंत्रण तो आपमें नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की बहुत सारी बातें हुई । किसानों की जो बातें हुई हैं केवल एक विषय पर जो चर्चा हुई है वह है कर्जा माफी कि हमने यह किया, हमने कर्जा माफ किया है । 6 महीने में उसका रिजल्ट भी आ गया है कि आपने क्या किया है और लोगों ने कितना पसंद किया है। सामान्यत: यदि कोई बीमार हो जाये तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको चेक करने के बाद उसे दवाई लिखता है, लेकिन उसके पास जो रिपोर्ट आएगी उसी के मुताबिक वे दवाई लिखता है । 68 सीटें कांग्रेस को मिली और जनता ने इनके 6 महीने के कार्यकाल में इनका काम देखकर, इनकी नब्ज टटोलकर बता दिया कि हमने आपको जो 68 सीटें दी हैं, आपको दी जरूर हैं लेकिन

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वापस भी ले सकते हैं । आज भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटों के साथ 9 लोक सभा सीट जीताकर जनता ने बता दिया है हमने आपको जो दिया है वह गलत है । इस सरकार ने नैतिकता के नाते जनता का विश्वास खो दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, अर्थशास्त्र के पुरोधा आचार्य चाणक्य जी ने ऋण को मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कहा है । यह सरकार केवल वाहवाही के लिए ऋण माफ करने के लिए, ऋण ले रही है । हमारा ऋण का भार बढ़ता जा रहा है । उस समय जो घोषणा की गई कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ । मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कल ही हमने डॉ. प्रेमसाय जी से प्रश्न के माध्यम से हमने इस बारे में बातचीत की । उन्होंने जवाब दिया कि 65 परसेंट, 67 परसेंट का ही कर्जा माफ हुआ है । उसमें भी केवल अल्पकालीन की बात है । घोषणा पत्र में यह तो नहीं कहा गया था कि केवल अल्पकालीन का ऋण माफ होगा । आज भी सब किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ । लोक अदालत में उनको नोटिस दी गई, लाखों किसानों को नोटिस मिली है । व्यवसायिक बैंक के द्वारा नोटिस दी गई है । नोटिस देने के बाद लोक अदालत में जाकर समझौता करने के लिए जबरदस्ती की गई । आप लोक अदालत में जाकर समझौता कीजिए और कर्ज पटाइए । इसलिए हम लोग कल चाह रहे थे ।

श्री मोहन मरकाम :- आपने 2003 में कहा था कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ । 15 सालों में आपकी सरकार ने कितने किसानों का कर्ज माफ किया, यह बता दीजिए ? 2003 का संकल्प पत्र याद है ना ।

श्री रामकुमार यादव :- वो जर्सी गाय ला घलो बता दिहौ, जर्सी गाय ला ।

श्री अजय चंद्राकर :- फिर शुरू हो गया । मध्यप्रदेश बनने के बाद और इतिहास में यह बता दे कि कौन सी कांग्रेस सरकार को लगातार तीन बार मेंडेड मिला है । वह सरकार डॉ. रमन सिंह की सरकार थी और वह सरकार शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था । मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब किसान का कर्जा माफ करेंगे । हमने यह नहीं कहा कि आप आज कर दीजिए । हमने कहा कि आप दो महीने बाद की तारीख दीजिए, आप चार महीने बाद की तारीख दीजिए, आप 6 महीने का समय लीजिए, आप एक साल का समय लीजिए । लेकिन किसान जो अनिर्णय की स्थिति में है । उसको आप एक बार आश्वस्त तो करिये कि मैं 6 महीने के अंदर सबके कर्ज माफ करूंगा और 6 महीने का समय लें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है । आप व्यवस्था बनाएंगे और उनका कर्जा माफ करेंगे । लेकिन मुख्यमंत्री जी कल बता नहीं पाए और गोलमोल घुमाकर रख दिये कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे । अगर किसान का कर्जा माफ करना है, आपकी नीयत ठीक है । आप एक बार 6 महीने का समय लीजिए और 6 महीने का समय लेकर बोलिए कि 6 महीने के अंदर कोई बैंक वाला, किसान को

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

परेशान न करे, उनको किसी भी प्रकार से परेशानी न हो और उसका जवाबदार मैं हूं । इस बात को कमिटमेंट के साथ विधान सभा में बोलिए तो । आप यहां कुछ बोल देते हैं और उनको नोटिस जारी हो जाता है । जब किसान केसीसी लोन लेने गए तब बैंक वाले ने कहा कि ऑनलाइन आपका कर्जा है । उन्होंने बताया कि सरकार ने माफ कर दिया, किसान इस बात को जाकर बोल रहे हैं । बैंक कहता है कि चूंकि ऑनलाइन आपका कर्जा दिखा रहा है इसलिए आपको लोन नहीं देंगे, इसलिए आपको प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, अजय चन्द्राकर जी का असर आज आप पर आ गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- पिछले साल का जो केसीसी का लोन हुआ था । मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि इस बार का जो केसीसी का लोन हुआ है, मैंने तो उस दिशा में मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि आपने बस्तर में कितना लोन दिया और पिछले साल तक इस समय में उनको कितना लोन मिला था? आज भी किसानों को के.सी.सी. के लोन के लिए भटकना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार और बता देता हूं कि पहली बार इतिहास में यदि किसी ने कर्जा माफ किया था तो मध्यप्रदेश में सुंदरलाल पटवा ने किसानों का कर्जा माफ किया था।

श्री भूपेश बघेल :- कितना माफ किया था?

श्री धरमलाल कौशिक :- कितना नहीं। पहली बार कर्जा माफ हुआ। आपके समय में तो सब सोसाइड किये थे। किसानों की क्या स्थिति है? इसे मैं बता देता हूं। मैं खुद किसान हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आपके संज्ञान में ला दूं कि जब केन्द्र में दिल्ली की सरकार थी, तब एक विश्वसनीय सरकार थी।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बड़ी-बड़ी बातें न करें। किसानों की स्थिति यह रही कि पूरे 15 साल में किसानों के एक भी बैल की नीलामी नहीं हुई। इनके राज में तो उनके बैल की नीलामी होती थी, भूमि की नीलामी होती थी, खाने के बर्तन की नीलामी होती थी और गरीब आदमी के मुर्गे और बकरे को भी उठाकर ले जाते थे। यह भी कांग्रेस की सरकार में हमने देखा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- बैल भी आपके समय में बंटा था। बकरा भी बंटा था।

श्री धरमलाल कौशिक :- लेकिन इन 15 सालों में किसानों में जो समृद्धि आयी है, उसका कारण यह है कि किसानों के प्रति आपकी सोच। उनके लिए कार्ययोजना। उनके राज में 15 प्रतिशत, 16 प्रतिशत हमने ब्याज दिया है। यदि उस किसानों को जीरो प्रतिशत में किसी ने लोन दिया तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। नहीं तो किसानों को 15 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की दर से ब्याज पटाना पड़ा है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- आदरणीय आप यह बताइए कि कर्ज माफी का लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सबको मिला होगा तो मुझे भी मिला होगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- बस यही जानना चाह रहे थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह मेरा कर्जा है कि नहीं है यह भी मैंने नहीं देखा।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनके दोनों खाते में पैसे गये हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय को तो मोबाइल भी मिला था। जो मोबाइल वितरण किया गया था, वह भी आदरणीय ने लिया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि हमने कोई योजना बनाई है तो भाजपा के लिए योजना नहीं बनाई थी और आप कोई योजना बनाये हो तो कांग्रेस के लिए योजना नहीं बनाये हैं। यदि कांग्रेस के लिए योजना बनाये हैं तो मेरा कमिटमेंट है कि हमारे जितने सदस्यों का कर्जा माफ हुआ होगा, वह हम वापस कर देंगे। मैं इस सदन के अंदर बोल रहा हूं और जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- कर्जा माफ हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन दे दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- इनके जितने भी सोसाइटी हैं, उनमें इनके बनाये हुए अध्यक्ष हैं। ये नहीं चाहते कि जिन किसानों के ऋण माफ हुए हैं, उनके प्रमाण पत्र वितरित किये जाएं। लेकिन हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की है। उन्हें ई-प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सोसाइटी से जो धान खरीदी है और धान की एवज में उन्हें जो पैसा दिया जाना चाहिए। लगभग 25-25 लाख रूपये सोसाइटियों को देना है। आज तक वे पैसा नहीं दिये है। मुख्यमंत्री उसको ब्याज सहित सोसाइटियों को पैसा वापस करेंगे। पिछले समय आपने 2500 में धान खरीदा और धान खरीदने के बाद जो अंतर की राशि थी, वह अभी भी किसानों को नहीं मिली है। एक बार बार उसे चेक करवा लेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो किसानों का कर्जा माफ हुआ था, उसको वापस कर दिये उस पैसे को।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी जो गर्मी का समय आया तो गर्मी के मौसम में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और इस 10 लाख मीट्रिक टन में 1100 रूपये 1200 रूपये में किसान धान बेचने को मजबूर हुए हैं। आप 2500 की बात करते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप डिस्टर्ब मत करिए। समय बहुत कम है।

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- आप गर्मी में जब धान की बात कर रहे हैं तो गर्मी में उनके धान की व्यवस्था करिए कि आखिर उनका एक सपोर्ट प्राइज क्या है? जब आपने 2500 रूपये निर्धारित किया तो किसान को मजबूर होकर 1100 रूपये 1200 रूपये में बेचने की कौन सी मजबूरी आयी? इसके लिए सरकार ने कौन सा कारगर कदम उठाया और किसानों का जो शोषण हुआ, उसके लिए जवाबदार कौन है? इस विषय को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो जल्द ही खत्म करने वाले हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, खत्म नहीं करना है।

श्री टी.एस. सिंहदेव (पंचायत मंत्री) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही अच्छा सुझाव आया। गर्मी के धान का केन्द्र सरकार को हम बोलें कि एम.एस.पी. लागू कर दें।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको केन्द्र सरकार को क्या बोलना है, आप बोलिए। मैं तो मेरे सामने बोले हैं, उनको बोलूंगा जिन्होंने कमिटमेंट किया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन आप होने नहीं केन्द्र सरकार की अनुमति।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप मंत्री हैं। आपको जाना चाहिए। आपको बोलना चाहिए और जहां हमारी जरूरत पड़े तो बताइए हमने उस दिन कहा था। पहली बार हम लोगों ने इस प्रदेश में देखा है कि सर्वर डाउन हुआ। महीना कौन सा है मार्च का। मार्च के महीने में सब लोग बिल लगाते हैं। सारे विभाग के बिल आते हैं, उनको पेमेंट करना है। लेकिन जब उनको पेमेंट करना है तो 12 और 13 मार्च की बात है और तब से लेकर 31 मार्च तक इनके सर्वर डाउन रहे। सारे विभाग के बिल पेंडिंग रहे और अस्वीकृत कर दिये गये। पता नहीं कौन सा केवल 500 करोड़ का स्वीकृत किये हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बाकी सब बिल अस्वीकृत कर दिए गए। मैंने पहले ही बताया कि कर्जा अधिक और हमारे सब निर्माण काम पीछे हो रहे हैं। इस प्रकार से सरकार चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार कमिटमेंट किये थे, हाऊस के अंदर घोषणा किये थे। रेत खदान की बात है। रेत खदान को चलाने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा हुई थी कि हम यहां छत्तीसगढ़ में इनसे चलवायेंगे। लेकिन मैंने अभी समाचार-पत्र में पढ़ा, सही है गलत है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन केबिनेट ने निर्णय लिया कि अब उस खदान को कलेक्टर के माध्यम से उसकी नीलामी करेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी यहां पर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व है या नहीं है ? आप यहां घोषणा करेंगे उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ ? उसका परिणाम हम सबके सामने है। पूरे छः महीने, सात महीने तक आज तक यह निर्धारित नहीं हो पाया कि हमारे कौन-कौन से खदान लीज में देने लायक है, उसकी रायल्टी की वसूली कौन करेगा ? पंचायत चलायेगी या मिनिरल बोर्ड चलायेंगे ? कौन चलायेगा ? उसके साथ खदानों का अवैध उत्खनन हुआ। पांच गुना रेट के साथ आज तक कोई हिसाब-किताब नहीं

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। मुझे ऐसा लगा कि सरकार ने कह दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, छः महीने- सात महीने तक चलाओ, बरसात लग जायेगी, उसके बाद देखेंगे। वह आज तक निर्धारित नहीं हुआ कि उस खदान का मालिक कौन है, खदान की रायल्टी कितनी आयेगी और उससे सरकार को कितनी क्षति हुई है ? केवल एक नीति नहीं बनाने के कारण, निर्धारित नहीं करने के कारण इतनी बड़ी क्षति हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल की बात आई थी। आज मैं हाफ बिजली बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। बिजली के जो बिल आ रहे हैं, उससे किसान परेशान हैं। उस बिल को लेकर गरीब और सामान्य उपभोक्ता परेशान हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेता जी, रेत खदानों से जो पैसा आ रहा है, वह कहां जा रहा है ? जरा यह तो सरकार बतायें ?

श्री धरम लाल कौशिक मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। उत्खनन तो हो रहा है, लेकिन उत्खनन होने के बाद वह पैसा कहां है ?

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, अभी जो जानकारी मिली, आप जो सर्वर डाऊन के बारे में बोल रहे थे, वह तो चिप्स की पूरी खरीदी तो आपके समय का किया हुआ है। अगर वह खराब हो गया तो कौन जवाबदार है बताईये ?

श्री धरम लाल कौशिक :- सरकार में कौन बैठे हुए हैं ? न जवाबदारी किसकी है ?

एक माननीय सदस्य :- सामान आपका था।

श्री धरम लाल कौशिक :- सरकार में कौन बैठे हुए हैं ?

श्री चन्द्रदेव राय :- सामान आपका लगाया हुआ था।

श्री धरम लाल कौशिक :- सरकार में कौन बैठे हुए हैं ? जवाबदारी किसकी है?

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग खराब सामान लगायेंगे और खराब होगा और हमारे ऊपर जवाबदारी डालेंगे ? बताइये।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी जनता ने सरकार बदल दिया है और अब सर्वर को भी बदलेंगे।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- पूरा सामान आपका था और दोष हम ही लोगा है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी, जब तक 68 सीट आया तब तक आपके विधायक दल के नेता नहीं चुने गये थे तो कई लोगों का सर्वर ठीक काम कर रहा था। जैसे ही भूपेश बघेल जी नेता बने तो कई का सर्वर डाऊन हो गया। तो यह डाऊन-अप होते रहता है। आप उसमें ज्यादा दिमाग मत दौड़ाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मार्गदर्शन दीर्घा का पूरा सर्वर डाऊन है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उधर एक्स्ट्रा चिप्स लग गया है सर।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। पी0एम0टी0 की परीक्षा के लिए तिथि घोषित की गई। तिथि घोषित होने के बाद फिर इनका सर्वर डाऊन हो गया। बच्चे क्लास में पहुंच गये। लेकिन क्लास में पहुंचने के बाद उनको सूचना दी जाती है कि आज आप लोगों की परीक्षा नहीं ली जायेगी। ऐसे प्रतिभावान छात्रों के साथ खिलवाड़ सरकार के द्वारा की गई है। यह तो मुख्यमंत्री जी उनसे माफी मांग लिये और उसके बाद उस बात खत्म कर दिए कि चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ। यह उनके विभाग की स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों की बात है। इन्होंने भत्ता देने की बात की थी। ये भत्ता नहीं दिए, कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो, भत्ता दो। लेकिन जो उस समय रोजगार में थे, उनको बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे वे प्रेरक लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को निकाल दिया, वहां पर जो अतिथि शिक्षक थे, जो लंबे समय से काम कर रहे थे, जो रोजगार में थे, उनको रोजगार से निकाल दिया गया। आखिर रोजगार की दिशा में बात करने के बाद भी रोजगार देने की दिशा में सरकार की पहल क्या है ? आप अतिथि शिक्षकों को निकाल रहे है, आप प्रेरकों को निकाल रहे हैं। उसके साथ ही पुलिस बल भर्ती की बात हुई कि उसकी परीक्षा हो गई है। उनकी शारीरिक नाप-जोख हो गया, परीक्षा हो गई, लिखित परीक्षा हो गई। लिखित परीक्षा के बाद केवल रिजल्ट घोषित करना है। उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया, आदेश देने के बाद में इनके द्वारा दोबारा उस कॉपी की जांच कर ली गई और कॉपी जांच करने के बाद भी आज तारीख तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है ।

समय :
6:00 बजे

आखिर इस प्रदेश में आपने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, उनको भत्ता देने की बात की, मुझे लगता है कि इस सरकार के सत्ता में आने में बाद सारी चीजों को भूल गई है इसलिए मैं आसंदी से, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसको घोषित करे और घोषित करके जिनकी भी किस्मत होगी, उनको रोजगार मिल जायेगा, नौकरी मिल जाएगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी खाद्यमंत्री नहीं हैं । जो राशन कार्ड बनाने की बात है । प्रतिदिन समाचार-पत्र में आप देख रहे हैं, आज भी फ्रंट पेज में है कि आप नया राशन कार्ड बनाईए, लेकिन नया राशन कार्ड बनाने के लिए वहां पर मारपीट हो रही है । आप अधिकारियों की व्यवस्था पर्याप्त क्यों नहीं कर रहे हैं ? या तो पुराने राशन कार्ड बने हुए हैं, उसमें सील-ठप्पा लगा सकते हैं कि इनको 7 किलो की जगह में 10 किलो दिया जाये। इनको 35 किलो दिया जाये । जब आप नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो गांव के पंचायत के बूथ से लेकर जहां-जहां पर दुकान है, वहां अपर्याप्त व्यवस्था के कारण रोज समाचार-

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पत्रों में छप रहे हैं और वहां पर तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है । जो घटनाएं घट रही है, उसमें मुझे लगता है कि सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, आप सील-ठप्पा लगाने की बात कर रहे हैं । उन्होंने तो सीधा खाद्य मंत्री पर ठप्पा लगा दिया कि ये मेरा आदमी है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आपने 15 साल कोशिश किया, लेकिन आप पर ठप्पा नहीं लग पाया ।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष जी, ये तो अच्छी खबर है कि लोग राशन कार्ड को रिनीवल कराने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हमने सभी कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया है कि उसमें व्यवस्था सुनिश्चित करें, अव्यवस्था न हो ।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी के राशन कार्ड में लोगों को विश्वास है । पिछली सरकार ने इतने रंग के राशन कार्ड बनाया, यह समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन 15 साल में शर्मा जी कार्ड नहीं बनवा पाये और न ही ठप्पा लगवा पाये ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी समस्या किसानों की है । ये सरकार की समस्या है, हमारी समस्या नहीं है, चूंकि मैं किसान हूं, इस बात की मुझे पीड़ा है कि आज भी धान बाहर में पड़े हुए हैं, स्टाकिंग में धान भीग रहा है, धान गीला हुआ है । लगभग 100 करोड़ से ऊपर के धान का कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, हम लोग जाकर, घूमकर निरीक्षण कर चुके हैं, हम लोगों को निरीक्षण के दौरान कहीं देखने को नहीं मिला है । अगर आपके संज्ञान में होगा तो आप बता दें कि कहां-कहां धान पड़ा हुआ है । हम उसको उठवाकर मिल भिजवा देंगे । ऐसे ही आरोप मत लगाईए, अगर कुछ तथ्यात्मक हो तो बताईए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं बता रहा हूं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो जल्दी समाप्त करने वाले थे न ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा-पत्र जारी किया था कि जो मिहला समूह काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लोन हैं, उनके लोन की व्यवस्था है, उसमें जो कर्ज लिया है, उसको माफ करेंगे। इस प्रदेश में 40 करोड़ रूपये का ऋण महिला समूहों के द्वारा लिया गया है, लेकिन आज भी उनका लोन माफ नहीं हुआ है और दूसरी बात जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, जिनको समय पर पैसा मिल जाना चाहिए, जैसे बाल गृह है, बाल संरक्षण गृह है, जिससे उनका काम सुचारू रूप

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से चल सके, ऐसे लोगों के भुगतान में देरी हो रही है और उसके साथ-साथ में जो पेंशन की बात आ रही है, कहीं तीन महीना, कहीं चार महीना, कहीं पांच महीने से लोग पेंशन से वंचित हैं । उनको एक निश्चित राशि मिलनी है, लेकिन उसके लिए भी यदि उनको दो, चार, छः महीना इंतजार करना पड़े, उसको कैसे नियमित करेंगे, उसके लिए मुझे लगता है कि विभाग को उसमें काम करने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीर्थ की जो बात आई थी । 19 जून, 2019 को जशपुर और रायगढ़ के लोगों को तीर्थ भेजना है, करके बुलवा लिए और बुलवाने के बाद में वहां सूचना दी गई कि आपकी यात्रा कैंसिल हो गई है, लेकिन मुझे जो सूचना मिली है कि कैंसिल करने के बाद भी ट्रेन प्लेटफार्म में लग गई थी । जहां उनका जाना था, वहां उनके रूकने की व्यवस्था हो गई थी, वहां उनके लिए बस की व्यवस्था हो गई थी । यहां पर जो भी कारण होगा, लेकिन उनको बताया गया कि हम यह कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और अपने खर्च पर आप चले जाओ । वह लोग बहुत परेशानी के साथ अपने घर गये । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी यात्रा यदि कैंसिल हो गई, आपने रेल विभाग को सूचना दिया क्या । जो सारी व्यवस्था हुई थी, उसका भुगतान और उसकी क्या स्थिति आज की स्थिति में है ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, राजनांदगांव में तो हमारे तीर्थ यात्री गायब हो गये थे । आपके कार्यकाल में आप पता लगा लीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये सर, आप समाप्त करिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले ही प्रश्न में आया था । जवाब में आया था कि स्कूल में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है । हम बजट के माध्यम से इतना खर्च करते हैं, प्रचार-प्रसार हम लोग करते हैं । इस पर हम नियंत्रण कैसे करें और रोक कैसे लगायें । उसमें सावधानियां क्या बरतें । मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में इन घटनाओं को रोक सके । उसके साथ ही साथ में हम नियंत्रित कर सकें । इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से दुर्घटना में वृद्धि हो रही है । आजकल लारियां चलती है । पहले 6 चक्का की गाड़ी चलती थी, आजकल 10 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का की गाड़ियां चलती है । ओव्हर लोड गाड़ियां चल रही है । कल ही सौरभ सिंह से मैं बात किया, कहां जा रहे हो तो बताया कि मैं धरसींवा जा रहा हूॅं । रायपुर से जा रहे थे, रास्ते में ही उसको कुचल दिया गया । वहीं पर उसकी मृत्यु हो गयी । प्रतिदिन के समाचार पत्रों में आप देखेंगे कि यह प्रदेश की घटनायें है । चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, इन घटनाओं पर हम अंकुश कैसे लगा सकते हैं । इसपर अंकुश नहीं लगायेंगे तो मुझे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगता है कि हम नक्सल गतिविधियों की बात करते हैं । लेकिन आप रिकार्ड निकालकर देखेंगे कि नक्सल गतिविधियों में जितना मृत्यु है, उससे ज्यादा सड़क दुर्घटना में हमारी मृत्यु हो रही है । इस सड़क दुर्घटना में मृत्यु को रोकना संभव है और रोका जा सकता है । लेकिन इस दिशा में कारगर पहल करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें वृद्धि हो रही है । हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, पिछली बार जब बात आई थी, 15 साल में स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या किया, आपके डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं हो रही है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले बार जो बजट आपने कहा था, वह बजट हमने दिया था । बजट देने के बाद में 7 महीने में कितने डॉक्टरों की भर्ती की है । कितने स्पेशलिस्ट की आपने भर्ती की है । आप तीन करोड़ का मशीन लगा रहे हैं और तीन हजारी का टेक्निशियन चाहिये । तीन हजार के टेक्निशियन के कारण तीन करोड़ का मशीन आज बंद है और लोग धक्का खा रहे हैं । आज भी बस्तर संभाग में 90 प्रतिशत सीट डॉक्टरों की खाली है । ऐसी स्थिति पर और पूरे प्रदेश में लगभग 15 सौ से ऊपर पद खाली है। 1 हजार से ऊपर टेक्निशियन के खाली हैं । मैं आपसे चाहूंगा कि जितना जल्दी कार्यवाही हो, स्वास्थ्य को लेकर क्षेत्रवासियों के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते । स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, हम उसका विरोध नहीं करते । मैं तो समर्थन करता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज्यादा राशि मिलनी चाहिये ताकि हम समुचित रूप से उपाय कर सकें । यूनिवर्सल हेल्थ का मंत्री जी बहुत जोर-शोर से प्रयास किये, कहां तक सफल हुये, मुझे नहीं मालूम । लेकिन प्रदेश को छोड़कर उन्होंने तय किया कि पांच ब्लॉक में मैं वहां के अस्पताल को देखूंगा । एकाध अस्पताल में मैं भी जाना चाहूंगा । जहां के यूनिवर्सल हेल्थ का काम प्रारंभ हो गया है । मुझे लगता है कि 6 महीने, 7 महीने में आप क्या कार्यवाही किये हैं, मंत्री जी मुझे तो नहीं मालूम ।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्वास्थ्य विभाग में 6-7 महीने में एक ही काम होता है, डायरेक्टर और एन.एच.एम. बदल जाते हैं । 6-7 लोग हो गये होंगे और 6-7 लोग आ जायेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- एक कमी और रह गया कि आंखफोड़वा कांड नहीं हो पाया है । न ही गर्भाशय निकालने का काम हो पाया है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल की सारी नाकामियां माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने गिना दिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत को लेकर पहले 50 हजार रूपये की राशि दी जाती थी, बाद में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5लाख रूपये तक के ईलाज की सुविधा दे दी । लेकिन यहां पर आज की स्थिति में जो प्रायवेट अस्पताल है, जहां पर पेशेंट जा रहे हैं, मरीज जा रहे हैं उनको जो बीमा के माध्यम से उनको मिलनी चाहिए और बीमा कंपनी को सरकार के माध्यम से जो राशि मिलनी चाहिए इसके कारण पूरे प्रदेश में इतना हाचपाच है कि आज यदि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सामान्य आदमी को इलाज कराना है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वह कहां जाए और जिस अस्पताल में जा रहे हैं वहां उनका यह कहना है कि सरकार हमारी राशि देना बंद कर दी है इसलिए हम आपका इलाज नहीं करेंगे। मैंने पिछले समय भी स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह किया था, और आज भी आग्रह करना चाहता हूं कि उनके करोड़ों रूपये के भुगतान बाकी हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको बीच मजधार में नहीं छोड़ सकते। आपकी हेल्थ योजना की स्कीम अच्छी है जिस दिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो जाए, आप उस योजना को बंद कर दीजिए। लेकिन जब तक आपकी स्कीम प्रभावी नहीं है, और ये जो हमारी प्रभावी स्कीम है जो मजधार में फंसी हुई है उसके बारे में आपको डिसाईड करना है कि उसके पेमेंट की राशि हमको देना है या नहीं। इसके कारण इलाज के अभाव में जो लोग काल कवलित हो रहे हैं इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री जी को चिन्ता करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो आयुष्मान भारत योजना बंद हुई है, न निकट भविष्य में बंद होने वाली है। इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। काफी गलतफहमियां इसके संदर्भ में है कि पहला कि हर निजी या हर अस्पताल में आयुष्मान योजना लागू नहीं है, न होती है। पूर्व की सरकार ने भी प्रदेश में जो 300 अस्पताल चयनित किए हैं उनमें चयनित इलाज के लिए ही आयुष्मान योजना लागू है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की जो योजना है वह छत्तीसगढ़ में 5 लाख रूपये को कवर नहीं करती है केवल 50 हजार रूपये में केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत अर्थात 1100 रूपये के प्रीमियम में 660 रूपये देती है और बाकी 4.5 लाख रूपये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं उनको मालूम है, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, कि उनके समय की ही व्यवस्था वर्तमान में सितंबर तक लागू है कि 5 लाख रूपये में से 4.5 लाख रूपये का इलाज राज्य सरकार ट्रेस मॉडल से करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से करती है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यानी नाखून कटाकर शहीद में नाम लिखवाते हैं और 50 हजार देते हैं और 5 लाख रूपये में नाम लिखवाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूं कि ये यूनिवर्सल हेल्थ, स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान के चक्कर में अभी विधानसभा के बाहर एक आदिवासी बैगा बच्चा है, उसके हार्ट में छेद है उसका इलाज कहां होगा, कैसे होगा मुझे यह समझाईये?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- कुछ लोगों को जन्म से ऐसी कुछ दिव्यांगताएं हैं उनके लिए चिरायु योजना के माध्यम से शत-प्रतिशत इलाज हिन्दुस्तान के चयनित अस्पतालों में शत-प्रतिशत राशि का ईलाज चिरायु योजना से 18 साल की उम्र तक का होगा।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस, आप जैसे ही निकलेंगे, मैं आपसे मिलवा दूंगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाल हृदय में।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह उसका एक हिस्सा है। चिरायु योजना में अनेकों ऐसे मर्ज हैं जो कान्जीनेटल हैं, जन्म से जो इस प्रकार की बीमारियां हैं वह चिन्हांकित हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्तू भैय्या को किसी ने चुप रहने का इंजेक्शन लगा दिया है। उनका इलाज कौन करवायेगा?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वह हर मायने में स्वयं सक्षम हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, बृजमोहन जी पीछे से बोल रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चिकित्सा रॉड मेरे पास है, लगवाना हो तो बता देना।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बोल रहे हैं कि सत्तू भैय्या को बालहठ हो गया है, उसका इलाज सिर्फ मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी ने उनको चुप रहने का इंजेक्शन लगवा दिया है और उसका इलाज कोई कर ही नहीं रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी को आप लोगों ने बहुत बोलने का इंजेक्शन लगा रखा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नहीं थे, उनका सर्वर डाऊन है बोल दिया गया।

श्री बृहस्पत सिंह :- कंप्यूटर आपके जमाने का था, सरकार बनने के बाद उनका सर्वर बदलेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- स्वास्थ्य मंत्री जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं आपने आयुष्मान भारत बंद नहीं किया है, मेरे को मालूम है। लेकिन उसके बाद में आपके जो अस्पताल पंजीकृत हैं, वह पंजीकृत अस्पताल के बारे में आप पब्लिस करवा दीजिए। वहां जो पेमेंट की राशि रूकी हुई है, वह राशि आप पेमेंट करवा दीजिए। बीमा कंपनी को आपके द्वारा जो राशि जानी है, वह राशि आप करवा दीजिए। आपके राशि नहीं देने के कारण में जो आपके पंजीकृत अस्पताल हैं वह भी आज की तारीख में ईलाज नहीं कर रही है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आजकल पूरे अधिकारी लगे हुए हैं। अधिकारी को फोन करोगे कहां जा रहे हो तो बोले हम नरवा घुरूवा में जा रहे हैं। इनके गौठान के आदेश तीन बार यहीं से निकल गये। आज तक उसका डिजाईनिंग नहीं हुआ है। उसका कितने लाख का काम होगा, उसके अंदर में क्या व्यवस्था करेंगे। पहले जब जारी किया उस समय उसमें 42 लाख रूपये की योजना थी। उसके बाद में पक्का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पंचायतों में मीटिंग ली

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गई है, जो एडवाईजर हैं और जा करके उनको बताया गया कि ये-ये रहेगा। जब बनाने के लिए शुरू किये तो बोले कि आप केवल गड्ढा खोद दो, आप बोले उसको सीमेंटीकरण नहीं करना है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं। राजनांदगांव जिला में रूर्बन योजना के तहत प्रधानमंत्री आये हुए थे कि गांव को शहर की तर्ज में विकसित करेंगे, आप देख लीजिए कि क्या हुआ है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं देखा हूं इसीलिए बोल रहा हूं। कितने महीने बाद में उसके परिणाम आये। 6 महीने के बाद में उसके परिणाम आये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रायपुर में अतेक बड़े का का टांगे हे मोला समझेय में नई आय का बड़े-बड़े टांगे हे, डराथे....।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो अधिकारी अभी सरपंचों को 18 लाख 20 लाख रूपये उसमें खर्चा करवा रहे हैं। मैं दो जिलों में समीक्षा बैठक में था। उन दो जिलों में समीक्षा बैठक में पंचायतों को आपके द्वारा एक रूपये की राशि प्रदान नहीं की गई है, एक रूपये की राशि। बाजार से कर्जा ले करके वह राशि लगा रहे हैं और बाजार से कर्जा ले करके राशि लगाने के बाद बरसात के बाद 6 महीने बाद में चुनाव है। 6 महीने चुनाव में कुछ जीत के आयेंगे कुछ आरक्षण में बदल जायेंगे लेकिन जो नये सरपंच जीत करके आयेंगे, वह पुराने सरपंच की पेमेंट करने की जवाबदारी उनके ऊपर में नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, शौचालय निर्माण का अभी तक के भुगतान नहीं हुआ है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि (व्यवधान) केवल नरवा, घुरूवा इनके गौठान के कारण में आत्महत्या के लिए विवश होना पड़े। यदि इसलिए उनको बचाना है तो मैं आज भी कहता हूं कि जितना आपके पास पैसा है, उतना योजना के अनुसार से बनवायेंगे तो ठीक है। मैं तो बता रहा हूं, में समीक्षा बैठक मे.....।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा जिनता हितग्राहियों का बचा हुआ है, डलवा दीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, ग्राम दोगट्टी विकासखंड नवागढ़ आपके नरवा घुरूवा में ...।(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री बन गे शौचालय-शौचालय कही के..।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपके नरवा घुरूवा में गौठान में आपके 13.07.2019 को नीतू यादव पिता प्रकाश यादव डेड़ महीने की बच्ची है वह खत्म हो गयी। आप थोड़ा सा पता लगवायेंगे। यह आपके

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ड्रीम प्रोजेक्ट की स्थिति है। बिना उसके न को इस्टीमेट न उसका कोई प्राक्कलन और जब जिनकी इच्छा आ जाये उनके अनुसार से जा करके बैठक करके सलाह दे करके आ जाते हैं। नवागढ़ ब्लाक में दोगट्टी गांव है। एक हास्टल के बारे में मैं आग्रह करना चाहता हूं। उसमें एक नया आदेश जारी हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन वहां जो बातें कही गई। जो आदिवासी बच्चियां है, कन्या छात्रावास है, 50 प्रतिशत से नीचे मार्क्स हैं उनको उस छात्रावास में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इसके कारण में जो हास्टल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से भी उसमें कम बच्चियां है। खर्चा आपका उतना ही होना है। केवल आप उसको दिखवा लेंगे तो जो बच्चियां ग्रामीण परिवेश से आती है और आज यदि उनके एडमिशन 50 प्रतिशत के कारण में नहीं होंगे तो इन बच्चियों को पढ़ना और दुभर होगी। इसलिए यदि उसमें कोई निर्णय करें या उनके सर्कुलर में जो चेंज करें तो उन बच्चियों को उसका लाभ मिल जायेगा।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय जिला मुख्यालय में ओव्हर क्राउडेड है हमारे पास सीट बढ़ाने के लिए बार-बार दबाव आ रहा है। हमने मंत्री जी को सीट बढ़ाने के लिए आग्रह किया है।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त कर रहे हैं। चलिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आप सीट बढ़ाईये न।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो बोल रहा हूं। आप खाली है करके बोल रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आपको तो बजट में दे रहे हैं आप सीट बढ़ाईये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये और डिस्टर्ब मत करिये वे बैठ रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय और ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मोदी जी एक छात्रावास में जो हमारा चावल बंद कर दिये हैं। उसके लिए एक पत्र व्यवहार कर देंगे तो बहुत कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं। कलेक्टर से बड़ा हमारा जिलाध्यक्ष कलेक्टर है और हमारे कलेक्टर जो बोलेंगे आप वह काम करेंगे और उनके बाद में उनके जिलाध्यक्ष राजनांदगांव नियाज खान, वहां के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं मरवी, वे लगातार उस मरावी को धमका रहे हैं कि मेरी मुख्यमंत्री से मेरी बात हो गई है, मैं आपको बस्तर भिजवा दूंगा। तो मंत्री का स्टेटमेंट है कि हमारा जिलाध्यक्ष कलेक्टर है और इनके जो जिलाध्यक्ष हैं जिस प्रकार की जो धमकी दे रहे हैं आपको इस प्रशासनिक आंतकवाद को खत्म करना पड़ेगा और वह भी आदिवासी डॉक्टर हैं। उनको

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगातार धमकी दी जा रही है, वह उनके खिलाफ में थाने में रिपोर्ट किये हैं। इस प्रकार की जो कार्यवाही होगी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो नागपुर से चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो बस्तर, जिला से चलने वाले लोग हैं। इनका नागपुर से आदेश होता है और हमारा जिले से आदेश होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार का प्रशासनिक आतंकवाद चलेगा तो प्रदेश में कैसे शांति व्यवस्था बहाल करेंगे ? आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप सीढ़ी से चढ़कर जा सकते हैं। आपके बारे में कौन बोलेगा ? मैं इसलिए बोला कि इस 6 महीने क अंदर में जिस प्रकार से स्थिति चौपट हुई है और विकास के कार्य रूके हैं और आज जो बजट की बात आयी है। मेरी पत्रकार मित्रों से बात हुई, पिछली बार मुख्यमंत्री जी उनको 5 से 10 हजार रूपये बढ़ाने की घोषणा किये थे और बाकी लोगों की जो बातें आयीं, जब वे नहीं थे तब, कुछ सदस्यों के लिए बातें कहीं गई थीं। मुझे लगता था कि इस बजट में सारी बातों को शामिल करेंगे और उसका क्रियान्वयन होगा। आज के इस अवसर पर जो मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनका विरोध करते हुए, अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य माननीय डॉ. रमन सिंह जी, श्री मोहन मरकाम, अजय चन्द्राकर जी, बृहस्पत सिंह जी, धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा जी, शैलेष पाण्डे जी, नारायण चंदेल जी, दलेश्वर साहू जी, श्रीमती इंदू बंजारे जी, आशीष कुमार छाबड़ा जी, सौरभ सिंह जी श्रीमती अंबिका सिंहदेव जी, श्री देवव्रत सिंह जी, डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भाग लिया, मैं उनका हृदय से धन्यवाद् देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। हमारी सरकार 17 दिसंबर, 2018 को बनी। 8 मार्च, 2019 को बजट सत्र का समापन हुआ और अब मानसून सत्र में मध्य में हम लोग फिर से मिले, बात सिर्फ अनुपूरक बजट की नहीं है, बल्कि ये अवसर है बीते 6 महीने में जो बदली हुई तस्वीर है, उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का भी अवसर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात अलग है कि 6 महीने में 3 महीने केवल चुनाव में बीत गये, हमें केवल 3 महीने काम करने का अवसर मिला और इन 3 महीनों में हमने बड़े-बड़े फैसलें भी किये और उसको अमल करना भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ को लेकर हमारे पुरखों की जो समझ थी। पिछली सरकार ने उसे बहुत दूर छोड़ दिया था, हम लोगों ने वापस लौटने का काम शुरू किया है। आज 19 जुलाई है, आज छत्तीसगढ़ के

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉ.खूबचंद बघेल की जन्म जयंती भी है। सावन का महीना भी लग चुका है और आज रिमझिम बारिश भी शुरू हुई है। मैं डॉ. बघेल को भी नमन करता हूँ और उन पुरखों को भी स्मरण करता हूँ जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए सपना देखा था। उन लोग सपना देखे थे कि हमारे यहां हरेली, तीज कैसी होगी ? हम कर्मा जयंती कैसे मनायेंगे ? हमारे मन में ये बातें थीं, लेकिन तीज, त्यौहार तब अच्छा लगता है जब समृद्धि, खुशहाली हो, ये तभी फबता है। इसलिए इस तीज, त्यौहार को हम लोगों ने मन में रखा था और जब हमारी सरकार आई और हम लोगों ने सारी व्यवस्था की और उसके बाद इसकी घोषणा की कि हम विश्व आदिवासी दिवस किस प्रकार से मनायेंगे, तीजा, हरेली किस प्रकार से मनायेंगे और उसकी उमंग, उल्लास और उत्साह की व्यवस्था इस सरकार ने की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि 6 महीने में छत्तीसगढ़ की जो आत्मा है अर्थात हमारे गांव, हमारे किसान, महिलायें, आदिवासी के हित में जितने बड़े-बडे फैसले हमने जो लिये हैं, ऐसा उदाहरण आपको दशकों में नहीं मिलेगा। 6 महीने के कामकाज को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे खुले रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी योजना है, कौन सा काम है जो पसंद नहीं आया? क्या हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, वह आपको पसंद नहीं आया? यदि पसंद नहीं आया तो बता दीजिए। अभी तक जितना धान आप खरीदते थे उससे कहीं बढ़कर 80 लाख 37 हजार मीट्रिक टन धान हमने खरीदा। (मेजों की थपथपाहट) और जो प्रचलित समर्थन मूल्य है उसमें 6 हजार करोड़ रुपया अधिक 20 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हमने किया है। क्या इससे आप असहमत हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज माफी के बारे में कितनी चर्चाएं हुई। आप कर्ज माफी से असहमत हैं? हमने कृषि ऋण माफ करने का फैसला लिया। हमने कहा था कि 10 दिन में माफ करेंगे, हमने 2 घंटे के भीतर में फैसला किया कि हम किसानों के ऋण माफ करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)। माननीय अजय जी और तमाम माननीय सदस्य कह रहे थे कि 10 दिन में कितना किया? आपको बताना चाहूंगा कि 10 दिन के भीतर में साढ़े 3 लाख किसानों के 1248 करोड़ रुपये हमने माफ किया। (मेजों की थपथपाहट) 10 दिन के भीतर में उनके खातों में पैसा चला गया। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार फैसला करती है, मान लो विधानसभा में हम सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, आप मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं और 15 साल सरकार चलाये हैं, क्या फैसला करते हैं और सड़क तुरन्त बनना शुरू हो जाती है? फैसला किये, उसके बाद सारे ऑडिट किये और उसके बाद एक-एक खाते में पैसे भेजना शुरू किये। कोई शिकायत नहीं हुई है कि गलत पैसा चला गया है। यह सफलता हमारी सरकार की, हमारे अधिकारियों की, हमारे विभाग की है, जिन्होंने बहुत सफलतापूर्वक इस ऋण योजना का क्रियान्वयन किया है। अध्यक्ष महोदय, कहीं एक शिकायत नहीं मिली है।

असंशोधित/अप्रमाणित के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 लाख किसानों के 11 हजार करोड़ रुपये हमने माफ किये, क्या आप इससे असहमत हैं? सहकारी बैंक के बाद, ग्रामीण बैंक के बाद, उसके बाद व्यावसायिक बैंक की बात आई, उसके बाद डिफाल्टर थे, उनका भी। आज डिफाल्टर हैं, यह कह रहे हैं जो डिफाल्टर हैं वह कैसे कृषि करेंगे? जो डिफाल्टर हैं, उनको तो पहले ही लोन नहीं मिल रहा था। वह तो हमने दिया, उसको अपने पैरों में खडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी इनको आपत्ति है। क्या आप इस बात से असहमत हैं? वह किसान जो वर्षों से आपके शासनकाल में ऋण नहीं पटा पा रहे थे, उसको हम फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आपको असहमति है? अध्यक्ष महोदय, इसमें वन टाईम सेटलमेन्ट कर रहे हैं। यह इसलिए कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में जिस प्रकार से प्रति एकड़ 14 हजार, 15 हजार, 16 हजार रुपये की ऋण माफी हो रही है, व्यवसायिक बैंक में कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन हम उस दायरे में रखना भी चाहते हैं और साथ ही वनटाईम सेटलमेंट हो जाए यह देरी हमारी तरफ से नहीं है । बैंक की अपनी व्यवस्था है, उनको भी अनुमति लेनी पड़ती है और इस कारण से यह विलम्ब हो रहा है, हमारी तरफ से विलम्ब नहीं हो रहा है । चूंकि वह प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन उनको भी करना पड़ता है और हमको भी करना पड़ रहा है और इसलिए निश्चित रूप से वे जो वनटाईम सेटलमेंट करेंगे और वह जो नॉनपरफॉर्मिंग ऐसेट थे उनको भी क्लियर करेंगे ताकि इस छत्तीसगढ़ के किसान ऋण के बोझ से बाहर आयें और पहली बार हुआ है। ये अपने शासनकाल की बात कर रहे हैं, मैंने पिछले समय बताया था कि एक किसान को ढ़ाई हजार रूपये दिये थे, 106 करोड़ रूपये माफ किये थे । वे यह बात करेंगे कि ऋण माफी क्या होता है ? हमने 19 लाख किसानों के 11 हजार करोड़ रूपये माफ कर दिये हैं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात आयी । उसके पहले कहना चाहूंगा कि किसानों के जो जलकर थे, सिंचाई कर उसको माफ किया तो क्या आप उससे असहमत हैं ? आप असहमत हैं तो बताईये । हमने गरीबों को 35 किलो चावल दिया, आपने तो 07 किलो कर दिया था। यदि पति, पत्नी और एक बच्चा है यानी 03 लोग हैं तो उसको 21 किलो दे रहे थे, यदि हम उनको 35 किलो दे रहे हैं और जो 05 सदस्य से अधिक जहां हैं, प्रति सदस्य 07 किलो दे रहे हैं तो क्या आप उससे असहमत हैं और यदि आप असहमत हैं तो आप बताईये ? (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की बहुत बातें आयीं । हमने 400 यूनिट तक आधा किया । आप पहले से किसानों के लिये जो 6000 यूनिट, 7000 यूनिट की छूट दे रहे थे उसको हमने कंटीन्यू रखा और उसके बाद जो घरेलू उपभोक्ता हैं, 31 लाख परिवारों को छत्तीसगढ़ में इसका लाभ मिल रहा है तो क्या आप उससे असहमत हैं ? (मेजों की थपथपाहट) क्या आप इस बात से असहमत हैं कि जो तेंदूपत्ता संग्राहक हैं उसको 4000 रूपये पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं उसमें सबसे ज्यादा तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4000 रूपये प्रति मानक बोरा हम दे रहे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं तो क्या आप इससे असहमत हैं ? (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस बात से असहमत हैं कि बस्तर-सरगुजा प्राधिकरण के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज वहां के विधायकों को हमने अध्यक्ष बनाया, उसमें भी स्थानीय विधायकों को उसका अध्यक्ष बनाया तो क्या आप उस बात से असहमत हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी के बारे में अभी माननीय नेता जी बोल रहे थे और इसके पहले और वक्ता लोगों ने भी इस मामले में बात की है । इन्हें 15 साल मौका मिला गाय के लिये, गौशाला बनाने के लिये लाखों-करोड़ों रूपये का अनुदान बांटे, चारा के लिये जमीन उपलब्ध कराये, चारा के लिये पैसा दिया जिनको दिया वे मोटे हो गये और जिनके लिये दिया गया वह दुबले हो गये, मर गये, उसके खाल बेच दिये, उसके हड्डी बेच दिये । क्या यही आपका गौ के प्रति प्रेम है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, गौमाता की सेवा तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कर रही है । छत्तीसगढ़ में गोठान की हमारी जो परम्परा है उस परम्परा को हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसमें आधुनिक सुविधाएं दे रहे हैं, उसके पानी की भी व्यवस्था हो, उसके चारे की भी व्यवस्था हो और साथ ही उसकी निरंतरता बनी रहे, आर्थिक रूप से सक्षम रहे और इसके लिये वहां वर्मी खाद का भी उत्पादन होगा, वहां कम्पोस्ट खाद का भी उत्पादन होगा, गौमूत्र से दवाईयां भी बनेंगी और गोबर से धूप भी बनेगा और उबटन भी बनेगा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो । आज हम 3 एकड़ या 4 एकड़ को घेर रहे हैं ताकि यदि गांव में 500 एकड़ में खेती हो रही है तो 500 एकड़ को घेरने की जरूरत नहीं है केवल वह गोठान को घेर दें और चारा-पानी की व्यवस्था कर दें तो हमारी खेती समृद्ध होगी, छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा । यह कांसेप्ट है और इसमें यदि आपका कुछ सुझाव हो तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है । पूरे देश में यह पहली योजना है और आपके सुझाव आमंत्रित हैं । आप आलोचना की दृष्टि से मत देखिये, यह पूरे अर्थव्यवस्था को सुधारने वाला कार्यक्रम है और पहला कार्यक्रम है । इसलिए हो सकता है कि किसी सदस्य को कुछ समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है । इसे आलोचना की दृष्टि से मत देखिए । यदि आप कांक्रीट की बात करते हैं तो कांक्रीट में आप पशु को रखेंगे तो गर्मी के दिन में 50 डिग्री तापमान में मवेशी की चमड़ी जल जाएगी । इसलिए हमारी जो व्यवस्था परम्परागत रूप से है, वही व्यवस्था हम बनाकर रखे हैं ताकि उसे संचालित भी किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, अभी हम नीति आयोग की बैठक में गए थे तो वहां क्या बात हुई ? पानी की बात । जो हम नरवा की बात कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही भारत सरकार कर रही है । आज भारत सरकार भी चिंतित है । आपने 15 सालों में चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वनांचल हो, आपने सिंचाई के क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं की । 19 साल पहले जो स्थिति थी, आज भी आपने उसी परिस्थिति में रखा । आपने वहां सिंचाई में एक प्रतिशत की भी वृद्धि नहीं की । आज नाले को पुनर्जीवित करने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आवश्यकता है । आज वैज्ञानिक पद्धति से वाटर रिचार्जिंग करने की आवश्यकता है । हमारी जमीन में भी नमी रहे, सतह में जल रहे और भूमिगत जल भी रिचार्ज हो सके ताकि किसानों को भी लाभ मिल सके । अध्यक्ष महोदय, आप पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से चिंतित है । जून में जितना पानी गिरता था, आज हम जुलाई में भी पानी के लिए तरस रहे हैं । जलवायु परिवर्तन के कारण देश ही नहीं पूरा विश्व चिंतित है । उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम करने जा रही है और भारत सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की है (मेजो की थपथपपाहट) ।

अध्यक्ष महोदय, हरेली के दिन अपने अपने क्षेत्र में जहां गौठान बना है, आप सब सादर आमंत्रित हैं । उसका उद्घाटन करिये । जो सुझाव आपको अच्छा लगता है दीजिए, उसमें जो सुधार होना चाहिए हम उसे खुले मन से स्वीकार करेंगे । यदि ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इन बातों को समझेंगे और शहर में भी इसकी आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय, कल तक गौ-सेवक का चोला पहनकर घूमते थे । गौ-माता मूक पशु है । वह अपनी बात तो नहीं कह पाएगी लेकिन गांव वालों के आंखों में जो चमक है, वह गौठान बनने के बाद जब आप हरेली के दिन उसका उद्घाटन करेंगे तो गांव वालों के चेहरों में चमक जरूर होगी (मेजो की थपथपाहट) । शायद इस बात को आप न समझ रहे हों । अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि विकास काम रूक गया है। आप ही की पार्टी के सरकार केन्द्र में है । प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 6 महीने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, यह प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार ने दिया है । (मेजो की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात बहुत चली । इस बात को डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे वे भी 15 सालों तक ऊर्जा मंत्री रहे हैं । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण कहता है कि छत्तीसगढ़ में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता का फैक्टर 98 प्रतिशत है । यह आपकी सरकार ने लिखकर दिया है । आप अपनी ही सरकार की कही हुई बातों को नहीं मान रहे हैं । यदि नहीं मानते तो आप केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से बात कर लीजिए । अध्यक्ष महोदय, इन 6 महीनों में 160एमवीए के 3 ट्रान्सफार्मर, 40 एमवीए के 2 ट्रान्सफार्मर, 33/11 केवी के 45 नए सब स्टेशन, 33 केवी के 307 किलोमीटर की नई लाईन, 11 केवी की 5 हजार किलोमीटर की नई लाईन और इन 6 महीनों में 89 हजार नये घरेलू कनेक्शन दिये गये । 8700 गैर घरेलू कनेक्शन दिये गये, 1150 औद्योगिक कनेक्शन दिये गये और 3652 पम्प कनेक्शन दिये गये, ये हमारी उपलब्धि है । हमने बहुत छोटे-छोटे फैसले भी किये। इन्होंने 5 डिसमिल की रजिस्ट्री रोक दी। आप ही के जिले पूर्व मुख्यमंत्री जी नसीब खान, राजनांदगांव जिले के सिकोला का रहने वाला है, जो हमारे फैसले से छोटे भूखंड को बेच पाये। जो 10 साल से नहीं बेच पा रहे थे। बलौदाबाजार के अनिला मारतण्डे तो बरसेली गांव की हैं, 3 डिसमिल जमीन उन्होंने खरीद लिया क्योंकि

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

5 डिसमिल से नीचे की खरीदी-बिक्री नहीं हो पाती थी। कई परिवार हैं जो अपनी इलाज के लिए छोटे भूखंडों को बेच नहीं पा रहे थे। इलाज नहीं करा पा रहे थे। आज हमारी सरकार के फैसला लेने के बाद 53 हजार से अधिक छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री हुई है। उन परिवार की खुशियों के बारे में आप महसूस नहीं कर पायेंगे। धुरागांव लोहण्डीगुड़ा तहसील के मासो ने कहा। जब हमने लोहण्डीगुड़ा की जमीन वापस की तो उनकी जो खुशी थी, उसे ये महसूस नहीं कर पायेंगे, क्योंकि टाटा के लिए इन्होंने जमीन अधिग्रहित की थी। हमने वापस कराया। उस मासो नाम के किसान से पूछिए, उसकी खुशी क्या है? जमीन वापस नहीं हुआ है, जैसे उसकी मां मिल गई। (मेजों की थपथपाहट) हम टाटा के खिलाफ नहीं हैं। उद्योग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो नीति है उसके अनुरूप यदि काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से किसान की जमीन को वापस किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद के बारे में बड़ी चर्चा हुई कि कोई नीति नहीं है। 13 साल से आज तक जगरगुंडा में स्कूल भी संचालित नहीं कर पा रहे थे। हमारी सरकार ने जगरगुंडा में स्कूल खोला और संचालित किया और जाकर मंत्री जी ने शुरूआत की है। (मेजों की थपथपाहट) विपक्ष के सदस्य पूछते हैं कि नक्सलवाद की आपकी क्या नीति है? हम लोग 15 साल से पूछते रहे कि नक्सलवाद पर आपकी नीति क्या है? इन्होंने क्लोज डोर मीटिंग किया। दुर्भाग्य था कि उस क्लोज डोर मीटिंग का आपके शासनकाल में कोई रिकार्ड नहीं है और जो 6-6 8-8 घंटे बैठकर सारे दरवाजे बंद करके चर्चा किये, उसमें एक लाइन भी आपने क्रियान्वयन नहीं किया। आज सबसे बड़ी बात आप बस्तर के हाट बाजार में जाकर देखिए। दंतेवाड़ा के हाट बाजार में जाकर देखिए। किस प्रकार से..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, नक्सलवाद की बात कर रहे हैं। नक्सलवाद में आपकी नीति इसलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि आपके अधिकारी कुछ बोलते हैं और आपके मंत्री कुछ बोलते हैं। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं कि एक घटना में अधिकारी ने कहा कि हमने इतने नक्सलवादियों को मारा और आपके मंत्री आदरणीय लखमा जी का बयान आया कि वह फर्जी मुठभेड़ थी, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा मतभेद रहेगा तो आपकी क्या नीति माने? आप स्पष्ट कर दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अब यह ऐसा है कि यह तो कोई नीति की बात नहीं है। यह घटना की जानकारी होने की बात है और फिर आप भी समाचार पत्र के आधार पर दो लोगों को सत्तू भैया..।(हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने समाचार पत्र का नाम भी उल्लेखित किया। किस समाचार पत्र में छपा, यह भी मैंने बताया।

श्री भूपेश बघेल :- समाचार पत्र में ही सही। जिंदे आदमी की मौत के बारे में मत बताइए न। रिकार्ड को निकलवाकर देख लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- समाचार पत्र में कार्रवाई कीजिए न। समाचार पत्र ने छापा है तो समाचार पत्र पर कार्रवाई कीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां बस्तर के आदिवासियों की हमने जमीन वापस की, वहीं जब वनांचल में रहने वाले लोगों के बारे में फॉरेस्ट राइट एक्ट की जब बात चली तो सरकार संशोधन करना चाह रही है और अभी जब मैं प्रधानमंत्री से मिला, तब भी मैंने कहा कि हम तो अभी पट्टा बांट रहे हैं, निरंतर जारी है और आप जो संशोधन ला रहे हैं, उसमें हमारे आदिवासी जंगल ही नहीं जा पायेंगे। यह जो संशोधन ला रहे हैं, उसे वापस लीजिए। इससे हमारे वनांचल में रहने वालों का भला नहीं होगा। इससे अहित होगा और इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा, आप अपने प्रधानमंत्री जी से कहिये कि यह जो संशोधन बिल ला रहे हैं, उसे वापस लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने प्रधानमंत्री शब्द में मुझे आपत्ति है।

श्री भूपेश बघेल :- क्षमा चाहूंगा। मैं क्षमा ही मांग लेता हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिला, आप अपने नेता से मिल लीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी नीति के बारे में कह रहे हैं। आप दन्तेवाड़ा के हाट बाजार में जाकर देखिये, बस्तर के हाट बाजार में जाकर देखिये कि किस प्रकार से वहां मेडिकल टीम जाकर हर हाट बाजार में मुफ्त में ईलाज कर रहे हैं, मुफ्त में दवाईयां दे रहे हैं। आप वहां के ग्राम पंचायतों में जाकर देखिये , जहां हमने शुरूआत की, गरम-गरम भोजन परोसा जा रहा है। हमने फैसला किया है कि हम केवल चना और नमक नहीं देंगे, बल्कि गुड़ भी देंगे। यह विश्वास जीतने की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नीति है कि हम वहां के रहने वाले लोगों का विश्वास जीते और उस दिशा में पिछले 6-7 महीने से निरंतर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। सबसे पहला काम यह है कि बस्तर में रहने वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विश्वास जीते और यह काम कांग्रेस की सरकार लगातार कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप डी0एम0एफ0 के पैसे की बात कर रहे थे। विकास कार्य रूक गया है, ये बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही मैंने माननीय चंदेल जी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमने रोक लगाया है, आपके जांजगीर-चाम्पा में 130 कार्य स्वीकृत हुए, उसमें से केवल 7 कार्य हैं, जिसमें हमारे आदेश के कारण से रूका, बचत 123 कार्य दूसरे कारणों से रूका हुआ है। हम विकास कार्य कहीं रूकने नहीं देंगे। हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन विकास किसका? विकास यहां के आदिवासियों का, विकास यहां के गरीबों का, विकास यहां के किसानों का, विकास यहां के नवजवानों का, विकास यहां के महिलाओं का होना चाहिए। कमीशनखोरों का विकास नहीं होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) आपके अपने सरकार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले कितने प्रतिशत है,

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपका रिकार्ड बता देगा। कुपोषण से कितने पीड़ित हैं, यह आपका रिकार्ड बता देगा। हम इनको सबसे ऊपर उठाना चाहते हैं। आज किसान सक्षम हो रहा है। इसका उदाहरण कि हमने जब यह फैसला किया, जब किसानों के खातें में पैसा गया, उसका एक ही उदाहरण काफी है। यहां आटोमोबाइल सेक्टर में जो बिक्री है, वह 25 प्रतिशत बढ़ा है। देश में बिक्री में जहां 19 प्रतिशत गिरा है, छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत बढ़ा है। हमने छत्तीसगढ़ के लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाई है। आज छत्तीसगढ़ के बाजार में रौनक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे है कि दिवालियापन। मैं उस पर भी आना चाहूंगा। प्रथम अनुपूरक की मांग राशि 4,341 करोड़ 52 लाख , मुख्य बजट का कुल प्रावधान 95,899 करोड़ 45 लाख, प्रथम अनुपूरक सहित बजट का कुल आकार 1,00,241 करोड़ रूपये हो गया है। प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव के कारण राजकोषीय घाटा में होने वाली वृद्धि की पूर्ति राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं अन्य विविध व्यय के मदों में कटौती तथा मितव्ययता की जायेगी। आर0बी0आई0 द्वारा अगस्त 2018 में जारी प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जी0एस0डी0पी0 के 17.9 प्रतिशत राशि विकास मूलक कार्यों में की गई। जबकि अन्य सभी राज्यों में विकास मूलक कार्यों पर औसत व्यय 11.9 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में कुल जी0एस0डी0पी0 का 11.5 प्रतिशत राशि व्यय की गई है जबकि अन्य सभी राज्यों का सामाजिक क्षेत्र में औसत व्यय 7.8 प्रतिशत रहा है। छत्तीसगढ़ का कुल ऋण भार जी0एस0डी0पी0 का 17.4 प्रतिशत रहा है जबकि अन्य राज्यों में औसत ऋण भार 24.3 प्रतिशत रहा है। यह ऋण भार देश मे न्यूनतम है। छत्तीसगढ़ में ब्याज भुगतान की राशि का कुल जी.एस.डी.पी. का 1.1 प्रतिशत है, जबकि अन्य राज्य का औसत ब्याज भुगतान 1.7 प्रतिशत है । यह भुगतान भी देश में न्यूनतम है । माननीय सदस्यों ने सरकार के द्वारा लिए गए ऋण के बारे में चिन्ता की है । राज्य के आर्थिक दिवालियापन के बारे में भी बात उठी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कर्मचारियों के वेतन भुगतान के भी लाले पड़ जाएंगे, योजनाओं के लिए भी कोई फंड उपलब्ध नहीं होगा । मैं इन सभी चिन्ताओं और आशंकाओं का समाधान आंकड़ों के माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। यह सच है कि हमारी सरकार ने बीते कुछ महीनों के दौरान हमने ऋण लिये, यह भी सच है कि ऋण के रूप में ली गई राशि का उपयोग हमने राज्य के किसानों के धान खरीदने के लिए किया, बोनस भुगतान के लिए किया । आपकी तरह नहीं कहा कि आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन पैसा कितना बढ़ाया 65 रूपये । एम.एस.पी. कितना बढ़ाया, धान के समर्थन मूल्य में केवल 65 रूपए बढ़ाया और हमने कहा था कि हम 25 सौ रूपये में धान खरीदेंगे तो वह हमने कर दिखाया और उसके लिए ऋण लिया है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो ऋण लिये हैं, वह किसानों को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए ऋण लिए हैं, जो गरीब किसान हैं, जो अल्पकालीन ऋण लिए थे, उसके लिए हमने उनके ऋण चुकाने के

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

लिए लिए हैं । हमने वित्तीय संसाधनों का पूरी मितव्ययिता के साथ उपयोग किया और यही कारण है कि नई-नई योजनाओं पर खर्च करने के बाद भी हम अपने राजस्व को बचाने में सफल रहे हैं । अभी हाल ही में महालेखाकार से पिछले वर्ष का लेखा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ । महालेखाकार के आंकड़ों में भी मार्च, 2019 की स्थिति में राज्य में 677 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति दर्शाई है । मार्च में हम ऋण ले चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने 677 करोड़ का आधिक्य दर्शाई है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महालेखाकार की रिपोर्ट है । राज्य की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से हमने संचालित किया, उसका असर यह है कि राजस्व आधिक्य के मापदण्ड की पूर्ति के आधार पर जितना हम पहले ऋण ले सकते थे, चालू वर्ष में लगभग 1650 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लेने की पात्रता हमारे पास है । हम 1650 करोड़ ऋण अतिरिक्त ले सकते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च, 2019 में राजस्व आधिक्य के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमासिक के आंकड़े इस सदन में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस वर्ष अप्रैल से जून माह के दौरान केन्द्रीय अनुदान में राशि में कमी होने के बावजूद भी राज्य के सभी स्त्रोतों से 16346 करोड़ की आय प्राप्त हुई है, जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष, जब आपका शासन था, उस समय 14754 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी । आप 14754 करोड़ और हमारे शासन काल के तीन महीने में 16346 करोड़ की आय हमने प्राप्त की है । (मेजों की थपथपाहट) इस वर्ष राज्य शासन को प्राप्त आय और प्रारंभिक बैलेंस को मिलाकर अप्रैल से जून माह के दौरान खजाने में 19801 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में मात्र 16346 करोड़ का भुगतान आपने किया था । कहां हमने इस त्रैमास में 19801 करोड़ का भुगतान किया और आपने 16346 करोड़ का भुगतान किया था । तीन हजार करोड़ से भी अधिक की राशि भी हमने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक भुगतान किया है । कुल मिलाकर सत्य यह है कि न तो सरकार का खजाना खाली है, न ही आर्थिक संकट की स्थिति है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के बारे में अभी जो पूरक बजट में 25 सौ रूपये क्विंटल में धान खरीदने के लिए हमने मुख्य बजट में जहां 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया था। वहीं इस साल अनुमान है कि पिछले साल 80 लाख मिट्रिक टन खरीदे थे, इससाल 85 लाख मिट्रिक टन का लक्ष्य हमने रखा है, इसलिए 948 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान सप्लीमेंट्री बजट में किया है । पोषण बाड़ी विकास योजना, 1897 ग्राम पंचायतों में 1 लाख 20 हजार 452 बाड़ियों का इस योजना के अंतर्गत चयन किया गया है । प्रति बाड़ी 1 हजार रूपये की दर से किसानों को सब्जी, फल एवं बीज का वितरण किये जाने हेतु अनुपूरक में 10 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । सरकारी बैंकों का अल्पकालीन ऋण योजना के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो गयी । इसमें और ज्यादा नहीं कहूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग्रामीण बैंक, कामर्शियल बैंक, इन बैंकों को हम लगातार पैसा रिलीज करते जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल के आधे की जो योजना है, 400 यूनिट तक 1 मार्च 2019 से दिया जा रहा है, 31 लाख 73 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा रहा है । इसमें अनुपूरक में 118 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, इसमें डिसेंट्लाईज डिस्ट्रिब्यूटेड जनरेशन प्रोजेक्ट अंतर्गत सौर योजना से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 38 करोड़ 22 लाख का प्रावधान किया गया है । सौभाग्य योजना जो 45 हजार 417 घरों में सोलर होम लाईट स्थापना हेतु 78 लाख का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, नगरीय सुविधाओं के लिए प्रवेश कर अनुदान जी.एस.टी. प्रणाली लागू होने के बाद राज्य के साथ-साथ नगरीय निकायों की निजी राजस्व स्त्रोतों में भी कमी आई है । जी.एस.टी. में मर्ज होने के बाद प्रवेश कर अनुदान के रूप में नगरीय निकायों की प्राप्ति समाप्त हो गई है । इसकी प्रतिपूर्ति के लिए मुख्य बजट में हमने 500 करोड़ का प्रावधान किया है । प्रदेश के नगरीय निकायों से अतिरिक्त राशि की मांग को देखते हुये इस मद में 500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । अमृत मिशन योजना, इसके तहत 80 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है । नगरीय निकाय जल आवर्धन योजना जो आप कह रहे हैं कि पिछले कार्यो को रोक दिया गया है, वर्ष 2017-2018 में स्वीकृत 11 नगरीय जल आवर्धन योजना भाटापारा, तिल्दा नेवरा, महासमुंद, कवर्धा, नैला जांजगीर, अकलतरा, जशपुर, बलरामपुर, बैकुंठपुर, मुंगेली, शिवपुर का कार्य प्रगति पर है । योजना शीघ्र पूर्ण करवाने के उद्येश्य से मुख्य बजट में उपलबध 25 करोड़ के अतिरिक्त 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना 322 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है । राष्ट्रीय राज्य स्वास्थ्य मिशन योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के उपयोग हेतु 322 करोड़ का प्रावधान पृथक अनुपूरक में किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता संजीवनी निधि से 30 करोड़ का प्रावधान मुख्य बजट में किया गया है । योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों को देखते हुये 9 करोड़ अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक में प्रस्तावित किया गया है । शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जगदलपुर एवं बिलासपुर को मल्टीस्पेशियलिटी चिकित्सालयों के उन्नयन हेतु 21-21 करोड़ की मांग से कुल 42 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा से भवन निर्माण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में प्रस्तावित है । मेडिकल कालेज रायपुर के कार्डियो वेस्कुलर में 195 पद, प्रसूती रोग विभाग में, 10 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति करना प्रस्तावित है । पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, 85 आदिवासी विकासखंडों में चना वितरण योजना के लिए 170 करोड़ का प्रावधान, नमक वितरण के लिए प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान, बस्तर संभाग में गुड़ वितरण के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है । नये राशन कार्ड की छपाई के लिए पांच करोड़ का

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

प्रावधान किया गया है । महिला एवं बाल विकास योजना के लिए बच्चों के विकास एवं टीकाकरण के लिए, समन्वित सेवाओं के लिए संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजना के लिए 93 करोड़ 55 लाख का प्रावधान किया गया है। किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नेपकिन वितरण के लिए संचालित सुचिता योजना में 4 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है। गर्भवती माताओं के पोषण के लिए महतारी जतन योजना अंतर्गत गरम भोजन दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान में 6 करोड़ 50 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण 2004 में गठित बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के माडा एवं लघु अंचल में अधिकांश आदिवासी उपयोजना क्षेत्र सम्मिलित नहीं थे। राज्य के समस्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत सम्मिलित करने के लिए पूर्व गठित प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है जिसमें जो मध्य क्षेत्र है उसमें 20 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। पोस्ट मेट्रिक छात्रावास में निवासरत अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो 500 रूपये प्रतिमाह की दर से भोजन सहायता राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर 700 रूपये करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए 5 करोड़ रूपये का प्रथम अनुपूरक प्रस्तावित किया गया है।

कैंपा निधि- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के हस्तांतरण के प्रकरणों के उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि को व्यय करने हेतु प्रतीकारात्मक वन रोपण निधि अधिनियम एवं नियम बनाये गये। भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त मद में प्राप्त होने एवं व्यय की जाने वाली राशि अब राज्य बजट में सम्मिलित की जायेगी। इस प्रकार प्रतीकारात्मक वन रोपण निधि व्यय हेतु प्रथम अनुपूरक में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के संधारण हेतु मुख्य बजट में 260 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सड़कों की लंबाई के मान से अतिरिक्त राशि की मांग के आधार पर प्रथम अनुपूरक में 140 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके बारे में चन्द्रा जी आप चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। इसमें भी स्काई योजना के बारे में डॉ. साहब खूब चिन्तित थे। अंडा पहले होगा कि मुर्गी। टॉवर पहले लगेगा कि मोबाईल। आपने जो कर्ज छोड़ा है उसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। जो आपने चुनाव जीतने के हिसाब से बनाया था, अभी भी 6-7 लाख मोबाईल पड़े हुए हैं। उसका डिस्पोजल कैसे हो यह भी एक चिन्ता का विषय है और जो काम नहीं हुए हैं, क्योंकि टॉवर कनेक्टिविटी हो इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। कनेक्टिविटी होना चाहिए, भारत नेट की तरफ हो, बस्तर नेट की तरफ हो लेकिन आपने टॉवर खड़ा किया नहीं और मोबाईल बांट दिये और नेता जी ने अभी अधिकारियों के बारे में क्या

असंशोधित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

कहा कि अधिकारी लोग अब नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी की बात करते हैं और आपके शासन में वह मोबाईल बांटने के लिए घर-घर दौड़ रहे थे। इतना बांटे-इतना बांटे कि चुनाव आ गया, बांट नहीं पाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, लेकिन वह मोबाईल बहुत फट रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए भी हमने 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया हुआ है। अंत में मैं सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों के धान बोनस वितरण के लिए, कृषि ऋण माफी के लिए, आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट के लिए, नगरीय अधोसंरचना की सुविधाओं के विस्तार के लिए तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए प्रथम अनुपूरक में अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आदिवासी उप योजना क्षेत्र के विकास के लिए, छात्रावासी विद्यार्थियों के भोजन सहायता के लिए तथा कैंपा निधि की राशि बजट के माध्यम से व्यय करने के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गये हैं। अतः प्रथम अनुपूरक अनुमान राशि 4341 करोड़ 52 लाख रूपये को सर्वसम्मति से पारित करने का सदन से अनुरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33 34, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 55, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार तीन सौ इकतालीस करोड़, बावन लाख, इकतीस हजार, पांच सौ दस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
7:05 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक,2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। बृहस्पत सिंह जी, देवेन्द्र यादव जी, मोहन मरकाम जी आप तीनों से निवेदन है कि सुनों कैसा भाषण सुना जाता है। नेता जी का जब भाषण हो रहा था तो कैसे हम लोग ध्यान से सुन रहे थे। आप लोग तो दूसरों को बोलने ही नहीं देते। सीखो भैय्या यह बोल रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह तो इसलिए ध्यान से सुन रहे थे कि इन्हीं का कर्जा पटाने के लिए हम लोग रहे थे।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, आप लोग जब-जब विचार के लिये बोलेंगे। हमारे विचार आते रहेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वलपाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वलपाहार ग्रहण करें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भाषण में एक बात नहीं बताये। मैंने आपके

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

भाषण में पूछा था। आप राष्ट्रीय राजनीति में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन रहे हैं न आपकी छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरत है। आपका नाम भी अध्यक्ष में चल रहा है, ऐसा लोग बताते हैं। उसके बारे में बता दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बघेल जी का बात मनाओ कि....।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत भगत ।

(2) छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल जी मोहले। जितनी जल्दी समाप्त करेंगे उतना अच्छा होगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुगेली) :- अध्यक्ष महोदय, मैं कम बोलूंगा। खाद्य एवं राष्ट्रीय पोषण आहार में संशोधन के बारे में जो माननीय मंत्री जी द्वारा ...।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, पी.एल.ए. में आपका नाम है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा संशोधन प्रस्ताव लाया गया है। उस प्रस्ताव के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि करदाता न हो। पहला-पहला अपवर्जित परिवार में था। उसके बाद 4 एकड़ से 4 हेक्टयर तक सिंचित भूमि, 8 हेक्टयर तक असिंचित भूमि, संपत्ति करदाता हो तो 1 हजार, मतलब वर्गफुट से ज्यादा भूमि न हो, ये अपवर्जित परिवार को राशन नहीं दिया जाता था, जिसमें माननीय खाद्य मंत्री जी ने प्रस्ताव लाया है कि इन्हें दिया जाना है। मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या 8 एकड़ या 20 एकड़ से भी ज्यादा वालों को आप देंगे, आप उसके बाद आयकर वालों में कितने लोगों को देंगे, 25 लाख, 50 लाख, करोड़। क्या आप 100 एकड़ वालों को देंगे? संपत्तिकर जितने है, उन संपत्तिकर वालों को क्या देंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- वे इतने विद्वान मंत्री हैं, आपके बिना भाषण के भी मत व्यक्त कर सकते हैं। आप पूछ लीजिए। वे बिना भाषण के बोल सकते हैं। वे जान लिये होंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- काका, ये भी पूछ लीजिए कि तीन काकी है तो तीनों को अलग-अलग देंगे?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं बोल रहा हूँ कि हमारे माननीय बृहस्पत सिंह जी की तीन पत्नियां हैं, उन तीनों पत्नियों को अलग-अलग देंगे कि एक को देंगे, आप ये भी बता दें? मैं आपसे यह जानना

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

चाहता हूँ कि विधवा महिला, वर्ष 2002 की गरीबी रेखा में जिनका नाम है उन्हीं को पात्रता थी, क्या महिलाओं में जो विधवा, परित्याकता है, उन्हें भी कितना चावल देंगे ? ये बताने का कष्ट करेंगे ? निराश्रित है ? जहां तक अपंग है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग कहते हैं, इनको देंगे ? नि:शक्तजन हैं उनको कितना देंगे ? नि:शुल्क देंगे ? सशुल्क देंगे ? और आपने जो 35 किलो चावल देने की बात जो अपवर्जित है, उनको कितना चावल देंगे ? मतलब राशि कितनी देंगे ? एपीएल, बीपीएल को कितना लेंगे ? ये बताने का कष्ट करेंगे। आपका जो संसोधान प्रस्ताव है, मैं इस संसोधन प्रस्ताव का विरोध भी करता हूँ और अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 क्रमांक 5 सन् 2013 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। बी.पी.एल. परिवार को दे ही रहे हैं, हम ए.पी.एल. परिवार को भी देंगे। जो पिछली सरकार ने जो 7 किलो का बंदिश लगाया था, उसको हटाकर 5 परिवार या 5 परिवार से अधिक हैं, उनको भी चावल देने का प्रावधान है और हमारे पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल साहब चिंता कर रहे थे कि मेरी तीन बीवियां हैं, उन तीनों को कार्ड मिलेगा क्या ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन तीनों परिवारों का भी विशेष प्रावधान करके, व्यवस्था करें। आज अगर चौथी बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह साहब और अग्रवाल साहब भी चाहें तो हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनके लिए भी चावल की व्यवस्था करने का प्रावधान किया है। बीपीएल हो, एपीएल हो, जिनको भी जरूरत है, 10 रूपये में एपीएल परिवारों को देने का प्रावधान किया है। आप निश्चिंत रहें, आपकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। इसीलिए इस संसोधन विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

समय :
7:12 बजे

(सभापति महोदय(श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय :- श्री ननकीराम कंवर। श्रीमती संगीता सिन्हा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है, उसका मैं स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं ये बताना चाहती हूँ और आपको याद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी दिला देना चाहती हूँ कि जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय जब हमारे प्रदेश में 58 लाख परिवार थे और आज 2019 में बढ़कर, 65 लाख परिवार हो चुके हैं, इनमें से 65 लाख परिवारों में से लगभग 5 लाख परिवार इंकम टैक्स के दायरे में आते हैं। जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उनको 10 रुपये प्रति किलो की दर से राशन हमारी सरकार ने देने का फैसला किया है। साथ में 60 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास आते हैं, उनको 1 रुपये प्रति किलो राशन देने का निर्णय लिया है, जिसका मैं समर्थन करती हूं। यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है। हमारे माननीय विपक्ष के महोदय लोग बहुत सी बातें किये, उसके बारे मैं कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कर्ज माफी का निर्णय लिया है, वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे घोषणा पत्र में तो 10 दिन के अंदर माफी की बात किये थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे के अंदर कर्ज माफ किये हैं जो हमारे किसान भाईयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। मैं बता देना चाहती हूं और आपको याद भी दिलाना चाहती हूं कि पिछले 5 साल में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हमारे किसान भाई लोगों की मौत हुई थी, आत्महत्या किये थे, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे बालोद विधानसभा की थी। साथ में मैं धान के समर्थन मूल्य की भी बहुत तहेदिल से तारीफ करना चाहती हूं हमारी सरकार ने जो 2500 रुपये समर्थन मूल्य किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- और एक बात आपको और बताना चाहते हैं। सभापति महोदय, भाई अमरजीत हमारे मित्र हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि खाद्य मंत्री का पद बहुत खतरनाक पद है। एक खाद्य मंत्री को आप इधर देख रहे हैं न, एक खाद्य मंत्री उधर बैठते थे, वह अभी सक्ती में दिख रहे हैं। आप अमरजीत जी सीतापुर में हो, थोड़ा ठीक-ठाक से करना, नहीं तो ये पद बिल्कुल अमरकंटक टाईप का है कि जो वहां गया साफ हो जाता है। बचकर रहना।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 लाया गया है, छत्तीसगढ़ का पी.डी.एस. सिस्टम पहले से भी पूरे देश का एक माडल रहा है, चाहे वह योजना आयोग की बैठक में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, इस योजना की पहले से बहुत प्रशंसा पूरे देश में एक माडल के रूप में हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी जो कार्ड बन रहा है वह सिर्फ नवीनीकरण है या नया कार्ड भी बनाया जा रहा है? चूंकि फार्म की प्रदेश में एक जगह छपाई हो रही है, बाकी जिलों में, पंचायतों में नहीं हो रहा है। जैसे आज ही का विषय आया, रायपुर का फ्रन्ट पेज में एक न्यूज छपी है, हर जगह फार्म के लिए बहुत मारामारी हो रही है और जो पहले से क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में आपने और क्या बढ़ाया है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम सभी को राशन कार्ड दे रहे हैं। इसमें दूसरी बात यह है कि अभी बहुत लोगों का राशन कार्ड

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं बना है, उनके लिए अभी सिर्फ यह नवीनीकरण है या नये कार्ड भी बनेंगे? मेरा इसमें आग्रह भी है कई परिवार ऐसे रहते हैं जब राशन कार्ड बनता है तो किन्हीं कारणों से पंचायतों में या शहर के वार्डों में नहीं रह पाते, लेकिन जब वह समय खत्म हो जाता है, 2 महीने, 3 महीने बाद वह आते हैं और पात्र होते हुए भी उनका कार्ड नहीं बन पाता। ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा नियम बनाईये यदि वह पात्र हैं और बनाने के समय में यदि वह किन्हीं कारणों से नहीं रह पाये हैं तो उनका राशन कार्ड बन जाये। इसमें 3-4 बिन्दु हैं। बाकी आप 3 परिवार तक 35 किलो दे रहे हैं, 5 के बाद वैसे भी पहले से 7 किलो अतिरिक्त देने का इसमें प्रावधान रहा है। मेरा इसमें एक आग्रह है कि इसका जिला मुख्यालय स्तर पर फार्म उपलब्ध कराईये। पूरे पंचायतों में जहां-जहां बन रहा है, बहुत विवाद का, लड़ाई-झगड़े का कारण बना हुआ है। इसलिए इसको व्यवस्थित करके करे। कई जगह दोबारा आधार कार्ड, बैंक की पास बुक मांगी जा रही है, पहले से लिंक है। जिनका नवीनीकरण हो रहा है उनका सबका पहले से आधार, बैंक खाता लिंक है और फिर से दोबारा मांगा जा रहा है। उसमें अवैध वसूली भी हो रही है। फार्म को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस ओर ध्यान देकर कृपया इसको व्यवस्थित करके का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले हिंदुस्तान में यूपीए सरकार ने भोजन के अधिकार के तहत्, खाद्यान्न के अधिकार के तहत् 07 किलो प्रति यूनिट तय किया था । लगातार हम लोगों ने कहा कि ऐसा चालू करिये लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार सुनने को तैयार नहीं थी ।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री बृहस्पत जी, आप 07 किलो प्रति व्यक्ति की आलोचना करके आप यूपीए सरकार की आलोचना कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी की आलोचना कर रहे हैं । हमने लागू किया तो आप उसकी आलोचना मत करिये, जो नया लागू किये हैं उसको बोलिये नहीं तो आपको पाप लग जाएगा । श्रीमती सोनिया गांधी जी की और यूपीए सरकार की आलोचना हो जाएगी । आप समझ रहे हैं न वह यूपीए का निर्णय था ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सुनने की हिम्मत रखिये । बहुत सुना चुके हैं अब सुनने की हिम्मत रखिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप ऐसा मत बोलो कि आप किये, आप किये । दिल्ली वाले सुनेंगे न तो जो थोड़ा-बहुत चांस होगा वह भी खत्म हो जाएगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप दवाई खाना भूल गए होंगे तो दवाई खाकर आ जाईये ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली है, आप जो बार-बार कूद रहे हैं न उसको मैं देख रहा हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यही सदन है । यहीं पर हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी यह बोला करते थे कि क्या 07 किलो चम्मच में खायेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग थाली में भात खाते हैं । ऐसा बोला करते थे । डॉ. रमन सिंह जी का बयान हम लोग इसी सदन में सुनते थे । मैं माननीय बघेल जी को, आदरणीय खाद्य मंत्री जी को और वर्तमान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार जो रोज काटो, रोज जोड़ो करती रही, कभी गरीबी रेखा के नीचे 21 हजार हो जाते थे, कभी 71 हजार हो जाते थे, कभी 54 हजार परिवार हो जाते थे इसको हमारी सरकार ने बड़े सुनियोजित ढंग से किया । यह बड़ा अच्छा निर्णय हुआ कि सभी का राशनकॉर्ड बनेगा चाहे वह विधायक हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे वह पूर्व खाद्य मंत्री हो, चाहे आयकर दाता हो, चाहे 100 एकड़ का किसान हो, चाहे 01 एकड़ का किसान हो, चाहे मजदूर हो या गरीब हो यदि वह छत्तीसगढ़ का निवासी है तो सभी का राशनकॉर्ड बनेगा यह फैसला बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है । देश में पहला ऐसा निर्णय हुआ है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी हिम्मत वास्तव में छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने किया है इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं। एक आदमी का 10 किलो, दो आदमी का 20 किलो, अगर एक बच्चा हो गया और 03 लोगों का परिवार है तो 35 किलो चावल, यदि 05 सदस्य से अधिक हैं तो 07 किलो प्रत्येक का बढ़ते जाना और इसमें कोई सीमाएं नहीं हैं । बीपीएल में नाम है तो 01 रूपये, 02 रूपये, अगर एपीएल में नाम है, नहीं भी है तब भी सारे लोगों को राशनकॉर्ड देने का फैसला इस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है । मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित हमारे माननीय चंद्राकर जी का, अग्रवाल जी का सबका राशन कॉर्ड पहले बनाकर सभी हमारे मंत्री लोग पूर्व मंत्रियों को जरूर राशनकॉर्ड पहुंचाने जायें ऐसा मेरा आग्रह है और मेरी प्रार्थना है । पूर्व खाद्यमंत्री जी के लिये विशेष अनुरोध है । अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे बाबू मुझे यह बता तुमन के तो बन जही लेकिन मोर इहां ए दिक्कत हे कि तोर काकी तीन ठोक है अऊ तीनों तीन गांव में रहिथे अऊ तीनों में मोरेच नाम लिखथे ता मैं तो बोल देहूं एक मोर संग हे, दू कका ला छोड़ दे हंओं । मैं कहेओं काका अइसन झन गलती करबे, मैं हा मुख्यमंत्री जी ला निवेदन करिहंओं कि अगर तीन ठन है ता तीनों के कॉर्ड बन जाए लेकिन ऐसी नौबत न आए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि सबसे पहले 03 राशनकॉर्ड आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी को बनवाकर भिजवा दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- आप 3-4 के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं ? जितना बोरा चाहिए, श्री अमरजीत जी उतना भिजवा देंगे, उठवा लो । (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, तो यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव आया है । यह पहला इतिहास होगा, हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में जब लिखा जायेगा तो यह पहला राज्य छत्तीसगढ़ होगा । सभी लोगों के लिये कॉर्ड बनना एक ऐतिहासिक कदम है । कई बार हम लोगों के सामने यह समस्या आती थी कि जिनके कॉर्ड बीपीएल परिवार हैं उनका राशनकॉर्ड बनेगा, बाकी एपीएल लोगों का कॉर्ड ही बीच में बनना बंद हो गया था । जब हम लोग कोई भी फॉर्म भरने जाते थे तो राशनकॉर्ड की कॉपी, आधार कॉर्ड की कॉपी, फोटो परिचय पत्र मांगा जाता था तो उस समय राशनकॉर्ड नहीं मिल पाता था, आज कम से कम यह दिक्कतें दूर हो गयीं ऐसा फैसला लेने के लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खाद्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

समय :
7:25 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक के विरोध में बोल रही हूं क्योंकि यह विधेयक ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपका भी कार्ड बन रहा है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- क्योंकि यह विधेयक स्वयं में शंका उत्पन्न करता है । इसमें जिस प्रकार से अपवर्जित परिवार से अभिप्रेत एक ऐसा परिवार जिसे राज्य शासन द्वारा किसी पात्र के लिए अपात्र अधिसूचित किया जाए । माननीय महोदय, इसमें दो शब्द आ रहे हैं पात्र और अपात्र । पात्रता जैसे शब्द के इस व्यापक अर्थ को परिभाषित करके इसमें संशोधन आपके विधेयक में समायोजित किया जाए । दूसरा - इसमें जो पात्रता शब्द है, यह शब्द इतना व्यापक है । इसमें समायोजित के साथ-साथ, इसके क्षेत्र, कहां तक सीमित है, इसे स्पष्ट किया जाए । केवल पात्र के साथ-साथ यदि इसका उल्लेख किया जाता है तो केवल पात्र और अपात्र लिखने से पात्र और अपात्र नहीं होता । महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसे स्पष्ट किया जाए और साथ ही साथ मेरा एक विषय भी है कि जिस प्रकार अभी सदन में बातें चल रही थी कि इसका भी राशन कार्ड बना है, उसका भी राशन कार्ड बना है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभी का, सभी का मैडम । सभी का तय हो गया है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जिस प्रकार सत्ता पक्ष के सदस्य बार-बार हमारी तरफ इशारा करके बोल रहे थे कि इनका भी राशन कार्ड बना, इनका भी राशन कार्ड बना तो मैं यह जानना चाहती हूं कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के सदस्यों का राशन कार्ड बन रहा है या नहीं और राशन लेने के लिए क्या राशन दुकान तक जाना पड़ेगा या राशन घर में पहुंचेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- बनेगा, आपका भी बनेगा, मेरा भी बनेगा और पुन्नूलाल जी का भी बनेगा ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- क्योंकि हमारा राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। हमको राशन लेने दुकान तक जाना पड़ेगा या राशन घर तक पहुंचेगा, यह स्पष्ट कीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- लखमा दादी, कोई अहसान थोड़े ही कर रहे हैं, हमारी तीन काकी है तो तीनों को देना ही पड़ेगा ।

श्री संतराम नेताम :- जैसे अंडा पहुंचाएंगे वैसे ही राशन भी पहुंच जाना चाहिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- मेरे तो 12 बच्चे हैं, मेरा तो बहुत बनेगा (हंसी) ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बस एक लाईन । जहां पर शिविर लग रहे हैं । मैंने दो जगह फोन करके कलेक्टर और एसडीएम को बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कमीशन खा रहे हैं और झंडा लगाकर बैठे हैं, शासकीय कार्यक्रम में । मैंने नाम और जगह सहित बताया है इस बात को । इसको रोका जाए ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आप एकदम गलत बात बोल रहे हैं । असत्य बात बोल रहे हैं । कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कमीशनखोरी नहीं कर रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- पुन्नू लाल जी को बाल बच्चों सहित एक क्विंटल चावल मिलेगा ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिनियम में परिवर्तन करके यूनिवर्सल पीडीएस लाने का काम हो रहा है । मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर यूनिवर्सल पीडीएस को लाने का प्लान किया तो छत्तीसगढ़ में किया और दूसरे प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ से सीखेंगे कि किस प्रकार से लोगों में पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने वाले पूर्व खाद्य मंत्री काका पुन्नूलाल मोहले जी, भाई आदरणीय मोहन मरकाम जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, भाई रजनीश सिंह जी, भाई बृहस्पत सिंह जी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी और दो हमारे सीनियर बृजमोहन जी और चन्द्राकर जी । जिन्होंने शंका व्यक्त किया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं भी तो बाला हूं, मेरा नाम क्यों नहीं लिये ?

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय धर्मजीत भइया ने भी इसमें शंका व्यक्त किया है ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, अमरजीत हमारे इतने गहरे दोस्त हैं कि जब हम छत्तीसगढ़ भवन में रूकते हैं तो इनका बिल मेरे पास और मेरा बिल इनके पास जाता है । मंत्री बनने के बाद नाम भी नहीं ले रहे हो । मैंने बताया खाद्य मंत्री बहुत खतरनाक पद है सोच समझकर रहना भइया । एक इधर बैठे हैं और दूसरे सक्ती में दिख रहे हैं। अब आपका नम्बर है ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं तो बहुत प्रभावी ढंग से आपका नाम लेने वाला था।

श्री अजय चनद्राकर :- आपके खाद्य मंत्री बनने का पहला प्रभाव सरकार का कैसा प्रदर्शन रहा । माननीय टी.एस.बाबा साहब ने लंच दिया और 8 बजे तक विधान सभा चल रही है, शाम का नाश्ता नहीं दिया, ये पहला प्रभाव है । सारे विधायक भूखे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- लगातार पांच साल चावल लेना है तो एक दिन उपवास रहो भाई ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं । इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना अपना विचार व्यक्त किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबकी शंका का समाधान करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में भूखा कोई ना सोए । यह सपना अगर किसी ने देखा है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने देखा है । पूर्ववर्ती सरकार ने नियम कानून को ताक में रखकर नया-नया मापदण्ड करके लोगों को राशन कार्ड से और राशन से दूर रखा उनको वंचित करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- चुनाव के पहले राशन कार्ड बन जाते थे।

श्री अमरजीत भगत :- मैं इनके मूल स्वरूप को बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ खाद एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के प्रावधान में अनेक गंभीर कमियां थीं, जिन्हें राज्य के गरीब परिवारों के हितों को ध्यान में रखकर दूर किया जाना आवश्यक था। ऐसी ही कुछ कमियां इस प्रकार हैं। अधिनियम की मूल भावना का क्रियान्वयन।

श्री तामध्वज साहू :- चन्द्राकर जी अउ पूछथे कि समझ में आथे कि नहीं।

श्री अमरजीत भगत :- इस अधिनियम की प्रस्तावना में राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पात्रता का उल्लेख किया गया है, जबकि इसकी धारा 15 की उपधारा 4 में कई श्रेणियों के परिवार को राशनकार्ड के लिए अपात्र बताया गया है। जो इस प्रकार है...।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, वह पढ़ लिये हैं। कोई नयी बात हो तो बताओ।

अध्यक्ष महोदय :- सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग सब संतुष्ट हैं। आप पारित करने का निवेदन करिए।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें पहले का जो सिस्टम था, उसमें केवल बी.पी.एल. परिवार के लोग ही...।

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पूरा सिस्टम गलत था। अभी पूरा अच्छा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- विचार किया जायेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वीकार कर लिया है।

श्री अमरजीत भगत :- पहले केवल बी.पी.एल. परिवार इसके दायरे में आते थे। अब सरकार ने अपना दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए ए.पी.एल. परिवार और जो अपवर्जित श्रेणी में आते थे, उन सभी को इसमें समाहित किया है। पहले इस प्रदेश में केवल 58 लाख 54 हजार लोग इस योजना का लाभ लेते थे। अब सस्ते चावल के योजना का लाभ इस प्रदेश में बढ़कर 65 लाख लोगों को मिलने लगेगा। (मेजों की थपथपाहट) इस प्रदेश में राशन कार्ड बनाने को लेकर कई कुशंकाएं हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा जाहिर किया जा रहा है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पारदर्शी तरीके से और सब जगह सिस्टेमेटिक ढंग से इसका संचालन किया जा रहा है। सभी कलेक्टरों को सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन सा पारदर्शी तरीका पूरे छत्तीसगढ़ में है? हर शिविर में मारपीट हो रही है। कोई सिस्टम नहीं बना है। आपको सिस्टम बनाने की जरूरत है। रायपुर शहर में 10 जगह पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ी है। मंत्री जी आप काम अच्छा कर रहे हैं, परंतु आप उसे व्यवस्थित कर दीजिए। आपके काम को फेल करने की कोशिश हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारे समय में गलत काम हुआ था। आप सब सही कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको भी राशन कार्ड मिलेगा। आप चिंता मत करो।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सदस्य ने कहा है कि उनका सिस्टम गलत है तो कृपया करके उसे नोट में जरूर रखवाएं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- राशन कार्ड मिलेगा तो ठीक है पर बी.पी.एल. का अलग हो और ए.पी.एल का अलग हो।

श्री कवासी लखमा :- दिन भर पुन्नूलाल जी बैठे थे। अभी कितना खुश हैं राशन कार्ड मिलेगा करके। गुब्बारा फूट रहा है।

एक माननीय सदस्य :- अब हम चुनाव के चार साल पहले कार्ड बना रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये बबा ला पूछथो तोला कतका ठन राशन कार्ड मिलही। कोन सा वाला राशन कार्ड चाहिए। बारह ठन हे तो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 13 ठन।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 13 हे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक माननीय सदस्य :- एक ट्रक भेजे ला लागही। सबो एक ट्रक ला भेजेला लगही।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक क्विंटल

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक क्विंटल जोड़ लेबे मंत्री जी। ओकर राशन कार्ड में लिख देबे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अगर उनके टीम को भेज देते न पूर्व मंत्री के टीम को टीम को तो विश्व कब जीत जाती। वह तो चयन में गलती हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो व्यवस्था थी, वह ऊंची दुकान और फिकी पकवान थी। अब का जो नया सिस्टम है, इसमें सभी को बहुत उम्मीद है और जो भीड़ लग रहा है, जो आकर्षण है तो जो पहले इस दायरे में नहीं आते थे, वे भी इस दायरे में आ रहे हैं और सभी को सस्ता चावल मिलेगा और इसमें किसी को शंका और कुशंका करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री केशव प्रसान चन्द्रा :- यह सफलता का राज है।

श्री अमरजीत भगत :- सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि पारदर्शी ढंग से इस योजना को संपादित किया जाएगा और जो भी कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनको कहीं भी कोई को दिक्कत होती है तो हम लोग मदद करने को तैयार हैं। पूरे सदन से, आप सभी लोगों से आग्रह है कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण आहार सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पारित किया जाय।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण आहार सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण आहार सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) **<u>छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019)</u>**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी0एस0 सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमरजीत जी, थोड़ा सुन लीजियेगा। आपके विषय में बोलूंगा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पंचायती राज में जितने भी संशोधन हुए, सौभाग्य से वे सारे संशोधन विधेयक मैंने लाये। पंचायती राज को लेकर यह सरकार का पहला संशोधन विधेयक है। यह महात्मा गांधी जी के जन्म का यह 150वां साल है। आपने महात्मा गांधी जी को कितना सम्मान दिया था, संविधान के अनुच्छेद 40 में है।

अध्यक्ष महोदय :- (श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा संविधान की पुस्तक के हाथ में रखे होने से) इसको भी पढ़ेंगे क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हां-हां, पढ़ूंगा न।

अध्यक्ष महोदय :- समय का ?

श्री अजय चन्द्राकर :- 2 मिनट में। अच्छा नहीं पढ़ता। तो मुझे यह कहने में संकोच और दुःख हो रहा है कि राजीव गांधी जी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम पंचायती राज संशोधन विधेयक या मूल पंचायती राज में हमेशा लेती रही, उस पार्टी को 15 साल बाद या छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार जब शासन करने का अवसर आया या त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं, जिसकी मूल भावनाओं पर फिर कभी लायेंगे तो मैं बात करूंगा, आपने जल्दी बोलने के लिए कहा है, तो जो विषय हैं, 73वें संशोधन के 243 (ग) में आप परिसीमन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिसीमन हर बार होता है। नई बस्ती बन गए, नये घर बन गये, नई चीज बन गई, परिसीमन कोई विषय नहीं है। मुख्य विषय आरक्षण है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आरक्षण में पंचायती राज संशोधन में जब मैंने अमरजीत जी को कहा था, हमारा दृष्टिकोण क्या था ? पहले नंबर पर ग्राम सभा है। इनका ग्राम सभा पर कोई दृष्टिकोण नहीं है, मैं कांग्रेस का बोलूंगा, जो उस बात पर राजनीति करती है, उसको। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो महत्वपूर्ण संशोधन थे, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में होते तो मैं आग्रह करता और इनको भी कहूंगा कि छत्तीसगढ़ को कुछ बात का श्रेय जाता है। वह कानून आज तक हिन्दुस्तान में दोहराये नहीं गये, उसको किसी राज्य ने नहीं किया। जो फूड गारन्टी की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा न सोये, आज उस बात को बोल रहे हैं। 2003-04 में कांग्रेस के शासन में एक निर्देश था कि पंचायत में एक क्विंटल अनाज रखा जाये। हिन्दुस्तान का पहला फूड गारन्टी इस छत्तीसगढ़ ने दिया कि एक क्विंटल चावल अनिवार्य रूप से रखा जायेगा, यह कानून बना। पहली बार उम्मीदवार की अर्हता में स्वच्छता शामिल हुई। पहली बार साक्षरता शामिल हुई। पहली बार, इन्क्रोचमेंट (अतिक्रमण) नहीं होना चाहिए, यह शामिल हुआ। पहली बार यह शामिल हुआ कि ग्राम सभाएं आश्रित ग्राम में भी होंगी और पेसा क्षेत्रों में , ग्राम सभा में कोई वरिष्ठ आदमी उसकी अध्यक्षता करेगा और पेसा क्षेत्रों के लिए जो बात होगी, वह बाद की बात है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पहली बार 36 हजार करोड़ का नॉन घोटाला भी हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा की उपस्थिति भी दर्ज है कि ग्राम सभा की 15 साल में क्या स्थिति थी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बातें समझ में नहीं आएंगी । ये बातें उनको समझ में नहीं आयेगी, मंत्री बनने से कुछ नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो समझदार हैं, आप चलते रहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं । मंत्री बन जाना अलग विषय है और समझना बिल्कुल अलग विषय है । मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वह जाति वाला विषय हो जायेगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर से समझदार तो ये दुनिया में कोई है ही नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 243 (ख) जो राज्य विधान मण्डल, 243 (ग) भी राज्य विधान मण्डल के विषय हैं और ख भी राज्य विधान मण्डल का विषय है-रिजर्वेशन का । एक तिहाई महिला कांस्टीट्शनल है । अब हमने दो बार आरक्षण क्यों किया था, इसको जानने की जरूरत है । दो बार आरक्षण का मतलब ये है कि एक बार यदि कोई आदमी निर्वाचित होता है तो वह असुरक्षित महसूस करता है । भारतीय फौज जैसे लूटती चलती है, मैं प्रतिनिधियों के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं कर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहा हूं, मैंने इसलिए जान-बूझकर नाम नहीं लिया तो वे असुरक्षा में रहते हैं कि अगली बार कौन आयेगा, न कौन आयेगा तो परिसम्पत्तियों का दुरूपयोग, फंड का दुरूपयोग और उनमें जेल के प्रकरण और वसूली के प्रकरण उन मासूम लोगों के ऊपर इतने दर्ज होते हैं, जिसकी हद नहीं है और उतनी वसूली नहीं होती है । मेरा यह कहना है कि यदि दो बार निर्वाचित है तो वे कम से कम जिम्मेदारी से काम करेंगे, इस भावना के साथ इसको हमारी सरकार ने लाया था। हटाना या नहीं हटाना आपका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है, मैंने लोकलेखा समिति की बैठक में यही पूछा था ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अजय भैया, एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, अगर एक सरपंच अच्छा काम करेगा तो उस क्षेत्र की जनता देख रही है, उसको दोबारा चुनकर लायेगी और असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, अगर अजय भैया लगातार जीतकर आते हैं तो अपनी काम की बदौलत जीतकर आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा सुझाव है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि रिजर्वेशन की बदल गया तो अच्छे काम का कोई मूल्यांकन ही नहीं है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे बड़े पद में लड़ सकता है । सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ सकते हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ सकते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में अब आप एक बार करें या दो बार करें, रिजर्वेशन आपका विषय है, मैं इस पुस्तक को रख देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- उस किताब को रख दीजिए और समाप्त करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने की आदत है, बोलने की गोली खाकर आते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप पंचायत में रिजर्वेशन करेंगे तो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि जो टी.डी. ब्लॉक को छोड़कर, 85 ब्लॉक को छोड़कर जो बाकी ब्लॉक बचे हैं, उसमें सुरक्षित वर्ग के लोगों का रिजर्वेशन आता है तो उस रिजर्वेशन में कई ऐसे रिजर्वेशन आते हैं, जिसमें उस कॉस्ट के लोग नहीं होते। अब इसके लिए उसको शून्य घोषित कराने के लिए जाना है कि इस कास्ट के लोग नहीं है, उसमें गांव वाले लोग लंबी लड़ाई लड़ते हैं । दुर्भाग्य यह है कि इस परिस्थिति को सिंहदेव साहब भी जानते हैं । वे एक बार करें, दो बार करें, यह उनका राजनीतिक विषय है । वह विषय नहीं है । अब मैंने दो बार या हमारी पार्टी ने दो बार क्यों किया, उसका मैंने तथ्य बताया । अब

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जब आपका विधेयक इस बारे में मौन है कि यदि रिजर्वेशन में वह क्लाज़ उस गांव में नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, वह निर्देश में नहीं चलना चाहिए, उसके निर्देश का कभी पालन नहीं किया गया । उसको कानून का स्वरूप देना चाहिए कि जो सामान्य ब्लॉक है, यदि उसमें इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो संविधान के मुताबिक या उनके नियम-निर्देश के मुताबिक क्या कार्यवाही करेंगे । कोई बात नहीं कही । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आखरी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । सिंहदेव साहब से बड़ी अपेक्षा थी कि पंचायती राज संस्थाओं पर कोई काम करेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको 15सालों बाद बोलने की आजादी मिली है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आप बोलेंगे न, काहे टोक रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर के दो-तीन लोग तो इतने विद्वान हैं कि मत विभाजन पर और कार्यसूची पर भी भाषण दे सकते हैं, उनको पूछ लीजिए, वे कार्यसूची पर भी भाषण दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आपके बाद उन्हीं का नम्बर है, वे आपकी बातों को काटेंगे । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री का ये फ्लोर मैनेजमेंट है । इधर कौन-कौन बोलेंगे, उनको डिस्टर्ब करना है, समझ रहे हैं न ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात की ओर बढ़ रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की एक्टिविटी मैपिंग के लिए और जब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो 50 प्रतिशत महिला को भी वे घटाएंगे या उतना ही रखेंगे । जो आत्मा है, उसके अधिकार संपन्न बनाने की त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो 29 वीं सूची के विषय है, उसमें फण्ड, फंक्शन, फंक्शनरी यह दें । कांग्रेस का उसका दृष्टिकोण क्या है, पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, दुर्भाग्य का विषय है कि एक बहुत छोटे विषय को सिर्फ राजनीतिक कारणों से कि भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, इसलिए उसको संशोधन कर दें या पंचायती राज की आत्मा, 73 वें संशोधन की आत्मा वहां तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, छोटा सा संशोधन लाये हैं । छत्तीसगढ़ के पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारिता पर, उसके अधिकार संपन्न होने पर, ग्राम सभाओं के स्वरूप पर, पेशा पर, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । आप बहुत दिन रहेंगे तो चार साल रहेंगे । मैं समय-समय पर देखूंगा कि आप पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं । बहरहाल जो विधेयक लाये हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है । परिसीमन समय की आवश्यकता है, उसमें कोई असहमति नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विनोद सेवनलाल जी चन्द्राकर ।

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर महासमुंद :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी बोल रहे थे कि पंचायतों में कैसे इन्होंने 15 साल में उनका दोहन किया है । अगर फण्ड को कोई रिलीज करवाना होता तो जनपद का सी.ई.ओ. वहां सिगनेचर करता था, तब वह पैसा निकलता था । पैसा निकालने के लिए जबकि सरपंच को पूर्ण अधिकार था । उसके बाद भी अधिकार का हनन करके जिला पंचायत सी.ई.ओ. जनपद सी.ई.ओ. से उसको परमिशन लेना पड़ता था । रही बात ग्राम सभा की तो विगत 15 साल में कैसे इनका ग्राम सभा हुआ है, वह बताने की जरूरत नहीं है । हम लोग भी जानते हैं, ग्राम सभा के नाम से खानापूर्ति भर हुई है ।

श्री बृहस्पत सिंह जी :- अध्यक्ष महोदय, संशोधन विधेयक के ऊपर चर्चा है । अभी पूर्व मंत्री पंचायत मंत्री त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में वक्तव्य दे रहे थे । अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग मध्यप्रदेश में थे, आदरणीय [XX]जी की सरकार थी, उस समय त्रिस्तरीय पंचायती राज चालू हुआ था, इसके पहले जिला पंचायत सदस्य मेंबर हम लोग हुआ करते थे । इसलिए मुझे याद है । अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था थी कि हर पांच साल में परिसीमन करते थे और आरक्षण रोस्टर भी हर साल बदलता था । ताकि कभी कोई महिला है तो पुरूष होगा, पुरूष है तो महिला होगा, सब को बारी-बारी से मौका देने का काम आदरणीय [XX]ने शुरूआत किया है । हम लोग भी बड़े अच्छे से कर रहे थे । लेकिन पता नहीं, इतिहास में नाम लिखवाना बहुत जरूरी है, ऐसा समझकर मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकर के पंचायत मंत्री ने अपना इतिहास में नाम लिखाने के लिए इसको संशोधन करके 10 साल की प्रक्रिया शुरू कर दी । दस साल तक जो बनेगा, वही है । ऐसा लगता है कि जिसको सरपंच बनना है, वह दस साल तक रहेगा । ऐसा नही है साहब आप आज पंचायत मंत्री है तो कल भी आप होंगे । वह तो जनता तय करती है । इसलिए उनकी आजादी होनी चाहिये । यह रोस्टर आदरणीय पंचायत मंत्री श्री सिंहदेव साहब ने लाया है, मैं उनका समर्थन करता हूॅ । जिला पंचायत, जनपद पंचायत,ग्राम पंचायत और पंचायत के सदस्य यह सारे लोग का जो होगा, इससे फायदा यह होगा, अगर महिला इस बार है तो अगले बार पुरूष को मौका मिलेगा । सीमायें हर ग्राम पंचायत की जनसंख्या हर पांच वर्ष में बढ़ जाती है । जनसंख्या अगर एक हजार हो गया तो पंचायत बनने का अवसर मिलता है । कई ग्राम पंचायतों को हमने देखा था, हमारे क्षेत्र के कुछ पंचायत थे जो दूर-दूर ग्राम में आश्रित गांव हुआ करते थे, जब जनसंख्या हो गई तो खुद का पंचायत स्वतंत्र बन गया । उससे उस पंचायत का विकास होगा, अध्यक्ष महोदय । उस ग्राम की स्वतंत्र ग्राम पंचायतें होंगी, उनका खुद का राशन दुकान होगा, यह बहुत सारे फायदे उस ग्राम पंचायत को होगा, इसलिए संशोधन विधेयक बहुत जरूरी था । मैं इस बात का समर्थन करता हूॅ । आपसे निवेदन है कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी । माननीय मंत्री जी ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सब जानते हैं कि संविधान की तेरहवीं संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज नये स्वरूप में स्थापित किया गया । भारतीय संविधान के भाग 8 की पश्चात भाग 9 पंचायत अंकित किया गया । अविभाजित मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 देश में पहला राज्य था, जिसने उसको अपनाया। क्रमांक 1994 में यह राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित भी हुआ । 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल जी की अनुमति के माध्यम से 25 जनवरी 1994 से प्रथम बार प्रकाशित किया गया । मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत नवम्बर 2000 में प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में यह अधिनियम लागू किया गया जो मध्यप्रदेश में लागू था वह छत्तीसगढ़ में लागू रहा। त्रिस्तरीय पंचायत का आम निर्वाचन छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2004-05, वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2014-15 में तीन बार ये चुनाव कराये गये हैं। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक के आम निर्वाचन में अभी तक एक चक्रानुक्रम में ही होता रहा है। दिनांक 25 मई, 2008 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा-13, धारा-17, धारा 23, धारा-25, धारा 30, धारा-32 में प्रावधान रखा गया कि पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम होगी। यहां पर परिवर्तन क्या लाया गया कि चक्रानुक्रम पहले था, रोटेशन पहले भी लागू था, अब जैसा माननीय अजय जी ने बताया कि उस समय शासन ने यह उचित समझा कि अब ये चक्रानुक्रम तो रहेगा लेकिन कितने समय का तो दो चुनाव तक का रहेगा। दो चुनाव को एक रोटेशन मानेंगे और तब तक के लिए, दो बार के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिनांक 23 अगस्त, 2014 से अधिनियम की धारा (2)(13) के तहत एक चक्रानुक्रम से अभिप्रेरित है कि दो आम चुनाव। यानी दो आम चुनाव तक आपने एक ही रोटेशन को लागू कर दिया। ये परिवर्तन अभी लाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि जैसा माननीय बृहस्पतत सिंह जी ने कहा एक तरफ तर्क ये था कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक और मौका दीजिए तो जस का तस रखिए। उसमें से कितने जीतेंगे, कितने हारेंगे, हार-जीत का कितना प्रतिशत है ये हम सब जानते हैं कि बहुत कम, 50 प्रतिशत से भी कम लोग दोबारा जीतकर आते हैं। चाहे यहां के हों या वहां के हों जीतकर आने की प्रतिशतता कम रहती है। अर्थात् एकदम सही बृहस्पत सिंह जी ने कहा कि वार्डों में, जनपद सदस्य के क्षेत्रों में और जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों में भी अगर महिला है तो महिला के स्थान पर अन्य वर्ग ओपन केटेगरी नहीं होगा। महिला भी लड़ सकती है और अन्य लोग भी लड़ सकते हैं, अनारक्षित की स्थिति नहीं रहेगी। जहां ट्राईबल क्षेत्र है वहां तो पंचायत सरपंच, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष ये ट्राईबल ही रहेंगे। वहां भी महिला होने की नई स्थिति में दूसरे लिंग को अवसर नहीं मिल रहा था पांच साल बाद कि दूसरे लिंग के प्रतिनिधि भी वहां पर आ सकते हैं। ये आजतक वैसा चुनाव हुआ भी नहीं है और अभी ये चुनाव हो उसके पहले हम लोगों ने यह प्रस्तावना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लाया है कि इसको पांच साल में ही जैसे आप परिसीमन भी करते हैं तो परिसीमन से भी परिवर्तन आयेगा और परिसीमन की भी परिस्थिति क्यों महसूस हुई? मैं उदाहरण के लिए अपने ही विधानसभा के एक पंचायत की बात बता रहा हूं केतमा, उसमें बड़ेगांव और पनगोती दो गांव और हैं। 14 किलोमीटर से ज्यादा दूर वह गांव है जो केतमा पंचायत में समाहित है जबकि आबादी के अनुपात से और भौगोलिक स्थिति के अनुसार से वहां दो पंचायत भी हो सकते थे। आरक्षित क्षेत्र में दो पंचायत की स्थिति अगर बनती है और नहीं हुआ था तो इस परिसीमन के माध्यम से उन्हीं वर्गों को मौका मिलने वाला है। अगर पंचायत बंटती है तो ट्राईबल साथी को ही विकेन्द्रित भौगोलिक क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा, वह 14 किलोमीटर दूर है। एक और उदाहरण ध्यान में आया। नारायणपुर जिले का ले लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। सामरी सहित कई जगह का बताया जा सकता है। नारायणपुर में एक पंचायत है जो तीन पंचायतों को पार करके वह गांव दूसरी पंचायत से जुड़ा हुआ था। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं वह परिसीमन के माध्यम से पुन: सुलझाने की बात है और प्रदेश में ही नगरीय निकायों के चुनाव के संदर्भ में जो व्यवस्था लागू है एक पांच साल के अनुक्रम में ही हम आरक्षण को कर रहे हैं। तो पंचायत में अलग और इसमें अलग क्यों? कोई तर्क ऐसा नहीं दिखता। उस समय शासन को उसको भी बदल देना था। उसको भी 10 साल का कर देना था। लेकिन आरक्षण की स्थिति में पांच साल के जो अनुक्रम की बात है तो दोनों त्रिस्तरीय शासन परिकल्पना की जो व्यवस्था संविधान में शहरी और ग्रामीण के लिए की गई है ये प्रस्ताव लाया गया है कि इसको लागू किया जाए और समाप्त करने के पहले चाय में गड़बड़ी हो गई उसके लिए क्षमा करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब, हमारा दृष्टिकोण था कि परिसीमन में हम एक हजार की आबादी में पंचायत बनायेंगे। दूरी अनुसूचित क्षेत्रों में लंबी होती है। आपके मापदंड क्या होंगे ? उसको क्लीयर कर दीजिये कि मैदानी क्षेत्रों में एक हजार रखेंगे कि दूरी के हिसाब से रखेंगे कि जनसंख्या घटेगी कि बढ़ेगी। आपने परिसीमन में कहा है। मैं सोचा था कि आप उसमें बतायेंगे क्योंकि यह आपका दृष्टिकोण है। यह कानून में नहीं आ सकता चूंकि बहस चल रही है तो उसमें दृष्टिकोण डाल दीजिए और एक विधेयक के बाहर चूंकि पंचायती राज में चर्चा चल रही है। विधेयक के बाहर आपके अधिकारी बता देंगे कि पंचायत को छोड़कर जनपद और जिला पंचायत में या पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव आते हैं। जिला पंचायत को और जनपद पंचायत को दलीय आधार पर करवाने के बारे में आपका कोई दृष्टिकोण है क्या यह बताने की कष्ट करेंगे ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरपंच या जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं। उपाध्यक्ष जिनका आरक्षण होता है उन्हीं वर्ग का हो जाता है। इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो और कोई संशोधन प्रस्तुति नहीं है, जो व्यवस्था बनी है वह बनी रहेगी। पंचायत की जो हजार की बात है। छत्तीसगढ़ ने हजार के एवरेज को माना कि सौ हजार के आस-पास का माना। वरना मुझे केरल में 25 हजार बताया गया है। उड़ीसा में पांच हजार है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 25 हजार है न। आपने अपने विधानसभा के उत्तर में ...।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, साहब बोलने तो दीजिए। जितना उत्तर में बताया है...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आपसे एक आग्रह है कि पूरे कार्यसूची का कार्य समाप्त हो जाये तो भी वह शून्य में बोल सकते हैं। उनको दे दीजिएगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, साहब ये बार-बार भूल जाते हैं कि यह पंचायत मंत्री हैं, ऐसा लगता है कि (व्यवधान) आप पूर्व मंत्री हो...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कुछ बोलना चाहते हैं, यह बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, हजार वाली बात अगर कोई गांव, गांव बंटेगा नहीं। अगर कोई गांव चार हजार का है तो चार हजार का एक पंचायत रहेगा। गांव के चार पंचायत हजार के अनुपात में नहीं होंगे और एक औशत कम इतना ज्यादा इतना, उसमें कलेक्टर को भी एक्ट के लिए अधिकृत किया गया है। जिलाधीश को अधिकृत किया गया है और विशेष परिस्थितियों में भौगोलिक आधार पर विशेष परिस्थितियों में कम आबादी को आपने भी पंचायत को स्वीकारोक्ति दी है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, नहीं-नही, आपने सरगुजा का उदाहरण दिया।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं नारायणपुर का दिया हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, नारायणपुर सरगुजा या 85 विकासखंड मान लेता हूं। क्या अनुसूचित क्षेत्रों में आप भूगोल को भी आधार बनायेंगे ? यदि सुविधा देना चाहते तो आपको इस पर विचार करना पड़ेगा, दूरी बतानी नहीं पड़ेगी। फिर हजार भी कहेंगे तो पांच गांव मिलकर पंचायत बनेंगे जिसकी दूरी 20 किलोमीटर भी हो सकती है। इस संबंध में भी मैं तो आपका राजनीतिक दृष्टिकोण बोलूंगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यावहारिक रहेगा। पूरी तरह से व्यावहारिक रहेगा और मैं माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय विनोद चंद्राकर जी, माननीय बृहस्पत जी को भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपकी बात को भी ले लूंगा, पहले मेरे को उनको धन्यवाद देना था।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा था कि जो भौगोलिक बातें वनवासी क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र की आ रही है। हम पूरे प्रदेश का एक रखेंगे न कि कलेक्टर के अधिकार में देंगे कि आप उसका परिसीमन करेंगे तो जनसंख्या आदिवासी क्षेत्र में अलग है, सामान्य क्षेत्र में अलग है। कोई न कोई उसका निर्धारित करेंगे। जैसे 1 हजार है तो हम उसको पांच सौ करें, 600 करें, 700 करें, असल में यह जानना चाह रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हजार में कोई परिवर्तन नहीं है, जो है जस का तस है। चक्रानुक्रम दो चुनाव का एक चक्र नहीं रहेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या में परिसीमन का पूछा था। क्योंकि आपने उदाहरण अनुसूचित क्षेत्र का दिया था। जैसा आप कहें, मैं व्यावहारिक बात ....।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके नियम को बदला नहीं गया है। सिर्फ 10 साल कर दिये हैं, उसको 5 साल के 5 साल कर दिये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत ही ...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जितनी बार वह खड़े होंगे, मैं उतनी बार आपको बधाई दूंगा। यह आपका फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत ही दुर्गामी प्रभाव डालने वाला है। वनांचल में हमने देखा है कि आज भी वह चुनाव आयोग जो जब आपके अफसर भेजते हैं न तो वह अपना कुछ ऐसा मीटर लगाते हैं, बिल्कुल सबसे नजदीक है करके वहां भी 5 किलोमीटर वोट डालने के लिए चलना पड़ता है। वह तो शहरी लोगों से ज्यादा जागरूक हैं तो वह वोट डाल देते हैं। एक टिंगीपुर गांव है। वह सात किलोमीटर दूर राशन लाने जाता है। बोल-बोल के थक गये कि वहां पर एक उप केन्द्र खोल दो, पर आपके अफसर तो बाकी चीज में ध्यान देते हैं, इसमें फुर्सत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पंचायतें बढ़ाईये, परिसीमन ऐसा करिये कि उस पंचायत में थोड़ा तालमेल भी रहे। ये गांव वाले उस गांव वाले को पूछता ही नहीं है। उस गांव वाला, इस गांव वाले को दुश्मन मानता है, वहां विकास नहीं होता है। इसलिए आप अफसरों से यह कहियेगा कि थोड़ा सलाह, मश्वरा करके, ठीक-ठाक से बनायें। राजनीति मत करिये, वहां कौन जीतेगा? हारेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ? आपको मैं एक चीज बता सकता हूँ कि जो-जो नेता सरपंच का ज्यादा सहारा लेता है, वह पक्का चुनाव हारता है। भई, मेरा अपना अनुभव है मैं यहां मंच पर बोल रहा हूँ। मुझे डर भी नहीं है इसलिए गांव का विकास ठीक से हो, ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़े, कोई नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, घाटी मत उतरना पड़े और आपस में लोग मिलते-जुलते रहे, आप ऐसा बनाने को बोलिएगा। वह बैठे-बैठे क्या टोप्पोशीट निकालते हैं, दो ठोक

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कम्पास रखते हैं और बता देते हैं कि बहुत नजदीक है। चुनाव आयोग मानता भी नहीं है। हम बोल-बोलकर थक गये। भईया, अब ऐसा मत बने, उतना देखें और बढ़ाईये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से। अजय जी ने पार्टी वाली बात भी कही कि दलगत आधार पर जनपद और जिले का है। अजय जी ने पूछा था तो अभी ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने कहा।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप माईक चालू कर लीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि कई पंचायतें या गांव में 900 जनसंख्या है, 950 है या 958 है तो उसको बनाया ही नहीं जाता। ऐसे में ढील करेंगे क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, इनका बटन खराब हो गया है। आप उसके बाद भी इनको समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- देखिए। मेरे काका है। यदि उनका माईक बंद है तो मेरा उनको याद करने का धर्म बनता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको फिर बधाई। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, अब हम उधर तो बात ही नहीं करेंगे। जब-जब देवेन्द्र जी और बृहस्पत सिंह जी और उधर दो मंत्री खड़े हों, तो आपके प्योर मैनेजमेंट को प्रणाम किया करेंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया):- माननीय मोहले जी का पॉवर कनेक्शन पूरा कट हो गया है इसलिए बटन बंद है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जनप्रतिनिधियों से सलाह भी होगी, उनके राय भी आमंत्रित होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे भी व्यक्तिगत बता सकते हैं, विभाग को भी बता सकते हैं और अंत में आपके प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हुए, कम समय में आग्रह करने पर, आपने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी और मैं विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अल्प समय में 4 घण्टे के अंदर, उन्होंने अथक परिश्रम करके, इसको तैयार किया है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निवेदन के साथ की इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

समय :
8:05 बजे

<u>अशासकीय संकल्प</u>

<u>अशासकीय कार्य आगामी सत्र में लिया जाना।</u>

अध्यक्ष महोदय :- अशासकीय संकल्प, शिवरतन शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर उत्तर) :- माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि अब समापन का समय आ गया है।

अध्यक्ष महोदय :- किसके समापन का?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्र के। आपका धन्यवाद प्रस्ताव आ जाये, मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का आ जाये और जो संकल्प है, इनको दोबारा लगाने के लिए बोल दीजिए, अगले सत्र में आ जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी कहिये ?

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी समय भी 8 बजकर 5 मिनट हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप कुछ कहेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई शासकीय संकल्प तो है नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- नहीं, कहीं कोई अड़चन नहीं है। सभी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि आने वाले समय में संकल्प आ जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसी दिन अशासकीय कार्य नहीं हुआ।

श्री रविन्द्र चौबे :- शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकारा गया, आप ही का नाम पुकारा गया। अगर इसमें सबकी सर्वानुमति बन नही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है, अगली बार ले लेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं इस बात को समझ रहा हूं इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले सत्र में ये सभी संकल्प को फिर से लेकर हम उसमें कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

समय :

8:06 बजे

समितियों का निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिए रिक्त हुए एक स्थान हेतु निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय :- सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिए रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य का एक ही नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुआ है। अत: मैं, श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य को वित्तीय वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि में सेवा करने हेतु इस समिति के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं।

नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य को उक्त समिति के रिक्त सभापति के पद पर सभापति नियुक्त करता हूं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिए रिक्त हुए दो स्थानों हेतु निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिए रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति हेतु श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य एवं श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य के दो ही नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अत: मैं, श्री शिशुपाल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सोरी, सदस्य एवं श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य को वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि में सेवा करने हेतु इस समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं।

नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य को उक्त समिति के रिक्त सभापति के पद पर सभापति नियुक्त करता हूं।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति में वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि के लिए लिए रिक्त हुए एक स्थान हेतु नाम- निर्देशन

अध्यक्ष महोदय :- मैं, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान पर श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य को वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि में सेवा करने हेतु सदस्य नाम निर्देशित करते हुए समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, श्री अजीत जोगी द्वारा माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, श्री गुरू रूद्रकुमार के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 17 जुलाई 2019 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

समय :
8:09 बजे

सत्र समापन

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधानसभा के द्वितीय सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है, यह सत्र जिसे मानसून सत्र या पावस सत्र कहते हैं, जो 12 से 19 जुलाई 2019 के मध्य आहूत हुआ। इस सत्र के समापन के अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी और समस्त माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस ढंग से सुव्यवस्थित संचालन में अपनी सहभागिता और सहयोगमुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के माननीय सदस्यों ने जो संसदीय विषयों पर अपनी रूचि दिखाई है और जो जिज्ञासा मैंने लोगों के मन में देखी है। वहीं दूसरी ओर जनसेवा के कार्यों में उन्होंने अपनी एक अद्भूत ललक का प्रदर्शन किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि यही ललक आपको एक कुशल जनप्रतिनिधि बनाएगी और इसके लिये मेरी शुभकामनाएं । सत्र के समापन अवसर पर मेरा आप सभी साथियों से एक छोटा सा

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

अनुरोध है कि प्रत्येक परिस्थिति में आप लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का कष्ट करें तो बड़ी सुविधा होगी । मुझे विश्वास है कि आप मेरे अनुरोध का भविष्य में ख्याल रखेंगे और जैसा कि हमारे साहब कबीर जी ने कहा है कि -

ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय ।

औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय ।।

पंचम विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की संख्या भले ही कम हो लेकिन आपने जिस प्रकार अपनी वरिष्ठता का, अपने अनुभव का प्रदर्शन करके एक सशक्त प्रतिपक्ष होने का यहां उदाहरण प्रस्तुत किया है, दिखाया है और अपने अनुभव का लाभ दिया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

सदन के नेता माननीय भूपेश बघेल जी के प्रति मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक विपरीत पारिवारिक परिस्थिति में यहां आकर अपनी उपस्थिति दी और जिस ढंग से उन्होंने संसदीय कार्य का सम्मान किया, सदन का सम्मान किया उसके लिये मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं । उनका यह सम्मान अनुकरणीय जो कहना चाहिए, इससे हम सबको सीखना चाहिए कि घर में विशेष परिस्थिति हो सकती है, पारिवारिक परिस्थिति में जो हम सबने देखा, उन्होंने भोगा उसके बावजूद भी वे बिना धैर्य खोए यहां आते रहे इसके लिये मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

मुझे इस बात से अवगत कराना है, जैसा कि कार्यमंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया है कि 02 अक्टूबर, 2019 को यहां पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जो पूरी तरह से माननीय गांधी जी के प्रति समर्पित होगा क्योंकि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का 150वां वर्ष है और 02 अक्टूबर को ही हम लोग यहां पर गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे ।

सत्र में सांख्यिकीय आंकड़े रखने की जैसी की परंपरा है । इस सत्र की कुल 05 बैठकों में लगभग 23 घंटे 15 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में तारांकित प्रश्न करीबन 495, अतारांकित 451 इस प्रकार 946 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं । जिसमें से 52 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए । ध्यानाकर्षण की कुल 257 सूचनाएं प्राप्त हुईं और 07 सूचनाएं ग्राह्य हुईं उस पर 50 सूचनाएं शून्यकाल की सूचना में परिवर्तित की गईं । स्थगन की कुल 96 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से एक विषय में 13 सूचनाएं प्राप्त होने के कारण उन्हें ग्राहय किया गया, एक विषय में संबंधित 03 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अग्राहय किया गया । शून्यकाल की 87 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 62 सूचनाएं ग्राहय और 25 सूचनाएं अग्राहय की गईं । माननीय सदस्यों द्वारा 71 याचिकाएं प्रस्तुत की गईं जिनमें से 21 ग्राहय और 50 अग्राहय रहीं । इस सदन में आये 05 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुए जिस पर चर्चा नहीं हो सकी, जिस पर आने वाले सत्र में निर्णय किया जाएगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 07 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी चर्चा के उपरांत पारित हुए । वित्तीय कार्यों के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 05 घंटे 04 मिनट चर्चा हुई।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने, भिज्ञ करने की दृष्टि से इस बार 5200 नागरिकों ने इस सत्र की कार्यवाही का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया है यह बहुत खुशी की बात है । मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मेरा सहयोग किया है ।

मैं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, सम्माननीय पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाहियों में गंभीरतापूर्वक रूचि ली और प्रचार-प्रसार माध्यमों में प्रमुख स्थान दिया । इसके साथ ही मैं रायपुर दूरदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं ।

इस सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव एवं समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सत्र के दौरान बनाए रखी । मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्व का निवर्हन कुशलतापूर्वक किया ।

सत्र के समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथि घोषित करने की परम्परा रही है । चूंकि हम लोग 2 अक्टूबर को मिल ही रहे हैं, तत्समय यह घोषणा कर दी जाएगी ।

मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की उन्नति में, छत्तीसगढ़ को शिखर तक पहुंचाने में हम सबकी बराबर की भागीदारी है, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ को शिखर तक पहुंचाएं । यही मेरा आप सबसे अनुरोध है । धन्यवाद् । जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पावस सत्र का अंतिम दिन है । इस सत्र में बहुत सारे प्रश्न आए, ध्यानाकर्षण और स्थगन भी आए। आपने ग्राह्य करके चर्चा भी कराई । आपने सभा संचालन बहुत अच्छे ढंग से किया इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं । चूंकि आप हर समय कबीर के दोहे कहते हैं, इस अवसर पर मैं आपके लिए भी कह देता हूं -

कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ।

न काहूं से दोस्ती न काहूं से बैर ।।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

हम लोगों को तो कभी कभी लगता है कि आप उधर ज्यादा ही मेहरबान दिखते हैं । हम लोग इधर इशारा करते रहते हैं और आपकी नजर उधर ज्यादा रहती है । मैं समझता हूं कि धर्मजीत भाई के ऊपर तो अध्यक्ष जी की कुछ ज्यादा ही कृपा रहती है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरी तरफ भी ।

श्री भूपेश बघेल :- आपकी तरफ भी । वैसे पुन्नू लाल जी के यहां से वहां जाने के बाद उनके परफारमेंस में सुधार हुआ है । वे बिल्कुल सटीक सवाल पूछ रहे थे । हम आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं । अच्छे संचालन के लिए पुन: आभार । प्रतिपक्ष के नेता जी, चूंकि विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ पूरे सदन को मिलता है । हमारे विपक्ष के बहुत सारे सदस्य हैं जो बहुत अनुभवी हैं, लम्बे समय से यहां रहने के कारण उनके अनुभव का लाभ पूरे सदन और पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है । इसलिए नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ पूरे विपक्ष के सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सदन संचालन में बहुत अच्छा सहयोग दिया । अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं, नये सदस्यों को लगता होगा कि अब क्या होगा । लेकिन आप सब अनुभवी हैं और उसका लाभ निश्चित रूप से सदन की परम्पराओं को ऊंचाईयों तक ले जाने में हम सफल होंगे ।

ट्रेजरी बेंच के हमारे जितने भी साथी हैं । उनको भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने तैयारी करे आप सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया । हमारे विधायक साथी जो विशेषकर सत्तू भैया, धनेन्द्र भैया, आदरणीय साय जी है, ये सब अनुभवी सदस्य हैं, जिनका लाभ हमारे नये सदस्यों को मिल रहा है और नये सदस्यों को भी बहुत बधाई देता हूं कि बहुत आक्रामक तेवर से आप लोग आते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं और नहीं बोलेंगे तो गलतियां भी नहीं होंगी तो आगे सुधार भी नहीं होगा। इसलिए आप जो प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में जहां भी कमी खामी दिखती है, उसे निरंतर सुधार करने की प्रक्रिया आप लोगों में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सभी सदस्य यहां उपस्थित रहते हैं और उपस्थित रहकर चाहे सत्ता पक्ष के वरिष्ठ लोग हों या विपक्ष के वरिष्ठ लोग हों, उनसे सीखने की नये सदस्यों में जो ललक है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा और महिला वर्ग भी अपनी बात रखने ने के लिए खूब आगे आती हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर व अनेक विषयों पर वे पकड़ भी रखती हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अधिकारी वर्ग जो दिन-रात मेहनत करके यहां जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उनको भी बधाई। जो सचिव है और उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद। सभी सदस्यों को भी क्योंकि वे लगातार संपर्क में रहते हैं और जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। सचिवालय को बहुत-बहुत बधाई। विधान सभा सचिवालय की सुरक्षा में जो जुड़े हुए हैं, सभी कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं और जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, उसे पूरे प्रदेश की जनता तक और देश के विभिन्न अंचलों तक पहुंचाने का काम हमारे

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग कर रहे हैं तो पत्रकार साथियों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई और इसी के साथ-साथ पुन: अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में निश्चित रूप से आपका संरक्षण हम सबको प्राप्त होता है और आपके दिशा निर्देश में इस सदन की कार्यवाही को चलाते हैं। छत्तीसगढ़ की जो मान्य परंपरा है और यहां हमारे जो संसदीय कार्य हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपका जो अनुभव है, उसे अनुभव का लाभ हम सबको मिल रहा है और आने वाले समय में हमारा जो सदन है, वह और ऊंचाइयों में इस संसदीय प्रक्रिया में प्राप्त करेंगे। आपने इस कम समय में भी 6 दिवस के इस कार्य दिवस में 4 दिन मुख्य रूप से हमें बातचीत करने का अवसर दिया, लेकिन इस 4 दिवस में 7 विधेयक उसके अलावा हमारे स्थगन को ग्राहय करके चर्चा कराया है और साथ ही बाकी चीजों जैसे वित्तीय बजट भी है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे समय का उपयोग हुआ है और समय का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा इस हाउस का हम सब लोगों ने जो कार्य है, उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की भूमिका और सहभागिता रही है। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सदन के नेता हैं और सदन के नेता होने के नाते सबको लेकर चलना और उसके साथ ही हम प्रतिपक्ष में संख्या में कम हैं, लेकिन उन बातों पर भी गौर करना और उसके अनुसार संसदीय कार्य को व प्रक्रिया को बढ़ाना, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। निश्चित रूप से पारिवारिक परिस्थितियां रही हैं। अभी भी जिस प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उस स्थिति में भी पूरे सदन में पूरे समय तक उपस्थित रहें और पूरे दायित्यों का आप निर्वहन किये। संसदीय कार्य मंत्री माननीय चौबे जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। संसदीय कार्य मंत्री एक महत्वपूर्ण कड़ी है और सारे गतिरोध को समाप्त करने का और उसके साथ ही साथ में इस सदन को संचालन में यदि कोई कठिनाई है तो एक भूमिका उनकी रहती है । नेता प्रतिपक्ष बोलूं, क्या बोलूं, सिंहदेव साहब बोलते हैं कि जब भी नेता प्रतिपक्ष की बात आती है तो मैं हमेशा खड़ा हो जाता हूँ। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष बोला, हमारे माननीय मंत्री जी और ट्रेजरी बेंच के हमारे माननीय मंत्री हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग जो बातें करते हैं, उसको गंभीरता के साथ सुनते हैं। हमारे माननीय बृजमोहन जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मध्यप्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा तक उनका अनुभव हम सबके सामने हैं। साथ ही अजय चन्द्राकर जी, शिवरतन शर्मा जी, हमारे मोहले जी, बाकी हमारे विधायक, धर्मजीत सिंह जी, उनको एक अच्छे वक्ता के रूप में हम सब देखें हैं। हमारे चन्द्रा जी बैठे हुए हैं। साथ सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं, वास्तव में सदन की प्रक्रिया है, उसमें उन सबका भाग लिया और उसमें रूचि लिया और पूरे समय तक बैठे। आने वाले समय में उसमें और निखार आयेगा। कोई सदस्य कितना भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वरिष्ठ हो जाये, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि मुझे सबके ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। बैठने से भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। खासकर महिलाओं, सभी पक्ष की महिलाओं को अपनी बात रखने का अवसर आया है, उन सभी इस विधान सभा के अंदर बात रखने की भूमिका है, वह सराहनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा का सचिवालय है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विधान सभा के संचालन में जो कठिनाईयां होती हैं, उसको सीखने का अवसर में उनकी सहायक भूमिका रहती है, जिसका लाभ हम सबको मिलता है। इसलिए हमारे सचिव गंगराड़े जी का साथ ही विधान सभा सचिवालय को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय चीफ सेक्रेटरी और हमारे डी0जी0 साहब, वैसे मेरी शिकायत नहीं है, परम्परा रही है कि वे सामान्यत: सदन में उपस्थित रहते हैं, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी एक सकारात्मक भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, यहां की जो भी कार्यवाही है, यहां विधान सभा के अंदर या बाहर जो भी बात रखते हैं, उसको जनता के बीच में पहुंचाने का काम हमारे लोकतन्त्र के महत्वपूर्ण स्तम्भ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से वह पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे इस कार्यवाही को पूरे प्रदेश में लोग देख पाते हैं, मैं इसके लिए हमारे पत्रकार मित्र को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही सुरक्षा में लगे हुए हमारे सुरक्षा अधिकारी हैं, हमारे जवान हैं, उनके कारण शांतिपूर्ण हमारा यह सत्र चलता है। मैं सुरक्षा में लगे सभी हमारे अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अंत में पुन: आपका निरंतर सब लोगों का मार्गदर्शन साथ ही आपके अनुभव का लाभ लेते हुए हमारी सदन की गरिमा और ऊंचाई को प्राप्त हो, मैं पुन: धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में सदन की कार्यवाही बहुत सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। अगर यह सम्पन्न हुआ है तो उसमें सबसे अहम भूमिका आपकी है, अध्यक्ष महोदय। क्योंकि हमने आपको उस कुर्सी पर बहुत ही गंभीर और शांत तरीके से सदन को संचालित करते देखा है। यह जरूर है कि यह बहुत छोटा सा सत्र था। सत्र के आहूत होने के बाद ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां अचानक माताजी का स्वर्गवास हो गया। मतलब परिस्थितियां एबनार्मल सरीखे थीं। फिर भी सत्र की शुरूआत में माननीय मुख्यमंत्री जी की गैरहाजिरी में भी पूरे जोशों-खरोसों से चला। क्योंकि उनके बाकी मंत्री पूरी तरह से उस दिन की कार्यवाही में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आये, आप नहीं थे, तो आपकी कमी महसूस हो रही थी। परन्तु जब आप आये तो और अच्छा लगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, तब फिर बोलने का मजा भी और अच्छा रहता है क्योंकि लगता है कि कोई निर्णायक आदमी सुनने वाला है । हमारे प्रमुख विपक्षी दल के लोगों ने भी बहुत ही अच्छे-अच्छे मुद्दे उठाए, हम लोगों से भी जितना बना, हम लोगों

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

ने भी मुद्दे उठाये । सत्ता पक्ष के भी सभी साथियों ने भाइयों, बहनों, सभी लोगों ने भाग लिया। कुल मिलाकर सत्र तरीके से चला ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी सत्र की अवधि बढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं आती होगी । सत्र की अवधि इसलिए बढ़ा दीजिए, अगले सत्र के लिए निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं । अगले सत्र में थोड़ी तिथि ज्यादा करिएगा, उससे विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा, समस्या, फीडबेक सब आपको मिलेगा और सरकार उसमें परिष्कृत रूप से काम ठीक से कर पाएगी । इसलिए सत्र की अवधि को बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। संसदीय कार्यमंत्री जी से भी आग्रह है और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए आग्रह है कि विषम परिस्थितियों में आपकी बात को कोई नहीं काटता । आप बहुत अनुभवी हैं और आपके प्रति सबके दिल में सम्मान है तो ये गतिरोध तो आते रहता है, लेकिन गतिरोध दूर करने का भी काम जो आप करते हैं, उसके लिए आपको भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, अभी आपने ही बताया, मैं भी पिछले दो सत्र से देख रहा हूं, इस सत्र में तो और भी देखा कि आपने खुद आंकड़ा बताया कि इस कार्यवाही को 52सौ लोगों ने देखा । मंत्री जी के चैम्बर के सामने में सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही थी, इतनी भीड़ थी । अध्यक्ष जी के कमरे से लेकर लॉबी तक भीड़, मुख्यमंत्री जी तो अभी दो-तीन दिन से आये हैं तो भयंकर भीड़ और सेन्ट्रल हॉल में भयंकर भीड़ है और खाने वाला है, इधर तो मत पूछिए । मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि कोई नया विधानसभा बनाने की बात हो तो आपको आग्रह कर रहा हूं, विधान सभा के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर मेरा निवेदन है कि आप और मुख्यमंत्री जी एकाध दिन बैठकर चर्चा करके नई विधान सभा थोड़ी बड़ी बनाईए, जब हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इतना बढ़िया विधान सभा देखने आ रहे हैं तो विधान सभा बड़ा बना दीजिए । मैं तो गुजरात में, राजस्थान में और मध्यप्रदेश में इतनी भीड़ आते नहीं देखा हूं, पर हमारे लोगों को हम दिखाना चाहते हैं, बच्चे लोग लाईन में लगे थे, बहुत अच्छी परम्परा है । उस पर भी विचार करिएगा। हमारे सचिव साहब, पूरे स्टाफ के लोग बहुत अनुभवी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज को लेते हैं और जो उनसे उचित होता है, वे करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में मैंने एक चीज और अनुभव किया कि अधिकारी दीर्घा में बार-बार ये बोलना पड़ता था कि अधिकारी नहीं हैं, पर इस वक्त थोड़ी संख्या में उपस्थिति ज्यादा दिखी, कई बार उपस्थिति ठीक-ठाक दिखी और उससे लगता है कि कोई नोट कर रहा है । बाहर में हमारे सुरक्षा कर्मी भी हैं, जवान लोग खड़े रहते हैं, जब हम लोग 11 बजे आते हैं तो वे गर्मी में खड़े रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं । हम उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं । अगर मीडिया के साथी यहां न रहें तो शायद ज्यादा भाषण भी न हो तो उनके कारण ही यहां भाषण होता है । कभी-कभी अच्छा होता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, कभी-कभी बुरा हो जाता है, लेकिन वे पेपरों में छापते हैं, इसलिए अच्छा लगता है । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ ज्यादा समय देते हैं । तो मुझे कृपा करके संरक्षण देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है । अध्यक्ष जी, अगर आप संरक्षण दे रहे हैं तो निवेदन है कि संरक्षण देते रहिएगा । अब हमारे पास इतना ही तो है, यहीं खड़े होकर आपके संरक्षण में बोल लिए, नहीं तो और क्या कर सकते हैं । आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और इस सफल सत्र के लिए बधाई ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण और आपके नेतृत्व में यह सदन और कुछ विषय परिस्थिति पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां दुख की बेला थी, उसके बाद भी बहुत ही बेहतर ढंग से सदन संचालित हुआ । निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व का परिणाम है और आपने सभी को बराबर मौका दिया । हालांकि सत्र में मैं एक दिन नहीं था, बाकी दिन जितना भी समय रहा, पूरा सदुपयोग हुआ । आपके साथ ही साथ इस सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता माननीय कौशिक जी, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण, हमारे सभी वरिष्ठ विधायकों के साथ नये विधायकों का भी योगदान रहा । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार तो इधर से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रश्न किया, ध्यानाकर्षण लगाया, अच्छी बात है, सरकार के सामने जो है, क्या कमी है, क्या खामी है, इन माध्यमों से पता चलता है। सफल संचालन से शासकीय काम पूर्ण हुआ । आपके साथ ही साथ सम्माननीय गंगराड़े जी और उनके पूरे सचिवालय को, इस प्रदेश के सभी अधिकारियों को और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रानिक मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथी जो इस सदन के संदेश को पूरे प्रदेश में ले जाते हैं, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ । यही मार्गदर्शन, यही संरक्षण, पूरे सदन का आपको मिलता रहे, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत छोटी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सबसे पहले आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रतिपक्ष के नेता जी को, हमारे विधायक साथियों को, डी.जी.पी. से लेकर सभी पत्रकार साथी को बधाई दे देता हूँ । आपके कक्ष में बृजमोहन जी ने एक बात कही, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, मैं नहीं जानता । आपके नेतृत्व में एक परम्परा स्थापित होने जा रही है । हम लोग उधर बैठते थे, हमेंशा यह आग्रह होता था कि प्रश्नकाल चले । प्रश्नकाल बहुत बाधित होता रहा, छत्तीसगढ़ के विधान सभा में एक अवसर ऐसा आया है कि मंत्रिगण भी गर्भगृह में आये हैं । हम लोगों ने अपने दल की ओर से तय किया है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो जाये, प्रश्नकाल बाधित नहीं करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय भाषा में हम लोग तो वॉच डाग हैं । हमारे विषय, हमारे बॉडी लैंग्वेज, अलग-अलग हो सकते हैं, प्रश्नकाल जो है, जो भी नियम प्रक्रिया...।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जेब से बाहर तो हाथ निकाल लीजिए, जेब में हाथ डाले हुये हैं । आप जेब में हाथ डालकर क्या कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां आप इसकी भूमिका में आ रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, इस सत्र में वह जागृत हो गये, इसके लिए बधाई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह हमने खुद होकर निश्चय किया है । दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निश्चय की कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता हैं, दोनों एक इंस्टिट्यूशन है, उसके भाषण के दौरान पूरी गंभीरता से उपस्थिति रही । यह हम लोग तय किये । निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आज जो प्रदर्शन हुआ है, आपके नेतृत्व में और मजबूत होगा । जब यह मजबूत होगा तो हम अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ की सेवा कर पाने में सफल होंगे । लोकतंत्र में जो नियम प्रक्रिया तय की गई है, इस हाऊस के लिए, पार्लियामेंट के लिए, किसी के लिए भी तो प्रश्नकाल जो है, उसकी आत्मा है । छत्तीसगढ़ में यह बात हमने विपक्ष की ओर से तय की है, मैं विधिवत आपको अवगत कराना चाहता हूँ । आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे जो सदैव चिटठी भर लिखते रहे, मैं सोचता हूँ कि आपके चिटठी का सम्मान आगे आपका दल करेगा । एक स्माल लेजिसलेटिव एसेंबली का जितना दिवस है, उतना दिवस अपनी मजबूत परम्पराओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ विधान सभा पूरा करेगा, चाहे आपके नेतृत्व में कर, किसी के नेतृत्व में करे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने युवा साथियों की तरफ से एक शब्द कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- कहिये, कहिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने युवा साथियों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी सत्र में, भले ही छोटा सत्र था, लेकिन हम लोगों को बहुत सी बातें सीखने को और जानने को मिली । हम लोग आपस में बैठते थे और तय करते थे कि जब हमारे बीच से हमारे सम्माननीय सदस्य जो सीनियर हैं उनकी बातें हमको सुनना है, उनकी बातों को सुनने के बाद हमको उसके शब्दों का जवाब, या उनके शब्दों की जो सार्थक बातें हैं उन सार्थक बातों को ग्रहण करने के बाद हमको क्या जवाब देना है ये हम सब आपस में मिलकर जरूर तय करते थे। हमारे जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं चाहे वह विपक्ष के हों, पक्ष के हों सबका हमें बराबर सहयोग, सम्मान मिला और आशिर्वाद मिला, इसके लिए धन्यवाद। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय अध्यक्ष महोदय आप से भी निवेदन करता हूं कि आगामी जब भी सत्र हो तो क्योंकि अभी बहुत सी बातें हम लोगों को रखनी थी लेकिन हम लोग नहीं रख पाये, हमारी पूरी तैयारी जरूर थी लेकिन छोटा सत्र होने के कारण अपनी बातें

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हम लोग नहीं रख पाये। आज इतनी धीर-गंभीर बातें आप सबके बीच में हुई हैं, मैं इस माहौल में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की बात में अपनी एक बात कहना चाहता हूं कि और उनके हौसले के लिए भी एक लाईन कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक लाईन मैं समर्पित करना चाहता हूं -

सोच मत अच्छा-बुरा, तैयार कर, आप अपना रास्ता तैयार कर।
तू हिमालय की बुलंदी से न डर, तू है दरिया रास्ता तैयार कर।।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

समय :
8.41 बजे

<u>राष्ट्रगान</u>

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 08 बजकर 42 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्रशेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक: 19 जुलाई, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं